सप्तम-माला, खंड 33, अंक 19, गुरुवार, 4 नवम्बर, 1982/13 कार्तिक, 1904 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

[दसवां सत्र]

Checked and corrigenda issued
N.W.
31/1/83

सत्यमेव जयते

(खंड 33 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 19, गुरुवार, 4 नवम्बर, 1982/ 13 कार्तिक, 1904 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 352, 353, 356, 358 और 359	...	1—23
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या : 354, 355, 357 और 360 से 372		
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3848 से 4080	...	33—203
पंजाब की स्थिति के बारे में वक्तव्य	...	204—207
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	...	204—205
सभा पटल पर रखे गये पत्र	...	208—212
लोक लेखा समिति	...	—213
सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरण		
राज्य सभा से संदेश	...	—216
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	...	—216
51वां और 54वां प्रतिवेदन	...	—216
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति		
27वां प्रतिवेदन	...	—216
नागालैंड में प्रधान मन्त्री के भाषणों संबंधी कुछ प्रेस रिपोर्टों के बारे में वक्तव्य	...	—217
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति		
चौदहवां प्रतिवेदन	....	—218

* किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय		पृष्ठ
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	...	218—235
नारियल जटा उद्योग में व्याप्त गंभीर स्थिति		
श्री एम०एम० लारेंस	...	218—222
श्री नारायण दत्त तिवारी	...	218—223
श्रीमती सुशीला गोपालन	...	224—230
श्री ई० बालानन्दन	...	230—235
पाकिस्तान के राष्ट्रपति महामहिम जनरल जिया-उल-हक के भारत आगमन के बारे में वक्तव्य		
श्री पी० वी० नरसिंह राव	...	236—237
दिनांक 24 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5583 के उत्तर में दी गई कतिपय जानकारी और उत्तर को शुद्ध करने के बारे में वक्तव्य	...	238—239
श्री रशीद मसूद	...	—238
श्री पी० के० थुंगन	...	—239
विवाह विधि (संशोधन) बिधेयक		
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के बारे में प्रस्ताव	...	239—241
नियम 377 के अधीन मामले	...	242—251
(1) सेवा निवृत्त रक्षा कर्मचारियों की माँगे		
मनीराम बागड़ो	...	—242
(2) विज्ञापनों में महिलाओं के अशोभनीय प्रदर्शन को रोकने की आवश्यकता		
श्रीमती माधुरी सिंह	...	—243
(3) अखबारी कागज के लिए वाणिज्यिक रूप से उपयुक्त कच्चे माल का पता लगाने हेतु अनुसंधान		
डा० कृपासिंधु भोई	...	—243

विषय		पृष्ठ
(4)	उड़ीसा के जनजाति के क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रावासों तथा आबासीय विद्यालयों के निर्माण हेतु धन की आवश्यकता	
	श्री लक्ष्मण मलिक ...	—244
(5)	पूरी स्थिति भगवान जगन्नाथ के मन्दिर का संरक्षण	
	श्री हरिहर सोरेन ...	244—245
(6)	हिमाचल प्रदेश में पेड़ों के अवैध रूप से काटे जाने को रोकने की आवश्यकता	
	श्री टी० एस० नेगी	—245
(7)	आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में घोर सूखा तथा अकाल की स्थिति	
	प्रो० एन० जी रंगा ...	245—246
(8)	तमिलनाडु के स्कूलों में चलाई जा रही पौष्टिक भोजन योजना का पुनर्मूल्यांकन	
	श्री के० टी० कोसलराम ...	246—247
(9)	विदेशों से लौटने वाले भारतीयों के लिए उनके द्वारा लाई जाने वाली वस्तुओं के संबंध में नियमों को उदार बनाना	
	श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा ...	—247
(10)	केरल में चावल की कमी	
	प्रो० पी० जे० कुरियन ...	—248
(11)	कुमार धेरबी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, धनबाद, का राष्ट्रीयकरण करने वाले विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति में देरी	
	श्री ए० के राय ...	248—249
(12)	विशेष रेल सुरक्षा बल से सेवा निवृत्त हुए रेल कर्मचारियों की समस्याएं	
	श्री बसुदेब आचार्य ...	—249

विषय		पृष्ठ
(13) छात्रों की आवश्कताओं को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश के लिए कागज का कोटा जारी करने की आवश्यकता		
श्री बाबूराव परांजपे	...	—250
(14) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल		
श्री वी० कुलनदईवेलू	...	250– 251
(15) इटारसी के समीप सेना के चाँदमारी क्षेत्र के स्थान पर रखे गए अविस्फोटित बमों तथा अन्य विस्फोटक पदार्थों के कारण हुई दुर्घटनाएं		
श्री रामेश्वर नीखरा	...	— 251
छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव		
श्री एस० बी० चव्हाण	...	252—279
विमान अपहरण निवारण विधेयक और सिवल विमानन सुरक्षा विधिविरुद्ध कार्य दमन विधेयक		
विचार करने का प्रस्ताव	....	280—297
श्री भागवत झा आजाद	...	280– 284
श्री सुधीर गिरि	...	284 285
श्री गिरधारी लाल व्यास	...	286– 289
श्री हरीश कुमार गंगवार	...	289—290
श्री जगपाल सिंह	...	290—293
श्री रामावतार शास्त्री	...	293—296
श्री राम विलास पासवान	...	296—297
सभा—पटल पर रखा गया पत्र	...	—298

लोक सभा

गुरुवार, 4 नवम्बर, 1982/13 कार्तिक, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सवारी डिब्बों का उपयोग

*352. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री सुरज भान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न जोनों में सवारी डिब्बे जितने समय अप्रयुक्त रहते हैं, उसका प्रतिशत बहुत अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो सवारी डिब्बों का उपयोग अधिक करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 14 प्रतिशत अनुमेय निष्क्रिय सवारी डिब्बों की तुलना में, कुछ रेलों पर, आवधिक और ओवरहाल क्षमता की आवश्यकतानुसार उपलब्ध न होने के कारण, निष्क्रियता का प्रतिशत सीमान्ततः ऊंचा है । भुवनेश्वर, तिरुपति और भोपाल में 3 नये कारखाने स्थापित करके और न्यूबोंगाईगांव तथा जगाधरी में क्षमता का विस्तार करके इस कमी को दूर करने के लिए कार्रवाई की गयी है । कोचिंग स्टाक के उपयोग में सुधार लाने के उद्देश्य से लम्बी दूरी की गाड़ियों के रेक संयोजन का मानकीकरण करने हेतु भी उपाय किए गए हैं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मंत्री महोदय ने हिन्दी में जवाब दिया है, इसलिए बोनस के तौर पर सप्लीमेंटरी न पूछें ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : हिन्दी में बोलने के लिए बधाई, मगर यह मामला है रेलों को चलाने का है । मुझे अफसोस है कि मंत्री महोदय ने सारे तथ्य सदन के सामने नहीं रखे हैं । उन्होंने सदन को गुमराह करने की कोशिश की है । आप जरा जवाब देखिए :—

"14 प्रतिशत अनुमेय....."

यानी परमिसिबल

"निष्क्रिय सवारी डिब्बों की तुलना में, कुछ रेलों पर, आवधिक और ओवरहाल क्षमता आवश्यकतानुसार उपलब्ध न होने के कारण, निष्क्रियता का प्रतिशत सीमान्ततः ऊंचा है"।

मैंने अंग्रेजी का उत्तर देखा है। "सीमान्ततः ऊंचा" के माने हैं "मार्जिनली हायर"। मैं पूछना चाहता हूं कि मार्जिनली हायर कितना है। क्या यह सच नहीं है कि 14 परसेंट की तुलना में, जो डिब्बे प्रयुक्त नहीं किए जा रहे हैं, उनका परसेंटेज कहीं 19 परसेंट हैं और कहीं 22 परसेंट ? अगर यह सच है, तो मंत्री महोदय ने यह बात अपने जवाब में क्यों नहीं कही ?

श्री मल्लिकार्जुन : मान्यवर, यह प्रतिशतता 14 परसेंट से भी ऊंची है, यह बात सदन को बताई गई है। इसलिए सदन को धोखा देने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। रहा सवाल कि इसके कारण क्या हैं, तो कारण तो कई किस्म के हैं। हर महीने हमारे पास 2550 डिब्बे मरम्मत और पीरियाडिकल ओवरहाल के लिए आते हैं, किन्तु हमारे पास वर्कशाप में इनस्टाल्ड कैपेसिटी 2150 डिब्बों की है। हमारे पास तकरीबन 400 डिब्बों की कम कैपेसिटी हैं।

इसी कारण अब भुवनेश्वर, तिरूपति और भोपाल में नये कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं ताकि महीने की 400 डिब्बों की पी०ओ०एच० की कमी को दूर करें।

साथ ही साथ अभी हमने एफिश्येंसी व्यूरो के साथ हर वर्कशास में भी जा कर इसकी काफी स्टडी करवायी है और उसके बाद यह परसेंटेज 14 का आप के सामने रखा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, 30 महीने में चार रेल मंत्री आए लेकिन रेलवे में सुधार नहीं हुआ है। आप कोच बनाने के लिए नये कारखाने खोले मैं इस सवाल में नहीं जा रहा हूं, जो कोच बने हुए हैं उनका कितना उपयोग हो रहा है ? मेरे पास यह रिपोर्ट हैं, इसका एक हिस्सा मैं आप को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

"भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 1980-81 की अग्रिम रिपोर्ट 'इस प्रकार एक कोच एक दिन में' समय का केवल 37 प्रतिशत उपयोग में रहा जब कि वह टर्मिनल में 36 प्रतिशत समय तक खड़ा रहा और उसकी पी०ओ०एच०, रूग्णता और निष्क्रियता (वर्कशाप में ले जाने और वहां से लाने में अथवा रूग्ण लाइन में) 27 प्रतिशत रही।"

रिपोर्ट में आगे यह कहा गया है कि :

"तमिल नाडु एक्सप्रेस, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस तथा के०के० एक्सप्रेस जैसी तीन सुपर फास्ट गाड़ियों में प्रत्येक सप्ताह में 840 घन्टे के समय की उपलब्धता वाले

5 रेक हैं। किन्तु तीनों गाड़ियां केवल लगभग 480 घन्टे ही चलती हैं। इसके परिणाम-स्वरूप, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश एवं के० के० एक्सप्रेस गाड़ियों के दो रेक सिकन्दराबाद, त्रिवेन्द्रम एवं बंगलौर में क्रमशः 32 घन्टे, 54 घन्टे एवं 73 घन्टे निष्क्रिय रहे।"

क्या इस विलम्ब का कोई औचित्य है ? रेल मंत्रालय को ओवरहाल करने की आवश्यकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रेल प्रशासन में कोई बड़े परिवर्तन करने के प्रस्ताव हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : इसका निर्णय बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

श्री मल्लिकार्जुन : रेल प्रशासन में किसी बड़े परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। किन्तु उपभोक्ताओं की आत्मा को झकझोरने की आवश्यकता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप उपभोक्ताओं को दोष दे रहे हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : कुछ रेक तो चोरी विध्वंस तथा अन्य गतिविधियों, के कारण जिनमें दुर्घटनाएं भी सम्मिलित हैं, खराब कर दिये जाते हैं। तब इन रेकों को मरम्मत के लिये भेजा जाता है। उनके मरम्मत में समय तो लगता ही है। जहाँ तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का सम्बन्ध है, मैं उससे इंकार नहीं कर रहा किन्तु रेकों का रख रखाव तो करना होता है। रख-रखाव के अभाव में रेक सेवा के लिए उपलब्ध नहीं किये जा सकते। विशेष रूप से तीव्रगामी रेल गाड़ियों के लिए, यह विशेष ध्यान देना होता है कि बिजली के उपकरण एवं अन्य उपकरण सही हों। इसके लिये, जब तीव्रगामी रेल गाड़ियां अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचती हैं तो उपकरणों की जांच के कारण विलम्ब हो जाता है। यह ऐसी बातें हैं जो इस तरह के कारण अन्तर्निहित होती हैं। जहां तक ओवरहाल करने का सम्बन्ध है, रख रखाव के अभाव में सेवा बिल्कुल उपलब्ध नहीं की जा सकती। इस कारण से जैसा कि मैं बता चुका हूं, प्रत्येक महीने लगभग 2150 ब्राडगेज कोचों का ओवरहाल किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : वे प्रशासन के ओवरहाल की बात कर रहे हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : यह एक निरन्तर प्रक्रिया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वे हर समय ओवरहाल करते रहते हैं। किन्तु यात्री अथवा माल यातायात भी सुचारू व्यवस्था फिर भी नहीं हो पाती। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। क्या हम इस बात से यह समझें कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मन्त्री महोदय द्वारा अब प्रस्तुत किये गये तर्कों पर ध्यान दिए बिना ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी ?

प्रो० मधु दण्डवते : उनकी नियुक्ति मन्त्री महोदय के आने से पहले ही हो गई थी।

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जाफर शरीफ) : मैं माननीय सदस्य की उत्तेजना का कारण नहीं जान सका। मैं सदन में स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि जब हमने प्रभार लिया तो आरम्भ में हमने अपना ध्यान मालवहन पर अधिक केन्द्रित किया था।

आप देश की आर्थिक स्थिति, बिजली घरों की स्थिति से अवगत हैं। हमने आरम्भ में मालवहन पर अपना ध्यान अधिक केन्द्रित किया था। अब हम एक निश्चित स्थिति बना चुके हैं। प्रत्येक बिजली घर के लिए पर्याप्त कोयला उपलब्ध है और देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। अब, जैसाकि हम सदन को समय समय पर वचन देते रहे हैं, हम यात्री सेवा पर अधिक ध्यान देंगे और जैसाकि मेरे आदरणीय सहयोगी ने अभी कहा है कि क्षमता सम्बन्धी कुछ कठिनाईयां हैं और जैसाकि उन्होंने बताया है कि नई कार्यशालाओं की स्थापना की जा रही है और साथ ही हमने जगाधरी एवं नए खोंगाईगांव में वर्तमान कार्यशालाओं के लिए विस्तार कार्यक्रम भी बनाए हैं जिनमें 400 कोचों की कमी में से 150 कोचों की मरम्मत का कार्यक्रम है। हमने स्वीकार किया है कि कुछ कमी है, क्षमता की कमी है और हमने यह भी स्वीकार किया है कि हमने प्रयास भी किए हैं।

दूसरी समस्या, जिसका उन्होंने सही उल्लेख किया है, बिजली कटौती की समस्या है विशेष रूप से यह समस्या पश्चिम बंगाल, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में है। यहां पर बिजली की कटौती की समस्या बनी हुई है। हमारी यह कठिनाईयां हैं और सदन को मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि पूरी स्थिति में सुधार करने के लिए हम निरन्तर प्रयास कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे यात्रियों की आवश्यकता पूरी हों।

श्री सूरजभान : अध्यक्ष महोदय, रेलवे में 7400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है लेकिन इसके बदले में मुल्क के लोगों को क्या मिल रहा है ? आज सवारी डिब्बों में ओवर-क्राउडिंग की वजह से जगह नहीं मिलती है और बिना रिश्वत के रिजर्वेशन की शीट नहीं मिलती है। अभी जैसा बताया गया, कि सवारी डिब्बों में 14 परसेन्ट इनइफैक्टिवनेस एलाउड है। इसके अलावा जैसा कि माननीय वाजपेयी जी ने कोट किया है, साढ़े 12.5 परसेन्ट स्पेयर आप रख सकते हैं। इस हिसाब से आपके पास साढ़े 73.5 परसेन्ट कोचेज बचती हैं, लेकिन इनमें से भी आप इस्तेमाल कितनी करते हैं ? इसी आडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि 24 घंटे में आप एक कोच को सिर्फ 8 घंटे 50 मिनट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा वेस्टेज टर्मिनल लाई ओवर में होता है। तमिलनाडु एक्सप्रेस 32 घंटे सिकन्दराबाद में खड़ी रहती है. आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस 54 घंटे खड़ी रहती हैं और गीतांजलि एक्सप्रेस भी यही हाल है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं क्या आप इस सिच्युएशन को सुधारने के लिए निम्न बातों पर अमल करेंगे ?

1. क्या आप टर्मिनल लाई ओवर को खत्म करने के लिए स्टेप्स उठायेंगे जैसे 72 घंटे के लिए जो गाड़ी सिकन्दराबाद में खड़ी रहती है उसको नागपुर तक ले जायेंगे या सिकन्दराबाद से किसी और जगह ले जायेंगे ? इसी तरह से ताज एक्सप्रेस यहां

से जाकर आगरा में सात घंटे खड़ी रहती है, उसको क्या आप ग्वालियर तक ले जायेंगे। इसी तरह से यहां दिल्ली आकर वह 11 घंटे खड़ी रहती है, क्या उसको आप चंडीगढ़ तक ले जायेंगे ?

2. आप समय सारिणी में आमूल चूल परिवर्तन करेंगे।

मैं सिर्फ सुझाव ही दे रहा हूं।

3. दरों में परिवर्तन करेंगे।

4. आवधिक ओवरहाल के मानकों में परिवर्तन करेंगे।

आपने पहले कहा था कि रैक्स को माडर्न बना दिया है, इसको मद्दे-नजर रखते हुए क्या आप इसको चेंज करेंगे।

मेरा आखिरी प्वाइंट यह है कि वर्क शाप्स में गाड़ियां बहुत देर खड़ी रहती है इसलिए क्या आप गाड़ियों में मोबाइल क्रू रखेंगे यानी उसी ट्रेन के साथ मेकेनिक और इलेक्ट्रीशियन भी लगा देंगे ताकि अननेसेसरी समय बेकार न जाए ?

क्या इन तरीकों को अख्तियार करके आप कोचेज यूज करने की कोशिश करेंगे ?

श्री जाफर शरीफ : महोदय, मेरे विचार से माननीय सदस्य को यह बात जाननी चाहिये कि जब भी कुछ महत्वपूर्ण तीव्रगामी गाड़ियां चलती हैं तो सामान्य तौर पर रख रखाव कर्मचारी भी रेलगाड़ियों के साथ ही जाते हैं।

श्री सूरजभान : ऐसा हमेशा नहीं होता है।

श्री जाफ़र शरीफ : कृपया मेरी बात सुनिए। एक मेकेनिक एक बिजली मेकेनिक वहां होता है। कुछ लम्बी दूरी की यात्री गाड़ियों के साथ कुछ कर्मचारी जाते हैं जो छोटी मोटी समस्याओं का समाधान करते हैं।

जहां तक फ्रिक्वेन्सी और अन्य बातों का सम्बन्ध है, इसमें अनेक पहलू अन्तर्ग्रस्त हैं। संचालन संभाव्यता का प्रश्न भी है। जैसा कि समुचा सदन जानता है कि हमारी लाइन क्षमता सीमित है। इस लाइन क्षमता के साथ ही हमें माल यातायात की व्यवस्था करनी होती है बिजली घरों तक कोयला पहुंचाना होता है, उत्तर से दक्षिण तक अन्न पहुंचाना होता है पेट्रोलियम उत्पाद तथा अन्य वस्तुओं को कृषि एवं उद्योगिक क्षेत्र से ढोना पड़ता है तथा यात्री यातायात की भी व्यवस्था करनी पड़ती है जैसाकि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। बढ़ते हुए यात्री यातायात का भी ध्यान रखना पड़ता है। हमने डबलडेकर गाड़ियों की अवधारणा

को लागू किया है और अनेक क्षेत्रों में डबलडेकर गाड़ियां चलाई हैं। यात्री यातायात की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने का यह भी एक तरीका है। इसके अतिरिक्त, मेरे विचार से सदस्य इस बात को समझने में असफल रहे हैं कि इसके दो पहलू हैं (।) प्राथमिक रखरखाव और बाद का रखरखाव। प्राथमिक रखरखाव का उत्तरदायित्व रेलवे का है जहां से गाड़ी आरम्भ होती है और बाद का रखरखाव वहां होता है जहां गाड़ी खत्म होती है। इन दोनों स्थानों पर रख रखाव की आवश्यकता होती है। यदि कोच सही अवस्था में न रखे जायें तो रेलवे गाड़ी चलाने का खतरा मोल नहीं ले सकता। रेलों का संचालन, रख रखाव तथा सामूहिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं।

लम्बी दूरी की श्रेणी रहित रेलगाड़ियां

*353. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्तीय वर्ष 1977-78 में सरकार ने यह घोषणा की थी कि सभी लम्बी दूरी की रेल गाडियां श्रेणी रहित होंगी और ऐसी आराम देह रेलगाड़ियां चलाई जायेंगी जिनमें द्वितीय श्रेणी के किराये में लगभग प्रथम श्रेणी की सुविधायें उपलब्ध होंगी ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी श्रेणी रहित सुपरफास्ट रेलगाड़ियां चलाई गई हैं ; और

(ग) क्या लम्बी दूरी की श्रेणी रहित रेल गाड़ियां चलाने की नीति का भविष्य में भी पालन किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) 1978-79 के बाद लम्बी दूरी की दर्जा रहित पाँच जोड़ी गाड़ियां चलायी गयी थीं।

(ग) सामान्यतः भविष्य में दर्जा रहित लम्बी दूरी की गाड़ियाँ चलाने की नीति अपनाई जायेगी।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में माननीय मन्त्री ने कहा है :

> "सामान्यत: भविष्य में दर्जा रहित लम्बी दूरी की गाड़ियां चलाने की नीति अपनायी जायेगी।"

जिस व्यक्ति ने "सामान्यत:" शब्द का निर्माण किया है, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। यदि कुछ भी कार्य न किया जाए तो लगभग सभी प्रयोजनों के लिए·····।

अध्यक्ष महोदय : आपको स्रोत का पता लगाना है।

प्रो० मधु दण्डवते : इसका स्रोत मंत्री होते हैं ।

यह "सामान्यतः भविष्य में दर्जा रहित लम्बी दूरी की गाड़ियां चलाने की नीति अपनायी जायेगी" की बात वास्तव में सही वक्तव्य नहीं है । मूल प्रश्न के सन्दर्भ में मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं । क्या यह सत्य नहीं है कि दर्जा रहित लम्बी दूरी की गाड़ियों की अवधारण इसलिए प्रस्तुत की गई थी कि लम्बी दूरी की गाड़ियों पर भीड़भाड़ कम की जाए ? उस सन्दर्भ में मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि एक विशेष प्रकार की गाड़ी में, जिसमें प्रथम और दूसरा दर्जा होता है तथा कूपे भी होते हैं, जब इस व्यवस्था को समाप्त कर दर्जा रहित गाड़ी चलाई जाएगी जो प्रथम दर्जा और कूपे के होते हुए उस गाड़ी की क्षमता क्या होगी ? जब इसे पूर्णतया दर्जा रहित बना दिया जाएगा, दर्जा रहित इस अर्थ में कि उसमें प्रथम दर्जे रेल जैसी सुविधाएं होंगी और उसका किराया दूसरे दर्जे का होगा तो उस परिवर्तन के साथ क्षमता में कितनी वृद्धि हो जाएगी ? यहां मैं संयोग वश आपको यह बता देना चाहता हूं कि एक विदेशी जब भारत आया तो उसने कहा कि आपको परिवार नियोजन करने की आवश्यकता है क्योंकि गाड़ियों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या बहुत अधिक है । मैंने मजाक-मजाक में उन्हें बताया कि परिवार नियोजन और रेल यात्रा में अन्तर क्या है । परिवार नियोजन में हमने आदमियों पर सीमा लगा रखी है । किन्तु हमारे रेलों की छतों पर यात्रा करने के सम्बन्ध में कोई पाबन्दी नहीं है । इन दोनों में यह अंतर है । इन कठिनाईयों को दूर करने के लिए·····।

श्री सन्तोष मोहन देव : आप 1977 में रेल मन्त्री थे । (व्यवधान) ।

प्रो० मधु दण्डवते : हमने दर्जा रहित गाड़ियों का चलाना आरम्भ किया था । 'पांच' संख्या भी सही नहीं है । यह पांच से अधिक हो सकती है । इस तथ्य विशेष के सन्दर्भ में कि काफी भीड़ भाड़ होती है – क्या आप हमें बतायेंगे कि जब दर्जा वाली गाड़ियों को दर्जा रहित गाड़ियों में परिवर्तित किया जाएगा तो उससे क्षमता में कैसी वृद्धि होगी ?

श्री मल्लिकार्जुन : दर्जा रहित रेल की अवधारणा 1948 में परिकल्पित की गई थी जब एक तीसरे दर्जे के डिब्बों वाली एक ऐसी गाड़ी चलाई गई थी । 1972-73 में इसकी समीक्षा की गई और दर्जा रहित रेलगाड़ी पुनः चलाई गई ।

प्रो० मधु दण्डवते : कौन सी गाड़ियां ?

श्री मल्लिकार्जुन : मेरे पास इसकी सूची है । इस समय हमारे पास ऐसी 29 गाड़ियां है ।

जहां तक, प्रथम अथवा अन्य श्रेणियों के हटाये जाने पर भारवहन क्षमता में वृद्धि करने का सम्बन्ध है, इसके बारे में आप जानते ही हैं कि गाड़ी साधारणतः 17 डिब्बों की होती है – 17 डिब्बों में से आज भी हमारे पास 10 द्वितीय श्रेणी—2 एस. एल आर. और 5 अन्य डिब्बे

होते हैं । उसमें पेंटरी कार भी होगी । यदि उसे निकाला जाये तो 4 डिब्बे रहेंगे । इसमें एक अथवा दो प्रथम श्रेणी के डिब्बे होंगे, कुछ दूसरी श्रेणी के ऐ/सी स्लीपर होंगे । विचार यह है । अत: मैं बताऊंगा कि भारवहन क्षमता में कितनी वृद्धि होती है हर दूसरी श्रेणी के डिब्बे में लगभग 70 व्यक्ति बैठते हैं । प्रथम श्रेणी का डिब्बा लगभग 40 यात्रियों को ले जाता है । प्रथम श्रेणी के डिब्बे को हटाने तथा उन्हें दूसरी श्रेणी के डिब्बे बनाने से 60 यात्रियों की अतिरिक्त क्षमता हो जायेगी । जहां तक ए/सी द्वितीय श्रेणी के डिब्बे का सम्बन्ध है, इसकी क्षमता उससे कुछ अधिक होगी ।

अधिक भीड़ को ध्यान में रखते हुए हाल में हमने गाड़ी में दर्रे अनारक्षित डिब्बे जोड़े हैं और इस प्रकार हम यात्रियों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं । लेकिन इसके बाद श्रेणीहीन गाड़ियां चालू करने के बारे में तत्कालीन रेल मंत्री ने इस सभा में कहा था : —

> "गांधीवादी तथा समाजवादी मूल्यों के प्रति मेरा अटूट आस्था के होते हुए समृद्ध वर्गों की तुलना में जब कभी भी प्राथमिकता का प्रश्न आयेगा तो गरीब वर्ग की जरूरतों की ओर पहले ध्यान दिया जायेगा·····' ।

अत: इसे ध्यान में रखते हुए तथा गरीब वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए वृद्धि कर रहे हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरे भाषण को मेरे लिये पुन: पढ़ने के लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं । चुंकि मैंने अपने भाषण का मसौदा स्वयं तैयार किया था । इसलिए मुझे शब्द अच्छी तरह से याद हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इसे अन्य सदस्यों के लिये पढ़ा गया है ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने जानबूझ कर पहला प्रश्न पूछा था और मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने अपने उत्तर के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के डिब्बों की क्षमता के अंतर को बताकर विस्तृत कर दिया है । मैं केवल एक ही पहलू को ठीक करूंगा । आपने श्रेणीहीन गाड़ियों के पहले प्रयोगों का जिक्र किया है । लेकिन वह श्रेणीहीन तथा बेकार गाड़ियाँ थीं क्योंकि वे ऐसी श्रेणीहीन गाड़ियाँ नहीं थीं जिन्हें हमने दूसरी श्रेणी के किराये पर पहली श्रेणी की सुविधाओं वाली गाड़ियों में लागू किया था । पहले से आखिरी कम्पार्ट-मैंट तक कुशन पैड, बैक रेस्ट तथा स्टेनलैस स्टील पानी का जलाशय पुस्तकालय आदि आदि होगा वह विचार भिन्न है । उसे छोड़िए ।

मंत्री जी यह बता चुके हैं कि प्रथम श्रेणी तथा अन्य श्रेणियों को डिब्बों के श्रेणीहीन गाड़ी में बदलने से क्षमता में कितनी वृद्धि होगी इनके द्वारा दिये गए आंकड़ों के आधार पर मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि आप अपने उत्तर के आधार पर इस बड़ी हुई क्षमता को ध्यान में रखें तो क्या यह तथ्य नहीं है कि गीतांजली एक्सप्रेस, मीनार एक्सप्रेस अथवा कोणार्क

एक्सप्रेस, हिमगिरि एक्सप्रेस और किसी भी अन्य श्रेणीहीन आरामदेह गाड़ी के हर ट्रिप से क्या रेल की आय में वृद्धि नहीं होगी तथा आम आदमी को आराम नहीं मिलेगा ? इन दोनों को जोड़ने से यात्रियों को आराम मिलेगा तथा रेलवे को भी अधिक राजस्व मिलेगा। क्या आप श्रेणीहीन आरामदेह गाड़ियों की संख्या में अधिक वृद्धि नहीं करेंगे ? क्या आपने यह नहीं कहा कि साधारणत: नीति यही रही है ? क्या आप मुझे बतायेंगे·····(व्यवधान) कृपया थोड़ी देर के लिए आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। खेद की बात है कि आपको इन्हें कहना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह बात भूतपूर्व मंत्री तथा वर्तमान मंत्री के बीच है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप मुझे बतायेंगे कि पिछली सरकार के जाने के बाद तथा जनवरी, 1980 में नई सरकार के बनने से लेकर कितनी आरामदेह श्रेणीहीन गाड़ियां चालू की गई क्योंकि आप यही कहते आये हैं कि हम सामान्यत: उसी नीति का अनुसरण कर रहे हैं। उस हिसाब की क्या स्थिति है जिसका मैंने जिक्र किया था।

अध्यक्ष महोदय : क्या "साधारणत:" शब्द को हटाया जा सकता है।

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक श्रेणीहीन गाड़ियों के चालू करने के फलस्वरूप रेलवे की आय में वृद्धि का सम्बन्ध है, हम सब जानते हैं कि प्रथम श्रेणी का किराया दूसरी श्रेणी के किराए से अधिक होता है ···।

प्रो० मधु दण्डवते : क्षमता कम होगी।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह कम होगी। लेकिन साथ साथ मैं कहूंगा कि यह एक समाज है और समाज में कई वर्गों के लोग रहते हैं। हम गरीबों में रुचि रखते हैं। साथ साथ इसका अर्थ यह भी नहीं है कि समाज के विनम्र वर्गों की उपेक्षा की जाये। इससे कोई भी अधिक आय नहीं होगी। जहां तक श्रेणीहीन गाड़ियों का सम्बन्ध है, जिस महत्वपूर्ण प्रश्न पर माननीय सदस्य सूचना चाहते हैं वह ··।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या श्रेणीहीन गाड़ियों से कोई आय नहीं होती ?

श्री मल्लिकार्जुन : मैं वैसा नहीं कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि प्रथम श्रेणी का किराया दूसरी श्रेणी के किराये से अधिक होगा····।

प्रो मधु दंडवते : मेरा तात्पर्य पूरी गाड़ी से है···।

श्री मल्लिकार्जुन : पूरी गाड़ी में भी दूसरी श्रेणी के 10 डिब्बे होते हैं। मैं प्रो० साहिब को बताना चाहता हूं कि यह बात केवल दो डिब्बों की है। इससे आय का अर्जन संतुलित होगा।

जहां तक श्रेणीहीन गाड़ियों को चालू करने, तथा नई सरकार बनने के बाद ऐसी गाड़ि के चलाये जाने का सम्बन्ध है, नई सरकार को सत्तारूढ़ होने के बाद कई समस्याओं का सामन करना पड़ा है। सरकार विभिन्न मामलों पर ध्यान देती आ रही है और कहती आयी है कि इस नीति का पालन किया जायेगा। इसे ध्यान में रखा जायेगा और भविष्य में इसका पालन किया जाएगा।

प्रो० मधु दण्डवते : वास्तविकता यह है कि एक भी श्रेणीहीन आरामदेह गाड़ी नहीं चलायी गयी। ये इस प्रकार का उत्तर देने में संकोच कर रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इस प्रश्न पर चर्चा होनी चाहिए। मैं यह सिद्ध करने जा रहा हूं कि दूसरी श्रेणी के यात्रियों की कीमत पर ही पहली श्रेणी के यात्रियों को सुविधायें मिल रही हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मंत्री महोदय ने कहा है कि वे श्रेणीहीन लम्बे फासले की आरामदेह गाड़ियों को चालू करने की नीति का पालन कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि छटी पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसी कितनी गाड़ियां चलायी जायेंगी।

अध्यक्ष महोदय : वह इस बात का उत्तर दे चुके हैं।

राज्यों के समाज कल्याण मंत्रियों और सचिवों का सम्मेलन

*356. **श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार** :

श्री रामावतार शास्त्री : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के समाज कल्याण मंत्रियों और सचिवों के हाल ही के सम्मेलन में क्या निर्णय किये गए ; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) 8 अक्तूबर, 1982 को सम्पन्न राज्यों के समाज कल्याण मंत्रियों और सचिवों के सम्मेलन के मुख्य निष्कर्षों/सिफारिशों से युक्त एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

(ख) निष्कर्षों/सिफारिशों को, कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को प्रेषित कर दिया गया है।

विवरण

राज्यों के समाज कल्याण मन्त्रियों और सचिवों का सम्मेलन

8 अक्तूबर 1982 को सम्पन्न समाज कल्याण मंत्रियों और सचिवों के सम्मेलन की महत्वपूर्ण शिफारिशें नीचे दिए अनुसार हैं : —

1. समेकित बाल विकास सेवा योजना और पीने योग्य पानी का वितरण, परिवार नियोजन स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी अन्य सामाजिक विकास की योजनाओं को सरकार के 20 सूत्रीय कार्यक्रम में सम्मिलित किए जाने के कारण इन कार्यक्रमों का यथोचित समन्वय किया जाए जिसके कि उनका अत्याधिक प्रभाव जमाया जा सके ।

2. सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का कम से कम एक प्रतिशत समाज कल्याण के लिए आवंटित किया जाए ।

3. सभी समाज कल्याण निदेशालयों द्वारा योजना, प्रबोधन और मूल्यांकन सैलों की स्थापना की जानी चाहिए । सेल का कार्य विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वियन का प्रबोधन, उनके निष्पादन का मूल्यांकन और नयी प्रवर्तित योजनाओं को तैयार करना होगा ।

4. जिन राज्यों में समाज कल्याण का अलग से निदेशालय नहीं है वे इसे जितना शीघ्र सम्भव हो सके, स्थापित करें ।

5. समाज कल्याण कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए क्षेत्रीय समितियां होनी चाहिए जिनमें केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हों ।

6. छठी पंचवर्षीय योजना में 1000 समेकित बाल विकास परियोजनाएं स्थापित किए जाने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सभी प्रयास किए जाएं ।

7. अन्य समाज कल्याण कार्यक्रमों (जिनमें मुख्य रूप से स्वच्छ पीने योग्य पानी का वितरण, शिक्षा इत्यादि हैं) को सभी समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं में उपयुक्त तौर से कार्यान्वित किया जाए जिससे कि बच्चों और माताओं के लिए आवश्यक मूलभूत सेवाएं उन्हें समन्वित रूप में उपलब्ध करायी जा सकें ।

8. समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रमों के लिए राज्य बजटों में उपयुक्त प्रावधान किए जाएं ।

9. समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वियन में स्वयंसेवी संगठनों, राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों, महिला विकास निगमों इत्यादि को सम्बद्ध किया जाए ।

10. आँगनवाड़ी कार्य कर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की जाए ।

11. कार्यक्रम के क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं को आवास प्रदान किया जाए ।

12. राज्य क्षेत्र के समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं में प्रौढ़ महिलाओं को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाएं ।

13. देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण निवेश को सुदृढ़ बनाया जाए और योजना के अन्तर्गत और संस्थागत सेवाओं को विशिष्ट रूप से बढ़ावा दिया जाए ।

14. शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र में श्रमजीवी महिलाओं के बच्चों के लिए और अधिक शिशु केन्द्र खोले जाएं ।

15. राज्यों के सभी भागों में महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जाए ।

16. राज्यों द्वारा दहेज निषेध अधिनियम, बाल विवाह रोक अधिनियम (संशोधन) अधिनियम समान पारिश्रमिक आदि जैसे सामाजिक विधानों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए और उनके कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त मशीनरी स्थापित की जाए ।

17. अन्तः पारिवारिक विवादों को निपटाने के लिए पारिवारिक न्यायालय/परामर्शदात्री इकाइयां खोली जाएं ।

18. सभी नगरों और कस्बों में बड़ी संख्या में श्रमजीवी महिलाओं के होस्टलों का निर्माण किया जाए ।

19. सभी जिलों में विकलांगों का शीघ्र पता लगाया जाए, इलाज किया जाए, शिक्षा प्रशिक्षण दिया जाए और आर्थिक पुनर्वास किया जाए ।

20. सभी राज्य नौकरियों में विकलांगों का आरक्षण करें और इसके कार्यान्वयन का पूर्ण रूप से प्रबोधन करें ।

21. विकलांगों को ऋण, परिदान, तकनीकी मार्गदर्शन, मार्केटिंग सुविधाएं आदि प्रदान करके उनमें स्व-रोजगार को बढ़ावा दिया जाए ।

22. विकलांगों के लिए प्रदान की गई धनराशियों का राज्यों द्वारा पूरा उपयोग किया जाए ।

23. रोगनाशक और पुनर्वास संबंधी पहलुओं के लिए एक समेकित अभियान के साथ कुष्ठ रोग निवारण के लिए संशोधित नीति को प्रोत्साहन दिया जाए ।

24. वृद्धावस्था पेंशन उन सभी लोगों को 60 रु० प्रतिमाह के हिसाब से दी जाए जिनके पास जीवन-निर्वाह का कोई साधन नहीं है । विधवाओं और गम्भीर रूप से विकलांग व्यक्तियों के मामले में आयु में छूट दी जाए ।

25. सभी राज्य बोर्डों को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की सहायक कम्पनियों के रूप में पंजीकृत किया जाए । सभी राज्यों द्वारा समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन संबंधी तथा मृत्यु-व-सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी के लाभ दिए जाएं ।

26. भिक्षावृत्ति को रोकने और नियन्त्रित करने के लिए कार्यक्रमों को कानूनी और कल्याण दोनों उपायों से सुदृढ़ बनाया जाए । बाल अधिनियम को व्यापक रूप से कार्यान्वित किया जाए और इसका सभी जिलों में विस्तार किया जाए ।

27. भिक्षावृत्ति को रोकने और कानून की चपेट में आने वाले बच्चों के पुनर्वास का व्यय केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बांटा जाए ।

28. समाज कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में स्वयंसेवी संगठनों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है और उनको प्रोत्साहित किया जाए ।

29. अनुसंधान परियोजनाएं, सांख्यिकी समायोजन, अध्ययनों का मूल्यांकन इत्यादि को वास्तविक योजनाएं तैयार करने के लिए और कार्यक्रमों के अच्छे कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिया जाए ।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : मैंने मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर को पढ़ लिया है । इसका अर्थ यह है कि केन्द्रीय सरकार सिफारिशों से छुटकारा पाना चाहती है । मैं इन सिफारिशों के बारे में कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं । एक सिफारिश यह है :—

"सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का कम से कम एक प्रतिशत समाज कल्याण के लिये आंवटित किया जाये ।"

मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के परिव्यय का कितना प्रतिशत समाज कल्याण के लिये आवंटित किया जा रहा है ।

दूसरी सिफारिश यह है :—

"जिन राज्यों में समाज कव्याण का अलग से निदेशालय नहीं है, वे इसे जितना शीघ्र सम्भव हो सके , स्थापित करें ।"

किन किन राज्यों में समाज कल्याण निदेशालय हैं ? किन किन राज्यों में नहीं हैं ?

यह सिफारिश भी की गयी है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की जाये । विभिन्न मानकों के अनुसार रहन सहन लागत हर राज्य में भिन्न-भिन्न है । अतः मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार हर राज्य में समान बृद्धि चाहती है अथवा बृद्धि में कोई अंतर है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय में बृद्धि के लिये भारत सरकार कितनी राशि देने जा रही है ।

श्री पी० के० थुंगन : श्री नाडार के इस आरोप के बारे में कि केन्द्रीय सरकार सारी सिफारिशों को कार्यान्वित करने की जिम्मेवारी केवल राज्य सरकारों को सौंप रही है, मैं कहना चाहता हूं कि इन में से कई योजनाओं को राज्य सरकारें कार्यान्वित करती है और कार्यान्वित करने वाले अधिकारियों को इन सिफारियों का ध्यान रखना पडेगा । केन्द्रीय सरकार को इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये जितना ध्यान रखना चाहिये, वह पहले ही रखा जा रहा है ।

जहाँ तक धन के आवंटन का संबंध है, मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि समाज कल्याण को इस समय एक प्रतिशत से कम धन आबंटन किया जा रहा है और ठीक-ठीक प्रतिशत 0 31% है ।

जहां तक विभिन्न राज्यों को मानदेय का संबंध है, मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि सिफारिशें बिल्कुल स्पष्ट थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को इस समय दिया जा रहा पारिश्रमिक पर्याप्त नहीं है और इसलिए इसमें कुछ वृद्धि की जानी चाहिए । सिफारिश यह है ।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि यह कार्य राज्यों द्वारा किया जा रहा है और यह राज्य का विषय है । मैंने अप्रैल में कभी केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष का वक्तव्य पढ़ा था जिसमें कहा गया था कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि "समाज कल्याण" को समवर्ती विषय माना जाए और उसे समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जाए ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या समाज कल्याण मंत्रियों के सम्मेलन में इस प्रकार की कोई चर्चा हुई थी और यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम रहा ।

यह सिफारिश की गई है कि सभी राज्य सेवाओं में शारिरिक रूप से विकलांगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करें और इस सिफारिश की कार्यान्विति पर कड़ी नगरानी रखी जाए ।

इस समय किस-किस राज्य में शरिरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है ?

उन राज्यों के नाम जिन्होंने इस सिफारिश को क्रियान्वित नहीं किया है ?

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी राज्य इसे क्रियान्वित करें सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री पी० के० थुंगन : जहां तक राज्यों द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने का संबंध है। मुझे एक अलग नोटिस चाहिए। मैं केवल तभी निश्चित उत्तर दे सकूंगा क्योंकि माननीय सदस्य प्रत्येक राज्य के बारे में पृथक-पृथक ब्यौरा चाहते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : नोटिस मौजूद है।

श्री पी० के० थुंगन : जहां तक "समाज कल्याण" को समवर्ती सूची में रखने का प्रश्न है, मुझे यह कहना है कि मंत्रियों के सम्मेलन में इस प्रकार की कोई सिफारिश नहीं की गई।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : माननीय मंत्री महोदय ने राज्यों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के बारे में कुछ नहीं कहा। वे यहां पूर्ण विवरण के साथ नहीं आए हैं।

श्री पी० के० थुंगन : जहां तक केन्द्रीय सरकार द्वारा आरक्षण का सवाल है ब्यौरा पहले से ही मौजूद है।

मैं यह कह रहा हूं कि मेरे पास राज्यों द्वारा आरक्षण की व्यवस्था करने के बारे में कोई सूचना नहीं है। अतः गलत उत्तर देना मेरे लिए उचित नहीं होगा।

कृपया पृथक नोटिस दीजिए।

श्री रामावतार शास्त्री : यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। समाज कल्याण मंत्रियों ने अपने सम्मेलन में 29 सूत्री सिफारिश की हैं। ये सिफारिशें नई नहीं हैं। ये पुरानी सिफारिशें हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन सिफारिशों को क्रियान्विति, इनको अमल में लाने की स्थिति क्या है ?

(ख) भाग अगर आप अनुमयी दें तो··· ।

अध्यक्ष महोदय : आपके लिए रियायत कर देते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : धन्यावाद। इस में एक मुक्ता 16 है, प्लाइंट 16 है, बिन्दु 16 है। इस में कहा गया है "राज्यों द्वारा दहेज निषेध अधिनियम, वाल विवाह रोक अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम आदि जैसे सामाजिक विधानों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए और उनके कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त मशीनरी स्थापित की जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : मशीनरी कहां से बीच में आ गई ?

श्री रामावतार शास्त्री ; इस में यही लिखा हुआ है । हिन्दी वाले हम लोगों ने उसको हिन्दी में ले लिया है, हज्म कर लिया है । यह ताकत हम लोगों में है ।

ये सब पुराने कानून हैं । इन पर अमल किस तरह से राज्य सरकारें कर रही हैं, इसका आपने कुछ जायजा लिया है तो हमें बताएं ।

दूसरे मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं··· ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया है ।

श्री रामावतार शास्त्री : आपने दूसरे की इजाजत दी थी ।

नुकता नम्बर 24, प्वाइंट नम्बर 24··· ।

अध्यक्ष महोदय : बिन्दु कहिये ।

श्री रामावतार शास्त्री : बिन्दु नुक्ता, प्लाइंट एक ही चीज है ।

प्रो० मधू दंडवते : बिन्दु कहेंगे, तो वह इसे लड़की का नाम समझ सकते हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : बिन्दु 24 । "वृद्धावस्था पेंशन उन सभी लोगों को 60 रु० प्रतिमास के हिसाब से दी जाए जिनके पास जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं है । विधवाओं और गम्भीर रूप से विकलांग व्यक्तियों के मामले में आयु में छूट दी जाए ।"

मैं जानना चाहता हूं कि अब तक कितनी राज्य सरकारों ने वृद्धावस्था पेंशन योजना चालू की है और वे लोग कितनी राशि ऐसे लोगों को दे रहे हैं ? साफ साफ इन सब का जवाब बताइये ।

अध्यक्ष महोदय : आपने आज जो धाराप्रवाह हिन्दी प्रवाहित की है इसका प्रत्युत्तर देने के लिए आज यदि तिवारी जी होते तो सुन्दर रहता ।

श्री पी० के० थुंगन : डाउरी सिस्टम और चाइल्ड मैरेज एक्ट को स्टेट्स इम्प्लीमेंट कर रही हैं जिस तहर से वे इम्पलीमैंट कर रही हैं उसको सफिशेंट नहीं समझा जा रहा है । इसलिए यह रिकोमेंडेशन सोशल वेलफेयर मिनिस्टरों ने दी है, इसको रीइट्रेट किया है और कहा है कि मशीनरी को ओर मजबूत किया जाए ताकि इस प्रकार की जो सामाजिक बुराइयां हैं, उनको दूर किया जा सके ।

श्री रामावतार शास्त्री : उल्लंघन के सिलसिले में कितने लोगों के खिलाफ एकशन लिया गया है ? क्या आप ने इन कानूनों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की है ?

श्री पी० के० थुंगन : जैसा कि मैंने कहा है हमने इन सिफारिशों को प्रत्येक राज्य के पास भेजा है और हमने उन्हें इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने की सलाह दी है। वृद्धावस्था पेंशन के बारे में कई राज्यों ··।

श्री रामावतार शास्त्री : कितने राज्यों ने ?

श्री पी० के० थुंगन : संख्या मैं इस समय नहीं बता सकता। क्योंकि मेरा संबंध केवल सिफारिशों से है। मैं उन्हें गलत आंकड़े नहीं देना चाहता। कई राज्य इसे क्रियान्वित कर रहे हैं। जहां तक धनराशि का संबंध है कुछ राज्यों में यह 60 रुपए से कम है और कुछ राज्यों में 60 रुपए से अधिक है।

श्री रामावतार शास्त्री : नहीं यह कम हैं। बिहार में केवल 30 रुपए दिए जा रहे हैं।

श्री पी० के० थुंगन : जैसा कि मैंने कहा है कि कुछ राज्यों में यह राशि 60 रुपए से कम है और कुछ में 60 रुपए से अधिक।

श्री रामावतार शास्त्री : उन राज्यों के क्या नाम हैं ?

श्री पी० के० थुंगन : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : यह गुमराह करने वाला है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप विवाहित के प्रश्न पर बोलेंगे ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : दूसरा मजेदार प्रश्न मैं पूछने वाला हूं। महोदय, मैंने 29 सूत्र पढ़े हैं जो कि काफी विस्तार में हैं परन्तु इसमें एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समाज कल्याण कार्यक्रम नहीं है जिसके लिए उनका मंत्रालय तथा वह सीधे जिम्मेवार हैं। इसका उल्लेख संविधान के नीति निदेशक सिद्धांतों में है और यह है मद्य-निषेध। यह 29 सूत्रों में नहीं है। क्या इसका यह अर्थ है कि सरकार ने मद्य-निषेध का कार्यन्वयन न कराने का निश्चय किया है ? मैं उनसे इस महत्वपूर्ण समाज कल्याण कार्यक्रम के संबंध में सरकार की स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : वह मद्यनिषेध की सेहत के नाम पर जाम पिएंगे।

श्री पी० के० थुंगन : मद्य-निषेध के बारे में यद्यपि इसमें कुछ नहीं कहा गया है···।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्यों नहीं कहा गया है ?

श्री पी० के० थुंगन : ·· मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं, कि सरकार इस कार्यक्रम की महत्ता के प्रति उतनी ही जागरूक है···।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, 'उतनी ही' का क्या अभिप्राय है। यह 29 सूत्रों में नहीं है। इसका अर्थ है इसे प्राथमिकता नहीं दी गई है। क्या आप स्वयं भी मद्य सेवन करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री रामजी भाई भवाणी ··· तब श्री अमर राय प्रधान ।

श्री अमर राय प्रधान : प्रश्न संख्या 358···।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 358 —रेल मंत्रालय ।

असम से मेघालय सीमा तक रेल लाइन

*358. श्री अमर राय प्रधान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम से मेघालय की सीमा तक एक नई रेल लाइन बिछाने का कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) संभवत माननीय सदस्य का आशय बड़े आमान की नयी रेल लाइन गुवाहाटी-बर्दुआ-बर्नीहाट के निर्माण से है। इस रेल लाइन ने बर्नीहाट की बजाय बर्दुआ (असम-मेघालय सीमा के निकट एक स्थान) पर समाप्त करने के लिए मेघालय राज्य सरकार के प्रस्ताव पर इस समय सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। आशा है, शीघ्र ही कोई विनिश्चय कर लिया जाएगा।

श्री अमर राय प्रधान : आप मुझसे सहमत होंगे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा हुआ है···।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे केवल शून्य काल में सहमत नहीं होता है अन्यथा सदैव सहमत होता हूं।

श्री अमर राय प्रधान : यह रेलवे लाइन और रेल प्रशासन के मामलों में भी अत्यन्त पिछड़ा हुआ है···।

एक माननीय सदस्य : हमारे पास कोई रेलवे लाइन नहीं है।

श्री अमर राय प्रधान : "सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है" यह साधारण सा टालू उत्तर है। मुझे तीन उत्तर मिले हैं-एक 1980 में, एक 1981 में और एक 1982 में। अन्तिम उत्तर जो 1982 में प्राप्त हुआ है, वह 15 जुलाई, 1982 का है। प्रत्येक उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि इस पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि यह सक्रिय विचार कब तक किया जाता रहेगा, और क्या यह 20वीं शताब्दी अथवा 21वीं में जाकर समाप्त होगा। निस्संदेह, माननीय मंत्री महोदय कह सकते हैं कि उनके पहले वाले उत्तर में और इस उत्तर में कुछ अन्तर है। और यह भी कि पहले गोहाटी से बुर्नीहाट तक 28.21 किलोमीटर की दूरी की एक ब्राडगेज लाइन के निर्माण का प्रस्ताव था। अब इसे बदल दिया गया है औ अब यह लाइन गोहाटी से बोरडुआ के बीच बनाई जानी है।

अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इसे गोहाटी से बुर्नीहाट तक से काटकर गोहाटी से बोरडुआ तक क्यों किया गया है। और पूर्वोत्तर परिषद के इस प्रस्ताव को कि गोहाटी से बुर्नीहाट के बीच रेलवे लाइन होनी चाहिए, क्यों स्वीकार नहीं किया गया है ?

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, 'सक्रिय विचार' से तात्पर्य पुनः विचार आरम्भ करना है।

महोदय, इस मामले में यह हुआ कि प्रधान मंत्री ने 1974 में यह निर्णय लिया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास किया जाए और संचार प्रणाली का भी काफी विकास किया जाए। उसके परिणामस्वरूप छः लाइनों को स्वीकृति प्रदान की गई और योजना आयोग ने भी अपनी सहमति दे दी। और असम तथा मेघालय को जोड़ने वाली गोहाटी से बुर्नीहाट वाली लाइन भी इनमें से है। यह 28 किलोमीटर लम्बी लाइन है जिसको पूर्वोत्तर परिषद तथा योजना आयोग ने स्वीकृति प्रदान की है।

लेकिन, महोदय, मेघालय के मुख्यमंत्री — मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि, मेघालय की सरकार चाहती है कि इसका टर्मिनल बरनीहाट में नहीं बल्कि बोर्दुआ होना चाहिये जो कि असम बार्डर से केवल 2 किलोमीटर दूर है जबकि बरनीहाट मेघालय, असम सीमा से करीब 10 मील की दूरी पर है। राज्य सरकार इसमें बाधा डाल रही है और बारबार, अनुनय करने के बाद भी, वह चाहती है कि टर्मिनल केवल बर्दुआ में ही बनाया जाये। इसके कारण भी बताए गए थे लेकिन उत्तर-पूर्वी परिषद ने इसका विरोध किया। उत्तर-पूर्वी परिषद इस बात पर अड़ी हुई है कि इस नई लाइन का टर्मिनल बरनीहाट होना चाहिए। इस सबके कारण हम कुछ भी प्रगति नहीं कर सके। इसके विपरीत, हमनें उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अन्य पाँच लाइनों के काम में प्रगति की है। बरनीहाट में टर्मिनल बनाने संबंधी विवाद पुनः रेल मंत्रालय को भेज दिया गया है और उनसे पूछा है क्या हमें इस प्रस्ताव को यहीं छोड़ देना चाहिए, अथवा इस पर आगे काम करना चाहिए। रेल मंत्रालय ने अब मामला गृह मंत्रालय, योजना आयोग, मंत्रिमंडल, सचिवालय तथा मेघालय की सरकार को यह जानने के लिए भेजा है कि वे हमें यह बताएं कि क्या हमें इस पर कार्य आरम्भ करना चाहिए। अथवा इस प्रस्ताव को यहीं छोड़ देना चाहिए। इस बारे में उनसे उनकी अन्तिम स्वीकृति माँगी है।

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, उत्तर-पूर्वी परिषद द्वारा की गई सिफारिश की पूर्णतः उपेक्षा की गई है। योजना आयोग के प्रतिवेदन की रेल मंत्रालय ने भी उपेक्षा की है। जो भी हो, मैं जानना चाहता हूं कि क्या रेल विभाग ने गोहाटी से बरनीहाट तक लाइन बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और आर्थिक दृष्टि से सर्वेक्षण किया है। यदि हां, तो इस लाइन को बनाने पर अनुमानतः कितना खर्च बैठेगा ?

श्री मल्लिकार्जुन : इसका सर्वेक्षण किया गया था और इस समय इस लाइन के निर्माण पर करीब 14 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है। हमने कुछ धन खर्च किया है। करीब 70 लाख रुपया खर्च किया जा चुका है। सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।

अतः हम यह लाइन बिछाने के लिए तैयार हैं। धन की भी कोई समस्या नहीं है क्योंकि हमें इस ओर विशेष ध्यान देना है। इस संदर्भ में मैं यहां यह उल्लेख करना चाहता हूं कि जहां तक उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का सबंध है हमारी प्रधानमंत्री ने इस ओर विशेष ध्यान दिया है। लेकिन वित्त आवंटन की परंपरा को न देखते हुए उन्होंने यह लाइन बिछाने का उत्तरदायित्व लिया है। हमारी परंपरागत प्रथा यह है कि जब तक लाभकारी प्रतीत नहीं होती तब तक हम कोई लाइन नहीं बिछाते। लेकिन यहाँ चाहे यह लाभकारी है अथवा नहीं, क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के पिछले क्षेत्र के विकास के लिए आरम्भ किया गया है और लाइनों की स्वीकृति दे दी गई है। स्थिति यह है।

श्री संतोष मोहन देव : विचित्र बात यह है कि एक राज्य के लिए एक रेल लाइन स्वीकृत की गई है। वह इस पर काम शुरू नहीं कर रहे हैं। त्रिपुरा और मिजोरम राज्य मेरा निर्वाचन क्षेत्र गोहाटी पर तीन पहाड़ी भागों से जुड़ा हुआ है जहाँ 36 सुरंगे हैं। हमारे निवेदन पर, रेल बजट में, यह घोषणा की गई थी कि जग्गी रोड से बदरपुर तक बड़ी लाइन के लिए तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से सर्वेक्षण किया जाएगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति क्या है और क्या यह भी सरकार के सक्रिय विचाराधीन है ?

श्री मल्लिकार्जुन : यद्यपि इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है, फिर भी चूंकि माननीय सदस्य कुछ जानकारी चाहते हैं। मैं आपको यह बता दूं कि जग्गी रोड से बदरपुर तक सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है। सर्वेक्षण कार्य जारी है। रेल विभाग ने यह कार्य "राइटस" को सौंप दिया है।

व्यवसायिक शिक्षा

*359. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा, को व्यवसायिक बनाने के लिये सरकार द्वारा किस वर्ष योजना आरम्भ की गई थी ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां यह योजना प्रारम्भ की गई है ; और

(ग) उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में प्रारम्भ किये गये कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क), (ख) और (ग) स्कूल शिक्षा के व्यवसायीकरण के महत्व पर काफी समय से बल दिया गया है । किन्तु राष्ट्रीय स्तर पर इसका समर्थन 10+2 प्रणाली के एक भाग के रूप में 1975 से ही किया जा रहा है ।

निम्नलिखित राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों ने अब तक +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए हैं (उन पाठ्यक्रमों को शुरू करने का वर्ष कोष्ठक में दिया गया है) :

आन्ध्र प्रदेश (1979), गुजरात (1977), कर्नाटक (1977), महाराष्ट्र (1978), तमिलनाडु (1978), पश्चिम बंगाल (1976), अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह (1980), दादरा तथा नागर हवेली (1978), दिल्ली (1977), गोवा, दमन तथा दीव (1981) तथा पांडिचेरी (1978) ।

क्षेत्र की सामाजिक - आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों ने +2 स्तर पर शुरू किये जाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न व्यवसायिक पाठ्क्रम निर्धारित किए हैं ।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : शिक्षा की +2 प्रणाली रखने का मुख्य उद्देश्य, इस स्तर के बाद कम से कम 50 प्रतिशत छात्रों को +2 स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा देना है, ताकि इस स्तर के बाद रोजगार/स्वरोजगार सुनिश्चित किया जा सके ।

हम जानते हैं कि बहुत से राज्यों ने यह प्रणाली नहीं अपनाई है । वक्तव्य में भी यह बताया गया है कि कुछ राज्यों में यह प्रणाली कुछ वर्ष पूर्व आरम्भ की जा चुकी है । लेकिन जहां कहीं भी यह प्रणाली है, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, कि क्या अधिकांश छात्र, 50 प्रतिशत छात्र, इस प्रणाली की ओर आकृष्ट हुए हैं ; यदि हां, तो स्वरोजगार प्राप्त करने की क्या प्रवृत्ति रही है । और लड़कियों के लिए इस व्यवसायिक शिक्षा का क्या भविष्य है ?

अध्यक्ष महोदय : आप शिक्षा की दोहरी प्रणाली और इसमें भेदभाव के बारे में क्यों नहीं पूछती और यह भी कि क्या सरकार इसमें सुधार करना चाहती है अथवा नहीं ?

श्री पी० के० थुंगन : महोदय शिक्षा के व्यवसायीकरण का प्रश्न काफी समय से लोगों के दिमाग में रहा है लेकिन 1975 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि शिक्षा का व्यावसायीकरण किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में फिर कार्यान्विति पहलू राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सरकार इतना ही कर सकती है कि जहाँ कहीं भी आवश्यक हो वह मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करें। तदनुसार, केन्द्रीय सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी है। अब तक 11 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली आरम्भ की गयी है और केन्द्र सरकार ने अब तक 16 राज्यों को सहायता दे चुकी है। उनमें से कुछ राज्यों ने अपने-अपने जिलों में सर्वेक्षण कर लिया है और कुछ कर रहे हैं। यदि व्यावसायीकरण को राज्य स्तर और जिला-स्तर पर अर्थपूर्ण बनाना है तो यह पता लगाने के लिए सर्वेक्षण आवश्यक है कि जिला-स्तर और स्थानीय-स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा अपनाने वाले छात्रों के लिए किस तरह की नौकरियां अथवा विषय अधिक लाभकारी होंगे। इस समय इस प्रणाली में करीब 92,000 छात्र-पुरुष और महिलाएं दोनों-शिक्षा ले रहे हैं।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : अध्यक्ष महोदय, उत्तर बहुत ही अस्पष्ट है। मैं विशेष रूप से यह जानना चाहती हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया गया है। मुझे इसका उत्तर नहीं मिला। क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि व्यवसायिक शिक्षा की +2 प्रणाली पास करने के बाद छात्रों को उच्च अध्ययन के लिए संस्थानों में स्थान लेने हेतु आई. टी. आई. और पौलिटेकनीक्स से पास होकर आए हुए छात्रों के साथ, जिन्हें प्रौद्योगिकी का बेहतर ज्ञान होता है, प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ता है। क्या सरकार का इस अन्तर को पूरा करने के लिए कोई योजना बनाने का विचार है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा वह इस विषय में क्या करने जा रही है।

श्री पी० के० थुंगन : महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि उत्तर अस्पष्ट है लेकिन प्रश्न ऐसे शब्दों में इस तरह पूछा गया है कि मुझे बहुत बड़ा उत्तर देना पड़ा। जहां तक इस प्रश्न की बात है इसका संबंध उच्चतर प्रौद्योगिकी शिक्षा से है। निश्चय ही प्रतियोगिता है और इसी कारण शिक्षा के व्यवसायीकरण की बात सोची गई और कई राज्य इसे अमल में ला चुके हैं।

महोदय, मेरा माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वह उड़ीसा में अपना प्रभाव डालें ताकि वह भी इसे कार्यान्वित कर सकें।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : देश में महिलाओं में बेरोजगारी का कारण खासकर उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग का अभाव रहा है। मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहती हूं कि सिक्स्थ फाइव-यीअर प्लान के पहले फेज में महिलाओं के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग की कितनी नई सुविधा उपलब्ध की गई है और कितने परसेंट महिलाएं इसका लाभ उठा रही हैं।

श्री पी० के० थुंगन : महिलाओं और पुरुषों का अलग-अलग परसेंटेज मेरे पास नहीं है। या तो आनरेबल मैम्बर इसके लिए सैपेरेट नोटिस दें, या बाद में मुझसे ले लें।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, देश को आजाद हुए करीब 35 वर्ष हो गए और बराबर यह कहा जा रहा है कि शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन सरकार करने जा रही है, लेकिन जो भी सरकार आई आज तक कोई आमूल परिवर्तन शिक्षा में नहीं कर पायी। इस शिक्षा प्रणाली के कारण आज देश में विभिन्न तरह के लोग पैदा होते हैं। एक आदमी जो पब्लिक स्कूल में पढ़कर निकलता है, एक सेंट्रल स्कूल में पढ़ता है...।

अध्यक्ष महोदय : तो समानता लाइए।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : यही तो मैं चाहता हूं कि समानता लाने के लिए सरकार कुछ करना चाहती है या नहीं और दूसरी बात क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हमारे स्कूलों और कालेजों से जो छात्र निकलते हैं वह बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी फौज निकल रही है जो खतरे का कारण हो सकती है, उस खतरे को सरकार जानती है या नहीं ? अगर इसी तरह यह खतरा बढ़ता गया तो यह देश के लिए और सरकार के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इन दो बिन्दुओं पर सरकार क्या करना चाहती है और सरकार की क्या नीति है यह मंत्री जी बताएं।

श्री पी० के० थुंगन : शिक्षा प्रणाली में कोई चेंज नहीं आया है इस आरोप का मैं खण्डन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : एक बात का जरूर उत्तर आप दें कि समानता लाएंगे या नहीं ?

श्री पी० के० थुंगन : समानता का जो सवाल है वह सिलेबस के अन्दर चेंज करके किया जा सकता है और सिलेबस के द्वारा ही बराबर समान शिक्षा देने के लिए कोशिश गवर्नमेंट की हो रही है। इस क्षेत्र में एन. सी. ई. आई. आर. टी. बहुत अच्छा काम कर रही है और जो सिलेबस है, जो मोडेल्स हैं उस पर काम कर रही है।

अनएम्पलायमेंट के लिए माननीय सदस्य ने पूछा है, तो उसी के लिए तो यह वोकेशनलाइजेशन आफ एजूकेशन इंट्रोड्यूस किया है और उसकी कोशिश कर रहे हैं। उसी के लिए मैंने स्टेटमेंट में कहा है।

श्री ए. ई. टी. बैरो : क्या मंत्रालय ने हमारे व्यावसायिक स्कूलों और प्रौद्योगिकी संस्थानों से निकलने वाले छात्रों के रोजगार पर प्रशिक्षुता अधिनियम से पड़ने वाले प्रभावों की जांच की है क्योंकि आपने ऐसी शर्तें लगाई हैं कि उन्हें इस क्षेत्र में प्रवेश लेने की अनुमति नहीं होती।

श्री पी० के० थुंगन : हम इस पर विचार करेंगे।

श्री हरीश कुमार गंगवार : जो समानता की बात कही गई है, समानता के लिए आज सबसे पहले आवश्यक है कि कान्वेंट स्कूलों को समाप्त किया जाय और एक सी शिक्षा व्यवस्था सब जगह की जाय। आज एक बच्चा तो फट्टा लेकर घर से पढ़ने जाता है, उसके पास न

कपड़े होते हैं न किताबें होती हैं और मास्टर भी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाते नहीं और एक बच्चा कान्वेंट स्कूल में हजार दो हजार रुपये महीना खर्च करके शिक्षा पाता है। वह आई. ए. एस. बनता है और दूसरा चपरासी भी नहीं बन पाता है। इस प्रकार की असमानता को दूर करने के लिए क्या मंत्री जी सब स्कूलों को कान्वेंट बनाएंगे अथवा कान्वेन्ट स्कूलों को समाप्त करके एक सी शिक्षा व्यवस्था लागू करेंगे ?

श्री पी० के० थुंगन : मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं। जहां तक भविष्य का संबंध है, हम पाठ्यक्रम द्वारा समानता लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और इस सम्बन्ध में एन. सी. ई. आर. टी. जैसे संस्थान बहुत सक्रियता से कार्य कर रहे हैं और वे समय-समय पर विभिन्न पाठ्यक्रम बनाते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

फर्रुखाबाद और दिल्ली के बीच सीधी एक्सप्रेस रेलगाड़ी

*354. श्री दया राम शाक्य : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद और दिल्ली के बीच माल यातायात और सवारी यातायात में काफी वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अपने पूर्व निर्णय पर पुनः विचार करेगी तथा फर्रुखाबाद और दिल्ली के बीच एक सीधी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) विगत एक वर्ष में फर्रुखाबाद से दिल्ली तक रेल द्वारा माल यातायात की कोई बुकिंग नहीं हुई है। विगत छः महीनों में फर्रुखाबाद से दिल्ली तक यात्री यातायात में भी कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) मार्गवर्ती लाइन क्षमता की कठिन स्थिति, दिल्ली में टर्मिनल सुविधाओं के अभाव और कोचिंग स्टाक की कमी के कारण दिल्ली और फर्रुखाबाद के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना, फिलहाल, परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है। फर्रुखाबाद से दिल्ली तक आने जाने वाले यात्रियों की संख्या की दृष्टि से भी इन स्टेशनों के बीच एक सीधी एक्सप्रेस गाड़ी चलाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

अपूर्ण रेल-परियोजनाएं

*355. श्री मूल चन्द डागा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की अनेक परियोजनायें, जिनका शिलान्यास 10 वर्ष पहले किया गया था, अब भी अपूर्ण हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी नहीं। किन्तु आमान परिवर्तन की 2 प्रमुख रेल परियोजनाएं ऐसी हैं जिनकी आधारशिला 1972 में रखी गयी थी और जो संसाधनों की तंगी अर्थात धन तथा रेल पथ सामग्री की कमी के कारण अभी तक पूरी नहीं की जा सकी और यातायात के लिए नहीं खोली जा सकी हैं।

कुछ राज्यों द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के लक्ष्य प्राप्त न किया जाना

*357. श्री रामजी भाई मावणि : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ राज्यों द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लक्ष्य पूरे न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या ऐसे राज्यों के सम्बन्ध में भविष्य में कोई नई नीति अपनाई जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले कार्य में 1980 से काफी सुधार हुआ है। अधिकतर राज्यों ने 1981-82 के लक्ष्य पूरे कर लिए हैं अथवा वे उनसे आगे निकल गये हैं। केवल कुछेक राज्य ही पीछे हैं लेकिन हाल ही के महीनों में इन राज्यों ने उत्साहजनक कार्य किया है। वैसे, ऐसे राज्यों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और हर क्षेत्र के लिए उस क्षेत्र की स्थितियों के अनुसार काम करने का रास्ता अपनाया जा रहा है।

हल्दिया और कलकत्ता बंदरगाहों की गहराई (डुबाव)

*360. श्री नीरेन घोष : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया और कलकत्ता बंदरगाहों में (डुबाव) गहराई कुछ वर्षों से कम हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो तलकर्षण से गहराई क्यों नहीं बढ़ सकी ;

(ग) क्या स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई विशेष कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो वे क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) और (ख) कलकत्ता पोर्ट के मुहाने पर निकर्षण कर और नदी के वहाब को नियंत्रित कर समुद्र को अधिक गहरा किया जा रहा है । यह स्थिति बेलारी बार पर नही सुधरी है जो कलकत्ता पोर्ट के लिए नियामक के रूप में है ।

जहाँ तक हल्दिया पत्तन के मुहाने का सम्बन्ध है, यहाँ तेजी से बालू के दुबारा आकर जमा होते रहने के कारण निकर्षण से कोई लाभ नही पहुंचा है ।

(ग) और (घ) कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों की ओर जाने वाली नौचालन धारा में समुद्र को और अधिक गहरा बनाने के लिए हाल में 40.50 करोड़ रुपए के लागत की एक व्यापक योजना मंजूर की गई है । आशा है कि इस स्कीम के पूरे हो जाने पर कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों पर समुद्र अधिक गहरा हो जाएगा ।

आर्थिक संकट के बारे में विकसित और विकासशील देशों के बीच विचार-विमर्श

*361. **श्री भीकूराम जैन :**
श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान आर्थिक संकट, मंदी और विश्व शांति को इसके संभावित खतरे के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा के चालू अधिवेशन में चर्चा उठाने की आवश्यकता के बारे में विकसित और विकासशील देशों के प्रतिनिधियों के बीच विचार-विमर्श हुआ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अधिवेशन के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट के बारे में विकसित और विकासशील देशों के बीच कोई औपचारिक परामर्श या सिलसिलेवार बातचीत नहीं हुई । लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास के सम्बन्ध में शीघ्र सार्वभौम वार्ता शुरू करने का कोई तरीका निकालने के लिए विकसित और विकासशील देशों के बीच अनौपचारिक शुरू की जा रही है ।

महासभा के वर्तमान (सैंतीसवें) अधिवेशन में आम बहस के दौरान बहुत बड़ी संख्या में वक्ताओं के सार्वभौम आर्थिक संकट की ओर ध्यान आकृष्ट किया और कहा कि इस संकट से निपटने के लिए तत्काल उपाय किए जायें । इसके अतिरिक्त, 77-देशों के समूह से मंत्रियों ने महासभा के अधिवेशन के दौरान आयोजित अपनी छठी वार्षिक बैठक में स्वीकृत घोषणा में विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति का और उनकी विकास-प्रक्रिया पर विश्व-संकट के कुप्रभाव का मूल्यांकन किया । उम्मीद की जाती है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का वर्तमान अधिवेशन दिसम्बर के अन्त तक अपना काम पूरा कर लेगा और अब यह देखना बाकी है कि इस सम्बन्ध में महासभा क्या कार्रवाई कर पाती है ।

नेशनल ब्लड बैंकिंग एण्ड ट्रान्सफ्यूजन सर्विस स्थापित करना

*362. श्री नारायण चौबे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार नैशनल ब्लड बैंकिंग एण्ड ट्रान्सफ्यूजन सर्विस (राष्ट्रीय रक्त बैंक तथा रक्त देना सेवा) स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर बहुत समय से विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस समय प्रस्ताव किस स्थिति में हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने अगस्त, 1982 में हुई अपनी बैठक में रक्त बैंकिंग/रक्त दान सेवाओं का विस्तार करने का सुझाव दिया। इन सेवाओं में राज्य/जिला स्तर पर इनकी व्यवस्था करना, प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध करना, लोगों को स्वेच्छा से रक्त दान करने के लिए शिक्षित और प्रेरित करना स्वेच्छिक रक्तदाताओं को समुचित प्रोत्साहन देना तथा सभी स्तरों पर रक्त की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखना शामिल है। इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

दिल्ली तथा सोनपुर के बीच सीधी रेलगाड़ी

*363. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली तथा सोनपुर के बीच कोई सीधी रेलगाड़ी नहीं है जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली से सोनपुर जाने वाले यात्रियों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली से सोनपुर तक कोई सीधी रेलगाड़ी चलाने का है ;

(ग) यदि हाँ, तो यह रेलगाड़ी कब चलाई जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) फिलहाल, दिल्ली और सोनपुर के बीच एक सीधी गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि मार्गवर्ती खंडों पर संतृप्त लाइन क्षमता, कोचिंग स्टाक की कमी तथा

सोनपुर और दिल्ली स्टेशनों पर अतिरिक्त टर्मिनल सुविधाओं के उपलब्ध न होने के कारण परिचालनिक दृष्टि से ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है ।

गुजरात में ताप बिजली घरों को कोयला वैगनों की सप्लाई

*364. श्री छीतुभाई गामित : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात में विभिन्न ताप बिजली घरों को आवश्यकता के अनुसार कोयला वैगन सप्लाई नहीं कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कोयला वेगनों की पूरी सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) गुजरात के ताप बिजली घरों को उनकी आवश्यकतानुसार कोयले की सप्लाई की जा रही है और उनके पास कोयले का संतोषजनक स्टाक मोजूद है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

न्हावाशेवा पत्तन परियोजना के बारे में विश्व बैंक के सुझाव

*365. श्री आर० पी० गायकवाड़ :

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने न्हावाशेवा पत्तन में 'कंटेनर बर्थ' और 'जनरल कार्गो बर्थ' की संख्या में परिवर्तन करने का सुझाव दिया था;

(ख) क्या बैंक ने यह सुझाव भी दिया था कि पत्तन परियोजना का कार्य अंतर्राष्ट्रीय फर्मों द्वारा कराया जाए;

(ग) न्हावाशेवा परियोजना के लिए बैंक के अन्य सुझाव क्या हैं; और

(घ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क), (ग) और (घ) इस परियोजना का मूल्यांकन विश्व बैंक के एक मूल्यांकन दल द्वारा किया जा रहा है, और सभी मुख्य मसलों पर मिशन से विचार विमर्श किया जा रहा है । अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

(ख) विश्व बैंक जिन परियोजनाओं के लिए धन देता है उनके लिए वह कुछ प्रक्रियाओं का पालन करता है। ठेके देने के मामले में, आमतौर से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर टेंडर आमंत्रित करने की पद्धति अपनाई जाती है।

बिना चौकीदार वाले रेल फाटक

*366. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब भी ऐसे अनेक रेल फाटक है, जिन पर चौकीदार नहीं होता है; और

(ख) यदि हाँ, तो दुर्घटनाओं को रोकने हेतु ऐसे रेल फाटकों पर चौकीदार नियुक्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ। 30-6-82 को विभिन्न रेलों पर 22627 बिना चौकीदार वाले समपार थे।

(ख) जी हाँ, रेलें सभी बिना चौकीदार वाले समपारों पर सड़क और रेल यातायात का समय-समय पर जायजा लेती है और जहाँ कहीं औचित्य समझा जाता है, राज्य सरकारों, जिन्हें समपारों पर चौकीदार नियुक्त करने की प्रारम्भिक लागत वहन करनी होती है, के साथ परामर्श करके समपारों पर चौकीदार नियुक्त कर दिये जाते हैं। संरक्षा के हित से, रेलों ने जोखिम वाले समपारों पर अपनी लागत से तथा ऐसे समपारों पर जिनसे नियमित रूप में बसें गुजरती हैं, अंशतः रेलों की लागत से और अंशतः राज्य सरकारों की लागत से चरणबद्ध आधार पर चौकीदार तैनात करने का विनिश्चय भी किया है।

बी० ए० आर० सी० और आई० सी० आर० पी० की सिफारिशों को लागू करने के लिए कार्यवाही किया जाना

*367. **श्री जगपाल सिंह** :

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्स-रे करवाने वाले रोगियों के लिए 'लैड-लाइन्ड रबड़ एप्रेन" और दस्तानों का पहनना अत्यावश्यक है ताकि जिन अंगों का एक्स-रे हो रहा है, उन्हें छोड़कर अन्य अंगों को अनावश्यक रूप से अनावृत न किया जाए तथा तकनीशियनों और रोगियों की जननग्रंथियों की भली-भांति रक्षा की जाए ;

(ख) क्या सरकारी अस्पतालों में "प्रोटेक्टिव-शील्डस" की समय-समय पर यह देखने के लिए जांच की जाती है कि "लैड-लाइनिंग में कहीं चटक न आ गई हो ;

(ग) क्या तकनीशियन और रेडियोग्राफर प्रति माह रेडियेशन के एक्सपोजर की प्रतिशतता पर निगरानी रखने के लिए फिल्म-बैज पहनते हैं ;

(घ) क्या तकनीशियनों की नियमित रूप से डाक्टरी जांच आवश्यक है तथा रक्ताल्पता (अनेमिया) का पता लगाने के लिए खून के नमूने की जांच की जाती है ;

(ङ) क्या सरकारी अस्पतालों में उपरोक्त उपचारात्मक उपायों का पालन होता है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा बी० ए० आर० सी० और आई० सी० आर० पी० की सिफारिशों को लागू करने हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) एक्स-रे द्वारा विशेष निदान के कार्य (फ्लोरोस्कोपिक/स्क्रीनिंग) के लिए ही विकिरण विज्ञानियों को लैड-लाइण्ड रबड़ के एप्रेन और दस्ताने पहनने होते हैं ।

रोगियों और तकनीशियनों के महत्वपूर्ण अंगों जैसे जनन ग्रन्थियों, आदि की सुरक्षा कोलीमोटरों, डायफ्रामों/कोनो आदि की सहायता से की जाती है जो आधुनिक एक्स-रे यूनिटों में लगे हुए होते हैं ।

(ख) सामान्य प्रथा यह है कि सरकारी अस्पतालों के विकिरण विज्ञानी "प्रोटेक्टिव-शील्डस" को उपयोग में लाने से पहले उनकी जांच कर लेते हैं ।

(ग) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा इसका नियमित रूप से पालन किया जाता है ।

(घ) तकनीशियनों को हिदायत दी गई है कि वे समय-समय पर अपने रक्त की जांच (डब्ल्यू० बी० सी० के लिए) करवाते रहें ।

(ङ) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र सरकारी अस्पतालों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के साथ-साथ रेडियेशन कर्मचारियों की भी नियमित रूप से वैयक्तिक मानीटरिंग कराता रहता है ।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता ।

न्हावा शेवा पत्तन के विकास कार्य में भाग लेने की इच्छुक विदेशी कम्पनियां

*368. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्रीमती माधुरी सिंह : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के निकट न्हावा शेवा पत्तन के विकास कार्य में भाग लेने के लिए 100 से अधिक विदेशी कम्पनियों ने रुचि दिखाई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) इसके लिए नाम रजिस्टर करवाने के लिए जो नोटिस जारी किया गया था, उसके प्रत्युत्तर में बहुत सी विदेशी फर्मों ने अपने नाम रजिस्टर करवाने की पेशकश की है ।

(ख) न्हावा शेवा पोर्ट ट्रस्ट द्वारा उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा ।

अस्पतालों के रेडियोलौजी विभागों के लिए उप-समिति के प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही

*369. डा० ए० यू० आजमी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न अस्पतालों के रेडियोलौजी विभागों के लिए स्थान, उपकरण, कर्मचारी ढांचा तथा बजट कार्य के मानदंडों को निर्धारित करने के लिए एक उप-समिति ने पिछले वर्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था ;

(ख) कमियों को दूर करने तथा तकनीशियनों/रोगियों के हितों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए उस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं ; तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) अस्पताल समीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसरण में छोटे-बड़े विभिन्न आकार के अस्पतालों के रेडियोलाजिकल विभागों के लिए स्थान, उपकरण आदि के मानदण्ड निर्धारित करने के लिए एक विशेष समिति गठित की गई थी और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है । उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने पर कितना धन खर्च होगा, इसका हिसाब लगाया जा रहा है ।

दिल्ली में वायरल ज्वर पर नियन्त्रण पाने के लिए औषधियों की कमी

*370. श्री राम अवध : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वायरल ज्वर के फैलने के कारण अस्पतालों तथा औषधालयों में कतिपय विशिष्ट औषधियों की अत्यधिक कमी हो गई है ;

(ख) क्या उन औषधियों के स्थान पर नकली औषधियाँ बेची जा रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) विषाणु ज्वर में किसी निवारक अथवा रासायनिक चिकित्सा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका उपचार लाक्षणिक है। सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में ऐसे लाक्षणिक उपचार के लिए अपेक्षित औषधियों का पर्याप्त स्टाक है।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उसके औषधि नियंत्रण विभाग ने लाक्षणिक उपचार में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न निर्माताओं की औषधियों के नमूने विश्लेषण के लिए इकट्ठे किए हैं। अब तक विश्लेषित नमूनों में से किसी भी नमूने के नकली होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई पत्तन न्यास को पट्टे पर दी गई सम्पदा

*371. **डा. बसन्त कुमार पंडित :**

श्री नवल किशोर शर्मा : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई पत्तन न्यास के काटन ग्रीन क्षेत्र के एक पट्टेधारी ने अपने पट्टे के गोदाम और खुले स्थान की, जिसका किराया वह बम्बई पत्तन न्यास को देता है, उससे कई गुने अधिक किराए पर बम्बई पत्तन न्यास को पट्टे पर दे रखा है ;

(ख) क्या बम्बई पत्तन न्यास को कई ऐसी पार्टियों के बारे में पता लगा है जिन्होंने बंबई पत्तन न्यास के प्लाटों को पट्टे पर लिया है और उन्हें निर्माण कार्य करने वाले ऐसे ठेकेदारों को बेच दिया है अथवा दुबारा पट्टे पर दे दिया है जिन्होंने स्थानों को बेच दिया है और उनका बहुत अधिक किराया ले रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस प्रकार के सौदों की जांच कराने के लिए जांच पड़ताल करायेगी और कानूनी कार्यवाही करेगी ताकि पट्टे पर दी गयी सम्पदा को अपने कब्जे में लिया जा सके बजाये इसके कि उन्हें अपने ही किराये-दारों से पुनः किराये पर लिया जाए ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी नहीं। यह कहना सही नहीं है कि बम्बई पोर्टट्रस्ट के एक पट्टेधारी ने अपने पट्टे के गोदाम और खुला स्थान बम्बई पोर्ट ट्रस्ट को किराये पर दिया है। तथापि बम्बई पोर्ट ट्रस्ट को काटन डिपो क्षेत्र में एक प्राइवेट पार्टी से दस बम्बई पोर्ट ट्रस्ट गोदामों को किराये पर देने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के न तो अधिकृत पट्टेधारी हैं और न ही अधिकृत उप-पट्टेधारी ही।

(ख) कुछ ऐसी घटनाएं बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के ध्यान में आई हैं जहाँ बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के पट्टेधारियों ने विभिन्न पार्टियों के साथ स्वामित्व आधार पर बिक्री करने का करार किया है या कर रहे हैं।

(ग) बम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने ऐसे पट्टेधारियों के खिलाफ पट्टा करार समाप्त करने के लिए कानूनी कार्रवाई प्रारम्भ की है। तथापि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसमें बम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने अपने पट्टेधारियों से अपनी भूमि को फिर से किराए पर लिया हो।

स्क्रीनिंग कार्य हेतु रेडियोग्राफरों/तकनीशियनों को रेडियोग्राफी में औपचारिक प्रशिक्षण

(*3,2) श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

(3712) श्री हरीश कुमार गंगवार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेडियोग्राफरों और तकनीशियनों को रेडियोग्राफी में कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप वे विकिरण के उद्भावन के खतरों से अनभिज्ञ होते हैं और बिना किसी सख्यात्मक लीडलाइन्ड (एपेन) और दस्तानों के स्क्रीनिंग का कार्य उनसे लिया जाता है जो वास्तव में डाक्टरों द्वारा किया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि स्क्रीनिंग का कार्य डाक्टरों द्वारा किया जाए और सरकारी अस्पतालों में रेडियोग्राफरों और तकनीशियनों को समुचित प्रशिक्षण भी दिया जाए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क, से (ग) जिन उम्मीदवारों के पास रेडियोग्राफी का डिप्लोमा होता है, केवल वे ही सरकारी अस्पतालों में नौकरी पाने के पात्र हैं। एक्सरे से निदान का विशेष कार्य (स्क्रीनिंग, प्रतिदीप्तिदर्शी कार्य) रेडियालोजिस्ट करते हैं, न कि तकनीशियन लोग।

मध्य रेलवे की भूमि का चूककर्ता लाइसेंसधारी

3848. श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेल मंत्री मध्य रेलवे की भूमि के बारे में 2 अप्रैल. 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 620 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित लाइसेंसधारी तीन लाख रुपये से अधिक धनराशि का चूककर्ता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उस व्यक्ति का लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है और धनराशि की वसूली के लिए उपयुक्त कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

शिक्षा निदेशालय, दिल्ली में टी०जी०टी० के रूप में नियुक्ति

3849. प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गणित में बी०ए०, बी० एड तक शिक्षा प्राप्त उम्मीदवार, शिक्षा निदेशालय दिल्ली में टी०जी०टी० (गणित) के पद पर नियुक्ति के पात्र हैं ; और

(ख) ऐसे उम्मीदवारों पर किस श्रेणी के पद के लिए विचार किया जाएगा जिनके नाम 1976 से रोजगार कार्यालय, नई दिल्ली में पंजीकृत हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं । दिल्ली प्रशासन द्वारा भजी गई सूचना के अनुसार, टी०जी०टी० के पद की भर्ती नियमावली के अनुसार टी०जी०टी० (गणित) के पद की कोई श्रेणी नहीं है ।

(ख) जिस किसी उम्मीदवार के पास या तो विषयों के मानविकी ग्रुप या विज्ञान ग्रुप अर्थात् भौतिकी और रसायन के साथ गणित है, उस पर क्रमशः सामान्य श्रेणी अथवा विज्ञान श्रेणी में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है बशर्ते कि उसका नाम रोजगार कार्यालय द्वारा भेजा गया हो ।

धनबाद में गेंगमैन की मजूरी में कटौती

3850. श्री ए० के० राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्राधिकरण, धनबाद ने हाल में उन गेंगमैनों (सी.पी.सी.) की मासिक मजूरी से वर्ष 1979 में छः अतिरिक्त छुट्टियों में काम करने की एवज में दिए गये मुआवजे की धनराशि काट ली है, जो बहुत समय पहले ही अस्थाई दर्जा प्राप्त कर चुके थे ; और

(ख) यदि हाँ, तो इन छुट्टियों में काम करने के लिए उन्हें दिये गये मुआवजे की धनराशि की इस प्रकार मजूरी में से कटौती करने के क्या कारण और औचित्य हैं, जबकि वे अस्थाई रेल कर्मचारियों का दर्जा प्राप्त कर चुके थे ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 1-1-1980 से पूर्व रेलों में नैमित्तिक श्रमिक; चाहे वे दैनिक मजदूरी पर थे या उन्होंने अस्थाई ओहदा प्राप्त कर लिया था, केवल तीन राष्ट्रीय छुट्टियों के हकदार थे । ऐसे कुछ मामले ध्यान में आये थे जहाँ गलत धारणा के कारण, कुछ प्रशासनों में नैमित्तिक श्रमिकों को अन्य लाइन कर्मचारियों के बराबर 9 छुट्टियाँ दी गई थीं जिसका परिणाम यह हुआ कि 6 अतिरिक्त छुट्टियों के लिए अधिसंदाय कर दिया गया । अधिसंदाय आसान किस्तों में वसूल किये जा रहे हैं ।

"भारत महोत्सव" से भारतीय कलाकारों का निकाला जाना

3851. श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों की इस आशय की रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है कि 'भारत महोत्सव" से निकाले जाने के कारण ब्रिटेन में भारतीय कलाकारों में भारी असन्तोष व्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ;

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी. के थुंगन) : (क) और (ख) उत्सव कार्यक्रमों को भारतीय सलाहकार समिति और यू. के. में उत्सव समिति द्वारा संयुक्त रूप से अन्तिम रूप दिया गया है ।

यू के. में भारतीय उच्चायोग के अनुसार यू.के. में भारतीय कलाकारों ने उत्सव के लिए सह-कार्यक्रम आयोजित करने हेतु एक भारत-उत्सव समिति गठित की थी । इस एसोसिएशन ने ग्रेट ब्रिटेन कला परिषद की वित्तीय सहायता से प्रतियोगिताओं का एक कार्यक्रम आयोजित किया जो केवल लन्दन तक ही सीमित था ।

हथियारों की सप्लाई के बारे में पाकिस्तान में अमरीका के राजदूत द्वारा दिया गया कथित वक्तव्य

3852. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान हाल में "नवा-इ-वक्त" नामक पाकिस्तान के एक उर्दू दैनिक को पाकिस्तान में अमरीकी राजदूत द्वारा दिए गए उस साक्षात्कार की ओर दिलाया गया है, जो दिनाँक 28 सितम्बर 1982 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" नई दिल्ली में प्रकाशित हुआ था और जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया बताते हैं कि (एक) मात्र भारतीय आपत्तियों के कारण अमरीका पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता के अपने कार्यक्रम में परिवर्तन नहीं कर सकता और (दो) अमरीका ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को विशेष महत्व दिया है तथा भारतीय प्रभाव में यह इस्लामाबाद को अपना समर्थन कम नहीं कर सकता ;

(ख) क्या नवीनतम आधुनिक शस्त्रों से पाकिस्तान को लैस करने संबंधी अपनी बात को अमरीका द्वारा बार-बार दोहराया जाना भारत के लिए, विशेषरूप से इन सीमान्त राज्यों के लिए चिन्ता का विषय नहीं है जो पहले भी पाकिस्तान के अकारण हमले के शिकार हो चुके हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए.ए. रहीम) : (क) से (ग) सरकार को पाकिस्तानी समाचार-पत्रों में छपे उस इन्टरव्यू की जानकारी है जो स्पष्टतया पाकिस्तान स्थित अमरीकी राजदूत द्वारा दिया गया था। सरकार को उस प्रैस रिपोर्ट की भी जानकारी है जिसमें पाकिस्तान स्थित अमरीकी राजदूतावास ने कहा है कि संबंधित समाचारपत्र में राजदूत के कथन को गलत ढंग से उद्धृत किया गया है। इसलिए सरकार ऐसे इन्टरव्यू पर टिप्पणी करना नहीं चाहेगी जिसकी प्रामाणिकता ही संदिग्ध हो।

वाह्य अन्तरिक्ष को शस्त्रों से मुक्त रखना

3853. श्री के. मालन्ना :

श्री माधव राव सिन्धिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ वाह्य अन्तरिक्ष में अमरीकी अन्तरिक्ष शटल द्वारा ले जा सकने वाले शस्त्रों सहित सभी प्रकार के शस्त्रों पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता लेने के पक्ष में है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के महा-सचिव की ओर से भी कोई संकेत प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उस पर सरकार की, विशेष रूप से जहाँ तक भारत की सुरक्षा और अन्तरिक्ष हितों का सम्बन्ध है, क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए. ए. रहीम) : (क) से (ग) 1981 में न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 36वें नियमित अधिवेशन में सोवियत संघ ने 'वाह्य अन्तरिक्ष में किसी भी प्रकार के हथियार रखने की मनाही' के लिए एक प्रस्ताव रखा था और इसी सिलसिले में एक संधि का प्रारूप भी प्रस्तुत किया था। सोवियत संधि के प्रारूप के अनुसार पक्षकार राज्य, अन्य बातों के साथ-साथ "इस बात का वचन लेंगे कि वे पृथ्वी के आसपास की कक्षा में किसी प्रकार के हथियार ले जाने वाली कोई वस्तु नहीं भेजेंगे न खगोलीय पिंडों पर ऐसे हथियार रखेंगे और न ही किसी अन्य प्रकार में वाह्य अन्तरिक्ष में ऐसे हथियार भेजेंगे, जिसमें विद्यमान किस्म के फिर से इस्तेमाल किए जाने वाले मानव सहित अन्तरिक्ष यान या पक्षकार राज्यों द्वारा भविष्य में विकसित किए जाने वाले अन्य प्रकार के यान शामिल हैं।"

(घ) प्रभावी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन सामान्य एवं सम्पूर्ण निरस्त्रीकरण के प्रति अपनी वचनवद्धता के अनुरूप, भारत हमेशा वाह्य अन्तरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग और वाह्य अन्तरिक्ष में हथियारों की दौड़ रोकने के पक्ष में रहा है। अतः भारत ने सोवियत प्रस्ताव का समर्थन किया। तथापि भारत सभी प्रकार के हथियारों को खगोलीय पिंडों पर रखने या लगाने

अथवा उन्हें किसी भी प्रकार से वाह्य अन्तरिक्ष में रखने के अलावा अन्तरिक्ष में सभी प्रकार के हथियारों का परीक्षण रोकने के भी पक्ष में हैं।

नए तकनीकी कालेज

3854. डा० आर० रोथूआमा : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों/मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय संघ राज्य क्षेत्रों में ओवरसियर प्रशिक्षण संस्थान/पोलिटैक्निक संस्थान/इंजीनियरी कालेज/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/पशु-चिकित्सा कालेज/वन कालेज/वन प्रशिक्षण संस्थान/विज्ञान कालेज जैसे तकनीकी संस्थानों/कालेजों की संख्या क्या है ; और

(ख) इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में और अधिक तकनीकी कालेज शुरू करने के यदि कोई प्रस्ताव हैं, तो वे क्या हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० युंगन) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) इस समय उत्तर पूर्वी परिषद का उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन हेतु गठित कार्य दल द्वारा इसके ब्यौरों की इस समय जांच की जा रही है।

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश

3855. श्री निहाल सिंह : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश से सम्बन्धित मानदण्ड क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सेना कार्मिकों और अन्य स्थानान्तरणीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को नई दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश से वंचित कर दिया जाता हैं जबकि अस्थानान्तरणीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को प्रवेश दे दिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अन्य राज्यों तथा स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों के प्रवेश के बारे में लम्बित पड़े आवेदनपत्रों की संख्या कितनी है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि शिक्षा मंत्री और केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त के निजी कर्मचारियों के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सेना-कार्मिकों के बच्चों को प्रवेश देने हेतु कितने आवेदन पत्र संसद सदस्यों द्वारा अग्रसारित किए गए और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) से (ग) सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया है :—

I) केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।

II) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।

III) केन्द्रीय सरकार के अस्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।

IV) अन्य ।

प्रत्येक श्रेणी में परस्पर प्राथमिकता का निर्णय पिछले सात वर्षों के दौरान माता-पिता के तबादलों की संख्या के संदर्भ में किया जाता है ।

प्रवेश परीक्षा में बच्चे के योग्य साबित होने पर, जहाँ कहीं परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले सामान्यत: उपरोक्त नीति के अनुसार किए जाते हैं ।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सामान्यत: आवेदकों की संख्या उपलब्ध स्थानों से अधिक होती है, रक्षा कार्मिकों सहित केन्द्रीय सरकार के सभी स्थानान्तरणीय बच्चों को सदैव दाखिला देना संभव नहीं होता ।

(घ) केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले के संबंध में किसी के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है । तथापि, शिक्षा मंत्री और केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त के निजी कर्मचारियों के बच्चों को दाखिला नहीं दिया गया है ।

(ङ) अनेक संसद सदस्यों से अट्ठाइस आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें रक्षा कार्मिकों के बच्चों के दाखिले की शिफारिश की गई थी । इनमें से अठारह बच्चों को दाखिला दिया गया ।

डी०टी०एस०/टूंडला का ट्राली निरीक्षण

3856. **श्री बाला साहिब पवार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों से इलाहाबाद जिवीजन के डी०टी०एस०/टूंडला के पास कोई मोटर ट्राली नहीं है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, महीने वार डी०टी०एस०/टूंडला द्वारा कितने ट्राली निरीक्षश अथवा मोटर ट्राली निरीक्षण किये गये हैं ; और

(ग) क्या ट्राली निरीक्षण किसी अन्य की ट्राली पर किए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मंडल यातायात अधीक्षक, टूंडला को अलग से कोई मोटर ट्राली आबंटित नहीं की गयी है ।

(ख) और (ग) मंडल यातायात अधीक्षक, टूंडला (जो 10-9-79 से पहले क्षेत्र परिचालन अधीक्षक, टुडला थे) द्वारा अन्य अधिकारियों की मोटर ट्रालियों का उपयोग करके, समय-समय पर मोटर ट्रालियों से निरीक्षण किए गए हैं । उन द्वारा किये गये निरीक्षणों का माह-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	महीना											
	जन.	फर.	मा.	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सित.	अक्तू.	नव.	दिस.
1979	—	—	—	—	—	—	—	5	4	3	3	3
1980	—	4	1	3	2	2	3	1	—	—	—	—
1981	2	4	2	—	3	2	2	2	—	—	—	—
1982	—	—	2	2	—	—	—	2	1			

उड़ीसा में रेलवे लाइनों का निर्माण/बड़ी लाइन में बदला जाना

3857. श्री अर्जुन सेठी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने उनके मंत्रालय को राज्य में रेल लाइनों के निर्माण/बड़ी लाईन में बदले जाने सम्बन्धी प्राथमिकता सूची भेज दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ग) क्या पिछले क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान देने के लिए अपनी संशोधित नीति के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा वेशमपुर फुलवैन लाईन के पुन: सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया गया है अथवा शुरू करने का विचार किया जा रहा है ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) ब्रह्मपुर-फूलबनी रेल लाइन के लिए कोई सर्वेक्षण मंजूर नहीं किया गया है क्योंकि इस परियोजना की तत्काल प्रारम्भ करने की कोई संभावना नहीं है ।

विवरण

उड़ीसा सरकार ने रेल अभिसमय समिति को प्रस्तुत किये गए अपने ज्ञापन में निम्न-लिखित लाइनों का निर्माण करने का अनुरोध किया है :—

	परियोजना	लम्बाई	राशि
1.	जखापुर-बांसपानी नयी ब०ला० परियोजना	176 कि०मी०	75.00 करोड़ रुपए
2.	तालचेर-सम्बलपुर बड़े आमान की नयी रेल परियोजना	157.68 कि०मी	—
3.	रायगडा-कोरापुट बड़े आमान की नयी लाइन	174.32 कि०मी	112.11 करोड़ रुपए

प्रत्येक मामले में हुई प्रगति नीचे दी गयी है : —

(1) जखापुर देतारी (चरण-I)—33 कि० मी० लाइन यातायात के लिए खोल दी गयी है। दैतारी-क्योंझरगढ़ खंड में चरण-II के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है ।

(2) पुन: सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

(3) यह कार्य 1981-82 में अनुमोदित किया गया था । कोरापुट और मचिलीगुडा के बीच 20 कि०मी० के खंड का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। मचिलीगुडा-रायगडा के बीच की शेष लम्बाई के लिए अन्तिम स्थान-निर्धारण सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने निम्नलिखित लाइनों के लिए सर्वेक्षण शुरू करने का भी अनुरोध किया है :—

(1) फूलबनी के रास्ते खोरदा रोड-बोलतगीर को जोड़ती हुई तथा बेरहमपुर से फूलबनी तक एक लाइन ।

(2) जयपुर/अम्ब्रूगुडा से कोरिंग लाइन ।

(3) तालचेर-बिमलगढ़ लाइन ।

(4) गोपालपुर-ब्रह्मपुर लाइन ।

(5) जयपुर-मलकानगिरि लाइन ।

मार्गियों की चीन यात्रा

3858. श्री एन० के० शेजवलकर : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2 अगस्त, 1982 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित 'मार्ग मेकिंग इनडोर इन टु चाइना" शीर्षक समाचार को देखा है ;

(ख) यदि हां तो पिछले दो वर्षों में कुल कितने मार्गियों ने लाल चीन की यात्रा की है ;

(ग) मार्गियों ने कम्युनिस्ट चीन की इन यात्राओं पर कुल कितना खर्च किया और इसे कैसे पूरा किया गया है ; और

(घ) क्या मार्गियों को लाल चीन की सरकार ने आमंत्रित किया था, यदि हां तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) किसी आनन्दमार्गी द्वारा चीन लोक गणराज्य की यात्रा करने और उस पर हुए किसी प्रकार के खर्च की हमें कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) हमें इस बात की भी जानकारी नहीं है कि चीन लोक गणराज्य ने आनन्दमार्गियों को अपने देश की यात्रा पर आने के लिए आमंत्रित किया था ।

उत्तरी बंगाल से शिक्षा-उपकर की वसूली

3859. श्री पीयूष तिरकी : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 से 1981 तक की अवधि के दौरान वर्ष-वार उत्तरी बंगाल में शिक्षा-उपकर कितनी वसूली की गई ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार वसूल किये गए शिक्षा उपकर का उपयोग संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(ग) उत्तरी बंगाल के चाय बागानों में साक्षरता की प्रतिशतता क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार शैक्षिक उपकर वसूल नहीं करती ।

(ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है ।

यमुना-पार क्षेत्र में सी०जी०एच०एस० डिसपेंसरियों का खोला जाना

3860. श्री केशव राव पारधी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना-पार क्षेत्र में नई डिसपेंसरियां खोलने का विचार किया गया है और यदि हां, तो वे किन-किन स्थ नों पर खोली जायेंगी ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए सरकार ने यमुना-प र क्षेत्र के मयूर विहार में दिल्ली विकास प्राधिकरण से कुछ फ्लैट लिये हैं और यदि हां, तो कितने फ्लैट लिए हैं तथा इन डिसपेंसरियों का लाभ कौन-कौन सी कालोनियों निवासियों को मिलेगा ; और

(ग) इस डिसपेंसरी को शीघ्र ही शुरू न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) त्रिलोकपुरी और मयूर विहार कम्पलैक्स के लिए एक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय मंजूर किया गया है । मयूर बिहार में उपयुक्त स्थान देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनुरोध किया गया है । स्थान उपलब्ध हो जाने पर औषधालय खोल दिया जाएगा । यह औषधालय तीन किलोमीटर दूरी के अन्दर स्थित कालोनियों में रह रहे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को सेवा प्रदान करेगा ।

आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार

3861. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में छटी पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिये कोई सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम तैयार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) जी, हाँ ।

कार्यक्रमों का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है :

1. प्रशिक्षण एवं रोजगार-एवं-उत्पादन एककों को स्थापित करने की योजना नार्वेन एजेन्सी फार इन्टरनेशनल डैवल्पमेन्ट (नौरेड) की सहायता से कार्यान्वित की जा रही एक नयी योजना है । इसका उद्देश्य महिलाओं को अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान करने के पश्चात् उपयुक्त रोजगार दिलाना है । विभिन्न राज्य सरकारों की सिफारिशों पर अब तक 9 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं । ये परियोजनाएं राज्य सरकार निगमों में से ही किसी एक द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं । वर्ष 1982-83 के लिए 45 00 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गयी है ।

2. आपादग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए योजनाएं ।

इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिससे कि वे 18-30 वर्ष की आयु वर्ग की निराश्रित महिलाओं और उनके 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और आवासीय देखभाल द्वारा पुनर्वासित किया जा सके ताकि वे आर्थिक रूप से स्वतन्त्र हो सकें । आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी परिस्थितियों के कारण जीवन की कठिनाइयों की शिकार विधवाओं, अविवाहित माताओं, पति द्वारा परित्यक्त महिलाओं इत्यादि जैसी महिलाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है । एक वर्ष की अवधि के पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित की गई लगभग 20 से 40 महिलाएं अनुरक्षण भत्ते या वृत्तिका के लिए पात्र हैं ।

इस योजना के व्यय को केन्द्र सरकार राज्य सरकारों और प्रायोजक स्वयंसेवी संगठनों द्वारा क्रमश: 45 : 45 : 10 के अनुपात में बांटा जाता है । वर्ष 1982-83 के लिए केन्द्र सरकार ने 15.00 लाख रुपए प्रदान किए हैं ।

3. लघु उद्योग विकास संगठनों (औद्योगिक विकास विभाग) के अतिरिक्त लघु उद्योग सेवा संस्थाओं ने अपने नेट वर्क के माध्यम से उद्यमियों को लघु उद्योग स्थापित करने में टैकनोमैनेजियरियल और विस्तार सेवाएं प्रदान करती हैं । महिलाओं के लिए उनकी विकास कार्यक्रम की एक विशेष योजना को तैयार किया गया है जिसे लघु उद्योग सेवा संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है । उद्यम विकास और व्यवस्था प्रशिक्षण के लिए 20.00 लाख रुपए की धनराशि निर्धारित की गयी है ।

4. ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए एक नई योजना को भी प्रारम्भ कर रहा है। यह 500 खण्डों में शुरू की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य लक्ष्य दलों जिसमें छोटे/मामूली किसानों; कृषिक, गैर-कृषिक और भूमिहीन मजदूरों, ग्रामीण मजदूरों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन --जातियां सम्मिलित हैं, के परिवारों की महिला सदस्यों पर ध्यान केन्द्रित करना है ताकि उनकी आय में बढ़ोत्तरी की जा सके और उन्हें आय उत्पन्न करने की गतिविधियां चलाने के लिए आवश्यक सहायक सेवाएं प्रदान की जा सकें। 1982-83 के बजट प्राक्कलनों में इस योजना के लिए 200 लाख रुपए की व्यवस्था है।

5. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का सामाजिक आर्थिक कार्य क्रम

आर्थिक रूप से पिछड़ी, निराश्रित, विधवा महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों को अपने परिवार की छोटी सी आय में पूरक आय प्रदान करने के लिए पूर्णकालिक और अंशकालिक कार्यों में उन्हें लगाने का मौका प्रदान करने के लिए ही केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने सामाजिक-आर्थिक कार्य क्रम चला रखा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदानों के रूप में स्वयंसेवी संगठनों को विभिन्न प्रकार की निम्न-लिखित जैसी इकाइयां स्थापित करने के लिए बोर्ड वित्तीय सहायता प्रदान करता है :—

1. लघु औद्योगिक मदों के लिए उत्पादन इकाई
2. बड़े उद्योगों के सहायक के रूप में इकाइयां
3. हथकरघा इकाइयां
4. हस्तशिल्प इकाइयां
5. स्व-नियोजित इकाइयां
6. एग्रो-आधारित इकाइयां :
   1. डेरी इकायां
   2. सूअर पालन
   3. बकरी-पालन
   4. भेड़-पालन

वर्ष 1982-83 में इस कार्यक्रम के लिए 275.00 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं।

कुमेदपुर में वी० जी० बाई पास का निर्माण

3862. श्री सूर्य नारायण सिंह :

श्री नारायण चौबे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर सीमान्त रेलवे के कुमेदपुर में एक वी० जी० बाई पास रेल लाइन का निर्माण करने के सन्दर्भ में बहुत अधिक अतिरिक्त राशि की स्वीकृति दे दी गई थी और इसमें इंजीनियरों का हाथ था;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भ्रष्टाचार के आरोप के लिए उत्तरदायी पाये गये कर्मचारियों/अधिकारियों की प्रारम्भिक जांच के बाद तुरन्त निलम्बित किया गया है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हाँ। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श करके, इंजीनियरी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारम्भ की गयी है। कार्यवाही प्रगति पर है। इसके अलावा, ठेकेदार के साथ कारोबार बन्द करने का भी प्रस्ताव है।

(ग) जी नहीं। इस मामले में कर्मचारियों का निलम्बन अपेक्षित नहीं है।

दिवा वेसिन रेलवे लाइन

3863. श्री जगन्नाथ पाटिल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिवा वेसिन रेलवे लाईन बिछाने का काम पूरा हो चुका है, यदि हां, तो कब पूरा हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस लाइन के विद्युतीकरण का काम चल रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है तथा यह काम कब तक पूरा हो जायेगा; और

(घ) इस काम को शीघ्र पूरा करने तथा इस लाइन को चालू करने के लिए सरकार क्या विशिष्ट उपाय/कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विद्युतीकरण को छोड़कर लाइन का निर्माण 25-11-1980 तक पूरा कर लिया गया था।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) विद्युतीकरण का लगभग 80 प्रतिशत काम हो गया है और शेष काम पूरे जोर-शोर से चल रहा है। और आशा है कि उसे इस वित्त वर्ष के अन्त तक शीघ्र पूरा कर लिया जायेगा।

आंन्ध्र प्रदेश में नये राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कार्य

3864. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वतंत्रता के बाद से आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग में एक किलोमीटर की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है ;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हाल में केन्द्रीय सरकार से उस राज्य में नये राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य शुरू करने का अनुरोध किया है; और

(ग) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) केन्द्रीय सरकार ने 1-4-1947 को सम्पूर्ण देश के लिए कुछ राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में वर्गीकृत किया जिन्हें बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के लागू होने के बाद कानूनी रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया। इस प्रकार घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग में अन्य के साथ-साथ आन्ध्र प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग का 2299 किलो मीटर भी शामिल है। उसके बाद अन्य राज्यों की तरह आन्ध्र प्रदेश में भी किसी राज्य सड़क को आर्थिक कठिनाईयों के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग में नहीं बदला गया है। जिन राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे अधिक लंबे हैं, उनमें आन्ध्र प्रदेश का पांचवा स्थान है।

(ख) जी, हां।

(ग) आर्थिक कठिनाइयों के कारण भारत सरकार अभी किसी भी राज्य में किसी भी नयी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने में असमर्थ है और यह बात आन्ध्र प्रदेश की सड़कों पर भी लागू होती है।

आप्टा से मंगलौर तक की कोकोन परियोजना

3865. श्री वी० एन० गाडगिल :

श्री आर० आर० भोले : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने योजना आयोग से आप्टा से मंगलौर तक की कोकोन (पश्चिम रेलवे) परियोजना के समूचे काम को स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) इस परियोजना के लिए चालू वर्ष के बजट में कुल कितनी धनराशि की व्यवस्था की गयी है तथा इस परियोजना की कुल अनुमाति लागत क्या है; और

(ग) दिसम्बर, 1981 तक इस परियोजना के आप्टा-दसगाँव भाग को पूरा न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) आप्ता-रोहा खंड जिसे पश्चिम घाट (आप्ता-मंगलूर) लाइन के निर्माण के प्रथम चरण के रूप में आरम्भ किया गया है, के लिए 1982-83 के बजट में एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। आप्ता-रोहा खंड के निर्माण की अनुमानित लागत 14.99 करोड़ रुपये है।

(ग) प्रथम चरण के रूप में आप्ता-पैन खंड का निर्माण मार्च, 1982 तक पूरा हो चुका है। पैन और रोहा के बीच के शेष खंड पर निर्माण कार्य प्रगति पर है और उसके पूरा होने की तिथि धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। इस लाइन को दसगांव तक बढाना अनुमोदित काम नहीं है और दिसम्बर, 1981 तक उसके पूरा किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

बन्देल-कटवा-फरक्का मार्ग को दोहरा और विद्युतीकृत करना

3866. श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्व रेलवे के बन्देल-कटवा-फरक्का मार्ग पर दोहरी लाइन शुरू करने तथा उसे विद्युतीकरण करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नीलांचल एक्सप्रेस

3867. श्री चिन्तामणि जेना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 175/176 पुरी-नई दिल्ली नीलांचल एक्सप्रेस गाड़ी जब शुरू की गई थी, उस समय यह एक "सुपरफास्ट एक्सप्रेस" गाड़ी थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसका वही दर्जा रखा गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उसे सुपरफास्ट गाड़ियों की सूची में कब तक शामिल कर लिया जायेगा;

(घ) क्या दिनाँक 1 अक्तूबर 1982 से इसके समय और मार्ग में परिवर्तन किया गया है;

(ङ) क्या नीलांचल एक्सप्रेस गाड़ी दिनांक 2 अक्तूबर, 1982 को नई दिल्ली छः घंटे विलम्ब से पहुंची; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा इस गाड़ी का सही समय से चलना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 175/176 नीलांचल एक्सप्रेस गाड़ी चलाने के समय यह गाड़ी पूरक प्रभार लगाये जाने के प्रयोजन के लिए सूपरफास्ट गाड़ी नहीं थी। 1-6-82 से इसे सुपरफास्ट गाड़ियों की सूची में शामिल कर दिया गया था लेकिन 5-7-82 से इसकी स्थिति वही कर दी गयी जो पहले थी। पूरक प्रभार लगाने के प्रयोजन के लिए गाड़ियों को सुपरफास्ट के रूप में नामित करने की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है।

(घ) जी हां।

(ङ) 2.10.82 को 175 नीलांचल एक्सप्रेस नयी दिल्ली 6 घंटे 40 मिनट देर से पहुंची।

(च) ऐसा डीजल और बिजली रेल इंजनों में खराबी आ जाने तथा खतरे की जंजीर खींचे जाने आदि के कारण हुआ। 175/176 नीलांचल एक्सप्रेस के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अंशकालिक प्राध्यापक

3868. श्री वृद्धिचन्द्र जैन : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के सीधे नियंत्रण के अन्तर्गत विभिन्न शैक्षिक संकायों और विभागों में अंशकालिक प्राध्यापक, ट्यूटर्स, इन्वेस्टीगेटर्स आदि जैसे कर्मचारी नियुक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो श्रेणी-वार उनकी संख्या क्या हैं ;

(ग) क्या विश्वविद्यालय ऐसे कर्मचारियों को गर्मी की छुट्टियों का वेतन, वार्षिक वेतन-वृद्धि तथा महंगाई भत्ते, नगर प्रति-पूरक भत्ते, मकान किराया भत्ते आदि जैसे मूल भत्तों का भुगतान नहीं करता है ;

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण है ;

(ङ) क्या विश्वविद्यालय ने उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित कर्मचारियों की सेवा अवधि, जैसे कि कम से कम तीन वर्ष की सेवा अवधि की कोई सुरक्षा प्रदान करता है ;

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(छ) क्या आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि जैसे केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों में वार्षिक ठेका आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी निर्धारित सेवा-अवधि, पेंशन, महंगाई भत्ते, नगर प्रतिपूरक भत्ते आदि का लाभ दिया जाता है ; और

(ज) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को समान सुविधा प्रदान करने का है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, उसके विधि संकाय में 14 अंशकालिक अध्यापक और संगीत और ललित कलाओं के संकाय में 9 अंशकालिक शिक्षक है । वहाँ कोई अंशकालिक अन्वेषक नहीं हैं ।

(ग) और (घ) अंशकालिक अध्यापकों/शिक्षकों की समेकित मासिक मानदेय पर विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्ति की जाती है । अतः उन्हें अलग से विभिन्न भत्ते नहीं मिलते हैं । विश्वविद्यालय ने अभी हाल ही में अंशकालिक अध्यापकों को अवकाश वेतन देने का निश्चय किया है ।

(ङ) और (च) अंशकालिक स्टाफ को नियुक्त करने से सम्बन्धित मार्गदर्शी रूप रेखाओं के अनुसार, नियुक्तियां शुरू में एक शैक्षिक सत्र की अवधि के लिए की जाती हैं जिसे प्रत्येक सत्र के बाद नवीकृत किया जा सकता है बशर्ते कि पदधारी की कुल अवधि 5 वर्ष से अधिक न हो ।

(छ) आकाशवाणी, दूरदर्शन इत्यादि में कार्यरत स्टाफ कलाकार ठेके पर नियुक्त पूर्ण कालिक कर्मचारी हैं । अतः वे वेतन, भत्ते और पेंशन इत्यादि जैसे उन अन्य लाभों के हकदार होते हैं जो नियमित पूर्ण-कालिक कर्मचारियों को अनुमत्य होते हैं ।

(ज) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में रेल लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने की परियोजना

3869. श्री डी० पी० जदेजा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम जोन और विशेष रूप से गुजरात राज्य में रेल लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने सम्बन्धी इस समय चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन परियोजनाओं में लाइनों के बदलने सम्बन्धी कार्य बड़ी धीमी गति से चल रहा है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरी करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) गुजरात राज्य में निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत योजनाएं हैं। इनकी स्थिति नीचे बतायी गयी है :

1. वीरमगाम-ओखा/पोरबन्दर (मी. ला. से ब. ला.)— पहले चरण में वीरमगाम-हापा लाइन पूरी हो गयी है और उसे 17-6-80 को यातायात के लिए खोल दिया गया है। हापा-ओखा/पोरबन्दर के दूसरे चरण का कार्य प्रगति पर है। 1982-83 के लिए परिव्यय 11.35 करोड़ रुपए है और इस पर 75% प्रगति हुई है कार्य 1984 में पूरा कर लिया जाएगा बशर्ते धन उपलब्ध हो जाए।

2. नदियाद-डाकोर (छो. ला. से ब. ला.)—संसाधनों की उपलब्धता में भारी तंगी के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

3. दिल्ली-अहमदाबाद (मी. ला. से ब. ला.) (इसका आंशिक भाग गुजरात राज्य में पड़ता है)—कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है क्योंकि संसाधनों की कमी के कारण योजना आयोग द्वारा इसके लिए स्वीकृति नहीं दी गयी है।

पत्तनों के गोदामों में पड़े माल की निकासी

3870. श्री नवीन रवाणी : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में प्रत्येक पत्तन के विलम्ब शुल्क दरों में संशोधन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि पत्तनों के गोदामों में माल कई महीनों तक पड़ा रहता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या नियम है और माल हटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) और (ख) बड़े पत्तनों पर विलम्ब शुल्क की दरें निश्चित हैं और केन्द्रीय सरकार से पूर्वानुमति लेकर उनमें समय समय पर

संशोधन किया जाता है । पिछले वर्ष इन दरों में बम्बई, मद्रास, कांचीन, विशाखापत्तनम और परादिप पोर्ट ट्रस्टों ने वृद्धि की थी ।

(ग) सामान न छुड़ाये जाने की समस्या प्राय: केवल बम्बई और कलकत्ता पत्तनों पर ही होती है ।

(घ) अगर महापत्तन न्यास अधिनियम, 1962 में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक पत्तन के सीमाक्षेत्र में माल पड़ा रहता है तब उसकी नीलामी कर दी जाती है । इसके अलावा, माल पाने वाले उन लोगों से भी बिलम्ब शुल्क वसूल किया जाता है जो विभिन्न पत्तनों द्वारा स्वीकृत रियायती अवधि के अन्दर अपने माल को पत्तन से नहीं छुड़ा लेते हैं ।

माल पाने वालों को अधिक समय तक पत्तन क्षेत्र में माल पड़ने रहने के बारे में रोकने के लिए बम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने पिछले वर्ष बिलम्ब शुल्क बढ़ा दिया था । कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट ने पत्तन क्षेत्र से जल्दी माल छुड़ाने के बारे में नीचे लिखे उपाय किए हैं :—

1. रियायती अवधि के बाद, सामान्य किराया वसूल करने के अलावा, ऐसे भारी माल पर जो आने के बाद 30 दिनों से अधिक अवधि तक पत्तन क्षेत्र में पड़ा रहता है, निर्धारित दर की तिगुनी दर पर दंड स्वरूप किराया बसूल किया जाता है ।

2. माल दूसरे ग्रेडों और यार्डों में भेज दिया जाता है और एक शेड से दूसरे शेड तक इसके ले जाने का भाड़ा संबंधित माल पाने वाले से वसूल किया जाता है ।

इसके अलावा, लावारिस माल का जल्दी निपटान करने और सीमा शुल्क की मौजूदा प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करने के लिए योजना आयोग द्वारा जनवरी, 1982 में यू० एन० डी० पी० ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के सलाहकार डा० एम० क्यू० दलवी की अध्यक्षता में जो योजना आयोग से संबंद्ध हैं, एक कार्यदल स्थापित किया गया । इस कार्यदल की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और इसकी जांच की जा रही है ।

मनमाड-परमणी-पारली-वैजनाथ लाइन

3871. श्री बाला साहेब बिखे पाटिल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धन की कमी के कारण मनमाड-परमणी-पारली-वैजनाथ के बीच ब्राड गेज लाइन बिछाने के काम में समुचित प्रगति नहीं हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए कुल कितना धन आवंटित किया गया है और उस समय कितने क्षेत्र में काम पूरा कर लेने की बात को ध्यान में रखा गया था ; और

(ग) 1981-82 के लिए अलग-अलग कितनी धन राशि मंजूर की गयी थी और क्या इस दर पर निर्धारित समय पर परियोजना को पूरा कर पाना संभव होगा ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) मनमाड-औरंगाद (चरण-1) खंड पर समय-समय पर उपलब्ध धनराशि के अनुसार निर्माण कार्य में प्रगति हो रही है। 1982-83 के दौरान, मनमाड-औरंगावाद खंड को मीटर आमान से बड़े आमान में बदलने के लिए एक करोड़ रुपए आवंटित हैं।

(ग) 1981-82 की अवधि में 75 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। अभी तक कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गयी है। कार्य पूरा होने की तिथि संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

सी० जी० एच० एस० डिसपेंसरियों से एक माह अथवा उससे अधिक अवधि के लिए दवाइयों को जारी करने पर प्रतिबन्ध लगाने के आदेश

3872. श्री सी० टी० दंडपाणि : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दवाइयों को एक बार में एक सप्ताह से अधिक समय के लिए जारी करने पर रोक लगाने के संबंध में यहां तक कि डा० राम मनोहर लोहिया तथा सफदरजंग अस्पतालों के विशेषज्ञों द्वारा सिफारिश किए गए मामलों में भी, कोई आदेश जारी किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को रोगियों द्वारा एक सप्ताह की दवाइयाँ प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों के बारे में जानकारी है ;

(घ) क्या उन रोगियों, जिनका इलाज एक महीने से अधिक तक चलना है, को दवाइयां छोटी बंद बोतलों में कम से कम 15 दिनों के लिए जारी की जायेंगी ; और

(ङ) क्या उन्हें बड़े पैकों के मामले में मिलावट के खतरे अथवा चोरी होने की जानकारी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) पहले पहल औषधालय में एक सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं जिससे कि दवाई की किसी प्रतिक्रिया अथवा प्रभाव का पता लग सके। लेकिन जब ये दवाइयां विशेषज्ञों द्वारा लिखी जाती हैं तो एक सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए दवाइयां जारी करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। जहां कहीं सम्भव होता है दवाइयाँ छोटी-छोटी बन्द बोतलों में दी जाती हैं। फर्मों से दवाइयां सीधे प्राप्त की जाती हैं जो इन दवाइयों को वारंटी प्रमाण पत्र के अन्तर्गत भेजते हैं। दवाइयों की चोरी को रोकने के उद्देश्य से समय-समय पर जांच की जाती रहती है।

स्पेसेलिस्ट ग्रेड दो के डाक्टरों को वेतन वृद्धि में लाभ

3873 श्री सनत कुमार मंडल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्या
कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के स्पेसेलिस्ट ग्रेड
का 1 जनवरी 1973 से तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू क
वेतनमान में (1100 से 1800 तक) बढ़ा हुआ वेतन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने डाक्टर हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि स्पेसेलिस्ट ग्रेड दो के अनेक डाक्टरों को
लाभ नहीं मिला है जबकि वे उन डाक्टरों से वरिष्ठ है जिनके वेतन में वृद्धि

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने डाक्टर हैं और इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) सरकार का विचार इस असमानता को दूर करने और प्रभावि
देने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (
स्वास्थ्य सेवा में विशेषज्ञ ग्रेड-2 के 39 अधिकारियों के वेतन में पहली ज
की गई । इस बीच एक साधारण प्रश्न उठाया गया कि क्या उनके वेत
उचित था अथवा नहीं तथा इस पर अभी सरकार विचार कर रही है । य
श्रेणी के शेष 159 डाक्टरों को जिन में से कुछ उन डाक्टरों से भी वा
ही वेतन की बढ़ोतरी का लाभ प्राप्त कर लिया है, यह लाभ अभी तक नही

10 अक्तूबर, 1982 को श्री गंगानगर-दिल्ली यात्री रेल गाड़ी में प

3874. श्री भीखा भाई : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या यह सच है कि 344 श्री गंगानगर दिल्ली यात्री रेल
किसी भी नल में, भटिंडा और दिल्ली के बीच बिल्कुल पानी नहीं था ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रथम श्रेणी के डिब्बे की भारी सीटें फटी

(ग) क्या यह सच है कि ट्रेन को 150 किलोमीटर की दूरी पर,
घंटे लगे ;

(घ) क्या यह सच है कि पानी भरने के विभिन्न स्टेशनों पर
पानी नहीं लिया गया ; और

(ङ) क्या किसी भी यात्री टिकट निरीक्षक ने प्रथम श्रेणी के डिब्बे में किसी यात्री से टिकटों की जांच नहीं की यद्यपि प्रथम श्रेणी के डिब्बों में अनधिकृत यात्री घुस आए थे ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं। भटिंडा रेलवे स्टेशन पर पानी की सप्लाई बन्द हो जाने के कारण भटिंडा में 344 डाउन सवारी गाड़ी की ऊपरी टंकियों में पानी नहीं भरा जा सका था। यह सही नहीं है कि पानी बिल्कुल उपलब्ध नहीं था, लेकिन कुछ ऊपरी टंकियों में अपर्याप्त पानी होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

(ख) जी हाँ। गुंडागर्दी के कारण भटिंडा-दिल्ली खंड पर रेक्सिन कपड़े की चोरी की घटना बहुत अधिक है। इसे रोकने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। समयाभाव के कारण श्री गंगानगर में रेक्सिन कपड़े की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

(ग) जी नहीं। समय सारणी के अनुसार भटिंडा तथा दिल्ली (298 कि०मी० की दूरी) के बीच 344 गाड़ी के लिए 10 घंटे का समय अनुमेय है और 10-10-82 को यह अपने निर्धारित समय से 2 घंटे 55 मिनट देर से पहुंची थी। श्री गंगानगर में सम्बन्धित रेक के 95 मिनट देर से पहुंचने के कारण गाड़ी देर से चली और बाकी समय परिचालनिक कारणों से जो अनिवार्य थे, बर्बाद हुआ।

(घ) भटिंडा से चलने के बाद मार्ग में गाड़ी की ऊपरी टंकिया फिर से नहीं भरी जा सकीं क्योंकि भटिंडा में गाड़ी जाँच कर्मचारी अन्य स्टेशनों के लिए सन्देश नहीं भेज सके और न ही किसी यात्री ने किसी मार्गवर्ती स्टेशन के कर्मचारियों से इस आशय की शिकायत की कि गाड़ी में पानी नहीं है या अपर्याप्त पानी है। इस चूक के लिए भटिंडा गाड़ी जांच कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है।

(ङ) बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध सवारी गाड़ियों की आवधिक जाँच की जाती है।

मीटर गेज को ब्राड गेज में बदलने के लिए आबंटित धनराशि को दूसरे काम में लगाना

3875. श्री एन०ई० होरो : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मीटर गेज को ब्राड गेज में बदलने के लिए आबंटित की गयी धनराशि को दूसरी अन्य परियोजनाओं पर, विशेष रूप से बिहार में (पूर्वोत्तर रेलवे) लगाने का कोई मामला देखने में आया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, लेकिन बिहार के लिए कोई नहीं ।

(ख) कुछ ऐसी चालू परियोजनाओं के काम में तेजी लाने के लिए जो पूरी होने वाली हैं ।

शिक्षा विभाग में भर्ती

3876. श्री मनोरंजन भक्त : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार प्रशासन के शिक्षा विभाग में 1980 के दौरान "ग्रुप ए" के पदों के चयन के लिए मंजूर भर्ती नियमों में पाई गई असंगति है ;

(ख) यदि हां, तो असंगतियों का ब्यौरा क्या है और उन्हें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग से इस बात पर सहमति प्रकट की गई थी कि यह नियम केवल भविष्य के चयन में लागू होंगे और जो लोग पहले ही नौकरी पर हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ; और

(घ) यदि हां, तो इस दृष्टिकोण से सरकार द्वारा हटने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) अंदमान और निकोबार प्रशासन (ग्रुप 'ए' और ग्रुप 'बी' के पद) शिक्षा विभाग भर्ती नियमों को मार्च, 1980 में अधिसूचित किया गया था । इसके बाद अंदमान तथा निकोबार प्रशासन ने उपरोक्त भर्ती नियमों में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया ताकि उन पदोन्नत व्यक्तियों की शैक्षिक अर्हताओं में छूट दी जा सके जो उप शिक्षा अधिकारियों (सामान्य) के रूप में तदर्थ आधार पर शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे हैं । शैक्षिक अर्हताओं में छूट देने के प्रश्न पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) उपरोक्त (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

दक्षिण रेलवे में उपयोग में लाये जा रहे इंजनों की किस्म

3877. श्री डी०एस०ए० शिव प्रकाशम : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के मीटर गेज और ब्राड गेज रेल लाइनों पर डीजल और गैर डीजल के कितने किस्म के इंजनों का उपयोग किया जाता है ;

(ख) क्या प्रत्येक इंजन के लिए लाइन में चलने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने इंजनों ने समय सीमा पार कर ली है और अभी भी रेलवे उनका उपयोग कर रहा है ; और

(घ) सरकार ने इस प्रकार के पुराने इंजनों को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की है क्योंकि इस प्रकार के इंजनों के प्रयोग से यात्रियों को खतरा है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बड़ी लाइन पर तीन प्रकार के डीजल रेल इंजन (डब्ल्यू डी० एम० 2-मुख्य लाइन डीजल इंजन तथा डब्ल्यू डी एस 4 और डब्ल्यू डी एस 6 जो शंटिंग इंजन हैं) नियमित उपयोग में हैं। बड़ी लाइन पर भाप रेल इंजनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। उपयोग किये जा रहे बिजली रेल इंजन डब्ल्यू ए एम 4 तथा डब्ल्यू ए जी 1 किस्म के हैं। मीटर लाइन पर चार किस्म के भाप रेल इंजन (वाई पी, वाई जी, वाई एल तथा एक्स श्रेणी लोको-नीलगिरि रेलों पर उपयोग किया जा रहा विशेष किस्म का इंजन) और डीजल रेल इंजन (वाई डी एम 4) तथा बिजली रेल इंजन (वाई ए एम 1) में से प्रत्येक की एक-एक किस्म उपयोग में हैं।

(ख) रेल इंजन का सामान्य जीवन इस प्रकार है :—

भाप रेल इंजन	40 वर्ष
डीजल बिजली/ हाइड्रालिक रेल इंजन	36 वर्ष
बिजली रेल इंजन	35 वर्ष

(ग) और (घ) एक्स किस्म के सात इंजन गतायु हैं। चूंकि यह एक विशेष रेक प्रणाली के इंजन हैं, इसलिए इन रेल इंजनों को समुचित अनुरक्षण के साथ, सेवा में कायम रखा जा रहा है।

दिल्ली के विद्यालयों के अध्यापकों का स्थानान्तरण

3878. श्री भोकू राम जैन : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली प्रशासन में अध्यापकों के स्थानान्तरण की प्रक्रिया वर्षभर जारी रहती है जिसके परिणामस्वरूप छात्रों तथा विद्यालयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है कि सत्र के बीच में स्थानान्तरण न किए जाएं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, अध्यापकों का स्थानान्तरण मुख्यत: पद निर्धारण की वार्षिक प्रक्रिया से सम्बद्ध है। तथापि, कुछ मामलों में, प्रशासनिक कारणों से वर्ष के दौरान किसी भी समय स्थानान्तरण करने पड़ते हैं।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि पद निर्धारण कार्य ग्रीष्म अवकाश के शीघ्र बाद पूरा हो जाए। इसके अतिरिक्त, इनके द्वारा जारी की गई नई स्थानान्तरण सम्बन्धी मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र के कुछ महीनों में स्थानान्तरण भी अधिक संख्या की कम करना सम्भव होगा।

व्यावसायिक शिक्षा

3879. श्री राम विलास पासवान : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग ने 1981-82 और 1982-83 के शिक्षा सत्रों में व्यावसायिक शिक्षा को सफलता-पूर्वक लागू करने के लिए कुल कितनी धनराशि की व्यवस्था की और अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है और यदि इसका उपयोग नहीं हुआ है तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि व्यावसायिक शिक्षा के लिए नियमित अध्यापकों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के वास्ते कोई विशिष्ट राशि निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, 1981-82 के दौरान, "अतिरिक्त स्कूल सुविधाएं" नामक प्लान योजना से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगे अंशकालिक कर्मचारियों के लिए वेतन भाग को पूरा करने के लिए 1,35,450/-रु० की राशि खर्च की गई थी। इस वर्ष वेतनों के लिए 2,42,081/-रु० खर्च होने की आशा है और इसमें अतिरिक्त सुविधाओं के लिए 50,000/-रु० भी शामिल हैं।

(ख) इस समय अंश-कालिक अध्यापक सेवारत हैं। नियमित अध्यापकों की व्यवस्था के मानदण्डों पर दिल्ली प्रशासन द्वारा सक्रिय विचार किया जा रहा है। मानदण्ड अनुमोदित होते ही नियमित अध्यापकों की नियुक्ति कर दी जाएगी।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हार्ट सर्जरी के लिए लम्बी प्रतीक्षा

3880. श्री जैनुल बशर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 अक्तूबर, 1982 के ब्लिट्स में प्रकाशित "ए०आई०आई०एम०एस०" "स्टिल इन हार्ट" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि अनेक गम्भीर रोगी जिन्हें तत्काल हार्ट सर्जरी की जरूरत है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने प्रतिशत हैं ; और

(घ) इस अमानवीय स्थिति के बचने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) जी हां ।

(ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने सूचित किया है कि जिन गम्भीर रोगियों को तत्काल शल्य चिकित्सा करना आवश्यक होता है उनसे यह अनुरोध किया जाता है कि वे कार्डिएक केथेटेराइजेशन कराने के लिए तैयार रहें और आवश्यक अन्वेषण पूरे होते ही यदि रोगी अन्यथा शल्य चिकित्सा के योग्य हो तो उसे शल्य चिकित्सा कराने की सलाह दी जाती है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा यथासंभव शीघ्र शल्य चिकित्सा प्रदान करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं । एक कार्डियो-थोरेसिस केन्द्र का निर्माण कार्य चल रहा है और आशा है कि वह 1985-86 तक कार्य करना आरम्भ कर देगा । इसके फलस्वरूप वर्तमान सुविधाओं में और भी वृद्धि हो जाएगी और प्रतीक्षा समय भी कम हो जाएगा ।

नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बीज्युअली हैंडीकैप्ड, देहरादून में ब्रेल स्लेटों का निर्माण

3881. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982-83 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वीज्युअली हैंडीकैप्ड, देहरादून, में प्रति माह औसतन कितनी ब्रेल स्लेटों का निर्माण हो रहा है ;

(ख) क्या निर्माण का यह स्तर केवल 1982-83 के आरम्भ में ही बनाये रखा गया ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी और निर्माण बढ़ाने के लिए कदम उठायेगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) 1981-82 के दौरान ब्रेल स्लेटों का मासिक औसत निर्माण 207 स्लेटें था ।

(ख) 1982-83 की प्रथम छमाही में ब्रेल स्लेटों का औसत निर्माण 67 स्लेटें प्रतिमास था।

(ग) नेशनल इंस्टीट्यूट फार बीज्युअली हैंडीकैप्ड में प्राप्त मांगों के अनुसार ही ब्रेल स्लेटों का निर्माण होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फार बीज्यूअली हैंडीकैप्ड को दिए गए आर्डरों को निर्माण के वर्तमान स्तर से पूरा किया जाता है।

(घ) ब्रेल स्लेटों के लिए और आर्डर प्राप्त होने पर निर्माण को बढ़ाया जा सकता है।

उत्तर रेलवे मुख्यालय के पास सीटों/बर्थ का कोटा

3882. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे मुख्यालय कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली के पास 1 अक्तूबर, 1982 तक के दिन दिल्ली से जाने वाली विभिन्न मेल/एक्सप्रेस/सुपर फास्ट रेल गाड़ियों में सीटों/बर्थ्स का कितना कोटा सुरक्षित था और उन्हें जारी करने के लिए किस अधिकारी को अधिकृत किया गया था ; और

(ख) क्या उन्हें मालूम है कि उत्तर रेलवे मुख्यालय में कुछ अधिकारी व्यापार घरानों के सम्पर्क/प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर प्रतीक्षा सूची के अधिक जरूरत मन्द लोगों की अपेक्षा उन्हें एक या दूसरे बहाने से टिकट जारी करने में वरीयता देते हैं ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उच्च अधिकारियों, जिनमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जज, संसद सदस्य, विधायक आदि शामिल हैं, की तात्कालिक यात्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों में एच.ओ.आर. कोटा के रूप में सीमित संख्या में शायिकाएं/सीटें रखी गयी हैं। आपातिक मामलों में, जो सदाशयी यात्री सहायता चाहते हैं, उन्हें भी इस कोटे में से स्थान दिया जाता है। यह कोटा अपर मुख्य वाणिज्य अधीक्षक (सामान्य), उत्तर रेलवे द्वारा नियंत्रित होता है।

(ख) जी नहीं।

राष्ट्र मंडल देशों के प्रमुखों की फिजी में आयोजित क्षेत्रीय बैठक

3883. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्र मंडल देशों के प्रमुखों की बैठक इस वर्ष अक्तूबर में फिजी में आयोजित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो बैठक का कार्यक्रम क्या था ; और

(ग) बैठक में क्या निर्णय लिए गए ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी, हां ।

(ख) इस बैठक की कार्य सूची इस प्रकार थी :

1 कार्य सूची का क्रम और स्वरूप

2. विश्व और क्षेत्रीय राजनीतिक प्रवृतियां

3. अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मसले

— विश्व की आर्थिक स्थिति और दृष्टिकोण

— संरक्षणवाद : अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को खतरा

4. क्षेत्रीय आर्थिक और कार्यात्मक सहयोग

(ग) बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया । लेकिन जैसी कि परम्परा है, इस बैठक में जिन 17 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, वे अन्तिम विज्ञप्ति जारी करने पर सहमत हुए जिसमें राजनैतिक और आर्थिक विषयों पर सर्व-सहमत राय शामिल है ।

नेत्रहीनों का राष्ट्रीय संस्थान, देहरादून के निदेशक का खाली पद

3884. श्री टी० एस० नेगी : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेत्रहीनों के राष्ट्रीय संस्थान, देहरादून में निदेशक का पद अभी भी खाली पड़ा हुआ है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इसे अस्थायी तौर पर भरा गया है और यदि हां, तो इसे किस मानदंड के द्वारा भरा गया है;

(ग) क्या सरकार इस व्यक्ति को इस पद पर स्थायी करना चाहती है;

(घ) यदि सरकार का इस पद पर किसी बाहरी व्यक्ति को लाने का विचार है, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ङ) क्या भूतपूर्व निदेशक के विरुद्ध कोई जांच चल रही है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस पद को संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर भरा गया है। वर्तमान पदधारी को आरम्भ में दो वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। इस पद से सम्बन्धित भरती नियम संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०5664/82]।

(ग) वर्तमान पदधारी आरम्भ में दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा। इस अवधि के समाप्त होने पर वर्तमान पदधारी को स्थाई करने पर विचार किया जाएगा।

(घ) लागू नहीं होता है क्योंकि पद भरा जा चुका है।

(ङ) जी, नहीं।

इन्टर्नी डाक्टरों का वजीफा बढ़ाने की सिफारिश

3885. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या स्वास्थ और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ सेवाओं के महानिदेशक ने सरकार से इन्टर्नी डाक्टरों को मिलने वाले 450 रुपये प्रतिमाह के वजीफे को बढ़ाकर 750 रुपया प्रतिमाह करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है ?

स्वास्थ और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) दिल्ली मेडिकल रेजिडेन्ट एसोसिएशन ने स्टाइपेंडों की दर में वृद्धि करने की मांग की है। उनकी मांग पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के कर्मचारियों का वेतन और भत्ता

3886. **श्री चतुर्भुज** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के कर्मचारियों के वही वेतन, भत्ते आदि देय हैं, जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये मंजूर होते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड के कर्मचारियों के लिये केन्द्र सरकार की "समूह बीमा योजना और सेवा निवृत्ति पेंशन योजना" अभी तक लागू नहीं हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय के कर्मचारी दिल्ली पुस्तकालय बोर्ड (सेवाएं) उप नियमों में

यथा निर्धारित वेतनमानों तथा अन्य सेवा शर्तों के हकदार हैं। ये उप-नियम उस मूल तथा अनुपूरक नियमावली के आधार पर बनाए गए हैं जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। इस सम्बन्ध में दिल्ली पुस्तकालय बोर्ड से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी ग्रुप बीमा योजना, 1980, से दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय के कर्मचारियों के लिए लागू नहीं की जा सकती क्योंकि यह एक स्वायत्त निकाय है, इस समय पुस्तकालय के कर्मचारी सेवा-निवृत्ति के लाभों के स्थान पर अंशदायी भविष्य निधि के अन्तर्गत आते हैं।

रेल मंत्रालय में अधिकारियों की वरिष्ठता

3887. श्री डी० पी० यादव : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल मंत्रालय ने दिनांक 4-1-82 को कुछ अधिकारियों की वरिष्ठता अवनत करते हुए एक आदेश पारित किया था तथा इन अधिकारियों ने इस आदेश के विरुद्ध दिल्ली चच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने उपर्युक्त आदेश न केवल रद्द कर दिया वरन अपने निर्णय में कहा कि आदेश सीमित तथा पूर्वाग्रहयुक्त विचार से पारित किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे गैर कानूनी तथा पूर्वाग्रहयुक्त आदेश पुनः पारित न किए जायें, रेल मंत्री का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल मंत्रालय में 4-1-82 के आदेश द्वारा अपने 15-2-60 के पहले उन आदेशों को आशोधित कर दिया जिनके अन्तर्गत 1-1-42 और 31-12-59 के बीच भर्ती किए गए विशेष श्रेणी प्रशिक्षुओं को उच्चतर वरिष्ठता दी जाती थी। इस आदेश से प्रभावित अधिकारियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी।

(ख) जी हां, लेकिन इस निर्णय के खिलाफ सरकार ने उच्चतम न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन दायर किया है।

(ग) रेल कर्मचारियों से सम्बन्धित सेवा शर्तों को प्रभावित करने वाले निर्णय रेल मंत्रालय द्वारा पूरे सोच विचार के साथ तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और यथा-आवश्यकता, कार्मिक विभाग, विधि मंत्रालय और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के बाद किए जाते हैं।

सहकारी समिति, इलाहाबाद का अभ्यावेदन

3888. श्री के० ए० राजन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें हरिजन, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग को 'वन्डर्स एण्ड लेबरर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड' का दिनांक 21 सितम्बर, 1982 का अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अभ्यावेदन में उठाए गए मुद्दों पर विचार किया गया है और उत्तर दे दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। लेकिन 5-1-81 का एक अभ्यावेदन अनुलग्नक सहित 21-9-81 को प्राप्त हुआ था।

(ख) से (घ) वर्तमान ठेकेदार के खिलाफ कुछ आरोप लगाए गए थे और अनुरोध किया गया था कि सोसायटी को कुछ खान पान सुविधाओं का आवंटन किया जाए। ये मामले विचाराधीन हैं और सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

नया मंगलोर बन्दरगाह

3889. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नया मंगलोर बन्दरगाह सभी दृष्टियों से पूरा हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इसे कब पूरा किया जाना था ;

(ग) इसके कब पूरा हो जाने की आशा है ;

(घ) क्या वहाँ 120 मीटर की बड़ी शहतीर ढह गयी थी ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं और क्षति का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) से (ग) न्यू मंगलोर पोर्ट के विकास के प्रथम और द्वितीय चरण के अधीन प्रस्तावित सभी बड़े-बड़े निर्माण कार्य क्रमशः 1975 और 1980 में पूरे हो चुके थे। इसमें वे छोटे मोटे कार्य शामिल नहीं है जो पत्तन के परिचालन से संबंधित नहीं हैं। आशा है कि ये निर्माण कार्य भी 31 मार्च 1983 तक पूरे हो जायेंगे।

(घ) जी। जब ट्रांजिट शेड बन रहा था तब कंकरीट का एक गर्डर 28 सितम्बर, 1982 को गिर पड़ा था। इसकी जगह एक नया गर्डर रख दिया गया है।

(ङ) यह दुर्घटना ठेकेदार के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुई। इसमें पत्तन का नुकसान न होकर ठेकेदार का नुकसान हुआ।

विभिन्न जोनों में यातायात एप्रेंटिसों की भर्ती

3890. **श्री छांगुर राम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक जोन से दूसरे जोन तक अलग-अलग यातायात एप्रेंटिसों की भर्ती की शर्तें क्या हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या केवल उत्तर रेलवे में यातायात एप्रेंटिसों की वरिष्ठता निश्चित करने के आदेश दिए गए हैं देखिए दिनांक 24 और 26 सितम्बर, 1980 के रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (एन. जी.) 1-80/एस. आर. 6/9; और

(ग) इसी ढंग से अन्य रेलवे में यातायात एप्रेंटिसों की वरिष्ठता निश्चित करने हेतु सभी जोनों के महाप्रन्धकों को यह पत्र किन कारणों से नहीं भेजा गया ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उत्तर रेलवे के कर्मचारियों द्वारा दायर की गयी याचिकाओं पर और कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के पश्चात संदर्भाधीन पत्र जारी किया गया था। बहरहाल, उक्त निर्णय अन्य रेलों के सेवारत कर्मचारियों के बारे में व्यवहार्य नहीं है।

दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के भर्ती-नियम

3891. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुस्तकालय बोर्ड के नियमों और विनियमों के अनुसार दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के निदेशक पद के नियुक्ति नियम सरकार द्वारा अनुमोदित होने चाहिए ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्तमान पुस्तकाल प्रबन्धक मंडल ने निदेशक की नियुक्ति सम्बन्धी नियमों के बारे में अभी तक अनुमोदन नहीं लिया है ; और

(ग) दिल्ली पब्लिक लायब्रेरी के निदेशक पद तथा पुस्तकाध्यक्ष ग्रेड 1 जैसे रिक्त पदों के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यताएं क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण-मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विवरण संलग्न है ।

विवरण

दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के निदेशक के पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं :

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की कम से कम स्नातक की डिग्री ।

2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री अथवा डिप्लोमा ।

3. कम से कम 10 वर्ष तक पुस्तकालय में कार्य करने का अनुभव जिनमें से कम से कम 5 वर्ष तक किसी अच्छे पुस्तकायय अधिमानत: किसी सार्वजनिक पुस्तकालय में पर्यवेक्षणीय पद पर जिम्मेदारी का कार्य किया हो ।

4. हिन्दी का ज्ञान ।

पुस्तकाध्यक्ष ग्रेड-I के पद के लिये अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं :

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की मास्टर्स अथवा इसके समकक्ष डिग्री ।

2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान की पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री अथवा उत्तर-स्नातक डिप्लोमा ।

3. किसी अच्छे पुस्तकालय में किसी जिम्मेदार पद पर 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव ।

4. हिन्दी का ज्ञान ।

अकोला-पूरना तथा पूरना-आदिलाबाद गाड़ी का देर से चलना

3892. श्री उत्तम राठौर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे में अकोला-पूरना तथा पूरना-आदिलाबाद के मध्य चलने वाली गाड़ियों का नियन्त्रण पूरना से नहीं होता ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके कारण इन लाइनों पर गाड़िया बहुत देर से चलती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सैक्शन में गाड़ियों को नियमित रूप से चलाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पूरना अकोला-खंडवा खंड अकोला केन्द्रीय कार्यालय द्वारा नियन्त्रित होता है। पूरना-मुडखेड खंड सिकन्दराबाद केन्द्रीय कार्यालय द्वारा नियन्त्रित होता है और मुदखेड-आदिलाबाद खंड अनियंत्रित है।

(ख) जी नहीं। यात्री गाड़ियों का समयपालन सन्तोषजनक स्तर पर रखा जाता है और विगत दो महीनों के दौरान इसमें सुधार हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में कदाचार

3893. श्री डी० एम० पुत्ते गौड़ा :

श्री एच० एन० नंजे गोड़ा : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों ने अपनी माँगें पूरी होने तक भूख हड़ताल करने का संकल्प किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में कथित प्रशासी कदाचारों की जांच कराने के लिए सहमत हो गई है ; और

(ग) जाँच कब की जाएगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जामिया की स्टाफ एसोसिऐशन ने 14 सितम्बर, 1982 को हड़ताल शुरू की थी। 16 सितम्बर, 1982 की हड़ताल में शिक्षक शामिल हो गए। 13 अक्तूबर, 1982 को हड़ताल समाप्त हो गई।

(ख) जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलाधिपति ने जामिया में कदाचार के विभिन्न आरोपों की जाँच करने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा जाँच शुरू कराई है।

(ग) जांच पहले ही शुरू की जा चुकी है।

त्रिपुरा के जनजाति नेता द्वारा बंगलादेश में शरण

3894. श्री सन्तोष मोहन देव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा का नेता बिपी रंगखेल बाँगलादेश भाग गया है और उसने त्रिपुरा सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष शुरू करने के लिए वहां शरण ले ली है ;

(ख) क्या बंगलादेश सरकार से इस सम्बन्ध में कोई विरोध व्यक्त किया गया है; और

(ग) क्या यह सच है कि बंगलादेश में उसका प्रवेश त्रिपुरा सरकार की लापरवाही के कारण संभव हो सका ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) से (ग) बंगलादेशके शरण-क्षेत्रों से कार्रवाई करने वाले भारतीय विद्रोहियों के प्रश्न को भारत सरकार ने कई अवसरों पर बंगला देश सरकार के साथ उठाया है। बंगलादेश सरकार ने कहा है कि विद्रोहियों को कोई सहायता नहीं दी जा रही है। बंगलादेश मंत्री-परिषद के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एच०एम० इरशाद की हाल ही की भारत यात्रा के अन्त में 7 अक्तूबर, 1982 को जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया हैं कि दोनों देशों ने यह निश्चय किया है कि "उनके प्रदेश का प्रयोग दूसरे देश के विरुद्ध आक्रमक कार्रवाईयों के लिए नहीं किया जाएगा"।

पंजाब मेल के साथ लगा सुरतगढ़ का डिब्बा

3895. श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पाँच संसद सदस्य अपने मुख्यालयों की पंजाब मेल के साथ लगे सूरतगढ़ के डिब्बे में यात्रा करते हैं ;

(ख) क्या पंजाब मेल के साथ लगा हुआ सुरतगढ़ का डिब्बा छोटा है तथा उस डिब्बे में कोई कंडक्टर भी नहीं होता है तथा यदि पांचों संसद सदस्य उस डिब्बे में यात्रा करें तो पहले दर्जे के सभी अन्य यात्रियों को बहुत असुविधा होती है; और

(ग) यदि हां, तो उस दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) पंजाब मेल/चंडीगढ़ एक्सप्रेस में दिल्ली और सुरतगढ़ के बीच पहले और दूसरे दर्जे का एक मिला-जुला सवारी डिब्बा, जिसमें पहले दर्जे की 10 शायिकाओं और दूसरे दर्जे की 40 सीटों की क्षमता है, चलाने की व्यवस्था है। ऐसे सवारी डिब्बों में डिब्बा परिचरों की व्यवस्था नहीं की जाती है। लेकिन गार्ड/गाड़ी कंडक्टर यात्रियों की देखभाल करते हैं। उपर्युक्त सवारी डिब्बे में दिल्ली और सुरतगढ़ के बीच पहले दर्जे के स्थान की औसत दैनिक मांग 5 से 6 शायिकाओं के बीच है जबकि उसमें 10 शायिकाएं उपलब्ध रहती हैं। अतएव, पहले दर्जे में स्थान बढ़ाने का, यातायात की दृष्टि से, कोई औचित्य नहीं है।

पार्सल कार्यालय, नई दिल्ली में अनियमित नियुक्तियों की शिकायतें

3896. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पार्सल कार्यालय, नई दिल्ली में भर्ती किये गये नैमित्तिक मजदूरों की अनियमित नियुक्तियों के भ्रष्टाचार की कुछ शिकायतें 13 मई, 1982 में उत्तर रेलवे के सतर्कता विभाग को प्राप्त हुइ थी :

(ख) सतर्कता विभाग ने पार्सल कार्यालय, नई दिल्ली के किन्ही रिकार्डों की जांच की और उन्हें जब्त किया ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या इन नियुक्तियों को नियमित किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

हल्दिया में पोत मरम्मत यार्ड

3897. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने छठी योजना अवधि के दौरान हल्दिया में एक पोत मरम्मत यार्ड स्थापित करने के लिए योजना आयोग से स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है;

(ख) परियोजना की प्रगति/वर्तमान स्थिति क्या है ?

(ग) इसमें विलम्ब के क्या करण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस परियोजना को कब तक अन्तिम रूप दे दिए जाने की आशा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री सी०एम० स्टीफन) : (क) से (घ) रक्षा मंत्रालय ने योजना आयोग और सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए यह सूचित किया है कि उन्होंने हल्दिया में जहाज मरम्मत कम्पलेक्स स्थापित करने के बारे में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स के प्रस्ताव के बारे में आगे कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है । छठी पंचवर्षीय योजना में भी इस परियोजना के लिए कोई प्रावधान नहीं है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों को मकान निर्माण ऋण

3898. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय और इसके कालेजों के अध्यापकों को मकान निर्माण हेतु ऋण देने के लिए वित्तीय आवंटन में, इस प्रयोजन के लिए बड़ी संख्या में प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष के आवंटन की तुलना में कोई वृद्धि की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में इस वर्ष ठीक ठीक कितनी वृद्धि की गई है और छठी पंचवर्षीय योजना के बाद के वर्षों में कितनी वृद्धि की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आवर्ती निधि, जिससे विश्वविद्यालय और इसके कालेजों के कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम राशियां संस्वीकृत की जा सकें, के सृजन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान, प्रत्येक वर्ष 10.00 लाख रुपये का अनुदान दिया गया था । बाद के वर्षों में इस अनुदान में कोई भी वृद्धि करना इस प्रयोजन के लिए धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

दिल्ली में चलते फिरते न्यायालयों द्वारा यातायात संबंधी अपराधों की सुनवाई किया जाना

3899. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के बड़े शहरों में यातायात संबंधी नियमों को तोड़ने वालों को तुरन्त कड़ी सजा देने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार का विचार दिल्ली में यातायात संबंधी अपराधों की सुनवाई के लिए और अधिक चलते फिरते न्यायालय खोलने का है;

(ग) नई दिल्ली के प्रमुख यातायात स्थलों पर शुरू किए गए बंद सर्कट दुरदर्शन व्यवस्था का क्या हुआ; और

(घ) दिल्ली में सुरक्षित ढंग से वाहन चलाने का सुनिश्चय करने हेतु अन्य क्या विशिष्ट कदम उठाये जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) यातायात विनियम में सुधार लाने के लिए हाल ही में मोटरयान अधिनियम, 1939 के प्रावधानों को

संशोधित किया गया है जिसमें सभी चालकों के लिए गाड़ी चलते साथ ड्राइविंग लाइसेंस जिस पर उसकी फोटो चिपकी हो अपने पास रखना अनिवार्य कर दिया गया है ।

(1) अनधिकृत व्यक्ति को गाड़ी चलाने की अनुमति देने

(2) काफी तेजी से गाड़ी चलाने

(3) लापरवाही और खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने

(4) रेसिंग और गति परीक्षण

(5) बगैर रजिस्ट्रेशन या परमिट के वाहन चलाने जैसे कुछ अपराधों के लिए दण्ड में वृद्धि कर दी गई है । पुलिस प्राधिकारियों को राज्य सरकारों के ..... यातायात अपराध को रोकने के लिए अधिकार दिया गया है जिस उपाय से आवश्यक में वृद्धि कर दी गई है । पुलिस प्राधिकारियों को राज्य सरकारों के निर्देश के अनुसार यातायात अपराध को रोकने के लिए अधिकार दिया गया है जिस उपाय से आवश्यक नियंत्रण पाने की आशा है ।

(ख) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) सी० सी० टी० वी० उपकारण सही ढंग से कार्य कर रहा है और इससे प्रमुख चौराहों पर यातायात के आवागमन पर ध्यान रखने और निगरानी करने में यातायात पुलिस को मदद मिलती है ।

(घ) दिल्ली में सुरक्षित ढंग से गाड़ी चलाने को सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों में फ्लाई ओवर का निर्माण, सड़कों को चौड़ा करना, अधिक नियमित केन्द्रों/चौराहों पर यातायात कर्मचारी लगाना, बगैर भीड़ भाड़ वाले समय में भी गश्ती को सुदृण करना, अधिक तेजी से गाड़ी चलाने पर रडार द्वारा जाँच, सड़क पर कब्जा और गलत ढंग से पार्क किए गए वाहनों को हटाना, विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए गति सीमा निर्धारित करना और सड़क का प्रयोग करने वालों के लिए सड़क सुरक्षा शिक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन शामिल है ।

रेलवे आवास को खाली करना

3900. श्री दयाराम शाक्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के कम्पनी कमांडरों तथा सब इंस्पेक्टरों की संख्या कितनी है और पदवार ब्यौरा तथा स्थानान्तरण की तारीख क्या है जो अगस्त, 1981 से अब तक की अवधि के

दौरान एक स्टेशन से दूसरे स्टेश को स्थानान्तरित किये गये हैं और जो अपनी नियुक्ति के पिछले स्थानों पर रेलवे क्वार्टरों पर अब भी कब्जा किये हुये हैं और उन्हें खाली नहीं कर रहे हैं ;

(ख) क्या रेलवे आवास को खाली कराने की दृष्टि से उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन इंस्पेक्टरों, कम्पनी कमांडरों तथा सब इंस्पेक्टरों की संख्या कितनी है जो हाल ही में अगस्त, 1981 से और सितम्बर, 1981 के दौरान दिल्ली से अन्य स्थानों को स्थानान्तरित किये गये थे और जिन्होंने दिल्ली में रेलवे आवास को खाली नहीं किया है और क्वा सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) अगस्त, 1981 से आज तक उत्तर रेलवे पर स्थानान्तरित किये गये कम्पनी कमान्डरों/उप निरीक्षकों की संख्या, जिनके पास अभी भी रेलवे कवार्टर हैं, नीचे दी गयी हैं ।—

स्थानान्तरित किये गये कम्पनी कमान्डर तारीख	संख्या
23-9-1981	1
11-1-1982	1
7-6-1982	2
8-6-1982	2
29-7-1982	1
जोड़	7

स्थानान्तरित किये गये उपनिरीक्षक	संख्या
तारिख	
31-5-1982	2
2-6-1982	1
10-6-1982	1
11-8-1982	1
जोड़	5

उपर्युक्त में से, कुछ कर्मचारियों ने अपनी तैनाती के पिछले स्थानों पर क्वार्टर रोके रखने के लिए आवेदन पत्र दिये हैं। उनके आवेदनों पर विचार किया जा रहा है। कुछ मामलों में क्वार्टर खाली न करने के लिए दण्डात्मक किराया वसूल किया जा रहा है। क्वार्टरों को खाली कराने के भी प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके लिए क्वार्टरों की बेदखली के लिए आवश्यक नोटिस जारी कर दिये गये हैं।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, एक कम्पनी कमान्डर का स्थानान्तरण सितम्बर, 1981 में किया गया था। अनधिकृत रूप से क्वार्टर के अधिग्रहण के लिए उससे दण्डात्मक किराया वसूल किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, क्वार्टर खाली कराने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है।

"ओरोबिल" में गुटों के बीच झगड़े

3901. श्री रशीद मसूद :

श्री आर० एन० राकेश : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "ओरोबिल" में गुटों के बीच झगड़े बद रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और "ओरोबिन" में गुटों के बीच झगढ़े बढ़ने के क्या कारण है; और

(ग) स्थिति को ठीक करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ग) पिछले दो वर्षों के दौरान आरोबिल में कुछ घटनाए हुई हैं जिनमें विभिन्न दल शामिल हैं, लेकिन यह सही नहीं है कि गुटों के बीच झगड़े बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर, आरोबिल (आपात व्यवस्था) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत नियुक्त प्रशासक की उपस्थिति से इस क्षेत्र में तनाव कम हो गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रशासक कानून और व्यवस्था की समस्याओं से निपटने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अधिकार का प्रयोग नहीं करता। यह जिम्मेदारी स्थानीय नागरिक प्रशासन की है।

पंजीकृत प्राथमिकता के आधार पर कर्मचारियों के स्थानान्तरण की प्रणाली

3902. श्री अरबिन्द नेताम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना के पंजीकरण की एक प्रणाली अपनाने हेतु निर्देश दिए हैं और इस प्रकार पंजीकृत प्राथमिकता के आधार पर उन्हें स्थानान्तरित किया जाना होता है और बहुत पहले से उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में यह प्रणाली जारी रखी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस प्रकार बनाई गई प्राथमिकता पर पार्सल/बुकिंग क्लर्कों के आवधिक स्थानान्तरणों के मामले में विचार नहीं किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में कर्मचारियों की परेशानियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) कर्मचारियों के आवधिक स्थानान्तरण के आदेश प्रशासनिक आधार पर किए जाते हैं यह और जरूरी नहीं है कि कर्मचारियों के अनुरोध और उनके पंजीकरण के आधार पर स्थानान्तरण किए जायें। यहाँ तक कि व्यावहारिक होने पर स्थानान्तरण का समायोजन किया जाता है ताकि कर्मचारियों को कठिनाई न होने पाये।

आठवी कक्षा तक छात्रों को उत्तीर्ण करना

3903. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री सूधीर कुमार गिरि :
श्रीमती माधुरी सिंह :
श्री के० मालना :
श्री एन० ई० होरो :
प्रो० नारायण चन्द पराशर :

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आठवीं कक्षा तक छात्रों को फेल न करने का कोई अनुदेश राज्य सरकारों को भेजा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) तथा (ख) एक समय की वार्षिक परीक्षा के आधार पर फेल किए जाने को शैक्षिक रूप से सही नहीं समझा गया था । अत: राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को, कक्षा VIII तक "फेल न करने" की नीति का अनुसरण करने की सलाह दी गई थी । तथापि, स्तरों को बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए उनको साथ साथ ही, निरन्तर परीक्षाओं, मूल्यांकन तथा उपचारी शिक्षण की पद्धति आरम्भ करने की सलाह दी गई थी । यह सलाह, प्रारम्भिक स्तर पर स्कूल छोड़ जाने वालों की उच्च दरों को कम करने के लिए सुझाए गए उपायों के एक भाग के रूप में दी गई थी ।

भारतीय नौवहन निगम के परिचालन परिणामों में सुधार

3904. श्री रेणुपद दास : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जहाँ तक भारतीय नौवहन निगम की यात्री तथा समुद्रतटीय सेवाओं का संबंध है, भारतीय नौवहन निगम के परिचालन परिणामों में सुधार करने के लिए अब तक क्या कारगर कदम उठाए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : जहां तक शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया की यात्री और तटवर्ती सेवाओं का संबंध है, उसके प्रचालन परिणाम में सुधार लाने के लिए निम्न लिखित प्रभावी कदम उठाए हैं :—

1. जहाजों के आवागमन की समय सारणी को युक्तिसंगत बनाना ।

2. यात्री सेवा और जहाज पर उपलब्ध सुख-सुविधा के बारे में प्रेस और विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से पर्याप्त प्रचार करना ।

3. अधिक धन कमाने के लिए अधिक आवश्यक कार्गों के चढ़ाने और उतारने के कार्य क्रम में दो ओर से जहाजों की एक दिन अधिक रुकने में बढ़ोत्तरी करना ।

4. ईंधन खर्च पर किफायत करने के लिए जहाजों में धीरे-धीरे वाष्प बनाना ।

5. टी. एस. एस. रामानुजम की 812 यात्रियों को ढोने की क्षमता को बढ़ाकर 1100 करना जिससे रामेश्वरम/तलैमन्नुर सेवा में अतिरिक्त आय हो सकेगी ।

6. अधिक यात्रियों को आकर्षित करने के लिए मद्रास/स्ट्रेट क्षेत्र में रियायती टिकट शुरू करना ।

7. मद्रास/स्ट्रेट क्षेत्र में किराए और भाड़ा दरों पर बंकर सर्चार्ज लगाना ।

पाकिस्तान के विदेश मन्त्री द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर का उल्लेख

3905. **श्री बी० वी० देसाई :**

कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

श्री नवल किशोर शर्मा :

श्री एच० एन० नंजे गौड़ा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में तथाकथित कश्मीर विवाद का उल्लेख करके अपनी रट को उस समय दोहराया जब इसके विदेश मंत्री ने हाल ही में महासभा की बैठक को संबोधित किया ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार पुनः कश्मीर के मसले को उठाना शिमला समझौते की भावना के विपरीत है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने अपनी अप्रसन्नता से पाकिस्तान सरकार को पहले ही अवगत करा दिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हां ।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने 4 अक्तूबर, 1982 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान पुनः काश्मीर का जिक्र किया लेकिन उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संकल्पों और शिमला समझौते दोनों में से किसी का भी उल्लेख नहीं किया ।

(ख) और (ग) सरकार की राय है कि संयुक्त राष्ट्र में एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर काश्मीर का उल्लेख शिमला समझौते की भावना के प्रतिकूल है। विभिन्न अवसरों पर यह बात पाकिस्तान को बताई जा चुकी है।

सार्वजनिक स्थानों पर 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा भीख मांगने की समाप्ति हेतु कदम

3906. **श्री राम बिहारी बहेरा** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर भीख माँगने पर प्रतिबन्ध लगाने की योजना के कारगर कार्यान्वयन के संबंध में गत दो वर्षों के दौरान क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) बाल भिक्षा-वृत्ति को फैलाने से रोकने के लिए किए गए उपायों का ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) बच्चों द्वारा भीख मांगा जाना बाल अधिनियम, 1960 के अधीन निषिद्ध है, जो केन्द्र शासित प्रदेशों पर लागू है। बाल अधिनियम, को केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लागू किया जाता है। इस अधिनियम को कारगर रूप से लागू करने के लिए केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को प्रेरित किया जा रहा है। बाल अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ भिक्षा-वृत्ति से उद्धार किए गए बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास के लिए उपबन्ध किया गया है। बाल अधिनियम के अन्तर्गत बाल भिखारियों के साथ निपटने के लिए भिक्षा निरोधक कानूनों में भी कुछ विशेष उपबन्ध शामिल हैं।

केन्द्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली एक ऐसा केन्द्र शासित प्रदेश है जहां भारत के अन्य राज्यों से भिखारियों के आने के कारण समस्या गम्भीर है। इसलिए विशेषकर दिल्ली में कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे कि (1) बम्बई भिक्षावृत्ति निरोधक अधिनियम, 1959 (जैसा कि वह दिल्ली पर लागू है) को अधिक कारगर रूप से लागू करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे ; (2) दिल्ली के लिए दो और भिखारी गृह तथा कुष्ठ रोग से पीड़ित भिखारियों के लिए एक सदन मंजूर किए गए हैं ; (3) राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान ने दिल्ली में भिक्षावृत्ति के सम्बन्ध में एक अध्ययन पूरा किया है ताकि इस समस्या के बारे में बेहतर जानकारी उपलब्ध हो सके।

कटक-भुवनेश्वर सड़क को चौड़ा किया जाना

3907. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के कटक भुवनेश्वर खंड को चौड़ा करने के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : इस खण्ड के चुनींदा भागों को चौड़ा करने के लिए 1980-85 योजना में 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें इस कार्य के लिए भूमि प्राप्त करना भी शामिल है। इस सड़क के दागवेल सम्बन्धी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है। अब राज्य सरकार ने लगभग 29.482 करोड़ रुपये का अनुमान भेजा है। छठी योजना में कितनी स्वीकृति दी जाए यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कुल कितनी राशि उपलब्ध है।

पश्चिमी समुद्र किनारे पर रो० रो० शिपिंग सर्विस

3908. **श्री आस्कर फर्नाण्डीस** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष, भारत के पश्चिमी समुद्र के किनारे पर रो-रो शिपिंग सर्विस शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) और (ख) मुगल लाइन लिमिटेड जफराबाद-बंबई-गोआ-न्यू मंगलौर के बीच रो-रो यात्री रूट कार्गो सेवा शुरू करने पर विचार कर रहा है।

गरीब अन्धे व्यक्तियों को वित्तीय सहायता

3909. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीब अन्धे व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने कोई उपाय किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों और 50.000 से कम जनसंख्या वाले शहरों के निर्धन तथा अन्य ऐसे ही दृष्टिहीनों के लाभ के लिए मोतिया बिन्द तथा अन्य "इन्ट्रऑकुलर" आपरेशनों को कराने के लिए सरकारी सहायता स्वैच्छिक संगठनों के जरिये दी जाती है।

बर्द्धमान-आसनसोल को अर्द्ध शहरी अनुभाग घोषित किया जाना

3910. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्द्धमान से आसनसोल तक के क्षेत्र में अर्द्ध शहरी अनुभाग घोषित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक घोषित किये जाने की आशा है ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बहराँइच, सीतापुर और हरदोई को रेल लाइन से जोड़ना

3911. श्री रामलाल राही : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुये सरकार का विचार विश्व बैंक से प्राप्त ऋण की धनराशि से उत्तर प्रदेश के बहराइच, सीतापुर और हरदोई जिला मुख्यालयों को रेल लाइन से जोड़ने तथा उत्तर रेलवे में सीतापुर से बुधवास तक की मीटर लाइन में बदलने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक आरम्भ होने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) नयी परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक से प्राप्त ऋण का आबंटन वित्त मन्त्रालय/योजना आयोग द्वारा समग्र प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। जिस लाइन का सुझाव दिया गया है उसके सम्बन्ध में न तो कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और न ही विश्व बैंक के साथ हाल में जिस ऋण के बारे में समझौता हुआ है उसमें ये लाइनें शामिल हैं ।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाया जाना

3912. श्री आनन्द सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में भिन्न भिन्न मानसिक रोगों से कितने लोग ग्रसित हैं ; और

(ख) मानसिक अस्पतालों में कुल कितने रोगी आते हैं और सरकारी अस्पतालों में कितने शय्याएं हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न समय पर किए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि लगभग एक प्रतिशत जनसंख्या उस समय मानसिक विकारों से पीड़ित थी ।

(ख) 42 मानसिक अस्पतालों में लगभग 20,000 पलंग हैं तथा सरकारी और शिक्षण अस्पतालों में 2500 मनोरोग पलंग हैं ।

पश्चिम रेलवे में चिकित्सा अधिकारी की पदोन्नति और स्थानान्तरण

3913. **श्री सोमजी भाई डमोर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड द्वारा ग्रेड-वार मंजूर शुदा चिकित्सा अधिकारियों का संवर्ग क्या है और पश्चिम रेलवे में भिन्न भिन्न स्टेशनों पर कौन से संवर्ग वास्तव में प्रचलित हैं और क्या भिन्न भिन्न स्टेशनों पर प्रचालित डी०एम०ओ०एस०ए०डी०ओ० एम०एस० के पद रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या पश्चिम रेलवे में डी०एम०ओ०एस०/ए०डी०एम०ओ०एस० के पदों की अधिकतम अवधि के नियम का पालन किया जाता है, यदि हां, तो चार से अधिक वर्षों से एक ही स्टेशन पर कितने डी०एम०ओ०एस०ए०डी०एम०ओ०एस० कार्यरत हैं ;

(ग) सामान्य समुदायों के कितने ए०डी०ए०ओ०एस० की गत दो वर्षों के दौरान डी० एम०ओ०एस० के रूप में पदोन्नत की गई और एक ही स्टेशन पर रखे गए और पश्चिम रेलवे में व किस तारीख से उस स्टेशन पर ए०डी०एम०ओ०एस० के रूप में कार्य कर रहे हैं ; और

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के कितने ए. डी. एम. ओ. एस. की डी. एम. ओ. एस. के रूप में गत दो वर्षों के दौरान पृथक पृथक पदोन्नति की गई और पश्चिम रेलवे में एक ही स्टेशन पर लगाये गये ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पश्चिम रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर ग्रेडवार स्वीकृत और क्रियाशील चिकित्सा अधिकारियों के संवर्ग से संबन्धित सूचना संलग्न (विवरण -I) में दी गयी है । पदों का प्रवर्तन चिकित्सा अधिकारियों की व्यवस्था करने के लिए स्वीकृत मानदण्डों के अनुरूप ही है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 5665/82] ।

(ख) प्रचलित आदेशों के अनुसार अधिकतम 4 वर्ष की समयावधि में एक पद पर काम करने के लिए है, उसी स्टेशन पर काम करने के लिए नहीं । समयावधि पूरी कर लेने पर

सहायक मण्डल चिकित्सा अधिकारियों/मण्डल चिकित्सा अधिकारियों का स्थानान्तरण चरणों में करना होता है । उनमें से एक समय में केवल 25% का स्थानान्तरण ही किया जाता है ।

(ग) और (घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 5665/82]

वाराणसी डिवीजन के स्टेशनों पर विक्रय-ठेकों का रद्द किया जाना

3914. **श्री बी०डी० सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर-पूर्व रेलवे के वाराणसी डिवीजन में कुछ स्टेशनों पर कुछ विक्रय ठेकेदारों के ठेके कुछ वर्ष पहले रद्द कर दिए गये थे और उन ठेकेदारों ने न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ ठेकेदारों के ठेके बहाल कर दिए गए थे और उन्होंने न्यायालयों से मामले वापस ले लिए हैं, जबकि कुछ अन्य ठेकेदारों के ठेके अभी भी रद्द पड़े हैं ;

(ग) दोहरी नीति अपनाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार सभी के लिए समान नीति अपनाना चाहेगी ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) इन ठेकेदारों में से कुछ ठेकेदारों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उनके मामलों की समीक्षा की गयी और प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर विचार करके उनके द्वारा धारित ठेके उन्हें पुन: दे दिये गये ।

दिल्ली फार्मेसी परिषद्, दिल्ली के चुनाव

3915. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली फार्मेसी परिषद्, दिल्ली के चुनाव अभी तक नहीं कराए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो चुनाव न कराने के क्या कारण हैं ;

(ग) सरकार का कब तक चुनाव कराने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) दिल्ली फार्मेसी परिषद् के चुनाव जून 1977 में होने थे जो अभी तक नहीं कराये गये हैं।

(ख) दिल्ली फार्मेसी परिषद नियमावली 1958 के नियम 5 के अन्तर्गत परिषद का अध्यक्ष ही चुनाव कराने के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने का अधिकारी है। अध्यक्ष के त्याग पत्र के कारण और उपाध्यक्ष, जो अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा था, की मृत्यु हो जाने के कारण चुनावों में देरी हो गई थी।

(ग) नया अध्यक्ष 28.1 1982 को नियुक्त किया गया है और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद चुनाव कराने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

कलकत्ता पत्तन की दशा के बारे में स्वीकृत प्रस्ताव

3916. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा सितम्बर, 1982 को सर्व-सम्मति से स्वीकृत उस प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है, जिसमें फरक्का बांध से कम पानी छोड़े जाने के कारण कलकत्ता पत्तन की हुई दशा पर चिंता व्यक्त की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव में क्या-क्या मुख्य बातें उठायी गयी है ;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां।

(ख) उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार से निवेदन किया गया था कि कलकत्ता पोर्ट के हित को ध्यान में रखते हुए गंगा के पानी और फरक्का के बंटवारे के बारे में भारत सरकार और बांगलादेश सरकार के बीच 5 नवम्बर, 1977 को हुए समझौते का नवीकरण न किया जाए और 40,000 क्यूसेक्स जल छोड़ने तथा भागीरथी/हुगली सिस्टम के साथ गंगा वेसीन में सिंचाई/सुस्थिरीकरण के लिए प्रतिवर्ष 15,000 क्यूसेक्स जल छोड़ना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) और (घ) भारत सरकार को यह ज्ञात है कि गर्मी के मौसम में फरक्का में गंगा नदी का प्राकृतिक बहाव भारत की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है और बांगलादेश में यह और भी कम हो जाता है। इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार फरक्का में बहाव को बढ़ाने का प्रयास करती रही है और भारत ने ब्रह्मपुत्र-गंगा संपर्क नहर परियोजना का प्रस्ताव किया है। माननीय लेफ्टिनेंट जेनरल एच०एम० इरशाद के भ्रमण और भारत तथा बांग्लादेश

के विदेश मंत्रियों द्वारा 7 अक्तूबर, 1982 को भारतीय बांगलादेश समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद दोनों देश स्कीम की आर्थिक और तकनीकी व्यवहार्यता के अध्ययन में तेजी लाने पर सहमत हो गए हैं जिनके तत्काल कार्यान्वयन के लिए हल ढूंढने के क्रम में दोनों पक्षों ने प्रस्ताव किया था।

रेलवे में कदाचार रोकने के लिए कानूनों में संशोधन

3917. **श्री चित्त बसु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेलवे में उन कदाचारों को रोकने के लिए जिनसे इसके कार्यकरण पर बुरा प्रभाव पड़ा है, कुछ कानूनों में उपयुक्त संशोधन करना अनिवार्य समझती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बीच ऐसे कानूनों का पता लगाया है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे संशोधन किस प्रकार किये जायेंगे ; और

(घ) उस दिशा में पहले ही क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के परामर्श से भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की समीक्षा की जा रही है ताकि मौजूदा हालतों को ध्यान में रखते हुए उसके बदले नया विधेयक लाया जा सके।

सेवा सुधार समूह योजना

3918. **श्री के०टी० कोसलराम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल मंत्रालय की "सेवा सुधार समूह योजना" (सर्विसिज इम्प्रूवमेंट ग्रुप स्कीम) का ब्यौरा क्या है; और

(ख) अलग-अलग जोनल रेलवे द्वारा यह योजना क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) "सेवा सुधार ग्रुप" योजना में बहुत अनुशासनिक दल बनाने की व्यवस्था है जिनको विशिष्ट क्षेत्रों जैसे आरक्षण, स्टेशनों तथा गाड़ियों में सफाई, सवारी डिब्बों का अनुरक्षण, खान-पान सेवाओं आदि में सुधार लाने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। चूंकि ये समस्याएं बहुमुखी हैं जिनमें रेलों के विभिन्न विभागों के कार्य सम्बन्ध हैं, इसलिए सेवा सुधार ग्रुप का बहुत अनुशासनिक स्वरूप से संगठित और व्यापक कार्रवाई सुनिश्चित होती है। रेलों ने बहुमुखी सुधार लाने के लिए मुख्यालय/मण्डल/स्टेशन स्तरों पर बहुत से ग्रुप या कृतिक बल बनाये हैं।

अनुसूचित जनजातियों के छात्रों का प्राथमिक स्तर पर निकल जाना

3919. श्री हरिहर सोरन : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनुसूचित जनजातियों के छात्र बहुत बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थानों से, विशेष कर प्राथमिक स्तर पर निकल जाते हैं ;

(ख) क्या छात्रों के इस प्रकार निकल जाने के कारणों का पता लगाने के लिए राज्यवार कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए हैं कि आदिवासी छात्रों की संख्या कम न हो ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी०के० युंगन) : (क) से (घ) विभिन्न वर्गों के बीच में पढाई छोड़ जाने वालों की दर के विशिष्ट रूप से मूल्यांकन के लिए कोई व्यापक राज्यवार अध्ययन नहीं किया गया है । बीच में पढाई छोड़ जाने वालों की दर सामान्यत: सामाजिक-आर्थिक कारणों से ऊंची है । बीच में पढाई छोड़ जाने वालों की दर को कम करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्र को विभिन्न उपाय सुझाए गए हैं । जनजातीय छात्रों के मामले में, विशेषकर शिक्षा की सामान्य योजनाओं से पूंजी निवेशों की मात्रा में वृद्धि करके उन्हें जनजातीय उप-योजनाओं में रख कर अधिक से अधिक ध्यान दिया जा रहा है ।

पत्थर की खानों से गोमतेश्वर की मूर्ति को खतरा

3920. श्री एस०बी० संदिनाल :

श्री टी०आर० शमन्ना : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की 1,000 वर्ष पुरानी ग्रेनाइट मोनोलिथ की, आसपास के क्षेत्र में अवैध रूप से पत्थर खोदने और डायनेमाइट का प्रयोग करने से मूर्ति को खतरा पैदा हो गया है ; और

(ख) क्या भारत सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के परामर्श से मूर्ति के निकट पत्थर खोदने के कार्य को बन्द करने के लिए राज्य सरकार को परामर्श देगी ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी०के० युंगन) : (क) और (ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि गोमतेश्वर की मूर्ति के चारों और के क्षेत्र में खुदाई और विस्फोटन कार्य न हो, केन्द्रीय सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें उस

क्षेत्र को प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम 1959 के अधीन निषिद्ध घोषित किया गया है। सितम्बर, 1982 के अन्तिम सप्ताह में सीमांकन के पश्चात् इस निषिद्ध क्षेत्र के भीतर कोई भी विस्फोटन और खुदाई का कार्य नहीं हुआ है। इस पर नजर रखने और अवैध विस्फोटन और खुदाई के कार्य की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने श्रवणबेलगोला में अलग से एक पुलिस दल तैनात कर दिया है।

केमिस्टों द्वारा खुले रूप में गोलियों की बिक्री

3921. **श्री शिवशरण वर्मा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केमिस्ट खुले रूप में कोई भी गोलियां नहीं बेच सकते हैं, अर्थात्, बिना किसी "साइलोफीन" छपे हुए कवर के, जिस पर निर्माता का नाम, निर्माण की तारीख, मूल्य आदि छपे हों;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसा क्यों है कि दिल्ली में कुछ केमिस्ट ऐसी अवांछित प्रक्रियाएं अपना रहे हैं; और

(ग) इसकी रोकथाम के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 65 (19) के अधीन किसी औषधि की सप्लाई उस पात्र से भिन्न, जिसमें दवा निर्माता ने उसे डालकर बेचा है, केवल उन्हीं डीलरों द्वारा की जा सकेगी जिनके यहाँ अहर्ताप्राप्त व्यक्ति नौकर होंगे और ऐसी सप्लाई केवल अहर्ताप्राप्त व्यक्ति की ही देखरेख में किसी ऐसे लिफाफे या अन्य रैपर अथवा पात्र में की जायेगी जिसके लेबल पर निम्न-लिखित विवरण अंकित होगा;

(क) औषधि का नाम

(ख) औषधि की मात्रा

(ग) बिक्रेता का नाम और पता

इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन के औषधि नियंत्रण संगठन को दिल्ली के किसी भी केमिस्ट के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं मिली है।

चुंगी में समानता

3922. **श्री मोहम्मद असग़ार अहमद :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले ट्रकों तथा अन्य वाहनों के ट्रांसपोर्टरों को जो चुंगी या पत्र-कर देने होते है, उनमें एक राज्य से दूसरे राज्य में बड़ा भारी अन्तर होता है ;

(ख) क्या माल तथा यात्रियों के एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने को निर्बाध और शीघ्र बनाने की दृष्टि से इन चुंगियों का एक समान बनाने या उनके स्थान पर केन्द्रीय उप-कर रखने के लिए कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) भारत सरकार राज्यों से चुंगी कर समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में बराबर अनुरोध करती रही है। 22 राज्यों में से दस राज्यों में चुंगी कर लगता है। इसकी दरें अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं।

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने मुख्य मंत्रियों का जो सम्मेलन सितम्बर 1980 में किया था उसमें उन्होंने कहा था कि चुंगी कर को समाप्त किया जाना राज्यों के अपने हित में है और इसे क्रमशः समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह सुझाव दिया कि प्रथम चरण में चुंगी कर उन सभी स्थानों से हटा दिया जाना चाहिए जहां की आबादी दो लाख से कम है। उन्होंने बताया कि इससे राजस्व में जो हानि होगी वह दूसरे अन्य उपायों द्वारा और अगर आवश्यक हो तो बिक्री कर पर अधिभार लगा कर तथा इससे होने वाली आय नगरपालिकाओं को अन्तरित कर दूर की जा सकती है। मुख्य मंत्रियों ने केन्द्रीय वित्त मंत्री के इस सुझाव का आमतौर पर स्वागत किया है।

ट्रकों के लदान वजन में एक-समानता

3923. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में ट्रकों के लदान-वजन में एक समानता न रहने के क्या कारण हैं ;

(ख) उन राज्यों के ट्रांसपोर्टर्स को वित्तीय हानि से कैसे बचाया जा सकता है, जिन्होंने नियमों के अन्तर्गत दिए गए वजन से ट्रकों का लदान-वजन कम निर्धारित कर रखा है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में दिनांक 29 सितम्बर, 1982 को गुजरात की ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने उन्हें कोई अभ्यावेदन भेजा है ;

(घ) यदि हां, तो सभी राज्यों में ट्रक के लदान-वजन में एक-समानता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं, तथा ऐसा कब तक हो जाएगा ; और

(ङ) विद्यमान नियमों के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान में निर्धारित पंजीकृत लदान-वजन क्या हैं और अनुमत अतिरिक्त लदान-वजन की प्रतिशतता क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ङ) प्रत्येक राज्य सरकार/संघ क्षेत्र प्रशासन पहले अपने अपने यहां माल ढोने वाली गाडियों के संबंध में अधिकतम रजिस्टर्ड लदान भार/सुरक्षित धुरा भार निर्धारित करता था। लेकिन मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 1982 के द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1937 में सशोधन होने के पश्चात इस प्रकार की सीमा निश्चित करने का अधिकार अब केन्द्रीय सरकार को है जिससे कि सभी राज्यों आदि में रजिस्ट्रेशन करने वाले प्राधिकरण 1 10.1982 से समान आधार पर रजिस्टर्ड लदान भार/सुरक्षित धुरा भार निश्चित कर सकें। सारे देश में इन आदेशों के कार्यान्वयन के बारे में सीमाओं के निश्चित करने से सम्बन्धित निर्देशों के बारे में एक अधिसूचना जारी कर दी गयी है।

(ग) जी, हां।

मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए एक समान मानदंड

3924. **श्री डूमरलाल बैठा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों तथा केन्द्र के मेडिकल कालेजों में कुछ प्रतिशत सीटें विभिन्न श्रेणियों, अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के छात्रों, राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों तथा नेपाल आदि जैसे कुछ पड़ोसी देशों के नागरिकों के लिए आरक्षित होती हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इन छात्रों के प्रवेश के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि मेडिकल कालेजों में एक सा समान मानदंड नहीं अपनाया जाता है यहां तक कि उनमें से कुछ कालेजों ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के छात्रों, राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों तथा प्रति व्यक्ति फीस देने वालों के लिए अंकों के मानदण्ड में पूरी तरह छूट दे दी है जबकि अन्यों ने अनुसूचित जनजातियों के अनुसूचित जनजातियों के लिए 10 प्रतिशत कम अंकों की छूट दी है परन्तु प्रति व्यक्ति फीस देने वाले या चन्दा देने वाले छात्रों के लिए अंकों का कोई मानदण्ड नहीं रखा है ; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार एक समान मानदंड के लिए, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के प्रवेश के लिए, निदेश देना चाहेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) स्नातकपूर्व चिकित्सा शिक्षा देने वाली केन्द्रीय संस्थाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिए राज्य सरकारों के अधीन मेडिकल कालेजों में राज्य सरकारों/संस्थाओं द्वारा बनाए गए नियमों के अन्तर्गत अनुसूचितजातियों अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों आदि जैसे विभिन्न वर्गों के लिए भी सीटें आरक्षित हैं। ऐसे आरक्षणों की सीमा एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न भिन्न है। केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने अपने विनियमों में मेडिकल कालेजों में भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों के मामले में एक साथ पढ़े गए अंग्रेजी तथा विज्ञान विषयों में 50 प्रतिशत न्यूनतम पास प्रतिशता और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित छात्रों के मामलों में 40 प्रतिशत निर्धारित की है।

सरोजिनी नगर के क्वार्टरों में साफ पानी और बिजली की कमी

3925. **श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे कालोनी, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में टाइप एक और दो के क्वार्टरों के निवासी, विशेषकर गत चार महीनों से, साफ पानी तथा बिजली की कमी की शिकायत कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो सम्बन्धित अधिकारियों ने क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, रेलवे कालोनी, सरोजिनी नगर के टाइप-I तथा II के क्वार्टरों में पानी की कम सप्लाई, बिजली गायब होने तथा कम वोल्टेज के बारे में, विशेषकर गर्मी के महीनों में, कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) पानी नगरपालिका के नलों से प्राप्त होता है। जब कभी नगरपालिका की सप्लाई में पानी का दबाव कम होता है तो रेलवे क्वार्टरों में पानी की सप्लाई पर भी प्रभाव पड़ता है। क्षेत्र का विकास होने, जिसमें रेलवे कालोनी, सरोजिनी नगर स्टेशन क्षेत्र शामिल है तथा परिणामी अधिभार प्रणाली के कारण अधिक गर्मी के समय कम वोल्टेज का अनुभव किया जाता है। निवासियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्वार्टरों में अलग-अलग नल लगाने की व्यवस्था की जा रही है और यह काम शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। नयी दिल्ली नगर पालिका के साथ बिजली सप्लाई व्यवस्था की दो सुधार योजनाओं को अन्तिम रूप दिया गया है। इन दोनों में से एक योजना पहले ही निष्पादित की जा चुकी है। दूसरी योजना का निष्पादन दिसम्बर, 1982 के अन्त तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

दुर्बल और वृद्ध किसानों को पेंशन दिया जाना

3926. **श्री अनन्ता रामुलु मल्लु** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दुर्बल और वृद्ध किसानों के लिए पेंशन मंजूर की है ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और विभिन्न राज्यों में कितने दुर्बल और वृद्ध किसानों को पेंशन मिलती है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान में मीटर लाइनों पर नमक के लदान को रद्द करना

3927. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में नमक उत्पादन केन्द्रों से नमक का लदान पिछले 30 वर्षों से अनेक मीटर गेज स्टेशनों से किया जा रहा है और वह ढुलाई उत्तर प्रदेश तथा बिहार के विभिन्न स्टेशनों को वाया अचनेरा सीधे और निधि रूप से की जाती थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे बोर्ड ने कुछ महीने पहले ऐसी लदान व्यवस्था को रद्द कर दिया है ;

(ग) उसके क्या कारण हैं ;

(घ) अब राजस्थानी, नमक, बीच में लदान किए बिना, सीधे उत्तर प्रदेश में तमकूई रोड, बिहार में हसनपुर रोड और पुनिया कोट तथा उत्तर भारत के अन्य स्टेशनों में कैसे पहुंचेगा ;

(ङ) क्या नई व्यवस्था के अन्तर्गत जिससे सीधी मीटर गेज से ढुलाई बन्द कर दी गई है और नमक विभिन्न लदानों के माध्यम से ढोया जाता है, ढुलाई की लागत बढ़ गई है और काफी विलम्ब हो जाता है ; और

(च) क्या मीटर गेज लाइनों द्वारा नमक की सीधी ढुलाई करने की पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां।

(ख) और (ग) लखनऊ-गोरखपुर-छपरा खंड को बड़ी लाइन में बदलने के बाद पूर्वोत्तर दिशा के लिए मुख्य मीटर लाइन मार्ग लम्बा मार्ग नहीं रह गया है। शेष मीटर लाइन लूप खंड पर जिसका उपयोग नश्वर तथा अन्य महत्वपूर्ण यातायात की ढुलाई के लिए किया जा रहा है, प्रतिदिन केवल एक ही माल गाड़ी चलायी जा सकती है। इस कारण अब मीटर लाइन के सभी मार्गों से पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर गोंडा के पूर्व में गंतव्य स्थानों के लिए नमक की ढुलाई व्यावहारिक नहीं है। मीटर लाइन के स्टेशनों से नमक की बुकिंग केवल पूर्वोत्तर तथा पूर्वोत्तर सीमा रेलों पर बड़ी लाइन के टर्मिनलों के लिए ही की जा सकती है और प्रारम्भिक रेलवे पर ही यानान्तरित की जायेगी। लेकिन मीटर लाइन की स्टेशनों को गोंडा के पश्चिम में मीटर लाइन के गंतव्य स्थानों के लिए नमक के लदान की अनुमति दे दी गयी है।

(घ) गोंडा के पूर्व के गंतव्य स्थानों के लिए मीटर लाइन के सभी मार्गों से नमक की ढुलाई पर प्रतिबन्ध को ध्यान में रखते हुए तमकुई रोड, हसनपुर रोड तथा पूर्णिया कोर्ट जैसे गंतव्य स्थानों के लिए राजस्थान से नमक का यानान्तरण दिल्ली सराय रोहिल्ला में किया जा सकता है और इन स्टेशनों के निकटतम बड़ी लाइन के टर्मिनलों तक ढोया जा सकता है।

(ङ) चूंकि गोरखपुर-सिवान-छपरा लूप खंड पर जहां बहुत ही अपर्याप्त सुविधाएं हैं, सारे मीटर लाइन मार्ग पर ढुलाई की जाती है और इस पर अनेकों गाड़ियों की वापसी होती है। इसलिए इसकी प्रक्रिया में संशोधन किया गया है ताकि बड़ी लाइन पर, जिस पर गाड़ियों की रफ्तार तेज है, अधिकतम ढुलाई करके यातायात की शीघ्र ढुलाई की जा सके।

(च) जी नहीं।

मानव अधिकार आयोग की उप-समिति में श्री वेरवा का भाषण

3928. श्री जी० नरसिन्हा रेड्डी :

श्री बालासाहिब बिखे पाटिल :

श्री एस० एम० कृष्ण : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 जुलाई, 1982 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में बसे एक भारतीय श्री वेरवा ने हाल ही में जनेवा में हुई मानव अधिकार उप-समिति की बैठक में हरिजनों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति व्यवहार के लिए भारत सरकार की आलोचना की है ;

(ख) यदि हां, तो श्री वेरवा का दर्जा (स्टेट्स) क्या है और वह किस हैसियत से बैठक में बोले थे ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए. ए. रहीम) : (क) जी हां ।

(ख) लंदन आस्थानी "अल्पसंख्यक अधिकार वर्ग" जो संयुक्त राष्ट्र में परामर्शी हैसियत रखने वाला एक गैर-सरकारी संगठन है, ने मेरी लैंड, संयुक्त राज्य अमरीका स्थित भारत के दलितों एवं उपेक्षितों के विभिन्न सेवा दल के अध्यक्ष डा० लक्ष्मी बेर्वा को उप-आयोग की बैठक में बोलने के लिए कहा था ।

(ग) डा० बेर्बा द्वारा कही गई बातों का उप-आयोग में भारत के मनोनीत सदस्य ने कारगर रूप से खंडन किया था । इस विषय पर यूनाइटेड किंगडम के प्राधिकारियों के साथ भी बातचीत हुई थी ।

पूर्व रेलवे के हावड़ा और सियालदह डिवीजनों में नई उपनगरीय गाडियाँ

3929. **श्री रूपचंद पाल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्व रेलवे के हावड़ा और सियालदह डिवीजनों में दस बार आने-जाने वाली नई उपनगरीय गाड़ियां चलाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) फिलहाल नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कलकत्ता में बंदरगाह तथा मैरीन हाउस क्षेत्रों में केन्द्रीय आरक्षी बल का तैनात किया जाना

3930. **श्री ईरा अनवरासु** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस से सम्बद्ध फोर्ट, डाक तथा सीमेनों के मजदूर संघों के फैडरेशन ने मांग की है कि कलकत्ता में बन्दरगाह तथा मैरीन हाउस क्षेत्रों में केन्द्रीय आरक्षी बल तैनात किया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गयी है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी, हां।

(ख) सरकारी कार्यालयों या औद्योगिक उपक्रमों की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को नहीं लगाया जाता। तदनुसार, यह ठीक नहीं समझा गया कि कलकत्ता स्थित जल परिवहन विभाग के प्रधान अधिकारी के कार्यालय और नाविक रोजगार के निदेशक के कार्यालय की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को लगाया जाए।

नये क्रेच

3931. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये क्रेचों के लिए प्राप्त हुए अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए देश में वर्तमान सीमा से अधिक नये शिशु गृह खोलने की छूट दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो 1982-83 के दौरान कितने क्रेच खोले जायेंगे ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के०थुंगन) : (क) और (ख) सरकार इस पर विचार कर रही है।

कोचीन-बोडिनियकन्नूर लाइन का सर्वेक्षण

3932. श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन-बोडिनायकन्नूर लाइन का सर्वेक्षण कब आरम्भ होने की संभावना है ;

(ख) सर्वेक्षण पूरा करने में कितना समय लगेगा ; और

(ग) क्या यह सच है कि केरल राज्य की जनसंख्या के आधार पर अखिल भारतीय स्तर की तुलना में रेल लाइनों का केवल 30 प्रतिशत मिला है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 21-6-82 को सर्वेक्षण के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

(ख) लगभग एक वर्ष।

(ग) जी नहीं, यह कुछ अधिक ही है।

सीकर से दिल्ली और कलकत्ता के लिये प्रथम और द्वितीय श्रेणी के शायिका डिब्बों की व्यवस्था

3933. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के शायिका डिब्बों के अभाव में सीकर जं० (राजस्थान) से दिल्ली और कलकत्ता जाने वाले यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रायय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) भाप कोयले की भारी कमी तथा मेल लेने वाली सम्बद्ध गाड़ियों अर्थात् 17 अप/18 डाउन सवाई माधोपुर-लुहारू एक्सप्रेस के रद्द कर दिये जाने के परिणामस्वरूप सीकर से दिल्ली और कलकत्ता जाने वाले यात्रियों को पहले एवम् दूसरे दर्जे का एक मिश्रित यान और दूसरे दर्जे का एक शयनयान उपलब्ध नहीं हुए थे । 4-9-82 से इन गाड़ियों को फिर से चला दिये जाने से अब सीकर के यात्रियों को ये सवारी डिब्बे उपलब्ध करा दिये गये हैं ।

गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलन को संबोधित करने के लिए राजकुमार सिंहनायक को निमन्त्रण

3934. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली में होने वाले आगामी सातवें गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन को सम्बोधित करने के लिए राजकुमार सिंहनायक को आमन्त्रित करने संबन्धी समाचारों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में, इस तथ्य को दृष्टि रखते हुए क्या प्रतिक्रिया है कि भारत सरकार ने हेग सेमरिन शासन को कम्पूचिया की वास्तविक सरकार के रूप में मान्यता दे रखी है; और

(ग) क्या सरकार इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कम्पूचिया जनवादी गणतन्त्र के प्रमुख को आमन्त्रित करने की इच्छुक है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री ए० ए० रहीम : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) भारत सरकार कम्पूचिया लोक गणराज्य को ही उस देश की वैद्य सरकार मानती है । प्रस्तुत प्रश्नों पर निर्णय गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलनों में ऐसे मामलों पर निर्णय लेने की प्रचलित प्रथा को ध्यान में रख कर लिया जाएगा ।

पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा क्लर्कों के चयन की प्रक्रिया

3935. श्री तारिक अनवर : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पूर्वोत्तर रेल सेवा आयोग द्वारा क्लर्कों, कोचिंग क्लर्कों बुकिंग क्लर्कों का चयन करने की ओर तथा प्रशिक्षण के परिणामों के आधार पर उनकी नियुक्ति करने की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हाँ, तो क्या अन्य रेल सेवा आयोगों में इस प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं ;

(ग) यदि हां, तो कौन-कौन सी रेल सेवा आयोग में यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों के मार्ग संख्या 480 और 490 को बदलना

3936. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतपुरी 'बी' गढ़ी, संतनगर और ईस्ट आफ कैलाश में रहने वाले लोग बस मार्ग संख्या 480 और 490 की सुविधा के अभाव में बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यात्रियों की सुविधा के लिए इन बसों को अमृतपुरी, गढ़ी, संतनगर, सपना सिनेमा के मार्ग से चलाएगी ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) अमृतपुरी 'बी' गढ़ी, संतनगर और पूर्वी कैलाश में रहने वाले लोग रूट संख्या 480 के साथ-साथ 26 रूटों की सुविधायें उपलब्ध कर सकते है जो नजदीक के बस-स्टापों पर दिन भर उपलब्ध रहती हैं । रूट संख्या 490 इन स्थानों से नहीं गुजरती है । लेकिन, इन इलाकों के लोग रीगल के लिए रूट संख्या 433, 440 और 470 पर अन्य बसें पकड़ सकते है, जो नजदीक के स्थानों पर दिन भर उपलब्ध रहती हैं ।

(ख) इस समय इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

चिकित्सा शिक्षा का गिरता स्तर

3937. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चिकित्सा शिक्षा के गिरते स्तर की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या चिकित्सा शिक्षा समीक्षा समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उसे क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् ने उसके द्वारा निर्धारित किए गए स्तरों के सन्दर्भ में कुछ मेडिकल कालेजों में कुछेक कमियां पाई हैं। परिषद ने इन कमियों को दूर करने के लिये सम्बन्धित संस्थाओं/विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों को लिखा है।

(ग) और (घ) पुनरीक्षा समिति ने रिपोर्ट का एक भाग सरकार को प्रस्तुत कर दिया है और इस समिति की अन्तिम रिपोर्ट दिसम्बर, 1982 के अन्त तक मिल जाने की सम्भावना है।

बाढ़ों के कारण क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग

3938. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त-सितम्बर, 1982 की बाढ़ों के कारण राष्ट्रीय राज्य मार्गों को कितनी क्षति पहुंची ;

(ख) किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गों को क्षति पहुंची ; और

(ग) उन राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत करने और उनका पुनर्निमाण करने के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) भारी बरसात और लगातार पानी बरसने से राष्ट्रीय राजमार्ग कहीं पानी में डूब गए, कहीं सड़क कट गयी, कहीं सड़क उखड़ गयी, कहीं कहीं सड़क में दरारें पड़ गयीं और कहीं कहीं सड़क ऊबड़-खाबड़ हो गयी व कहीं कहीं गड्ढे भी पड़ गए।

(ख) राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, 1-क, 2, 3, 4, 4-क, 5, 5क, 6, 7, 8, 8क, 11, 12, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31क, 31ख, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 48-ख, 52 और 52क में नुकसान होने की सूचना दी है।

(घ) यातायात के निर्बाध रीति से होते रहने को सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र अस्थायी मरम्मत की गयी। बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए अब तक 113.00 लाख रुपए विभिन्न राज्यों को दिए जा चुके हैं। क्षतिग्रस्त सड़कों को पूर्ववत स्थिति में लाने के लिए जब कभी राज्यों से व्यय के अनुमान प्राप्त होते हैं, तब धनराशि आवंटित की जाती है।

दिल्ली के लिए सीकर तथा नवलगढ़ में टिकटों की खरीद

3939. **श्री भीम सिंह :**

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली या दिल्ली के बाद उत्तर तथा पूर्व के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान सीकर, नवलगढ़, मुकुन्दगढ़, निरा, झुंझनू, रतनसर, चिड़ावा, सूरजगढ़, रेलवे स्टेशनों पर श्रेणीवार कितने टिकट खरीदे गए ; और

(ख) इन स्टेशनों पर पहुंचे यात्रियों की श्रेणीवार संख्या क्या है?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5666/82]।

इन्दौर-दोहद तथा खंडवा-दोहद का सर्वेक्षण कार्य

3940. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर-दोहद तथा खंडवा-दोहद रेल लाइनों का सर्वेक्षण कार्य किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इन दो रेल लाइनों के सर्वेक्षण के लिए चालू वित्तीय वर्ष के बजट में क्या प्रावधान किया गया है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) इन्दौर-दोहद लाइन के लिए सर्वेक्षण से सम्बन्धित क्षेत्र कार्य शुरू कर दिया गया है। खंडवा-दोहद लाइन के लिए सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) इन्दौर-दोहद को नए सर्वेक्षण के रूप में 1982-83 के बजट में शामिल कर लिया गया है जिसके लिए 1.8 लाख रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है।

'भोज मेरीनर' द्वारा घाट पर ठहरे रहने के कारण बम्बई पत्तन न्यास को हुई हानि

3941. श्री बाबूराव परांजपे : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक जहाज 'भोज मेरीनर' 8 जून, 1982 से घाट पर ठहरा हुआ है ।

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण है ;

(ग) इतने अधिक समय से घाट पर ठहरे रहने के कारण घाट किराया, उतराई शुल्क और क्रेन किराया शुल्क के रूप में बम्बई जहाज न्यास को कितनी हानि हुई और पहले से घाट पर रुके रहने के कारण अन्य जहाजों को कितनी हानि हुई है ;

(घ) क्या यह सच है कि जबकि कम समय के लिए किराए पर देने के लिए एजेंटों से कष्टम दावे वसूल किए जाते हैं, इसी प्रक्रिया का पालन उपरोक्त जहाज के एजेंट से बकाया राशि वसूल करने के लिए नहीं किया जा रहा है ;

(ङ) क्या एक फर्म की एजेंसी के अन्तर्गत एक जहाज का चालक दल इस वर्ष 50 दिन हड़ताल पर रहा और एजेंट को जहाज समुद्र में अपने व्यय पर ले जाना पड़ा ; और

(च) यदि हाँ, तो 'भोज मेरीनर' जहाज के एजेंट के मामले में भिन्न नियम अपनाने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) और (ख) जी । जहाज "भोज मेरीनर" जो 6.6.1982 को समुद्रपार जाने के लिए तैयार था, को बम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने जाने की इजाजत नहीं दी क्योंकि उसके मालिक ने 9.5.1982 को दूसरे जहाज "भोज पायनियर" के डूबे जाने के कारण पोर्ट को खर्च देने से इन्कार कर दिया । मैसर्स रोडमास्टर इन्डस्ट्रीज प्रा० लि० और मैसर्स गोआ डाइविंग एण्ड सेल्वेज कम्पनी द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय में दायर दो मुकदमों के फैसले के तहत 9.7.1982 से "भोज मेरीनर" जहाज की भी कुर्की हो गई है ।

(ग) भोज मेरिनर द्वारा वर्ष भर घेरे रहने के कारण बम्बई पोर्ट ट्रस्ट को 31.10.1982 तक लगभग 1431 लाख रुपए की हानि हुई जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है :—

I)	22.5.82 से 31.10.82 तक वर्थ—किराया	7.10 लाख रुपए
II)	31.10.82 तक हवोंफेज जो कमाया जा सकता था यदि कार्गो प्रचालन के लिए वर्थ उपलब्ध होता	5.29 लाख रुपए

III) 31.10.82 तक क्रेनेज जो कमाया जा सकता था यदि कार्गो प्रचालन के लिए वर्थ उपलब्ध होता 1.92 लाख रुपए

उपरोक्त हानि संभावित आय न होने के कारण हैं। तथापि भोज मेरिनर द्वारा बर्थ घेरे रहने के कारण किसी दूसरे जहाज को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची।

(घ) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 147 के तहत जहां शुल्क नहीं लिया जाता है, उसे शार्ट लेवी कहते हैं। ऐसे शुल्क को कुछ परिस्थितियों में एजेंटों से वसूला जा सकता है। उसी प्रकार वर्थ में किसी जहाज पर पत्तन शुल्क की बकाया राशि का भुगतान मालिक की ओर से एजेंट करता है। तथापि मौजूदा मामले में पोर्ट ट्रस्ट को ह्वाफज और क्रेनेज शुल्क के कारण प्रभावी हानि हुई है। इस प्रकार हुई हानि के लिए वसूली का न तो पोर्ट उप-विधान, या कानूनी विधान में ही कोई प्रावधान है, इसलिए बम्बई पोर्ट ट्रस्ट बकाया राशि की वसूली और हानि के लिए भोज मेरिनर के खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहता है।

(ङ) जी हां। यह सच है कि जहाज मागदी याकुब जहाज के कर्मीदल और इसके मालिक के बीच कुछ विवाद के कारण 15.2.1982 से 21.3.82 तक बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के वर्थ में रहा। 21.3.82 को जहाज को लंगड़ डालने के लिए वहां से हटाने के लिए कहा गया।

(च) यह सच नहीं है कि जहाज "भोज मेरिनर" के एजेंट के साथ भिन्न नियम का पालन किया जा रहा है। इस जहाज को वर्थ से नहीं हटाया जा सकता क्योंकि इस जहाज की प्राईवेट पार्टियों द्वारा मालिक के खिलाफ दायर मुकदमे में बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के तहत कुर्की होनी है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की शिशु आहार संहिता का उल्लंघन और शिशु दुग्ध आहार का विज्ञापन

3942. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**

श्री पी० एम० सईद : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्व स्वास्थ्य संगठन की शिशु आहार संहिता का उल्लंघन किए जाने के बारे में पता है जिसके अन्तर्गत शिशु दुग्ध आहार के सभी सीधे विज्ञापनों पर रोक है तथा निर्माताओं द्वारा अपेक्षित मां के दूध को उत्तम बताने वाले उत्पादन लेबल लगाया जाना अपेक्षित है और निर्माताओं द्वारा निशुल्क सेम्पलों के विवरण पर रोक हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संघ ने माँ के दुग्ध के स्थान पर अन्य आहारों के विपणन के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय संहित को एक विनियम के रूप में नहीं बल्कि एक सिफारिश फेके रूप में अपनाया था।

भारत सरकार ने शिशु आहारों के उत्पादन और विपणन के सम्बन्ध में एक कार्यकारी दल गठित किया था। कार्यकारी दल ने मां के दूध के स्थान पर अन्य आहारों के विपणन से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय संहिता पर विचार किया था तथा अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1981 में प्रस्तुत की थी।

कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

इसलिए अब तक किसी संहिता का उल्लंघन किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

बीरभूम जिले में मुराराई रेलवे स्टेशन के निकट लूटी गयी मालगाड़ी

3943. एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 अक्तूबर, 1982 को कलकत्ता के बीरभूम जिले में मुराराई रेलवे स्टेशन के पास खाद्यान्न ले जा रही एक मालगाड़ी को लूट लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो कुल कितना खाद्यान्न लूटा गया;

(ग) क्या इसकी कोई जाँच की गयी है;

(घ) यदि हां, तो क्या अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है; और

(ङ) इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। 12-10-1982 को बीरभूम जिले में स्थित बाँसलाई ब्रिज और मुरारई रेलवे स्टेशनों के बीच 5-6 स्थानीय अपराधियों द्वारा माल-गाड़ी के एकडिब्बे से गेहूं की बोरियां चोरी किये जाने के एक मामले की रिपोर्ट की गयी थी।

(ख) माल-डिब्बे के सामान की वास्तविक क्षति का अभी तक पता नहीं चला है।

(ग) जी हां, साइंथिया स्टेशन की राजकीय रेलवे पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 379/461 के अन्तर्गत 11-10-1982 को मामला संख्या 2 पर दर्ज किया था और राजकीय रेलवे पुलिस, सिविल पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा संयुक्त रूप से छापे मारे गए थे। राजकीय रेलवे पुलिस ने इस मामले की गहन जाँच-पड़ताल की है।

(घ) जी हाँ, दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया था और चुरायी गयी 2 बोरियां बरामद की जा सकी हैं ।

(ङ) इस प्रकार की घटनाओं की रोक-थाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

(1) रेल-पथ की गश्त लगाने और माल-गाड़ियों में मार्ग-रक्षी तैनात करने का काम गहन कर दिया गया है ;

(2) इस मामले में शामिल सभी बदमाशों को पकड़ने के लिए तेजी से जांच पड़ताल आरम्भ कर दी गयी है ;

(3) अपराधियों और चोरी का माल खरीदने वालों के विरुद्ध रे० सु० ब० और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से बार-बार छापे मारे जा रहे हैं ;

(4) रेलों पर होने वाली अपराधियों की गतिविधियों और कार्रवाइयों पर निगरानी रखी जा रही है ;

(5) अनाज ले जाने वाली माल-गाड़ियों में यथा संभव मार्ग रक्षी तैनात करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं ; और

(6) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोक-थाम के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा पुलिस अधीक्षक/बीरभूम जिला तथा अन्य राजकीय पुलिस, सिविल पुलिस का सहयोग प्राप्त किया गया है ।

हावड़ा-सीखाला परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि का किसी अन्य कार्य पर लगाया जाना

3944. श्री अजित बाग : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) भूतपूर्व हावड़ा-सीखला लाइट रेलवे के क्षेत्र में बड़ी रेल लाइन के निर्माण के लिए गत दस वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष में कितना बजट आबंटन किया गया (दो) उपरोक्त प्रत्येक वर्ष में कितना व्यय किया गया ; और (तीन) वे कार्य कौन से हैं जिनमें मूलरूप से इस परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि को खर्च किया गया ;

(ख) रेलवे बोर्ड द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे को दिनांक 21 नवम्बर, 1981 को भेजे गए पत्र सं० 81 -बी-3-122 जैसे पत्रों का ब्योरा क्या है और उपरोक्त प्रत्येक आदेश के अंतर्गत कितनी धनराशि दूसरे कार्यों में लगाने की अनुमति दी गयी ;

(ग) वे परिस्थितियाँ अथवा उपचार क्या हैं जिनके अन्तर्गत उक्त आदेश में यह निर्धारित किया गया कि हावड़ा-सीखला परियोजना के लिए वर्ष 1982-83 के लिए धनराशि अन्य कार्यों के लिए व्यय की जाए और कितना परिव्यय इस कार्य के लिए दिखाया गया ; और

(घ) क्या इस परियोजना के लिए पिछले वर्षों में अन्य कार्यों के लिए अन्तरित धनराशि के बराबर धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में देना सम्भव होगा ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस परियोजना के लिए आवंटन इस प्रकार है :

1974-75	10.00 लाख रु०
1975-76	1.00 लाख रु०
1976-77	1.00 लाख रु०
1977-78	1.00 लाख रु०
1978-79	00.01 लाख रु०
1979-80	00.01 लाख रु०
1980-81	10.00 लाख रु०
1981-82	0.01 लाख रु०
1982-83	10.00 लाख रु०

अब तक कुछ भी खर्च नहीं किया गया है।

(ख) गत कुछ वर्षों के दौरान इस कार्य के लिए धन आबंटित करने के सम्बन्ध में जारी किए गए पत्रों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है :

पत्र संख्या	जारी किए गए निर्देश
75-वी-4148 दिनांक 14-11-1975	कार्य का अनुमान अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है।
78-वी-122 दिनांक 24-11-1978	कार्य बन्द रखा जाएगा। केवल सांकेतिक आबंटन किया जाएगा।
79-बी-122 दिनांक 13-11-1979	कार्य बन्द रहेगा। इस कार्य के लिए भूमि तब तक नहीं ली जाएगी जब तक रेलवे कार्य प्रारम्भ करने की ठोस स्थिति में न हो, अन्यथा इस भूमि पर अतिक्रमण हो सकता है। इस कार्य के लिए राशि को अन्य निर्माण-कार्यों के लिए अन्तरित कर दिया जाय।
80-बी-122 दिनांक 29-11-1980	

(ग) संसाधनों की उपलब्धता की अत्यन्त तंगी के कारण हवड़ा-आमता रेल सम्पर्क को प्राथमिकता दी गयी है, जो प्रगति पर है। धन की निरन्तर कमी तथा चालू योजनाओं को, जो पर्याप्त प्रगति पर हैं, शीघ्रतापूर्वक पूरा करने की आवश्यकता को देखते हुए सभी योजनाओं पर उपलब्ध संसाधनों को थोड़ा-थोड़ा खर्च करने की बजाय राशि का यथा आवश्यकता अन्तरण किया जाता है। इसी पृष्ठभूमि में उपर्युक्त पत्र द्वारा पूर्व रेलवे को धन के अन्तरण की सलाह दी गयी थी।

(घ) जी नहीं।

भारतीय पराचिकित्सा पुनर्वास व्यवसाय परिषद संबंधी विज्ञान

3945. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भारतीय पराचिकित्सा पुनर्वास व्यवसाय परिषद संबंधी प्रस्तावित विधान के बारे में दिनांक 18 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4041 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पराचिकित्सा कार्मिकों की एक परिषद गठित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक द्वारा की गई सिफारिश को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब तक प्रक्रिया संबंधी तथा अन्य औपचारिकतायें पूरी कर ली हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ये कब तक पूरी हो जायेंगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) स्पष्टतया इसका आशय 19 मार्च 1982 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4041 के उत्तर से हैं। इस मामले को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों के साथ उठाया गया है। उनमें से कुछ ने अभी अपने विचार नहीं भेजे हैं।

दिल्ली नगर निगम के मलेरिया विभाग के विरुद्ध शिकायतें

3946. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के मलेरिया विभाग के विरुद्ध गत छः महिनों से लापरवाही की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और यदि हां तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : कुछ क्षेत्रों से मच्छर नियंत्रण के लिए फागिंग आपरेशन की मांग आती रही हैं। दिल्ली नगर निगम राजधानी में मच्छर—रोधी कार्यों के भाग के रूप में नियमित रूप से व्यापक मलाथियन फागिंग और लार्वानाशी उपाय करता आ रहा है।

छात्रों के लिए रियायती किराया

3947. श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों के उन छात्रों के लिए रियायती किराये की सुविधा देना शुरू करने का विचार है जिन्हें महानगरों में अधिक सुविधाएं प्राप्त तथा विशेष विषयों की पुस्तकें रखने वाले पुस्तकालयों का प्रयोग करना पड़ता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) मान्यता-प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के सदाशयी विद्यार्थियों को जब वे शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए एक साथ यात्रा करते हैं, दूसरे दर्जे में 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है ।

बदरपुर हायर सेकैण्डरी स्कूल

3948. श्री सज्जन कुमार : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदरपुर हायर सेकैण्डरी स्कूल का भवन टूटी-फूटी अवस्था में है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके नये भवन का निर्माण कार्य कब शुरू होने की संभावना है और इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, नए स्कूल भवन का निर्माण कार्य, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्कूल भवन के लिए नियमित स्थान आबंटित करने के बाद शुरू हो जाएगा ।

नयी दिल्ली स्टेशन की रेल लाइनों पर बस

3949. चौधरी मुल्तान सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में एक ड्राइवर ने जो नशे की हालत में था राज्य प्रवेश सड़क की ओर से घुसकर नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन की लाइनों पर अपनी बस (डी.एल.पी. 6165) को चलाने का प्रयत्न किया था ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) रेलवे लाइन पर बस के प्रवेश को रोकने में सुरक्षा कर्मचारी कैसे असफल रहे जिससे रेलवे स्टेशन पर वर्तमान सुरक्षा प्रबन्धों की पूरी असफलता का पता चलता है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) 17/18-10-1982 की रात को लगभग 0.10 बजे पर्यटक बस सं० डी. एल.पी.-6165 का ड्राइवर, जिसके बारे में रिपोर्ट मिली है कि वह शराब के नशे में था, अंधाधुंध और लापरवाही से गाड़ी चलाकर पर्यटक प्लेटफार्म की तरफ स्टेट एन्ट्री रोड पर बस ले गया और अचानक उसे नयी दिल्ली केन्द्रीय आरक्षण कार्यालय की तरफ मोड़ दिया । ड्राइवर ने स्थानीय खरीद कार्यालय का मोटर चलाने योग्य मार्ग लिया और शंटिंग ग्रीवा से होकर, एक तरफ के पहिये रेल-पथ पर और दूसरी तरफ के पहिये कच्चे रास्ते पर रख कर, रेलवे यार्ड में प्रवेश किया । वह बस को केवल उत्सव प्लेटफार्म तक ही ला सका और प्लेटफार्म पर होहल्ला मच जाने के कारण बस को रेल लाइन पर छोड़कर भाग गया ।

सूचना प्राप्त होने पर, दिल्ली रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे और क्रेन की सहायता से बस को रेलवे लाइन से हटा दिया । राजकीय रेलवे पुलिस/नयी दिल्ली ने दिनांक 18-10-1982 को भारतीय दंड संहिता की धारा 279/336 और भारतीय रेल अधिनियम की धारा 129 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 421 के तहत एक मामला रजिस्टर किया । कोई व्यक्ति मारा नहीं गया और न ही रेल सम्पत्ति को कोई क्षति पहुंची । यह बस श्री अजीत सिंह, 8-ए सिंधिया हाउस, नयी दिल्ली की थी, जिसे जब्त कर लिया गया ।

इस मामले में सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक दिखाई नहीं देती, क्योंकि स्टेट एन्ट्री रोड में उन सदाशयी पर्यटकों के उपयोग के लिए पर्यटक बसें ले जाने की अनुमति दी गयी है जो स्टेट एन्ट्री रोड के प्लेटफार्म पर खड़े किये गये यानों में रह रहे होते हैं ।

आँगनवाड़ी योजना के अन्तर्गत काम पर लगे हुए व्यक्ति

3950. **श्री वी०के० नाडार** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंगनवाड़ी योजना के अन्तर्गत राज्य-वार कितने व्यक्ति, अध्यापक तथा सहायक नियुक्त किए गए हैं ;

(ख) उनकी नियुक्ति की शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या उन्हें उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुसार तथा प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमान के समान वेतन दिए जाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) क्या योजना को स्थायी आधार पर चलाने का विचार है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) 1982-83 तक स्वीकृत समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं स्थानीय समुदाय से ली गई अवैतनिक कार्यकर्ता होती हैं । यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मैट्रिकुलेट है तो उसे 175 रुपए प्रतिमास और यदि नानमैट्रिकुलेट हो तो उसे 125 रुपए प्रतिमास का मानदेय मिलता है । यदि यह प्रौढ़ महिलाओं के लिए कार्यात्मक साक्षरता की कक्षाएं भी लगाती हैं तो उसे 50 रुपए प्रतिमास का अतिरिक्त मानदेय मिलता है । सहायिका को 50 रुपए प्रतिमास की दर से मानदेय मिलता है ।

(ग) जी, नहीं । वे सरकारी कर्मचारी नहीं है । वे स्थानीय सदमुाय से ली गई अवैतनिक कार्यकर्ता होती हैं ।

(ग) समेकित बाल विकास सेवा योजना प्रयोगात्मक आधार पर वर्ष 1975-76 के दौरान 33 बालकों में आरम्भ की गई थी । इस कार्यक्रम की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 1000 परियोजनाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया गया है ।

विवरण

क्र०सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	मंजूर किए गए समेकित बाल विकास परियोजनाओं की संख्या	मंजूर किए गए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या	मंजूर किए गए सहायकों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	44	3909	3909
2.	असम	20	2535	2535

1	2	3	4	5
3.	बिहार	55	5330	5330
4.	गुजरात	29	2979	2979
5.	हरियाणा	14	1556	1556
6.	हिमाचल प्रदेश	7	483	483
7.	जम्मू तथा काश्मीर	7	581	581
8.	कर्नाटक	31	4634	4634
9.	केरल	23	2478	2478
10.	मध्य प्रदेश	43	4034	4034
11.	महाराष्ट्र	51	3877	3877
12.	मणिपुर	7	657	657
13.	मेघालय	7	564	564
14.	नागालैंड	7	421	421
15.	उड़ीसा	27	2140	2140
16.	पंजाब	17	1795	1795
17.	राजस्थान	29	3157	3157
18.	सिक्किम	2	300	300
19.	तमिलनाडु	30	3000	3000
20.	त्रिपुरा	7	690	690
21.	उत्तर प्रदेश	81	8256	8256
22.	पश्चिम बंगाल	45	5664	5664
23.	अरुणाचल प्रदेश	7	217	217
24.	अण्डमान और निकोबार	3	148	148
25.	चण्डीगढ़	1	160	160

1	2	3	4	5
26.	दादरा और नागर हवेली	1	100	100
27.	दिल्ली	12	1395	1395
28.	गोवा दमन तथा दीव	6	407	407
29.	लक्षद्वीप	1	50	50
30.	मिजोरम	3	254	254
31.	पांडिचेरी	2	231	231
	जोड़	620	62002	62002

राजस्थान में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रवृत्ति

3951. **श्री बिरदा राम फुलवरिया :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में छात्रवृत्ति का लाभ उठाने वाले अनुसूचित जातियों में और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की संख्या क्या है ; और

(ख) पहले से निर्मित और भविष्य में निर्माण किए जाने वाले छात्रवासों की जिलेवार संख्या क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 1981-82 में राजस्थान के छात्रवृत्ति प्राप्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की संख्या नीचे दी गई है :—

1- शिक्षा मन्त्रालय

1) अनुमोदित आवासीय माध्यमिक स्कूलों में छात्रवृत्ति योजना — 6

2)	ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावन बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	i) प्रति जनजातीय सामुदायिक विकास खंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 छात्र-वृत्तियां ii) प्रति सामुदायिक विकास खंड में अनुसूचित जाति के लिए 1 छात्रवृत्ति

11) गृह मन्त्रालय

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना —16656

(ख) गृह मन्त्रालय द्वारा संचालित अनुसूचित जातियों के वास्ते लड़कियों के छात्रावासों के निर्माण हेतु केन्द्र प्रायोजित सहायक अनुदान योजना के अन्तर्गत 10 छात्रावासों का निर्माण हो चुका है और 4 निर्माणाधीन हैं। जिलेवार सूचना उपलब्ध नहीं है।

हिन्दुस्तान लेटेक्स, त्रिवेन्द्रम में पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति

3952. श्री० ए० नीलालोहिथादसन नाडार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी जो राजनीतिज्ञ है को हिन्दुस्तान लेटेक्स, त्रिवेन्द्रम का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त क्यों किया गया है जब कि ऐसे पदों के लिए योग्य, अनुभवी तथा कुशल वरिष्ठ कर्मचारियों की बहुतायत है; और

(ख) क्या सरकारी उद्यमों के ब्यूरो संघ लोक सेवा आयोग ने इस नियुक्ति का नियमानुसार अनुमोदन किया था ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) एक सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी को हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था क्योंकि उसे इस कार्य के लिए योग्य समझा गया था।

(ख) केन्द्रीय सरकारी उद्यम के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए सरकारी उद्यम कार्यालय अथवा संग लोक सेवा आयोग की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती।

रेल कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

3953. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते का भुगतान करने का नियम है ;

(ख) यदि हां, तो तातसम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकारी मकान में रह रहे रेल कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते का भुगतान नहीं किया जाता है और उनसे किराया वसूल किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ ।

(ख) मकान किराया भत्ते के भुगतान से सम्बन्धित नियम में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लिखित है कि जिन रेल कर्मचारियों के पास रेलवे के क्वार्टर नही है उन सभी रेल कर्मचारियों को वर्गीकृत शहरों अर्थात् श्रेणी 'क', ख - 1, ख - 2 और 'ग' शहरों के लिए स्वीकृत दरों पर मकान किराया भत्ता देय है ।

(ग) जी हां ।

(घ) वर्तमान नियमों, जो रेल कर्मचारियों सहित सभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर समान-रूप से लागू हैं, में उन कर्मचारियों को, जिनके पास केन्द्रीय सरकार/रेलवे के क्वार्टर हैं, मकान किराया भत्ते का भुगतान करने की व्यवस्था नहीं है । मकान किराया भत्ते के भुगतान के लिए सरकारी आवास की व्यवस्था न होना मूल शर्त है । जो कर्मचारी किराया मुक्त क्वार्टरों के पात्र नहीं हैं, उन्हें नियमों में निर्धारित दरों के हिसाब से किराये का भुगतान करना होता है ।

"क" तथा "ख" राज्यों को हिन्दी में लिखे गये पत्र

3954. श्री रामावतार शास्त्री : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982 के पहले छः महीनों के दौरान "क" तथा "ख" राज्यों को कितने पत्र भेजे गए तथा उनमें से कितने हिन्दी तथा कितने अंग्रेजी में भेजे गए ;

(ख) क्या राजाभाषा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत इन राज्यों को सभी मूलपत्र हिन्दी में भेजे जाने का उपबन्ध है तथा उनका पालन न किया जाना उपबन्ध का हनन करना है;

(ग) यदि हां, तो इन राज्यों को मूल पत्र अंग्रेजी में भेजे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य में मूल पत्र हिन्दी में ही भेजे जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) :

(क) "क" और "ख" राज्यों को 1982 के पहले छः महीनों में भेजे गये पत्रों की कुल संख्या	हिन्दी में भेजे गये पत्र	अंग्रेजी में भेजे गये पत्र
2385	2381*	*

*(अंग्रेजी में हिन्दी अनुवाद के साथ भेजे गये पत्र शामिल हैं)

(ख) राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों के अनुसार "क" और "ख" राज्यों को पत्र हिन्दी में या अंग्रेजी में हिन्दी अनुवाद के साथ भेजे जा सकते हैं।

(ग) 1982 के पहले छः महीनों में "क" और "ख" राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को केवल 4 पत्र अंग्रेजी में जारी किये गये थे। उसका कारण विलम्ब से बचना था। फिर भी अनुदेश जारी कर दिये गये थे कि इस मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों का सख्ती से पालन किया जाए तथा सभी अधिकारियों/अनुभागों डैस्कों और एककों द्वारा इन अनुदेशों का ध्यानपूर्वक अनुपालन किया जा रहा है।

(घ) "क" और "ख" राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को मूल पत्र हिन्दी में भेजा जाना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :—

(1) इस मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के उपबन्धों का सख्ती से पालन किये जाने के बारे में अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

(2) इस मंत्रालय में केन्द्रीय रजिस्ट्री को आदेश दे दिये गये हैं कि "क" और "ख" राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को कोई पत्र तब तक जारी न किया जाए जब तक कि वह हिन्दी में अथवा अंग्रेजी में हिन्दी अनुवाद के साथ न हो।

(3) इस मंत्रालय में हिन्दी अनुवाद एकक को मजबूत कर दिया गया है।

राज्य सड़क परिहवहन निनम को हुई हानि

3955. **श्री ए० के० राय : क्या नौवहन और पविहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या उनका ध्यान 31 अगस्त 1982 के टेलीग्राफ में "स्टेट्स टीन्ड टू कट पब्लिक ट्रांसपोर्ट लौस" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में हुई हानि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हानि कम करने के लिए अब कोई ठोस कदम के सुझाव किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के घाटे का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) परिवहन मंत्रियों की 31.5.1982 की बैठक में राज्यों के सड़क परिवहन उपक्रमों के कार्य की समीक्षा की गयी और परिवहन मंत्रियों ने यह बताया कि राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के कार्य में सुधार लाने के लिए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय विकास परिषद् की मार्च, 1982 में मुख्य मंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में सड़क परिवहन निगमों के कार्य की समीक्षा करने और उसमें सुधार लाने के लिए उच्च स्तरीय समितियों की स्थापना करने के बारे में सहमति व्यक्त की थी। जितनी सूचना उपलब्ध है, उससे पता चलता है कि अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने अपने यहां ऐसी उच्च स्तरीय समितियां गठित कर ली हैं। केन्द्रीय सरकार ने तिमाही बैठकों के द्वारा इनके कार्यों की देखरेख करनी शुरू कर दी है।

विवरण

वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान विभिन्न सड़क परिवहन निगमों को हुई हानि बताने वाला विवरण

क्रम सं०	सड़क परिवहन निगमों का नाम	वर्ष 1979-80 में हानि (लाख रुपये)	वर्ष 1980-81 में हानि (लाख रुपये)	वर्ष 1981-82 में हानि (लाख रुपये)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	914.05	1690.95	1485.86
2.	आसाम राज्य परिवहन निगम	154.72	53.44	उपलब्ध नहीं
3.	बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम	191.53	528.50	उपलब्ध नहीं
4.	कलकत्ता राज्य परिवहन निगम	1598.86	1576.00	उपलब्ध नहीं
5.	दिल्ली परिवहन निगम	1770.80	3064.65	5115.28
6.	दुर्गापुर राज्य परिवहन निगम	उपलब्ध नहीं	159.42	उपलब्ध नहीं
7.	गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम	540.05	2559.04	उपलब्ध नहीं
8.	हिमाचल सड़क परिवहन निगम	97.10	118.03	उपलब्ध नहीं
9.	जम्मू व कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	उपलब्ध नहीं	99.77	74.91
10.	कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम	176.09	1096.36	900.00
11.	केरल राज्य सड़क परिवहन निगम	872.32	1000.00	उपलब्ध नहीं
12.	मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	उपलब्ध नहीं	732.87	675.00

1	2	3	4	5
13.	महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम	383.54	3752.47	3155.81
14.	मणिपुर राज्य सड़क परिवहन निगम	55.94	42.98	46.19
15.	मेघालय परिवहन निगम	34.32	46.55	उपलब्ध नहीं
16.	नार्थ बंगाल राज्य परिवहन निगम	321.15	413.84	465.44
17.	उड़ीसा राज्य सड़क परिवहन निगम	81.37	253.73	उपलब्ध नहीं
18.	पेप्सु सड़क परिवहन निगम	502.47	575.28	उपलब्ध नही
19.	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	545.07	706.70	उपलब्ध नहीं
20.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	39.72	972.41	267.49
21.	त्रिपुरा सड़क परिवहन निगम	59.78	78.00	उपलब्ध नहीं

डी०ई०एन० (कंस्ट्रक्शन) पूर्वी रेलवे के अन्तर्गत निर्माण विभाग में कर्मचारियों को खपाया जाना

3956. श्री ए०के० राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी०ई०एन० (कंस्ट्रक्शन) पूर्वी रेलवे के अन्तर्गत गैंगमैन तथा खिलाड़ियों के 30 पद मंडल रेलवे प्रबन्धक/पूर्वी रेलवे/धनबाद द्वारा मंजूर किए गए हैं तथा एफ०ए० एण्ड सी०ए०ओ० (कंस्ट्रक्शन), पूर्वी रेलवे, कलकत्ता, द्वारा भी खुली लाइनों के लिए निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त तथा अर्जित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए सहमति दी गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो खुली लाइनों में इन पदों के स्थान पर डी०ई०एन० (कंस्ट्रक्शन) धनबाद के अन्तर्गत 30 बरिष्ट वर्कमैनों को खपाने में असाधारण विलम्ब क्यों हुआ ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पूर्वी रेलवे के निर्माण विभाग में नैमित्तिक श्रमिकों को खपाया जाना

3957. श्री ए०के०राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्माण विभाग पूर्वी रेलवे में 40 प्रतिशत आरक्षित पदों के स्थान पर रेलवे बोर्ड द्वारा श्रेणी चार संवर्ग में 550 पद मंजूर किए गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो कथित पदों के स्थान पर निर्माण विभाग, पूर्वी रेलवे के नैमित्तिक श्रमिकों को न खपाये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी । बहरहाल यह उल्लेखनीय है कि निर्माण आरक्षित पद का सृजन वस्तुतः क्षेत्रीय रेल प्रशासन द्वारा किया जाता है न कि रेलवे बोर्ड द्वारा ।

विदेशों में प्रवासी भारतीयों का कल्याण

3958. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे दूतावासों में विदेशों में कार्य कर रहे प्रवासी भारतीयों के कल्याण के लिए पर्याप्त कर्मचारी हैं; और

(ख) प्रत्येक मिशन/स्थान में कर्मचारियों की संख्या की पर्याप्तता तथा कार्मिकों के चयन के निर्धारण का आधार क्या है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) और (ख) विदेश स्थित मिशनों और केन्द्रों में कर्मचारियों की तैनाती काम की मात्रा (जिसमें भारतीय उत्प्रवासियों के कल्याण संबंधी कार्य भी शामिल हैं) और बजट की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मानदंडों के अनुसार की जाती है। विदेश सेवा निरीक्षकों के दलों और अन्य प्रशासनिक साधनों द्वारा मौके पर किए गए अध्ययनों के बाद उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर समय-समय पर कर्मचारियों की संख्या शक्ति की समीक्षा की जाती है। कार्मिकों के चयन के मुख्य आधार हैं (1) कार्यात्मक अपेक्षाएं; (11) अनुभव, कार्यकुशलता और अभिरुचि है जिसमें उस क्षेत्र का और विदेशी भाषाओं का ज्ञान भी शामिल है।

पोरबन्दर तक रेल लाइन का निर्माण

3959. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पोरबन्दर तक की रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के काम में कितनी प्रगति हुयी है; और

(ख) क्या सरकार बदली हुई रेल सेवा को पोरबन्दर पत्तन तक साथ-साथ बढ़ाने पर विचार करेगी जब वह पोरबन्दर रेलवे स्टेशन तक कर दी जायेगी ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आमान परिवर्तन परियोजना के दूसरे चरण में अर्थात हापा से ओखा/पोरबन्दर तक हुई कुल प्रगति 75% हैं; पहला चरण पूरा हो चुका है।

(ख) वर्तमान प्रस्ताव पोरबन्दर तक मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का है तथा बड़ी लाइन को पोरबन्दर बन्दरगाह तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर सीमान्त रेलवे द्वारा विज्ञापन

3960. **श्री सूर्य नारायण सिंह** :

श्री नारायण चौबे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर सीमान्त रेलवे के विज्ञापन सभी राज्य समाचार-पत्रों विशेषकर पटना और कलकत्ता के समाचार पत्रों के समान रूप से वितरित नहीं किये जाते; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

न्यूजलपाईगुड़ी में विलम्ब-शुल्क हटाया जाना

3961. श्री सूर्य नारायण सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वाणिज्यिक अधिकारियों ने सिलिगुड़ी के एक हार्ड वेयर व्यापारी से आवांछित लाभ प्राप्त करने हेतु नार्थ फ्रंटियर रेलवे के न्यूजलपाईगुड़ी स्टेशन पर विलम्ब-शुल्क समाप्त कर दिया है; और

(ख) यदि हां तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत की जांच-पड़ताल की जा रही है।

फाकलैंड युद्ध के दौरान भारतीय नाविकों का शोषण

3962. श्री रघुनंदन लाल भाटिया : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 11 अक्तूबर, 1982 की 'ट्रिब्यून' चंड़ीगढ़ में प्रकाशित "इन्डियन सीमेन एक्सप्लायटेड ड्यूरिंग फाकलैंड वार" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं और इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां।

(ख) एस० एस० उगांडा एक ब्रिटिश फलैग-शिप है जो ब्रिटिश इन्डिया स्टीम नेविमेशन कम्पनी के स्वामित्व में है। इस जहाज का प्रयोग लंदन और मेडिटरेनियन पत्तनों के बीच बच्चों की शिक्षा के लिए किया जाता है। अधिकारियों और पेट्टी अधिकारियों को छोड़कर एस० एस० उगांडा पर लगे सभी कर्मीदल की भर्ती कलकत्ता से की गयी थी। फाकलैंड युद्ध छिड़ने से पहले जहाज पर लगे कुल भारतीय कर्मियों की संख्या 232 थी।

युद्ध के छिड़ने पर ब्रिटिश सरकार ने इस जहाज को युद्ध क्षेत्र में अस्पाल के रूप में बदलने के लिए लगाया। भारतीय नाविकों से पूछा गया कि क्या वे युद्ध क्षेत्र में अपनी सेवायें देंगे और उन्हें नेशनल मेरीटाइम बोर्ड वेज देने का आश्वासन दिया गया जो समझौते के भारतीय अनुच्छेद के तहत भारतीय और विदेशी जहाज पर भारत से भर्ती किए गए भारतीय नाविकों पर लागू होता है तथा इसके अलावा, नेशनल मेरीटाइम बोर्ड वेज का 150%

दिया जाएगा ; 166 भारतीय नाविकों ने इनकार कर दिया जिन्हें भारत भेज दिया गया। काफी संख्या में कलकत्ता के भारतीय नाविकों ने उसी मजूरी पर जहाज में जाने की इच्छा व्यक्त की जिसमें से 64 को कंपनी के भारत स्थित एजेन्ट ने 22-4-1982 को एस० एस० उगांडा में शामिल होने के लिए भारत से बाहर भेजा। इस प्रकार एस० एस० उगांडा पर 130 भारतीय नाविक थे न कि 124 जैसा कि समाचार में प्रकाशित हुआ।

सरकार के पास खराब स्थिति की सूचना नहीं है जो ब्रिटिस नाविकों को अस्वीकार्य थी। इस बारे में भी कोई सूचना नहीं है कि क्या ब्रिटेन में जातिभेद समता के लिए गठित आयोग में मामले की जांच की जा रही है, जैसा कि अखबार में बताया गया है।

दिवा-बेसिन रेलवे लाइन को पार करने के लिए सब-वे की मांग

3963. **श्री जे० एस० पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को अयारे गांव डोमीवाली थाना जिला से अयारे गांव के निकट दिवा-वेसिन रेलवे लाइन को पार करने के लिए एक सब-वे की माँग करते हुए दिनांक 9 सितम्बर, 1982 का कोई विज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब प्राप्त हुआ तथा इस मांग पर क्या कार्यवाही की गयी है/की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) विज्ञापन 7-10-1982 को प्राप्त हुआ था। ज्ञापन में राज्य सरकार और ग्राम पंचायत की स्वीकृती से दिवा-बेसिन रेलवे लाइन के आर-पार रेलवे द्वारा पहले से चेनेज 35700 पर बनाये गये उप मार्ग के साथ लगे क्षेत्र में चेनेज 35925 पर एक उप-मार्ग के निर्माण करने के लिए आयारे के ग्रामीणों द्वारा अनुरोध किया गया था। चेनेज 35925 के नये स्थान पर अर्थात् पहले से ही बने हुए उप-मार्ग से केवल लगभग 225 मीटर की दूरी पर एक और उप-मार्ग बनाना न तो वांछनीय ही है और न ही निकास को प्रतिबंधित ऊंचाई के कारण यह व्यावहारिक ही है।

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अतिरिक्त रोजगार के अवसर

3964. **श्री के० मालन्ना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इन कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयत से अतिरिक्त रोजगार के क्या अवसर उत्पन्न होने की संभावना है ; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तक क्या उपलब्धियां होंगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि "कुछ लोगों की आवश्यकताओं की अपेक्षा अधिक लोगों की आवश्यकताओं को महत्व दिया जाना चाहिए" स्वास्थ्य क्षेत्र में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण इलाकों, जन जातीय इलाकों, अनुसूचित आति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लोगों को बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या और चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने की बात शामिल की गई है । उपचारात्मक पहलुओं पर बल देने के बजाये स्वास्थ्य प्रणाली के सभी स्तरों पर सहयोगात्मक रोग निवारक और स्वास्थ्य वर्धक सेवायें आरम्भ की जा रही हैं । इस स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में अब निवारक और स्वास्थ्य बर्धक सेवाओं के साथ-साथ उपचारात्मक सेवायें भी शामिल होंगी। इस प्रणाली को बुनियादी तौर पर गांव से आरम्भ करके जिला स्तर/मेडिकल कालेज स्तर तक विकसित किया जायेगा ।

राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति के विकास के लिए मुख्य उपाय के रूप में बना रहेगा । चिकित्सा तथा परा-चिकित्सा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए इसे केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम द्वारा सहायता दी जायेगी ।

संवारी रोग नियंत्रण को भी प्राथमिकता दी जएगी । मलेरिया, कुष्ठ रोग, क्षय रोग जैसे संवारी रोग के नियंत्रण/उन्मुलन के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम को और भी तेज किया जाएगा और उन्हें स्वास्थ्य परिचर्या सम्बन्धी अन्य कार्यक्रमों के साथ पूर्ण रूप से एकीकृत कर दिया जाएगा ताकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारियों के निरीक्षण में बहु-उद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का एक जाल बिछाकर इन सेवाओं को कारगर ढंग से उपलब्ध किया जा सके ।

इन रोगों खास तौर से क्षय रोग, कुष्ट रोग और अन्धता जिन्हें सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है, के नियंत्रण के लिए और अधिक प्रभावकारी वैकल्पिक दृष्टिकोण के विकसित करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन कार्यक्रमों के अनुसंधान और प्रशिक्षण घटकों को तेज किया जाएगा ।

सम्भोग जनित रोगों से कार्यक्रम से सम्बन्धित केन्द्र प्रायोजित योजना को सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के साथ एकीकृत किया जाएगा जो 1981-82 से राज्य प्लानों द्वारा

प्रदान की जाएंगी । गलगण्ड त्रुटिजन्य रोगों में से एक है जिस पर स्थानिकभारी वाले चुनिंदा क्षेत्रों में मुकाबला किया जाएगा ।

वेक्टर जन्य उन रोगों की ओर ध्यान दिया जाएगा जो प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत अपने पड़ोस वाले क्षेत्रों में बढ़ते जा रहे हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आगामी वर्षों में चिकित्सा शिक्षा को समयानुकूल बनाना बहुत ही आवश्यक समझा गया है । चिकित्सा शिक्षा को समयानुकूल बनाने की केन्द्र प्रायोजित योजना को जारी रखा जाएगा ।

ग्रामीण इलाकों में काम करने के लिए सरकारी डाक्टरों को प्रोत्साहन देने के अलावा प्राइवेट-चिकित्सकों को ग्रामीण इलाकों में बसने के लिए उत्साहित करने के प्रयास किए जायेंगे ताकि इनकी सेवाओं से ग्रामीण स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी प्रयासों को बढ़ावा मिल सके ।

चिकित्सा स्नातकों के लिए नये अवसरों और विशेषज्ञों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा को युक्तिसंगत बनाया जाएगा ।

यह स्वीकार किया गया है कि अनेक समस्या ग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावकारी अनुसंधान कार्य किए जाने चाहिए । जीव चिकित्सा और जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों विशेष कर संचारी रोगों में अनुसंधान को उच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है । ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां स्वास्थ्य प्रशासन और प्रबन्ध के आर्थिक पहलुओं, परिवार नियोजन में गर्भ निरोधक तरीकों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है । कैंसर का शीघ्र पता लगाने वाले केन्द्र/कोवाल्ट यूनिटों और चुनिंदा क्षेत्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्रों का विकास करके कैंसर अनुसंधान और उपचार सुविधाओं के विकास का कार्य जारी रखा जाएगा ।

परम्परागत चिकित्सा पद्धतियां जैसे आयुर्वेद, सिद्ध, युनानी और होम्योपैथी के विकास और उन्हें लोकप्रिय बनाने की विभिन्न योजनाओं को जारी रखा जायेगा ताकि परम्परागत पद्धतियां भी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के प्रभावकारी तरीकों और समाधानों को खोजने के राष्ट्रीय प्रयास में योगदान दे सकें ।

परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य जनसंख्या में स्थिरता लाना है । माता तथा बच्चे के स्वास्थ्य को सुधारकर, बच्चों का जन्म नियोजित करने के महिलाओं के अधिकार को यथोचित मान्यता देकर; पात्र दम्पत्तियों को उपयुक्त तरीके का चयन करने की आजादी देकर, अच्छी किस्म की सेवाओं एवं सप्लाई के लिए पर्याप्त आधारभूत ढाँचे की व्यवस्था करके और जन-प्रचार के काम में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों किस्म की एजेन्सियों द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करके तथा परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के काम में किसी भी प्रकार की ओर जबरदस्ती करने से बचे रहकर इस उद्देश्य को प्राप्त किया जाना है ।

(ल) जहाँ केन्द्रीय स्वास्थ्य क्षेत्र और केन्द्र पोषित स्वास्थ्य योजनाओं और परिवार कल्याण योजनाओं का सम्बन्ध है, अनुमान है कि छठी योजना अवधि के दौरान लगभग 2.77 लाख और लोगों को रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

(स) "सन 2000 ईसवीं तक सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित कार्य नीति अपनाई जाएगी।

शहरों में आधारित उपचारात्मक सेवाओं तथा अतिविशिष्टियों के विकास के बजाए गांव के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने पर बल दिया जाएगा। एक ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्चा प्रणाली तैयार की जाएगी जिसमें निवारक, संवर्धक और उपचारात्मक मिली-जुली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी जो बुनियादी तौर पर गांव से आरम्भ की जायेंगी।

ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या के आधारभूत ढाँचे में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र शामिल होंगे। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 30,000 की आबादी और प्रत्येक उप-केन्द्र 5,000 की आबादी की सेवाएं प्रदान करेगा। ये मानदंड पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों के लिए शिथिलनीय होंगे। 1000 की आबादी वाला गांव आधारित यूनिट होगा जहां एक प्रशिक्षित जन-स्वास्थ्य रक्षक होगा जो लोगों द्वारा चुना जाएगा।

ब्लाक स्तर पर एक लाख की आबादी के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बुनियादी विशेषताओं में उपचार की सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी और इन्हें 30 पलंगों वाले अस्पताल से सम्बद्ध किया जाएगा तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से रोगियों को जिला अस्पताल/मेडिकल कालेज अस्पताल की रेफर करने की पद्धति आरम्भ की जाएगी।

शिक्षा, जलपूर्ति और सफाई, संचारी रोग नियंत्रण, परिवार नियोजन माता एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या, पोषण और स्कूल स्वास्थ्य के अन्तर्गत विभिन्न विभागों/एजेन्सियों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में उपयुक्त तालमेल रखा जाएगा ताकि उनके अनुकूलतम परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

इस प्रकार के कार्यक्रम की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए पर्याप्त संख्या में चिकित्सा और परा-चिकित्सा कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा सभी शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या उन्मूलन प्रधान बनाया जायगा।

सब 2000 ईसवी तक कूड जन्म दर तथा कूड मृत्यु दर को क्रमशः 21 तथा 9 प्रति हजार करने के दीर्घकालिक जनसंख्या के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस योजना में 220 लाख नसबन्दी आपरेशन करने, 79 लाख अन्तरगर्भाशय युक्ति निवेशन करने और छठी योजना के अन्तिम वर्ष में परम्परागत गर्भ-निरोधक इस्तेमाल करने वालों की संख्या बढ़ाकर 110 लाख करने और प्रभावकारी ढंग से सुरक्षित किए गए दम्पत्तियों की प्रतिशतता को बढ़ाकर 36 प्रतिशत करने की परिकल्पना की गई है।

हैदराबाद महानगर क्षेत्र के अन्दर रेल यातायात की सुविधायें

3965 श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी :
श्री अनन्त रामुलु मल्लु : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद महानगर क्षेत्र के अन्दर रेल यातायात सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए यातायात एवं-अभियांत्रिक सर्वेक्षण किया गया है/था ;

(ख) यदि हां, तो इसे दक्षिण-मध्य रेलवे के प्राधिकारियों द्वारा सरकार को कब भेजा गया था ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की दो लेनें बनाना

3966. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की पूरी लम्बाई में दो लेनें नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की शेष लम्बाई में दो लेने मंजूर करने पर विचार कर रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में कुल 2299 किलोमीटर लम्बी सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग हैं । इसमें से 2087 किलोमीटर मार्ग में पहले से ही दो लेनों की सड़कें हैं । छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में 48 किलोमीटर एक लेन वाली सड़क को दो लेनों में बदलने का प्रावधान किया गया है। शेष एक लेन वाली दो लेनों में बदलने का काम संसाधनों के उपलब्ध होने और सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग की प्राथमिकता पर निर्भर करेगा ।

झेलम एक्सप्रेस में पुलिस सुरक्षा

3967. श्री बी० एन० गाडगिल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झेलम एक्सप्रेस में मनमाड़ के बाद कोई पुलिस सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जाती है ; और

(ख) इस गाड़ी में यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) झेलम एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले रेल यात्रियों की सुरक्षा हेतु पुलिस की व्यवस्था करने के लिए मनमाड से पुणे और पूणे से मनमाड के बीच झेलम एक्सप्रेस में एक सशस्त्र मार्ग रक्षी दल चलता है जिसमें एक हैड कांस्टेबल तथा तीन कांस्टेबल होते हैं । मनमाड़ से भुसावल तक तथा भुसावल से मनमाड़ तक इस गाड़ी में दो सशस्त्र सिपाही मार्ग रक्षियों के रूप में चलते हैं ।

उड़ीसा में रेल लाइनें

3968. श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा अन्य राज्यों की अपेक्षा परिवहन में काफी पीछे है ;

(ख) उड़ीसा में रेल लाइनों की लम्बाई क्या है ;

(ग) इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय औसत क्या है ; और

(घ) स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था क्षेत्र की आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं तथा धन की उपलब्धता के अनुसार की जाती है ।

(ख) 31.3.81 को उड़ीसा में रेल-पथ की लम्बाई 1981 (मार्ग किलोमीटर) थी ।

(ग) प्रति हजार वर्ग किलोमीटर में अखिल भारतीय रेल मार्ग किलोमीटर औसत 18.63 किलोमीटर है ।

(घ) उड़ीसा में निम्नलिखित नयी लाइनें निर्माणाधीन हैं :—

(1) जखापुरा– बांसपानी नयी बड़ी लाइन रेल सम्पर्क परियोजना (176 कि०मी०) जिसका जखापुरा से देतारी तक का प्रथम चरण साइडिंग के रूप में पहले ही खोल दिया गया है । देतारी तथा कौंजरगढ़ के बीच दूसरे चरण के लिए अन्तिम मार्ग-निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर हैं ।

(2) कोरापुट – रायगडा नयी बड़ी लाइन रेल सम्पर्क (174.32 कि० मी०)। कोरापुट मचलिगुडा खंड (23 कि० मी०) का निर्माण प्रथम चरण में शुरू किया जा रहा है। शेष लम्बाई के लिए अन्तिम मार्ग-निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है।

इसके अलावा सम्बलपुर तथा तालचेर के बीच (157.68 कि० मी०) नयी बड़ी लाइन के निर्माण के लिए इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका है। परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। आगे की कार्रवाई परियोजना रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर की जाएगी, जिसकी जाँच तकनीकी व्यावहारिकता तथा आर्थिक समक्षता दोनों को ध्यान में रखकर की जायेगी। यदि आवश्यक हुआ तो योजना आयोग के परामर्श से नयी लाइन के निर्माण का विनिश्चिय किया जाएगा जो नयी लाइनों के लिए धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

एकलक्खी-बल्लूरघाट लाइन

3969. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तरी बंगाल में एकलक्खी तथा बलरघाट को रेल द्वारा जोड़ने की योजना बना रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) बल्लूरघाट तक रेल संचार सुविधाओं की व्यवस्था करने के विचार से चालू वित्त वर्ष के दौरान, बिना पारी के कार्य के रूप में एकलक्खी से बल्लूरघाट 190 कि० मी० तक एक नयी बड़ी लाइन के निर्माण करने हेतु एक प्रारम्भिक इंजीनियर एवं यातायात सर्वेक्षण को 22.4.1982 को स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस सर्वेक्षण पर अनुमानतः 11.72 लाख रुपए खर्च होंगे। इस समय सर्वेक्षण कार्य जोर-शोर से चल रहा है। इस परियोजना के बारे में आगे विचार सर्वेक्षण कार्य के पूरा हो जाने, सभी दृष्टिकोणों से इसकी रिपोर्टों की जाँच कर लेने तथा इस प्रयोजन के लिए धन उपलब्ध होने और इसे योजना आयोग द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात ही किया जाएगा।

आदिवासी क्षेत्रों को रेल लाइनों द्वारा जोड़ा जाना

3970. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे आदिवासी क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन्हें छठी योजना अवधि में रेल लाइनों से जोड़ा जाएगा तथा इसके लिए अनुमानतः कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) निम्नलिखित "नयी लाइन परियोजनाएं" जो निर्माणाधीन हैं और छठी योजना अवधि में जिनके

पूरी हो जाने की सम्भावना है, निम्नलिखित राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के बीच सम्पर्क कायम करेगी :—

क्रम सं.	नयी लाइन का नाम	राज्य का नाम
1.	वालिपाड़ा-भालुकपोंग	अरुणाचल प्रदेश
2.	अमगुडी-तुली	नागालैंड
3.	लालाघाट-भैरावी	मिजोरम
4.	धर्मनगर-कुमारघाट	त्रिपुरा
5.	कोरापुट-मछलीगुडा	उड़ीसा
6.	वानी-चनाका	महाराष्ट्र
7.	भद्राचलम रोड-मानगुरू	आन्ध्र प्रदेश

छठी योजना के अधीन उपर्युक्त लाइनों को पूरा करने में लगभग 100 करोड़ रु० की आवश्यकता होगी।

(ख) लाइन का एक भाग आदिवासी क्षेत्र में है। तथापि, इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी हाँ। परियोजना के पूर्णतः अलाभप्रद होने एवं निधि की अत्यन्त तंगी के कारण फिलहाल इस परियोजना को हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पूर्वी क्षेत्र में रेलवे लाइनों का बदला जाना

3971. श्री चिन्तामणि जेना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र में रेलवे लाइनों को बदलने का कार्यक्रम चल रहा है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसे कब तक पूरा किया जाएगा ;

(ख) क्या सरकार को रेलवे लाइनों को बदलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पूर्वी क्षेत्र में निम्नलिखित अनुमोदित आमान-परिवर्तन का कार्यक्रम है : —

(1) वाराबंकी-समस्तीपुर

(2) बरौनी—कटिहार

(3) वाराणसी—भटनी

(4) समस्तीपुर—दरभंगा

(5) न्यू बोंगाईगाँव—गुवाहाटी

(6) कटिहार—सिलीगुड़ी—न्यू जलपाइगुड़ी

(7) गुवाहाटी—डिब्रूगढ़।

बाराबंकी—समस्तीपुर आमान परिवर्तन परियोजना अब पूरी हो गयी है। अन्य परियोजनाओं में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ख) निम्नलिखित आमान परिवर्तन परियोजनाओं के लिए समय-समय पर प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :—

1. वाराणसी—छपरा
2. मुजफ्फरपुर—रक्सौल
3. ओंडिहार—जौनपुर
4. फाफाना—इन्डास
5. समौली—वहगा—वाल्मीकी नगर
6. वाराणसी—इलाहाबाद
7. दरभंगा—जयनगर
8. मऊ—शाहगंज
9. गोरखपुर—छितौनी/बाल्मीकनगर
10. लखनऊ—कानपुर तथा कानपुर—अनवरगंज
11. लखनऊ—मल्हौर
12. कटिहार—जोगबनी

13. दरभंगा—निर्मली

14. सहरसा—जोगबनी

15. बेतियाहार—मुजफ्फपुर, नाटेहारी के रास्ते ।

16. बदनाह—बीरपुर

17. आरा—सासाराम

18. रांची—लोहारडगा ।

(ग) मूलतः आमान परिवर्तन के प्रस्तावों पर ही निम्नलिखित स्थितियों में विचार किया जाता है :

1. जब यह पता लगता है कि भविष्य में विकसित होने वाले यातायात को मौजूदा पद्धति पर सम्हाला नहीं जा सकता ।

2. जब यानान्तरण का स्वरूप ऐसा हो कि यह अलाभकारी हो अथवा प्रत्याशित यातायात की मात्रा को सम्हालना बिल्कुल ही व्यावहारिक न हो ।

3. जब विकास की संभावना वाले क्षेत्रों के लिए संचार के दूत और सीधे साधन मुहैया करने की आवश्यकता हो ।

4. रेलों के पास पहले ही बहुत सारी आमान-परिवर्तन की परियोजनाएं हैं । लेकिन विभिन्न रेल परियोजनाओं के लिए धन की स्थिति संतोषजनक नहीं रही है, क्योंकि उपलब्ध धन राशि चालू परियोजनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है । अतः इस समय उन परियोजनाओं पर ध्यान केन्द्रित हैं जिसमें पर्याप्त प्रगति हो चुकी है ताकि इन्हें जल्दी पूरा किया जा सके और उन पर किए पूंजी निवेश पर प्रतिफल मिलना शुरू हो जाए ।

परादीप बन्दरगाह में लोह अयस्क हैंडलिंग सिस्टम में परिवर्तन

3972. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परादीप बन्दरगाह में लौह अयस्क हैंडलिंग सिस्टम में परिवर्तन करने का काम पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह चालू होने के लिए कब तक तैयार हो जाएगा ; और

(ग) उस पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी है ?

नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री सी०एम० स्टीफन) : (क) परादीप पोर्ट में कच्ची धातु को रखने उठाने के संयंत्र में संशोधन के काम को 31 दिसम्बर, 1982 तक पूरा करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

(ख) मार्च, 1983 तक।

(ग) 30 सितम्बर, 1982 तक कुल 9,12,69,000,00 रुपये खर्च हुए।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

3973. **श्री चिंतामणि जैना** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय छात्रवृति योजना कब आरम्भ की गई थी और विभिन्न श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए प्रति छात्रवृत्ति की राशि कितनी रखी गई थी ;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980, 1981 और 1982 के दौरान कितने विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा ;

(ग) क्या प्रति छात्रवृत्ति की राशि को पुनरीक्षित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना 1961-62 में शुरू की गई थी और विभिन्न पाठ्यक्रमों की छात्रवृत्ति दरें प्रारम्भ में इस प्रकार निर्धारित की गई थी :

	दिवा अध्येता (रु० प्र०माह०)	आवासी अध्येता रु० (प्र०माह)
1. आई०ए०/आई०एस०सी०/पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम और 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष जहाँ इस प्रकार के पाठ्यक्रम विद्यमान हैं।	50/-	60/-
2. बी०ए०/बी०एस०सी०/और 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम का द्वितीय और तृतीय वर्ष का अध्ययन जहाँ इस प्रकार के पाठ्यक्रम विद्यमान हैं।	75/-	85/-

3. एम०ए०/एम०एस०सी०	100/-	110/-
4. व्यावसायिक पाठ्यक्रम (प्रथम डिग्री)	100/-	110/-

(ख) योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980, 1981 और 1982 के दौरान क्रमशः 23,000, 24,000 और 25,000 नई छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थीं।

(ग) और (घ) छात्रवृत्तियों की दरें अभी हाल ही में संशोधित की गई हैं। जुलाई, 1981 से प्रभावी नई दरें इस प्रकार हैं :

	दिवा अध्येता	छात्रावास में रहने वाले
	रु० (प्रतिमाह)	रु० (प्रतिमाह)
1. पूर्व-विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम और आई०ए०/आई०एस०सी०/ 3 वर्षीय बी०ए०/बी०एस०सी० बी० काम आदि पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष।	60/-	100/-
2. बी०ए०/बी०एस०सी०/बी० काम आदि (पाठ्यक्रमों का द्विवसीय और तृतीय वर्ष)।	90/-	140/-
3. बी०ई०/बी० टेक/एम०बी०बी० एस०/एल०एल०बी०/बी०एड० व्यावसायिक और इंजीनियरी अध्ययनों आदि में डिप्लोमा।	120/-	170/-
4. एम.ए./एम.एस.सी./एम. काम/एल. एल.एम./एम.एड. आदि।	120/-	170/-

कटिहार में माल चढ़ाने और उतारने के ठेकों को अनियमित रूप से दिए जाने का आरोप

3974. **श्री नारायण चौबे :**

श्री सूर्य नारायण सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मुख्यालय के कार्यालय के वाणिज्यिक तथा लेखा विभाग के कुछ अधिकारी कटिहार में माल चढ़ाने उतारने (छोटी लाइन तथा बड़ी लाइन) के ठेकों का दिए जाने में अनियमितता बरतने तथा भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए ; और

(ख) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) 6 अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले ही दण्डित किया जा चुका है और शेष दो अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है । अतएव, कार्रवाई करने में विलम्ब होने का प्रश्न नहीं उठता ।

क्षय रोग से पीड़ित कपड़ा मजदूर और इसके कारणों का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण

3975. श्री नवीन रवाणी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामान्यतः कपड़ा मजदूरों में क्षय रोग के मामले आम जनता की तुलना में ज्यादा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बीमारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तथा (ख) देश में कपड़ा मिल मजदूरों में क्षय रोग के प्रकोप का कोई नमूना सर्वेक्षण नहीं किया गया है । इसलिए इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि उनमें क्षय रोग की घटनायें आम लोगों में होने वाली घटनाओं से अधिक होती हैं । उन्हें अन्य लोगों की तरह सरकार के राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षय रोग के इलाज की सेवाएं मिलती हैं ।

ईस्टर्न रेलवे वर्कस यूनियन की दानापुर शाखा से प्रस्ताव

3976. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईस्टर्न रेलवे वर्कस यूनियन की दानापुर शाखा ने जुलाई-अगस्त 1982 में उन्हें कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 30 जुलाई, 1982 को हुई गेट मीटिंग में ईस्टर्न रेलवे वर्कर्स यूनियन की दानापुर शाखा द्वारा पारित संकल्पों की एक प्रति प्राप्त हुई है। संकल्पों में लिपिकों के पद भरने, मानदण्ड के आधार पर अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने' दानापुर की रेलवे कैंटीन में टाइलें लगाने, दानापुर में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने, रेलवे कालोनियों में सेवाओं के अनुरक्षण में सुधार करने आदि से सम्बन्धित स्थानीय मामलों का उल्लेख है।

सरकार की नीति के अनुसार किसी भी वर्कर्स से प्राप्त आभ्यावेदनों पर यथोचित विचार किया जाता है और गुण-दोष के आधार पर उन पर यथावश्यक कार्रवाई की जाती है। ईस्टर्न रेलवे वर्कर्स यूनियन की दानापुर शाखा से प्राप्त संकल्पों पर भी इस नीति के अनुसार कार्रवाई की गयी है।

राजकोट/भावनगर डिवीजन में चतुर्थ श्रेणी के आरक्षित रिक्त पदों को अनुसूचित जनजाति के लोगों से भरना

3977. श्री भीखाभाई : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के राजकोट/भावनगर डिवीजन और भावनगर वर्कशाप में अनुसूचित जनजाति के लोगों से भरे जाने वाले चतुर्थ श्रेणी के काफी आरक्षित पद बहुत समय से रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो हर वर्ष द्रुत कार्यक्रमों के चलाने के बावजूद इन पदों को न भरने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या पिछले बकाया रिक्त स्थानों में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं। राजकोट मंडल और भावनगर कारखाने में चौथी श्रेणी की सेवाओं में अनुसूचित जन जाति की कमी 1.4.81 से 31.12.81 तक प्रारम्भ किये गये त्वरित कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप पर्याप्त मात्रा में कम हो गयी है।

(ख) और (ग) भावनगर मंडल में त्वरित कार्यक्रम के दौरान और उसके बाद चौथी श्रेणी में भरती के लिए पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हुए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एसोसिएशन और संसद सदस्यों तथा विधायकों की सहायता से दूसरी जगहों से अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को लेने के लिए विशेष प्रयास किये गये हैं। अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का पैनल बनाने के लिए जांच की जा रही है।

पश्चिमी रेलवे में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पद

3978. श्री भीखा भाई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे ने विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की पिछली कमी को दूर करने के लिए प्रयास किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे बोर्ड द्वारा प्रयास करने पर विचार किया जा रहा है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां। पश्चिम रेलवे पर उत्तरोत्तर त्वरित कार्यक्रमों के द्वारा भरती तथा पदोन्नति कोटियों में अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों की कमी दूर करने के लिए सभी सम्भव प्रयास किये गये हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आरक्षण की व्यवस्था किसी विशिष्ट समय में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर की जाती है न कि संकाय में पदों की संख्या के आधार पर। इसके अलावा, सामान्यतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों से उपलब्ध रिक्तियों में 50 प्रतिशत से अधिक रिक्तियां नहीं भरी जा सकती हैं। इसी दायरे के अन्तर्गत प्रयास किए जाते हैं। इसलिए समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

पोलियो से पीड़ित बच्चों का राज्यवार सर्वेक्षण

3979. श्री एन०ई० होरो : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पोलियो से पीड़ित बच्चों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस रोग को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) हां।

एक विवरण संलग्न है ।

(ग) पोलियो वैक्सीन राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों को विस्तारित रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सप्लाई की जाती है। यह वैक्सीन रोग प्रतिरक्षण केन्द्रों में उपलब्ध है और इसके भण्डारण की पर्याप्त सुविधाएं हैं। साथ ही देश के चुनींदा ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में अभियान भी चलाए जाते हैं।

विवरण

नमूना सर्वेक्षणों (1981) पर आधारित 0-4 वर्षों के प्रति हजार बच्चों में पोलियो की अनुमानित दर

	शहरी	ग्रामीण
1. आन्ध्र प्रदेश	1.0 — 1.8	1.2 — 2.1
2. गुजरात	1.7 — 2.7	1.9 — 3.0
3. हरियाणा	1.1 — 2.3	2.3 — 3.9
4. कर्नाटक	0.9 — 1.5	0.9 — 1.6
5. मध्य प्रदेश	1.2 — 2.1	1.3 — 2.5
6. उड़ीसा	0.4 — 1.0	0.4 — 1.1
7. पंजाब	1.1 — 2.3	2.3 — 3.9
8. राजस्थान	1.9 — 3.1	2.0 — 4.2
9. तमिलनाडु	1.6 — 2.6	1.4 — 2.5
10. उत्तर प्रदेश	1.0 — 2.2	1.6 — 2.9
11. पश्चिम बंगाल	0.6 — 1.4	0.5 — 1.1
12. चण्डीगढ़	1.1 — 2.3	2.3 — 3.9
13. दिल्ली	1.1 — 2.1	—
14. गोवा दमन व दीव	0.9 — 1.5	0.9 — 1.6
15. पांडिचेरी	1.6 — 2.6	1.4 — 2.5
भारत	1.5 — 1.7	1.5 — 1.9

एशियाई खेलों को देखते हुए राजधानी में अतिरिक्त चिकित्सा सुविधायें

3980. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई खेलों को देखते हुए राजधानी में अतिरिक्त चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो एशियाई खेलों के आगन्तुकों, खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए क्या चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) इस संबन्ध में की जाने वाली प्रस्ताविक व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बो० शंकरानन्द) : (क) से(ग) एशियाई खेलों के खिलाड़ियों, अधिकारियों और अन्यों को स्टेडियमों, प्रशिक्षण स्थलों और रिहायशी स्थानों में चिकित्सा सुविधाए प्रदान करने के लिए उचित प्रबन्ध किए गए हैं । एशियाई खेल गाँव में उपकरणों से लैस और विशिष्ट सेवाओं वाला एक अस्पताल खोल दिया गया है । अन्य अस्पतालों में भी उपयुक्त प्रबन्ध कर दिए हैं । एम्बुलेंस सेवाओं के लिए विशेष प्रबन्ध किए गए हैं ।

हावड़ा और पुरी के बीच वापसी यात्रा आरक्षण

3981. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उडीसा सरकार ने उनके मंत्रालय से अनुरोध किया था कि हावड़ा और पुरी और दिल्ली और पुरीके बीच चलने वाली एक्सप्रेस और मेल रेलगाड़ियों में जो पुरी की ओर चलती है, बेहतर वापसी यात्रा आरक्षण की सुविधा उपलब्ध की जाये ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सवारी डिब्बों में उपलब्ध वापसी यात्रा आरक्षण की सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

भुवनेश्वर, कटक और पुरी स्टेशनों पर निम्नलिखित विभिन्न गाड़ियों में वापसी यात्रा कोटों की व्यवस्था की हुई है : —

गाड़ियों का विवरण	स्टेशनों के नाम	आवंटित कोटे		
		पहला दर्जा	वातानुकूल 2 – टियर	दूसरा दर्जा
7 अप हावड़ा-पुरी	भुवनेश्वर	4	—	18 शायिकांए
एक्सप्रेस	कटक	4	—	10 ,, ,,
	पुरी	—	—	18 ,, ,,
9 अप हावड़ा-पुरी	भुवनेश्वर	4	—	10 ,, ,,
श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस	कटक	4	—	10 ,, ,,
	पुरी	—	—	10 ,, ,,
176 अप नयी दिल्ली-	भुवनेश्वर	—	2	4 ,, ,,
पुरी नीलाचल एक्सप्रेस	कटक	—	—	4 ,, ,,
	पुरी	—	—	4 ,, ,,

झिंझक स्टेशन से बसों को चलाने की अनुमति

3582. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले बसें झिंझक स्टेशन से चला करती थी परन्तु अब रेलवे विभाग उक्त स्टेशन से बसों को चलाने की अनुमती नही देता है ;

(ख) क्या रेलवे विभाग यात्रियों की सुविधा हेतु झिंझक स्टेशन से बसों को चलाने की अनुमति शीघ्र देगा ; और

(ग) यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) कुछ वर्ष पहले तक बसें परिचलन-क्षेत्र में रेलवे स्टेशन की इमारत के बिल्कुल सामने खड़ी हुआ करती थीं जिससे रेल यात्रियों को तकलीफ व असुविधा होती थी। इसलिए बसों को रेलवे

के परिचलन क्षेत्र के भीतर खड़ा करने की अनुमति नहीं दी गयी। अब बसों को स्टेशन की इमारत से लगभग 100 मीटर दूर खड़ा किया जाता है और यात्री बिना किसी कठिनाई के बसों का उपयोग सुविधापूर्वक कर सकते हैं।

रेलवे बोगियों के प्रयोग के लिए अवधि

3983. श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोगियों के प्रयोग के लिए कोई अवधि निर्धारित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो ब्रॉड गेज और मीटर गेज के बोगियों के लिए अवधि क्या है ; और

(ग) इस समय दक्षिण रेलवे में ऐसी कितनी बोगियां प्रयोग में है जो पुरानी हो गई हैं ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) भारतीय रेलों पर सवारी-डिब्बों का सेवा-काल 25 से 40 वर्ष निर्धारित किया गया है, जो उनके अभिकल्प की विशेषताओं और उपयोग के आधार पर इस प्रकार है : –

	वर्ष
(1) इस्पाती खोल वाले सवारी डिब्बे	25
(2) आई आर एस सवारी डिब्बे	30
(3) हल्के उपयोग की कोटियां	40

(ग) दक्षिण रेलवे पर 31-3-82 को गतायु कोचिंग स्टाक की स्थिति इस प्रकार थी :-

	सं० कोचिंग वाहन	सवारी इतर वाहन	जोड़
ब० ला०	37	84	121
मी० ला०	193	50	243

स्कूलों में सामाजिक तथा उत्पादक रूप से उपयोगी कार्य में प्रशिक्षण दिया जाना

3984. श्री भीकू राम जैन : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के शिक्षा दिभाग के ऐसे कितने स्कूल चल रहे हैं जहां सामाजिक तथा उत्पादक रूप से उपयोगी कार्य के नाम पर विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ;

(ख) क्या इन कार्यों की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे प्रशिक्षित अध्यापक, पर्याप्त सामग्री तथा संसाधन, स्थान और पर्याप्त समय की ओर अपेक्षित ध्यान दिया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के थुंगन) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, ऐसे 636 राजकीय और 101 सरकारी सहायता प्राप्त सीनियर माध्यमिक और माध्यमिक स्कूल हैं, जहां सामाजिक रूप से उपयोगी और उत्पादक कार्य की योजना के अन्तर्गत ऐसा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) उपरोक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञान मेला

3985. श्री भीकू राम जैन : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित विज्ञान मेले में शिक्षा प्राधिकारियों की ओर से यह घोषणा की गई थी कि चालू वर्ष की उत्पादकता वर्ष के रूप में मनाया जा सकता है ; और

(ख) शिक्षा विभाग की उत्पादकता प्रधान योजनाओं का ब्यौरा क्या है और चालू शैक्षिक वर्ष में उन योजनाओं पर कितना व्यय हुआ और इस काम के लिए नियमित आधार पर कितने अध्यापकों को रखा गया ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, यह वर्ष चूंकि उत्पादकता वर्ष है, अतः विज्ञान मेले के लिए तैयार किए जा रहे और प्रदर्शित किए जा रहे प्रदर्श राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद द्वारा दी गई विषयवस्तु अर्थात् उत्पादक विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं/थे ताकि छात्रों को उत्पादकता की ओर उन्मुख किया जा सके। तथापि, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन द्वारा उत्पादकता-उन्मुख कोई विशिष्ट योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। अतः इन योजनाओं पर किए गए खर्च और इस कार्य में लगाए गए नियमित शिक्षकों की संख्या का प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य अपमिश्रण निवारक विभाग, दिल्ली में रिक्त पद

3986. श्री हीरा लाल आर० परमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य अपमिश्रण निवारक विभाग, दिल्ली में इंसपैक्टरों और अन्य अधिकारियों के कितने पद रिक्त पड़े हैं और उनके भरने का मापदंड क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठायें गए हैं ;

(ख) खाद्य नमूनों की जांच करने के लिए दिल्ली की प्रयोगशाला को कब तक पुनः आरम्भ किया जाएगा ;

(ग) क्या औषध नियंत्रण तथा आयुक्त खाद्य तथा आपूर्ति विभाग, के समान इसमें भी जनता की शिकायतों को दर्ज करने के लिए कोई नियंत्रण कक्ष है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या दिल्ली से लिए गए खाद्य नमूनों को केवल चंडीगढ़ प्रयोगशाला में भेजा जाता है अथवा किसी अन्य राज्य में भी भेजा जाता है तथा इसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग, दिल्ली में खाद्य निरीक्षकों के 29 पद और 45 अन्य पद रिक्त पड़े हुए हैं। इन पदों को संघ लोक सेवा आयोग या दिल्ली प्रशासन द्वारा भरती नियमों के अनुसार भरा जाता है।

(ख) जैसे ही जन विशलेषक, जिसका चयन हो चुका है अपना कार्यभार ग्रहण करेगा दिल्ली की खाद्य प्रयोगशाला में कार्य आरम्भ हो जाएगा।

(ग) शिकायतों को दर्ज करने के लिए कोई विशेष नियंत्रण कक्ष नहीं है, लेकिन कार्यालय में प्राप्त सभी लिखित व मौखिक शिकायतों को पंजीकृत किया जाता है।

(घ) दिल्ली से लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों को चंडीगढ़ में स्थित हरियाणा और पंजाब के जनविश्लेषक की प्रयोगशाला में भेजा जाता है।

मन्डल सुरक्षा अधिकारी, पूर्व रेलवे, धनबाद द्वारा दंड के आदेश

3987. श्री ए०के० राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंडल सुरक्षा अधिकारी, पूर्व रेलवे, धनबाद ने बहुत बड़ी संख्या में स्टेशन मास्टरों, असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों, गार्डों आदि पर विभिन्न प्रकार के दंड लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो जनवरी से अगस्त, 1982 के दौरान धनवाद डिवीजन के परिचालक विभाग से सम्बन्धित स्टाफ की विभिन्न श्रेणियों पर मंडल सुरक्षा अधिकारी और सहायक स्थानापन्न अधीक्षक (जी) पूर्व रेलवे धनबाद द्वारा लगाए गए दंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड के परिपत्र संख्या ई० (डी० एण्ड ए०) 72 आर० जी० 6-- 13 दिनांक 16 अक्तूबर, 1973 का कोई उल्लंघन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) रेल कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के अनुसार अनुशासनिक प्राधिकारियों के रूप में मंडल संरक्षा अधिकारी और सहायक परिचालन अधीक्षक (सा०) धनबाद द्वारा जनवरी से अगस्त, 1982 तक की अवधि के दौरान दिये गये दण्ड का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

दंड की किस्म	मंडल संरक्षा अधिकारी, धनबाद द्वारा दिया गया दण्ड	सहायक परिचालन अधीक्षक (सा०) धनबाद द्वारा दिया गया दण्ड
1. सेवा से हटाना	1	कोई नहीं
2. निचले पद पर पदावनति	1	कोई नहीं
3. वेतन वृद्धि रोकना	58	45
4. सुविधा पास/पी. टी. ओ. बन्द करना	62	67
5. निंदित करना	30	9

(ग) जी नहीं :

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अन्दमान में स्कूल भवन के लिए अनुदान

3988. श्री डी०एस०ए० शिवप्रकाशम : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान के शिक्षा विभाग ने तमिल भाषी लोगों को उनके लिए स्कूल बनाने हेतु एक खुला मैदान देने का वादा किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने अभी तक मैदान नहीं दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मुगलसराय में डा० अम्बेदकर की प्रतिमा का कथित रूप से हटाया जाना

3989. श्री निहाल सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यू सैन्ट कालोनी रेलवे मुगलसराय (बिजली घर में) स्थापित डा० भीमराव अम्बेदकर की प्रतिमा रेलवे विभाग द्वारा पुलिस की सहायता से हटाई जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) देश में रेलवे के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत रेलवे यार्डों अथवा अन्य रेलवे कालोनियों में कितनी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं और कितने पूजास्थल (मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा) बने हुए हैं ; और

(घ) क्या उन्हें हटाने के लिए कोई कार्यवाही की जाएगी ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ख) 24.4.81 को अनुमति प्राप्त किए बिना या सम्बन्धित भूमि के लिए लाइसेंस लिए बिना स्वर्गीय डा० भीमराव अम्बेदकर की एक प्रतिमा संस्थापित की गयी । एक रेल कर्मचारी, जो अपने आप को तथाकथित अखिल भारतीय अनु०जा०/अनु०ज०जा० एसोसियेशन का अध्यक्ष बताता है, ने इस प्रतिमा के साथ-साथ एक छोटा सा अस्थाई ढांचा भी खड़ा कर लिया । कब्जा की गयी भूमि का कुल क्षेत्रफल लगभग 2 एकड़ है । चूंकि उपरोक्त भूमि पर कब्जा अधिकृत रूप से किया गया है और उक्त भूमि के प्लाट की इसके समीप स्थित रेलवे के बिजली सब-स्टेशन और मण्डल कारखाने के विकास और विस्तार के लिए आवश्यकता है, इसलिए प्रतिमा को किसी अन्य स्थान पर स्थापित करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने का विचार है ।

(ग) और (घ) देश के रेल परिसरों में स्थापित की गई प्रतिमाओं और निर्मित पूजा गृहों की संख्या क्रमशः ···14···और 2703 है ।

रेलवे भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने के सभी मामलों में सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत बेदखली के लिए कार्रवाई की

जाती है जिसमें वे मामले भी शामिल हैं जहाँ प्रतिमाओं और पूजागृहों की स्थापना के लिए भूमि पर कब्जा किया जाता है।

बालामाऊ और सीतापुर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों में भारी भीड़भाड़

3990. **श्री राम लाल राही :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी संसद सदस्य ने वाई. एस. एस. बी. उत्तर रेलवे शाखा लाइन में बालामाऊ और सीतापुर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों में भारी भीड़भाड़ और रेलवे कार्मिकों को होने वाली असुविधा के बारे में 2 दिसम्बर, 1981 को मंत्री को पत्र लिखा था ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) उत्तर रेलवे के बालामऊ-सीतापुर खंड पर कोचिंग स्टाक की कमी के कारण दो जोड़ी पैसेन्जर गाड़ियों में कुछ भीड़-भाड़ रहती है। इस समय संसाधनों की कमी के कारण मांग की पूरी तरह पूर्ति करना सम्भव नहीं है।

आरा-सहसराम लाइन को बदला जाना

3991. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आरा-सहसराम लाइन रेलवे लाइन को ब्राड गेज में बदलने के लिए सर्वेक्षण का कार्य इस बीच पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ब्राड गेज लाइन का निर्माण सरकार द्वारा कब तक आरंभ किए जाने के प्रस्ताव हैं ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, लेकिन परियोजना रिपोर्ट को पूर्व रेलवे अन्तिम रूप दे रही है।

(ख) इस मंत्रालय में सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात इस बारे में जांच की जाएगी।

मानसिक रोग अस्पताल, शाहदरा में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

3992. **श्री राम विलास पासवान :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मानसिक रोग अस्पताल शाहदरा में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में सरकार को एक संसद सदस्य का 23 अगस्त, 1982 को पत्र मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो दोषी पाए गए व्यक्ति के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) हां ।

(ख) इस मामले को दिल्ली प्रशासन के साथ उठाया गया है जो शिकायतों की जांच कर रहा है तथा इस प्रयोजन के लिए उसने कथित अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए संस्थानों के खातों की लेखा-परीक्षा करने के लिए एक विशेष लेखा-परीक्षा दल नियुक्त किया है ।

अधिक लिए गए किराए को वापस करने का मानदण्ड

3993. श्री जय नारायण रोत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्रियों से अधिक किराया वसूल करने और रेलवे द्वारा यात्रियों से गलती से अधिक किराया लेने की स्थिति में उसे वापस करने का क्या मानदंड है ;

(ख) क्या यह सच है कि अधिक किराए वाले टिकट यात्रा के अन्तिम स्टेशन के काउन्टर पर देने होते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो यदि किराया वापस लेने का यात्रियों का दावा रेलवे द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो रेलवे द्वारा यात्रियों से रेलवे द्वारा जारी किए गए अधिक किराये के मूल टिकट वापस मांगने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) अधिप्रभार टिकट में बिना टिकट या अनुपयुक्त टिकटों पर यात्रा करते पाये जाने वाले यात्रियों को जारी किए जाते हैं । अधिप्रभार टिकट आपातिक मामलों में मुद्रित कार्ड टिकट या ब्लैंक पेपर टिकट के बदले भी जारी किए जाते हैं । नियमों में व्यवस्था है कि सम्बन्धित यात्रियों को अपनी यात्रा पूरी कर लेने पर अधिप्रभार टिकट गन्तव्य स्टेशन पर जमा कराने चाहिए । धन वापसी का दावा करने के लिए, पार्टी को आवेदन पत्र के साथ या तो मूल अधिप्रभार टिकट या इस सम्बन्ध में एक प्रमाण पत्र की अधिप्रभार टिकट को गन्तव्य स्टेशन पर टिकट कलेक्टर के पास जमा करा दिया है, भेजना होता है यह प्रक्रिया सत्यापन के प्रयोजन के लिए है ।

वरिष्ठ व्यायाम शिक्षक

3994. श्री हीरालाल आर० परमार : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन के चयन बोर्ड द्वारा नवम्बर 1981 में कुछ उम्मीदवारों का वरिष्ठ व्यायाम शिक्षक के रूप में नियुक्ति करने के लिए साक्षात्कार और चयन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उनमें से अब तक कितनों की नियुक्ति कर दी गई है ; और

(ग) शेष उम्मीदवारों की नियुक्ति पर कब तक विचार किया जायेगा और विलम्ब के कारण क्या हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, 16 पुरुष तथा 9 महिला उम्मीदवारों को अभी तक नियुक्त किया जा चुका है ।

(ग) नामिका के शेष उम्मीदवारों के नामों पर रिक्तियों की स्थिति का पता लगने पर विचार किया जाएगा ।

उदयपुर से अहमदाबाद तक हिम्मतनगर से होकर माल-भाड़ा

3995. श्री जय नारायण रौत : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उदयपुर से हिम्मतनगर होकर अहमदाबाद तक जाने वाली रेल लाइन चालू हो गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह रेल लाइन कब से शुरू हुई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यात्रियों से वही माल भाड़ा और किराया लिया जाता है जो इस लाइन के शुरू होने से पहले लिया जाता था ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके विशिष्ट कारण क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ ।

(ख) अहमदाबाद-हिम्मतनगर मीटर आमान खंड पूरा हो गया था और 1897 में खोल दिया गया था । हिम्मतनगर-उदयपुर मीटर आमान लाइन 1965 में खोली गयी थी ।

(ग) और (घ) इस खंड पर इसे यातायात के लिए खोलने की तारीख से माल भाड़ा और किराया वास्तविक दूरी पर प्रमाणित किया जाता है जिसमें 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है क्योंकि यह लाइन सामान्य दरों और किरायों के आधार पर लाभकारी नहीं पायी गयी है ।

आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण

3996 डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध नियंत्रक (भारत) ने राज्य प्राधिकारियों को आयुर्वेदिक दवाइयों "जिनमें" आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों तथा सामग्री" प्रमुख रूप से विद्यमान रहती हैं के निर्माण की अनुमति देने के लिए अनुदेश जारी किए हैं ;

(ख) क्या महाराष्ट्र के खाद्य तथा औषध प्रशासन ने" मिश्रण औषधि" "तथा आयुर्वेदिक इन्जेक्शनों" के संबंध में सरकार की नीति पर स्पष्टीकरण के लिए कहा है; और

(ग) देश में कई निर्माताओं द्वारा प्रस्तावित मिश्र औषधि के निर्माण तथा आयुर्वेदिक इन्जेक्शनों को आरम्भ करने के लिए निर्माताओं को अनुमति देने के लिए सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) औषध नियंत्रक (भारत) ने आधुनिक औषधियों के साथ आयुर्वेदिक, यूनानी औषधियों के निर्धारित खुराक वाले योगों के बारे में प्रतिबन्ध लगाने की हिदायतें जारी की हैं। हाल ही में संसद द्वारा पारित औषध और प्रसाधन सामग्री संशोधन विधेयक 1982 में आयुर्वेदिक सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब चिकित्सा पद्धतियों के संबंध में "पेटेंट अथवा प्रोप्राइटी दवाई" की परिभाषा में आयुर्वेदिक इन्जेक्शन शामिल नहीं किए गए हैं।

योजना आयोग के सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय ढांचे की आलोचना

3997. श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योजना आयोग के एक सदस्य द्वारा दिए गए हाल के एक वक्तव्य को देखा है जिसमें उन्होंने देश के विश्वविद्यालयों के नौकरशाही ढांचे की आलोचना की है और विश्वविद्यालय प्रबन्ध का विकेन्द्रीकरण करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की टिप्पणियां आमत्रित करने का है ; और

(ग) क्या इन सुझावों पर विचार करने के लिए शिक्षाविदों की एक समिति गठित की जाएगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० युंगन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों में विद्यमान नौकरशाही और केन्द्रीयकृत ढांचों में आमूल परिवर्तन करने और लचीली और गतिशील प्रणाली का सृजन करने तथा नये प्रयासों व सुधार को बढ़ावा देने का सुझाव स्वयं देता रहा है। शैक्षिक व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय को, जहां आवश्यक हो, सम्बन्धित राज्य सरकारों की सहायता से, ऐसी व्यवस्था करनी होगी। इस मामले पर विचार करने हेतु समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पाकिस्तानी जेलों में केरलवासी

3998. श्री के०ए० राजन :

श्री वी०एस० विजयराघवन : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 19 सितम्बर, 1982 के एक मलयालम दैनिक, "मातृभूमि" कोचीन संस्करण के इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि 34 केरलवासी अभी भी पाकिस्तानी जेलों में हैं;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तानी जेलों में केरल के लोगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें रिहा कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान की जेलों में कैद केरल के लोगों की संख्या बताना संभव नहीं है क्योंकि हमें पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा सत्यापित और पूर्ण सूची नहीं मिली है।

(ग) सरकार पाकिस्तान में नजरबन्द अथवा बन्दी बनाए गए भारतीय राष्ट्रिकों की रिहाई और देश प्रत्यावर्तन के लिए पाकिस्तान सरकार के साथ सम्पर्क बनाये हुई है।

दिल्ली विश्वविद्यालय मुद्रणालय

3999. श्री आर०एन० राकेश : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी फरवरी 1982 में विश्वविद्यालय-संघ करार की शर्तों का उल्लंघन करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय मुद्रणालय का कार्य बाहरी-वाणिज्यिक एजेंसियों को दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, कुछ कार्य, जिनके लिए विश्वविद्यालय प्रेस में मशीनरी और उपस्कर नहीं थे, बाहर की एजेंसियों को दिया जा रहा था। हड़ताल की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय प्रेस ने कुछ कार्य, जो बहुत जरूरी था, बाहर की एजेंसियों के जरिए कराया था। विश्वविद्यालय के अनुसार यह सही नहीं है कि इस मामले में संघ के साथ करार की किसी शर्त का उल्लंघन हुआ है।

उत्तर रेलवे के कर्मचारियों की बकाया देय राशि

4000. श्री सूरज भान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की देय राशि अनेक वर्षों से बकाया पड़ी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उत्तर रेलवे के इलाहाबाद मण्डल में पावने की राशि के भुगतान के लिए केवल 15 मामले एक साल से अधिक के और 22 मामले 2 साल से अधिक के लम्बित हैं।

(ख) कुल 37 मामलों में से 13 मामले दावेदारों द्वारा कानूनी कागजात प्रस्तुत न किये जाने के कारण बकाया पड़े हैं और 4 मामले अदालती कार्रवाई के कारण लम्बित हैं, तथा 20 मामले सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा कोई दावा नहीं प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण लम्बित पड़े हैं।

डेनमार्क में हिन्दुओं द्वारा मृतक सम्बन्धियों के शवों को जलाने पर प्रतिबन्ध

4001. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय मूल के डेनमार्क के नागरिकों द्वारा जो हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं, डेनमार्क के उनके संबंधियों के शवों को जलाने की अनुमति नहीं है ;

(ख) क्या हाल ही में भारतीय मूल के डेनमार्क नागरिकों के प्रतिनिधिमंडल ने शवों को को जलाने के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए डेनमार्क सरकार को राजी कराने हेतु विदेश मन्त्री से भेंट की थी ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में डेनमार्क सरकार को लिखा था और उनका उत्तर क्या था ?

Please read page NO. 145, 146, 147, 148 after from pages from 144.

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. ए. रहीम) : (क) डेनमार्क में पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता है और हिन्दू, चाहे वे भारतीय हों या डनमार्क-निवासी, विद्युत शवदाह-गृहों में मृतकों को जला सकते हैं। लेकिन उन्हें अन्तिम संस्कार के लिए कुछ दिनों की प्रतीक्षा करनी होती है क्योंकि वहां डेनमार्क के अन्य समुदायों के मृतकों के शवों का भी बड़ी संख्या में दाह-संस्कार किया जाता है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

दिल्ली मेन स्टेशन की स्टाफ कैन्टीन की बिक्री से प्राप्त राशि

4002. श्री आर०पी० यादव : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन की स्टाफ कैंटीन की वर्ष 1979-80 में हुई कुल बिक्री में वर्ष 1978-79 की तुलना में 24753-55 रुपए की कमी हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1979-80 में इस कैन्टीन को दी गई कुल आर्थिक सहायता वर्ष 1978-79 की अपेक्षा 28453.75 रुपए अधिक थी ;

(ख) रेलवे प्रशासन द्वारा इस प्रकार राजस्व की हानि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या वही अवैतनिक सचिव और प्रबन्ध समिति अभी तक चल रही है जबकि उसका कार्यकाल समाप्त हो गया है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) आर्थिक सहायता में वृद्धि अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती तथा सम्बन्धित कर्मचारियों की समय समय पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के कारण थी।

(घ) जी हां।

निधि के दुर्विनियोग के लिए निलम्बित किए गए दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारी

4003. श्री हरीश कुमार गंगवार : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम मुख्यालय के सहायक खजांची तथा अन्य दो कर्मचारियों को 23,000 रुपए के दुर्विनियोग के लिए निलम्बित कर दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां। तीन व्यक्तियों को अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही दिखाने और कर्तव्य का पालन नहीं करने के लिए निलम्बित कर दिया गया है जिसमें इसी डिपो का सहायक कैशियर भी शामिल है।

(ख) प्रारम्भिक जाँच पड़ताल से पता चला है कि जो सहायक कैशियर 26/27 सितम्बर 1982 की रात को ड्यूटी पर था वह कुछ देर के लिए कैश रूम से बाहर चला गया था और इस चोरी का पता उसके आने के बाद चला। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है और विस्तार-पूर्वक विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

(ग) इस मामले की विभागीय जाँच सहायक महाप्रबन्धक (सतर्कता) शुरू कर दी गई है। जिन यूनिटों में रात में भी रोकड अनुभाग काम करता है वहां सुरक्षा के प्रबन्ध को और कड़ा कर दिया गया है।

आटोरिक्शाओं/मेटाडोर के आवंटन हेतु उम्मीदवारों का चयन

4004. **श्री हीरा लाल आर० परमार** :क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निदेशालय द्वारा आटोरिक्शाओं/ मेटाडोरों के आवंटन हेतु चुने गये उन हरिजन उम्मीदवारों की संख्या कितनी है जिनके जाति-प्रमाण पत्र 7 दिसम्बर, 1981 के पश्चात् जारी किए गए थे;

(ख) क्या आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख दो बार बढ़ाई गयी थी और अधिकांस मेटाडोर/आटोरिक्सा केवल उन उम्मीदवारों को आवंटित किए गए थे जिनके जाति-प्रमाणपत्र 7 दिसम्बर, 1981 के पश्चात् जारी किए गए थे ;

(ग) गदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को दो बार बढ़ाने का क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) चुने गए उम्मीदवारों में से जिनको 7.12.81 के पश्चात् जाति के प्रमाण पत्र जारी किए गए, उनकी संख्या इस प्रकार है :—

माइक्रो मिनी बस	—	6
ओटो-रिक्शा	—	28

(ख) से (घ) जी, नहीं। आवेदन पत्र प्राप्त करने की तारीख एक बार बढ़ाई गयी थी, दो बार नहीं। अधिकांश मेटाडोर/ओटो-रिक्शा उन उम्मीदवारों को जारी किए गए थे जिनके जाति-प्रमाणपत्र 7.12.81 से पहले जारी हुए थे।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के यूनानी औषधालय, सरोजनीनगर और दरियागंज में कार्य कर रहे फिजिशियन

4005. **श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के यूनानी औषधालय, सरोजनी नगर, नई दिल्ली और दरियागंज केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना यूनानी (यूनिट औषधालय) दिल्ली में स्वीकृत पदों की तुलना में इस समय कितने यूनानी फिजिशियन कार्य कर रहे हैं;

(ख) रिक्त स्थानों को न भरने के कारण क्या हैं और ये रिक्त स्थान कितने समय से खाली पड़े हुए हैं ; और

(ग) शेष रिक्त स्थानों को भरने के लिये कौन से कदम उठाये जाने का विचार है ; और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) स्थिति इस प्रकार है :-

डिस्पेंसरी/यूनिट	स्वीकृत पद	कार्य कर रहे
सरोजनी नगर डिस्पेंसरी	3	2
दरियागंज यूनिट	2	1

(घ) और (ग) एक पद 20 अक्तूबर, 1978 से और दूसरा पद 22 सितम्बर, 1979 से खाली पड़ा हुआ है क्योंकि इन पदों के लिए संघ लोक सेवा आयोग किसी उम्मीदवार का चयन नहीं कर सका। इन पदों को भरने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में गत्यावरोध

4006. **डा० ए० यू० आजमी :**

श्री आर० एन० राकेश : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय अधिकारियों के दण्डात्मक रवैये के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बाधक भूमिका से विश्वविद्यालय में गत्यावरोध उत्पन्न हो गया है जिससे महाविद्यालयों में छात्रों की पढ़ाई में बाधा पड़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और इस गत्यावरोध को समाप्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) जी, नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय और इसके कालेजों की शैक्षिक सारणी में वर्तमान दुर्भाग्यपूर्ण अड़चन विभिन्न परिस्थितियों के कारण है जिनमें एक तथ्य यह भी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय और कालेज कर्मचारी संघ ने 6-9-1982 से एक आन्दोलन प्रारम्भ किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ ने अपनी संबंधित मांगो के समर्थन में 12-10-82 से हड़ताल का आह्वान किया है। सरकार ने कर्मचारियों और अध्यापकों से अपनी हड़ताल वापिस लेने तथा शैक्षिक सारणी को बनाए रखने तथा तनाव व गलतफहमियों से मुक्त वातावरण में अपनी समस्याओं का उपयुक्त हल ढूंढने में विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को सहयोग देने की अपील की है।

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र

4007. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :**

श्री गुलाम मोहम्मद खान : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लावासिया की मानव अधिकार समिति की एक बैठक हाल ही में राजधानी में हुई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा की गई ;

(ग) अवैध नजरबंदी के लिए मुआवजे का उपबन्ध करने वाले नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा-पत्र के अनुच्छेद 9 पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के नाम क्या हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि भारत ने प्रतिज्ञापत्र के अनुच्छेद 9 पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं ; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसके कारण क्या हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) सरकार ने समाचार पत्रों में छपी इस आशय की खबर को देखा है कि इस्केप क्षेत्र के 12 देशों के 34 मानवाधिकार संगठनों की एक बैठक अक्तूबर, 1982 में नई दिल्ली में हुई थी। बताया जाता है कि यह बैठक

एशिया और पश्चिम प्रशान्त विधि संघ नामक गैर-सरकारी संगठन की मानवाधिकार समिति द्वारा आयोजित की गई थी। चूंकि यह बैठक गैर-सरकारी संगठनों तक सीमित थी, अतः भारत सरकार ने इसमें भाग नहीं लिया। बैठक में जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया उनके बारे में भी सरकार को कोई विवरण प्राप्त नहीं हुआ।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने 27 मार्च, 1979 को सिविल और राजनीतिक अधिकारों से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा को अंगीकार कर लिया है और अधिमिलन प्रपत्र 10 अप्रैल, 1979 को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास जमा करा दिया गया। किसी अभिसमय का अनुसर्मथन, स्वीकृति अथवा हस्ताक्षर धारा-वार नहीं किया जाता अपितु सम्पूर्ण अभिसमय को देख कर किया जाता है। तथापि कोई भी राज्य अभिसमय की शर्तों को देखते हुए और अपनी संवैधानिक और कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप अभिसमय के किसी उपबन्ध पर अपना उचित आरक्षण अथवा अपनी घोषणा कर सकता है।

उपर्युक्त प्रसंविदा में शामिल होते समय भारत ने इसके अनुच्छेद 9 के बारे में निम्न-लिखित घोषणा की थी "सिविल और राजनीतिक अधिकारों से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के अनुच्छेद 9 के सन्दर्भ में भारत गणराज्य की सरकार यह समझती है कि इन अनुच्छेद के उपबंधों को इस प्रकार लागू किया जाएगा कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 की धारा (3) से (7) की व्यवस्थाओं के अनुरूप हो। इसके अलावा भारतीय विधि प्रणाली के अन्तर्गत ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अधीन राज्य द्वारा गैर-कानूनी ढंग से गिरफ्तार अथवा नजर बन्द किए जाने का दावा करने वाले व्यक्तियों को मुआवजा मांगने का अधिकार हो।"

उपलब्ध सूचना के अनुसार सिविल और राजनीतिक अधिकारों से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा पर 83 राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं, उसका अनुसर्मथन किया है अथवा उसको स्वीकार किया है और आस्ट्रेलिया, चिली, फिनलैंड, फ्रांस, इटली, जापान, मैक्सिको और यू० के० ने प्रसंविदा के अनुच्छेद 9 के बारे में घोषणा अथवा आरक्षण व्यक्त किया है।

तीसरे विश्व के देशों के शोषित समुदायों के विकास के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी

4008. **श्री के० ए० राजन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे विश्व के देशों के शोषित समुदायों के विकास की समस्याओं के संबंध में दिल्ली में 2 से 8 अक्तूबर, 1982 तक कोई अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो विचार गोष्ठी के सहभागियों के नाम क्या हैं और उसमें भाग लेने वाले विदेशी प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं जिनका उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था ; और

(ग) उन मंत्रालयों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस बिचार गोष्ठी का समर्थन किया था और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार : —

(क) 2 से 8 अक्तूर, 1982 तक दिल्ली में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था ।

(ख) समझा जाता है कि इस संगोष्ठी का आयोजन भारतीय नृविज्ञान संस्था और अन्तर्राष्ट्रीय नृविज्ञान एवं नृजाति विज्ञान संघ के संयुक्त तत्वाध्यान में किया गया था । इसमें भाग लेने वाले विदेशी प्रतिनिधियों के नाम ज्ञात नहीं हैं ।

(ग) गृह मंत्रालय ने कुल 5,600 रुपए की स्वीकृति दी थी ।

निष्प्रभावी यात्री रेल डिब्बे

4009. **श्री अटल विहारी बाजपेयी :**

श्री सूरज भान : क्या रेल मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि 1974-78, 1978-81 और 1981-82 की अवधि में जोनवार कितने प्रतिशत यात्री रेल डिब्बे कितने समय तक निष्प्रभावी रहे ?

रेल मन्त्रायल में तथा संसदीय कार्य विभाग में **उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : लाइन पर सवारी डिब्बों की कुल संख्या से सम्बन्धित नकारा सवारी डिब्बों की संख्या के प्रतिशत के रूप में 'नकारा' सवारी डिब्बों के प्रतिशत की गणना की जाती है । एक विवरण संलग्न हैं जिसमें जोनवार सूचना दी गयी है : —

विवरण

नकारा सवारी डिब्बों के प्रतिशत से सम्बन्धित विवरण

	बड़ी लाइन			छोटी लाइन		
रेलवे	1974-78	1978-81	1981-82	1974-78	1978-81	1981-82
मध्य	11.88	12.05	14.30	—	—	—
पूर्व	14.80	15.75	15.47	—	—	—
उत्तर	14.50	11.46	13.84	10.63	10.16	14.70
पूर्वोत्तर	—	2.59	5.53	11.74	12.90	12.00
पूर्वोत्तर सीमा	14.89	15.75	14.70	13.70	15.96	14.00
दक्षिण	16.50	14.28	14.82	10.80	11.81	10.70
दक्षिण मध्य	13.08	13.69	13.06	9.53	7.74	9.13
दक्षिण पूर्व	17.32	19.10	25.56	—	—	—
पश्चिमी	12.09	11.31	13.34	10.61	10.25	10.60
कुल	14.45	13.95	15.72	11.26	12.57	11.55

खराब हो जाने वाली वस्तुओं के माल भाड़े में वृद्धि

4010. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने फलों, मछलियों, और खराब हो जाने वाली अन्य वस्तुओं के माल-भाड़े में अप्रैल, 1982 में बहुत अधिक वृद्धि कर दी है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस नीति को अपनाने से रेलवे की राजस्व की भारी हानि हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो अप्रैल, 1982 से विभिन्न जोनल रेलवे में प्रतिमाह राजस्व की कितनी हानि हुई ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) संसद के अनुमोदन से 1-4-1982 से ताजा फलों, मछली और नश्य माल सहित सभी प्रकार के पार्सल की दरों में सामान्य वृद्धि की गयी थी। दरों में संशोधन रेल भाड़ा दर जांच समिति की सिफारिशों पर आधारित था। यद्यपि सामान्यतः फल और मछली के लिए सी० पी०-2 स्केल दर प्रभारित होती है, नश्य माल सी.पी.-1 सी. पी.-2 या सी. पी.-3 की स्केल दर जो कि सामान की प्रकृति पर निर्भर करती है, प्रभारित की जाती हैं। पार्सल की दरों में संशोशन के कारण राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है।

ओस्ट्रोजन/प्रोगेस्टोजन कंबीनेशन पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की टिप्पणियां और प्रतिबन्ध समाप्त करने के लिए उठाये गये कदम

4011. **श्री नीरेन घोष :**

श्री अमर दत्त :

श्रीमती संयोगिता राणे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल ही में ओस्ट्रोजन/प्रोगेस्टोजन कंबीनेशन पर प्रतिबन्ध के संबंध में विशेषज्ञों ने विभिन्न टिप्पणियां की हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अपने रवैया की पुनरीक्षा करेगी और इस प्रतिबंध को वापस लेने पर विचार करेगी ;

(ग) क्या प्रतिबंध समाप्त करने तक, जब तक चिकित्सा शास्त्रियों की एक विशेषज्ञ समिति इस पर अपनी राय नहीं दे देती, सरकार इन दवाओं का प्रयोग करने वाले रोगियों को

परेशानी से बचाने के लिए एक वर्ष तक इन पर प्रतिबंध लगाने वाली ड्रग कंट्रोलर की अधिसूचना को स्थगित करने पर विचार करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : जी, हां ।

(ख) से (घ) सरकार ने आस्ट्रोजन और प्रोगेस्टोजन पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के परामर्श से लिया था, जिसने प्रसिद्ध स्त्री-रोग विशेषज्ञों और अन्तः स्रावविज्ञानियों से परामर्श करने के बाद इन औषधियों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी । इन योगों पर प्रतिबंध लगाने सम्बन्धी निर्णय पर पुनः विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

ओस्ट्रोजन/प्रोगेस्टोजन के उपयोग पर प्रतिबन्ध

4012. **श्री नीरेन घोष** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ड्रग कन्ट्रोलर ने अपने प्रेस वक्तव्य में, जो 23 जुलाई, को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ था, उपचार के लिए ओस्ट्रोजन/प्रोगेस्टोजन के उपयोग का सुझाव दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस दवा पर प्रतिबंध लगाने के कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सरकार को 23 जुलाई, 1982 के हिन्दुस्तान टाइम्स में छपे औषध नियंत्रक (भारत) के वक्तव्य की जानकारी है । भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर सरकार ने देश में आस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेशन कम्पाउन्ड्स के निश्चित खुराक वाले योगों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है ।

डा० राजेन्द्रप्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द, नई दिल्ली में अनुसंधान कार्य

4013. **श्री नीरेन घोष** :

श्री अजित बाग : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली में कोई भी योग्य पेथालोजिस्ट नहीं है जिनके परिणामस्वरूप केन्द्र में अनुसंधान कार्य को काफी धक्का पहुंचा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ताकि अनुसंधान कार्य में बाधा न पहुंचे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्र में पैथोलोजी के एसोसिएट प्रोफेसर के एक पद का सृजन किया गया है। यह पद विज्ञापित किया जा चुका है और उसके शीघ्र ही भरे जाने की संभावना है। दैनिक कार्य की देख रेख माइक्रोबायालोजी के एक प्रोफेसर और संकाय के अन्य सदस्यों द्वारा की जा रही है ;

सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चीन के प्रधान मन्त्री द्वारा वक्तव्य का समाचार

4014. श्री भोकूराम जैन :
श्री चतुर्भुज :
श्री अशफाक हुसैन : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान चीन के प्रधान मन्त्री, श्री जाओ ज्यांग के श्री जी० के० रेड्डी (हिन्दू) के साथ साक्षात्कार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया था कि चीन सरकार चीन-भारत सीमा के प्रश्न को सुलझाने का प्रयास कर रही है ;

(ख) सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अब तक किए गए ठोस प्रयास क्या हैं ;

(ग) क्या भविष्य में सीमा सम्बन्धी वार्ता के लिए कोई तारीख निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हां। सरकार ने इस साक्षात्कार के बारे में 13 अक्तूबर, 1982 के "द हिन्दू" में श्री जी० के० रेड्डी की रिपोर्ट को देखा है।

(ख) अधिकारी-स्तर की बातचीत शुरू की गई है और अब तक दो बार बातचीत हो चुकी है, पहली दिसम्बर, 1981 में पीकिंग में तथा दूसरी मई, 1982 में दिल्ली में।

(ग) और (घ) दोनों सरकारें अगली बातचीत की तारीख तय करने के लिए सलाह-मशविरा कर रही हैं।

गुजरात में ताप विद्युत केंद्र को कोयले के डिब्बों की महीनेवार सप्लाई

4015. श्री छीतू भाई गामित : क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, से अगस्त, 1982 तक गुजरात में प्रत्येक ताप विद्युत केन्द्रों की महीनेवार, कितने कोयला वैगनों की आवश्यकता थी;

(ख) जनवरी, 1982 से अगस्त, 1982 तक की अवधि के दौरान प्रतिमाह कितने कोयला वैगन नियत किये गये और कितने कोयला वैगन सप्लाई किये गये ; और

(ग) पूरी मांग को पूरा न करने के कारण क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जनवरी, 1982 से अगस्त, 1982 तक गुजरात में प्रत्येक ताप बिजली घर के लिए संयोजन कार्यक्रम. आवंटन तथा लदान का महीने बार बिवरण एक अनुबन्ध के रूप में संलग्न है। स्टाक बनाये रखने के लिए संयोजन को वास्तविक आवश्यकता से लगभग 10 प्रतिशत अधिक रखा जाता है । गुजरात में ताथ बिजली घरों की कोयला सम्बन्धी आवश्यकता संतोषजनक ढग से पूरी की गयी है । और उनके नवीनतम उपलब्ध स्टाक की स्थिति इस प्रकार हैं :

ताप बिजली घर का नाम	कोयला स्टाक		तारीख को
	टन	दिन	
अहमदाबाद	24050	7	22/10
गांधीनगर	71897	24	20/10
उकई	59485	8	20/10
दुबारन	13550	11	20/10
वानकबोरी	4277	4	18/10

वानक वोश्री ताप बिजली घर में जिसने हाल ही में कार्य करना शुरू किया है, कोयला स्टाक कम है क्योंकि ताप घर में अभी संयंत्र स्थल पर कोयला रेक सम्हलाई सुविधाओं को समुचित व्यवस्था नहीं है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5667/82]

1980 से अगस्त 1912 तक गुजरात में खोले जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

4016. श्री छीतू भाई गामित : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 से अगस्त, 1982 तक की अवधि के दौरान गुजरात के लिए कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किए गए ; और

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहाँ पर ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) गुजरात राज्य में 1980-1982 के दौरान सात प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करने की मंजूरी दी गई थी । 1982-83 के दौरान 10 और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने का राज्य का प्रस्ताव है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक अंग है, इसलिए ये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कहाँ-कहाँ खोले जाएं, इसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है ।

रेल फाटकों पर होने वाली दुर्घटनायें

4017. श्री मोहन लाल पटेल : क्या रेल मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक रेलवे जोन में रेल फाटकों की संख्या कितनी है ; और

(ख) जनवरी, 1982 से सितम्बर, 1982 के दौरान इन फाटकों पर जोनवार कितनी दुर्घटनायें हुई और कितने व्यक्ति मारे गये तथा घायल हुए ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बिना चौकीदार वाले रेलवे समपारों की रेलवे वार संख्या इस प्रकार है : —

रेलवे	संख्या
मध्य	1221
पूर्व	764
उत्तर	3192
पूर्वोत्तर	2699
पूर्वोत्तर सीमा	1172
दक्षिण	2836
दक्षिण मध्य	2272
दक्षिण पूर्व	3571
पश्चिम	4900
जोड़	22627

(ख) रेलवे	बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक एवं घायल व्यक्तियों की संख्या	
		मृत	घायल
मध्य	2	2	—
पूर्व	—	—	—
उत्तर	7	8	16
पूर्वोत्तर	3	2	2
पूर्वोत्तर सीमा	2	—	1
दक्षिण	6	2	1
दक्षिण मध्य	6	69	53
दक्षिण पूर्व	4	—	6
पश्चिम	5	21	20
जोड़	35	104	99

रेलवे की भूमि पर अवैध कब्जा

4018. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे भूमि पर अवैध कब्जे हो जाने के कारण रेलवे को प्रति-वर्ष भारी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पूर्व रेलवे में अवैध कब्जाधारियों ने रेलवे की 144 एकड़ भूमि हड़प ली है;

(ग) क्या यह सच है कि रेलवे पटरियों के समीप झुग्गियां होने के कारण रेलपटरियों की रख रखव के स्तर में बाधा पड़ती है तथा रेल गाड़ियों की रफ्तार भी कम होती है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, । कुल रेलवे भूमि का अधिक्रमण किया गया है ।

(ख) 1.1.1982 को पूर्व रेलवे की 143.87 एकड़ भूमि का अतिक्रमण किया हुआ था।

(ग) जी हां।

(घ) जहां रेलवे लाइनों के पास भूमि का अतिक्रमण किया गया है, उसे हटाने के लिए रेल प्रशासन सम्बद्ध राज्य सरकार की सहायता से कार्रवाई कर रहे हैं।

मानव अधिकारों सम्बन्धी संगठनों की बैठक

4019. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री राम विलास पासवान : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1982 के दूसरे सप्ताह में, राजधानी में मानव अधिकारों से संबंधित, 12 देशों के 34 संगठनों की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में भाग लेने वाले संगठनों के नाम क्या हैं;

(ग) उसमें हुई चर्चा से क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) इस सम्मेलन में भारत द्वारा अदा की गई भूमिका का ब्योरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) से (घ) सरकार ने समाचार पत्रों में छपी इस आशय की खबर को देखा है कि इस्केप क्षेत्र के 12 देशों के 34 मानवाधिकार संगठनों की एक बैठक अक्तूबर 1982 में नई दिल्ली में हुई थी। उक्त बैठक एशिया और पश्चिम प्रशान्त विधि संघ नामक गैर-सरकारी संगठन की मानवाधिकार समिति द्वारा आयोजित की गई थी। चूंकि यह बैठक गैर-सरकारी संगठन तक सीमित थी, अतः भारत सरकार ने इसमें भाग नहीं लिया। बैठक में जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया उनके बारे में भी सरकार को कोई विवरण प्राप्त नहीं हुआ है।

सफदरजंग हस्पताल के हड्डी विभाग और आपातविभाग में एक्सरे यूनिट

4020. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल के हड्डी विभाग और आपात विभाग में एक्स-रे-यूनिट कुछ समय से खराब हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन्हें फिर से सक्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या रेडियोग्राफरों को दो पारियों में काम करना होता है और एक्स-रे-मशीनों, जिनमें से अधिकाँश पुरानी हैं और जिनमें लीक होने का खतरा रहता है पर अधिक दबाव रहता है;

(घ) क्या एक्स-रे-मशीनों की , उनके ट्यूबों के लीक होने के सम्बन्ध में, जिससे तकनीशियन और मरीज दोनों को खतरा होता है, नियमित रूप से जाँच की जाती है; और

(ङ) क्या तकनीशियनों को बिना फिल्टर के पोटेबल एक्स-रे-यूनिटों का परिचालन करना होता है जिससे विकिरण उद्मासन का खतरा बढ़ता है ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) हड्डी विभाग की दो एक्स-रे-यूनिटें कुछ समय के लिए खराब हो गई थीं और अब उन्हें चालू कर दिया गया है । आपाती विभाग में एक एक्स-रे मशीन खराब है और इसकी मरम्मत करने के लिए कदम उठाए गए हैं ।

(ग) रेडियाग्राफरों को एक दिन में 6½ घंटे से अधिक समय तक काम करने के लिए वाध्य नहीं किया जाता है । एक्स-रे मशीनों को लीक होने से बचाया जाता है ।

(घ) एक्स-रे मशीनों की जांच पी.ए.आर.सी. द्वारा की जाती है और मशीनों को लीक होने से बचाने के लिए सुरक्षा के प्रबन्ध किए जाते हैं ।

(ङ) एक्स-रे मशीनों के साथ उपयुक्त फिल्टर भी दिए जाते हैं ।

जेल रोड फ्लाई ओवर

4021. **डा० ऐ०यू० आजमी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में जेल रोड स्थित फ्लाई ओवर का निर्माण पूरा हो गया है तथा यातायात के लिए खोल दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण है ;

(ग) क्या इस फ्लाई ओवर के नीचे से मलबा/कचरा हटा दिया गया है और उस भूमि के उपयोग के लिए क्या प्रस्ताव है;

(घ) क्या छावनी रेलवे स्टेशन के निकट मार्केट के हितों की उपेक्षा करते हुए, उक्त फ्लाई ओवर पर केवल एक ही जीना लगाया गया है;

(ङ) यदि हाँ, तो मार्केट के बीच में कहीं पर कम से कम एक जीना लगाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ताकि आने जाने वाले लोग मार्केट में आ सकें ;

(च) क्या दुकानों के सामने की 12 फिट चौड़ी सड़क पर लगे बिजली के खंभे हटा दिए गए है ताकि यातायात निर्बाध रूप से चले और क्या वहाँ एक पक्की सड़क बना दी गयी है ; और

(छ) क्या दिल्ली छावनी की तरफ इस फ्लाई ओवर के बराबर में बनाई गयी सड़क को जेल रोड से जोड़ दिया गया है तथा वहां बिजली के खम्भे लगा दिए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) जेल रोड फ्लाई-ओवर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही यातायात के योग्य बना दिया गया है और इसे शीघ्र ही यातायात के लिए खोल दिए जाने की योजना है। परन्तु नालियां आदि जैसे छुटपुट कार्य ठेके के अनुसार जून 1983 में ही पूरे किए जाने हैं।

(ग) दिल्ली नगर निगम के अनुसार, दिल्ली छावनी की ओर से फ्लाई-ओवर के पिछले भाग के 14 पाटों में से आठ पाटों से मलवा साफ कर दिया गया है और वहां पेड़-पौधे लगाए जा रहे हैं। बाकी पाटों से मलवा हाफ करने का कार्य अन्य छुटपुट कार्यों के साथ हो रहा है। इस क्षेत्र में भूमि के इस्तेमाल के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) फ्लाई-ओवर के पहुचमार्गों की चौड़ाई 92 फुट से घटा कर 76 फुट कर दी गई थी ताकि बाजार को देखते हुए दुकानों के सामने काफी खाली जगह उपलब्ध की जा सके। परन्तु, पदलपथ, पहुंचमार्गों में नहीं बल्कि भूमितल पर ही बनाए गए हैं। अतः बाजार के बीच में, पहुंचमार्ग किसी भी तरह की सीढी बनाने का विचार नहीं है।

(च) दुकानों के सामने की जगह मोटर गाड़ियों द्वारा इस्तेमाल न किए जाने की योजना है। इसे सहायक कार्यों के पूरा होने के साथ ही पक्का बनवा दिया जाएगा। दुकानों के सामने जगह को ठीक करना और अपेक्षानुसार खम्भों को आगे पीछे करके गलियों में रोशनी का प्रबंध करने का संबंध इन क्षेत्र में भूमि के इस्तेमाल संबंधी समस्त प्रस्तावों से है और उन पर विचार किया जा रहा है।

(छ) जेल रोड को फ्लाई-ओवर के रास्ते दिल्ली छावनी की ओर बनी से वाँई सड़क से जोड़ा गया है और जहाँ जरूरत है वहां रोशनी का प्रबन्ध भी किया गया है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए दूसरा प्रवेश मार्ग

4022. डा० एम. यू. आजमी :
श्री जी. वाई. कृष्णन :
श्री जी. नरसिम्हा रेड्डी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैकल्पिक आवास प्रदान किये जाने के बावजूद भी डाक व तार विभाग द्वारा क्वार्टर खाली न किए जाने के कारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए दूसरा

क्वार्टर प्रवेश मार्ग बनाने से 6 करोड़ रुपए लागत की परियोजना का कार्य एक दम रुक गया है ;

(ख) क्या उक्त परियोजना को एशियाई खेल 1982 के लिए, नई बिद्युत रिंग रेलवे और साथ ही चैम्सफोर्ड रोड पर भीड़भाड़ को घटाने के लिए समय पर पूरा किया जाना था ; और

(ग) यदि हां, तो डाक व तार विभाग के उक्त भूमि खाली कराने हेतु और निर्धारित समय दूसरा प्रवेश मार्ग बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य बिभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) डाक तार विभाग द्वारा क्वार्टरों को खाली करने में होने वाले विलम्ब के कारण नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन की नयी इमारत के लिए अजमेरी गेट की तरफ दूसरा प्रवेश/निकास मार्ग की व्यवस्था के काम पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। सभी क्वार्टर खाली हो चुके हैं और एक क्वार्टर को छोड़कर सभी क्वार्टर रेलों को सौंप दिये गये हैं और उन्हें गिरा दिया गया है। सड़क की व्यवस्था करने का काम प्रगति पर है और समय पर उसके पूरा हो जाने की संभावना है।

निर्धन बच्चों को पोषक आहार देने के लिए उत्तर प्रदेश को सहायता

4023. **श्री राम अवध** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश में निर्धन बच्चों को पोषक आहार प्रदान करने हेतु सहायता देने के किसी कार्यक्रम पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) पोषाहार राज्य क्षेत्र में है। इसलिए राज्यों को धनराशियों की व्यवस्था करनी होती है। फिर भी केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में बच्चों को पूरक पोषाहार प्रदान करने के लिए कुछ सहायता में मिले आहार का प्रबन्ध किया है।

(ख) उत्तर प्रदेश में 20 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं के लिए नार्वेजियन एजेन्सी फार डिवेलपमेंट से सहायता मिलने की आशा है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में विशेष पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत 40,000 बच्चों के लिए आहार प्रदान कर रहा है। विश्व खाद्य कार्यक्रम से अगले विस्तार चरण के दौरान 1,00,000 बच्चों और माताओं के लिए खाद्य सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

केयर उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 5,81,000 बच्चों के लिए तथा विशेष पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1,80,000 बच्चों के लिए खाद्य पदार्थ प्रदान कर रहा है।

उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन केन्द्र

4024. **श्री राम अवध :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्तूबर, 1982 को समूचे उत्तर प्रदेश में कितने परिवार नियोजन केन्द्र थे ;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान और कितने नये केन्द्र खोलने का विचार है ; और

(ग) इन केन्द्रों से परिवार नियोजन कार्यक्रम को क्या सहायता मिलेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) परिवार कल्याण केन्द्रों को राज्य सरकारों द्वारा खोला जाता है और संचालन किया जाता है तथा अनुमोदित पैटर्न के अनुसार भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत सहायता दी जाती है। 1.4.1980 तक कार्य कर रहे परिवार कल्याण केन्द्रों की स्थिति, छठी योजना के लक्ष्य तथा 1.4.1982 तक कार्य कर रहे केन्द्रों की संख्या विवरण-I में दी गई है।

(ग) परिवार नियोजन तथा जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य की विभिन्न तकनीकों के बारे में सलाह तथा सेवाएं इन केन्द्रों में उपलब्ध की जाती हैं। 1980-81 से 1982-83 के दौरान उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम की उपलब्धि विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

उत्तर प्रदेश में कार्यरत परिवार नियोजन केन्द्रों की स्थिति

	1.4.1980 को कार्यरत केन्द्रों की संख्या	छठी योजना के लक्ष्य (अतिरिक्त)	1.4.82 को कार्यरत केन्द्रों की संख्या
1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	905	2	907
2. ग्रामीण उप-केन्द्र	7600	7900	11952
3. शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	194	114	229*
			2088

*30.9.1981 की स्थिति के अनुसार

विवरण II

उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम की उपलब्धि

	1980-81	1981-82	1982-83 (सितम्बर 82 तक)
नसबन्दी	78,438	1,58.619	117,765
आई.यू.डी.	172,997	224,873	1,01,660
प्रचलित गर्भ निरोधक (समीकृत उपयोगकर्ता)	312,900	431,146	358,654*
खाई जाने वाली गोलियां (समीकृत उद्योगकर्ता)	12.050	15,722	13,559*

*अगस्त 1982 तक

रेल दुर्घटनाओं से सुरक्षा के लिए इलैक्ट्रोनिक गेजेट

4025.श्री बसन्त कुमार पंडित : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिकन्दराबाद स्थित भारतीय इलैक्ट्रिोनिक निगम लिमिटेड ने सुरक्षा के लिए स्वचालित ब्रेक लगाने हेतु रेलवे की रेल दुर्घटना सुरक्षा इलैक्ट्रोनिक गेजेट देने की पेशकश की है ;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने देश में बने उक्त गेजेट का उपाय करने की बजाय, उनका आयात करने का फैसला किया है ;

(ग) क्या रेल बोर्ड के चेयरमैन की अध्यक्षता में बनी उच्च राशि प्राप्त वर्णधार समिति भी सामान, डिब्बों तथा ग्राहक सेवा तन्त्रसम्बन्धी जानकारी देने के लिए कम्प्यूटर युक्त जानकारी का आयात करने का विचार कर रही है ;

(घ) क्या ऐसे कम्प्यूटरीकृत यन्त्र भारतीय इलैक्ट्रोनिक निगम लिमिटेड तथा अन्य भारतीय इलैक्ट्रानिक के संस्थानों द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं ;

(ङ) क्या भारत में उपलब्ध प्रौद्योगिकी की तुलना में आयातित नेवेस्ट जेनेरेशन इलैक्ट्रानिक यन्त्र प्रणाली ज्यादा जरूरी है ; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह विनिश्चय किया गया है कि संगणकीकृत, भाड़ा परिचालन सूचना प्रणाली केन्द्रित और विकेन्द्रित कार्यों का सम्मिश्रण होगी । केन्द्रित महत्वपूर्ण कार्यों में माल डिब्बों, रेल इंजनों, गाड़ी संचलन पर नियन्त्रण, यातायात का मार्ग निर्धारित करना तथा खाली माल डिब्बों का वितरण शामिल होगा ।

विकेन्द्रित/विभाजित कार्यों में टर्मिनल और यार्ड प्रबन्ध, रेल इंजन और माल डिब्बों की मरम्मत, कर्मीदल और ईधन प्रबन्ध, लेखा और खन्ना बिल तैयार करना शामिल होंगे ।

केन्द्रित प्रणाली के लिए परामर्श सहायता के साथ-साथ प्रमाणित विदेशी प्रणाली अपनाने का प्रस्ताव है । तकनीकी आर्थिक तर्क पर आधारित बिकेन्द्रित प्रणाली चाहे वह क्षेत्रीय स्तर पर हो अथवा जोनल स्तर पर, उसका देश में विकास किया जाएगा ।

(घ) से (च) हाल ही में भारत में ई. सी. आई. एल. और अन्य इलैक्ट्रोनिक स्थापनाओं द्वारा निर्मित संगणक अपेक्षाकृत छोटे हैं और बड़े अध्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं हैं, विशेषकर केन्द्रित महत्बपूर्ण कार्यों के लिए/इसके अलावा, केन्द्रित प्रणाली के लिए संगणक अपनाये गए तथा संशोधित प्रमाणित वेयर के चालन के लिए समर्थ होने चाहिए ।

इस समय क्षेत्रीय/जोनल तथा अन्य संगणकों की विस्तृत आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जा रहा है और विस्तृत विशिष्टियों को अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद विकेन्द्रित कार्यों के लिए संगणक हार्डवेयर की खरीद के बारे में विनिश्चय किया जाएगा ।

वर्गीकृत रोगों से पीड़ित व्यक्ति

4026. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्गीकृत रोगों तथा टायफायड संक्रमणय कृतशोध आँत्रशोध और अखिल भारतीय औसत की तुलना में प्रति 1000 जन संख्या के पीछे प्रत्येक वर्गीकृत रोग के आंकड़े क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : टायफायड, संक्रमण, यकृत-शोथ, पेचिश और आंत्रशोथ सूचनीय रोग नहीं हैं । 1981 के दौरान राज्य/संघ शासित क्षेत्र स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा सूचित किए गए इन बीमारियों के रोगियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है । इन स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सूचना भेजने वाली संस्थाओं की संख्या हर महीने

अलग अलग होती है । इन परिस्थितियों में प्रतिहजार जनसंख्या में इन रोगों से कितने व्यक्ति पीड़ित होते हैं, उनके आँकड़ों का न तो राज्य/संघ शासित क्षेत्र आधार पर और न ही अखिल भारतीय आधार पर जायजा लगाया जा सकता है ।

विवरण

क्रम सं०	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का नाम	टाइफायड	संक्रमण यकृतशोथ	पेचिस	आंत्रशोथ
1.	हिमाचल प्रदेश	15,295	5,471	3,52,204	69,943
2.	मध्य प्रदेश	86,624	22.515	10,69,895	10,789
3.	पंजाब	5,457	2,908	1,40,189	1.67,990
4.	उत्तर प्रदेश	45,439	6,419	5,09,360	3,120
5.	दिल्ली	11,436	7,338	2,5),204	72,319

टिप्पणी:—बिहार के आकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

अमरावती में नया विश्वविद्यालय

4027. श्री बसन्त कुमार पंडित : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सरकार द्वारा नियुक्त टोपे समिति की सिफारिश के अनुसार अमरावती में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु अपने प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्वीकृति माँगी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के०थुंगन) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने नवम्बर, 1982 में राज्य में दो नए विश्वविद्यालय, एक अमरावती तथा अन्य उत्तरी महाराष्ट्र में स्थापित करने का प्रस्ताव किया था । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसने इस प्रस्ताव पर विचार किया, इसके हक में नहीं था और तदानुसार राज्य सरकार को सूचित किया । अमरावती में नए विश्वविद्यालय को स्थापित करने का राज्य सरकार से कोई नया प्रस्ताव नहीं हुआ है ।

भारतीय दूतावासों पर खर्च

4028. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों तथा मिशनों पर पृथक-पृथक प्रति वर्ष कितनी राशि खर्च होती है ;

(ख) क्या उसमें मितव्ययता के लिए हाल में कोई उपाय किए गए हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए. ए. रहीम) : (क) वित्तीय वर्ष 1981-82 में भारतीय राजदूतावास और मिशनों ने कुल 32.80 करोड़ रुपए खर्च किए और भारतीय हाई कमीशनों ने 9.32 करोड़ रुपए ।

(ख) और (ग) विदेशों में खर्च कम करने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं :—

(1) खर्च में किफायत करने के उद्देश्य से कार्मिकों तथा विदेश स्थित मिशनों की कार्य-प्रणाली के सम्बद्ध वर्तमान वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमों एवं विनियमों की निरन्तर समीक्षा की जाती है । दिन-ब-दिन का ऐसा काम जो मुख्यालय पर किया जा सकता है उसे मुख्यालय को स्थानान्तरित कर दिया गया है और इस तरह ऐसे मिशनों में कार्मिकों की संख्या कम हो गई है ।

(2) इस तरह बड़े मिशनों में जो अमला फालतू हो गया उसे खाड़ी के क्षेत्र तथा उत्तरी अफ्रीका जैसे अन्य क्षेत्रों के ऐसे मिशनों में भेज दिया गया जहां काम का बहुत दबाव था और इस तरह इन मिशनों को मुख्यालय से अतिरिक्त अमला भेजने पर जो खर्च होता वह बच गया ।

(3) विदेशों में कार्यालय के लिए भवन तथा रिहायशी मकान खरीद कर या उसका निर्माण करवा कर किराये की राशि में पर्याप्त कमी करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं । इस नीति का दीर्घावधि परिणाम यह होगा कि खरीदी गई सम्पत्ति की पूरी लागत तो वसुल हो ही जाएगी इसके साथ ही भारत सरकार के पास अपनी बहु-मूल्य स्थायी सम्पत्ति भी हो जाएगी ।

(4) नियमित प्रशासनिक मानण्ड निर्धारित करके तार, परिवहन, लेखन-सामग्री, टेली-फोन, होटल में आवास आदि पर खर्च कम करने के लिए निरन्तर प्रयत्न किए जा रहे हैं । विदेश स्थानान्तरण के बीच दिल्ली में न्यूनतम अवधि के आवास के आदेश से विदेशों में कार्मिकों को दिए जाने वाले यात्रा भत्ते और विदेश भत्ते की काफी बचत होती है ।

बीकानेर डिवीजन में स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए पूल वाह्य आवास

4029. **श्री अरबिन्द नेताम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने पूल वाह्य आवास आवंटन के पात्र स्थायी स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों की भांति ही रेस्ट गिवर्स तथा रिलीविंग स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों को उक्त आवास देने के आदेश दिये हैं परन्तु बीकानेर डिवीजन इस मामले में उनके साथ समान व्यवहार नहीं कर रहा है ।

(ख) उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में पूल वाह्य आवास पाने के पात्र ऐसे स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों की संख्या कितनी है जिन्हें या तो उक्त आवास दिया ही नहीं गया है अथवा घटिया आवास दिये गये हैं, और उन्हें शत प्रतिशत आधार पर पूल वाह्य आवास प्रदान करने के लिए अतिरिक्त क्वार्टर बनाने का यदि कोई प्रस्ताव है तो वह क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय चिकित्सा पद्धति में चिकित्सकों और कर्मचारियों की पदोन्नति की गुंजाइश

4030. **श्री केशव राव पारधी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में चिकित्सकों और कर्मचारियों के लिए पदोन्नति कि कोई गुंजाइश नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्वाथ्य सेवा महानिदेशालय में इस पद्धति के चिकित्सकों और कर्मचारियों के बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण के लिए इस पद्धति में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के कोई उच्च अधिकारी या स्वतंत्र एकक नहीं हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में इस सेवा से उच्च अधिकारियों की नियुक्ति के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के सरकारी फीजिशियनों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं । इस मंत्रालय में भारतीय चिकित्सा पद्धितियों और होम्योपैथी का अलग से एक प्रभाग है जिसमें उच्चदर स्तरों पर पर्याप्त संख्या में तकनीकी पद है ।

दिल्ली में भारतीय चिकित्सा पद्धति वाले तथा होम्योपैथिक डिस्पेंसरियां

4031. श्री केशव राव पारधी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितने भारतीय चिकित्सा पद्धति वाले तथा होम्योपैथिक डिस्पेंसरियों की स्थापना की गई है ;

(ख) इनमें कुल कितने पुरुष तथा महिला चिकित्सक हैं तथा पांच वर्ष या अधिक अवधि की सेवा वाले चिकित्सकों की कुल संख्या क्या है ; और

(ग) सेवा की किसी एक निश्चित अवधि के पश्चात् उनकी पदोन्नति के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) दिल्ली में प्राइवेट सेक्टर के औषधालयों के अलावा सरकारी और स्थानीय निकायों के औषधालय हैं, जिनका विवरण संलग्न है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली नगर निगम में चिकित्सकों के लिए पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं ।

विवरण

	औषद्यालयों/यूनिटों की संख्या (केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली प्रशासन दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका)	चिकित्सकों की कुल संख्या		वे चिकित्सक जिनका 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है		
	1	2		3		
		पुरुष	महिला	योग		
1.	भारतीय चिकित्सा पद्धति	91	99	27	126	78
2.	होम्योपैथी	56	44	23	67	37

पीतमपुरा दिल्ली में बुत्तारी ब्लाक के लिए बस सुविधायें

4032. श्री केशव राव पारधी : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पीतमपुरा (विशाखा इन्कलेव) दिल्ली के बुत्तारी ब्लाक के लिए दिल्ली परिवहन निगम की एक भी बस नहीं चल रही है जिसके कारण वहां के निवासियों को भारी असुविधा हो रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उक्त क्षेत्र के निवासियो को बस सुबिधायें उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी नहीं। पीतमपुरा में विशाखा इन्कलेव के बी-उत्तरी ब्लाक के लिये दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान उप-स्टेशन से रुट सं० 164 और 170 पर बसें चलती हैं जहाँ तक पैदल जाया जा सकता है। बी-उत्तरी ब्लाक में रहने वाले लोग पधुवन चौक से रुट संख्या 114, 141, 163, 901, 921, 933, 938 श्रमिक सेवा और एम-8 की सेवाएं उपलब्ध कर सकते हैं। यहां तक भी पैदल जाया जा सकता है।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) नियमित सर्वेक्षणों से पता चलता है कि इस समय इस कालोनी के लिए जितनी बसें चलाई जा रही हैं, वह पर्याप्त हैं।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को केन्द्रीय वित्तीय सहायता

4033. श्री निहाल सिंह : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से केन्द्र सरकार ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कालेजों को वित्तीय सहायता देना शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) वाराणसी के चार कालेज, जिन्हें बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम के खण्ड

15 के अनुसार बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में लिया गया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त नहीं करते। ये कालेज अपने अनुरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं, यद्यपि राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता का वर्तमान स्तर उससे कम है, जो उत्तर प्रदेश के अन्य कालेज प्राप्त कर रहे हैं।

"आंगनवाड़ी परियोजना तथा बच्चों को शुद्ध भोजन उपलब्ध कराने के लिए उपाय

4034. श्री निहाल सिंह :
श्री के० ए० राजन :
श्री विजय कुमार यादव : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां बच्चों को दिन में शुद्ध भोजन उपलब्ध कराने हेतु आंगन वाड़ियां चल रहीं हैं और उन्हें गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष दिल्ली प्रशासन, समाज कल्याण विभाग दिल्ली, दिल्ली नगर पालिका द्वारा दी गई अनुदान सहायता का आंकड़े वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इन संस्थानों द्वारा बच्चों को उचित तथा शुद्ध भोजन न दिए जाने के बारे में 29 अगस्त, 1982 के टाइम्स आफ इण्डिया में "फूड फार बांट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था करने का है कि भविष्य में इस परियोजना के अधीन बच्चों को शुद्ध भोजन मिले ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगनबाड़ियों में स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं दिया जाता है। तथापि, आंगनबाड़ियों में 0-5 वर्ष के बच्चों और गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं को समेकित सेवाएं प्रदान की जाती हैं जिनमें पूरक पोषाहार, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य देख-रेख, पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा शामिल हैं। दिल्ली में समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दे दी गई है। समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा दिल्ली प्रशासन को दिये गये सहायक अनुदान का वर्ष-वार बंटवारा नीचे दिया जाता है :—

1979-80	1980-81	1981-82
	(रुपए लाखों में)	
17.00	25.68	38.30

इसके अलावा, पूरक पोषाहार पर व्यय केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा वहन किया गया जो इस प्रकार है :—

1979.80	1980-81	1981-82
	(रुपए लाखों में)	
34.00	30.00	43.00

समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के क्षेत्रों में पूरक पोषाहार के लिए दिल्ली नगर निगम अथवा नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा कोई राशि नहीं दी गई है ।

(ख) और (ग) सरकार को रिपोर्ट की जानकारी है । जांच पड़ताल करने पर रिपोर्ट क निराधार पाया गया । यह कहना गलत है कि आंगनबाड़ियों में बच्चों को उचित और शुद्ध भोजन नहीं दिया जाता है । दिल्ली प्रशासन द्वारा सभी परियोजना कार्यकर्ताओं को अनुदेश दिए गये हैं कि पूरक पोषाहार के लिए उपयोग में लायी जाने वाली सामग्री अच्छी किस्म का हो और पकाने से पहले उसको पूरी तरह साफ कर लिया जाए ।

विवरण

"आंगनबाड़ी" परियोजना तथा बच्चों को शुद्ध भोजन उपलब्ध कराने के लिए उपाय

स्वीकृति देने का वर्ष	परियोजना	खण्ड का नाम
1975-76	शहरी	1. जामा मस्जिद
1978-79	शहरी	2. नांगलोई
1979-80	शहरी	3. नन्द नगरी
	शहरी	4. त्रिलोक पुरी
	शहरी	5. जहांगीर पुरी

1980-81	शहरी	6. सीमापुरी
1981-82	शहरी	7. आनन्द पर्वत
	शहरी	8. इन्द्रपुरी
1982-83	शहरी	9. वजीरपुर
	शहरी	10. सुल्तानपुरी
	ग्रामीण	11. महरौली
	ग्रामीण	12. कांझावला

राज्य क्षेत्र परियोजनाएं

1. खानपुर
2. शकूर पुर

तटवर्ती व्यापार

4035. श्री रेणुपद दास : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बी यात्राओं के लिए जल परिवहन सस्ता पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो तटवर्ती व्यापार को इसका देय दर्जा देने तथा इसमें हो रही भारी गिरावट को रोकने हेतु अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) और (ख) लम्बी दूरी के लिए सड़क परिवहन की तुलना में जल परिवहन सस्ता है । भारत सरकार ने तटवर्ती नौवहन के लिए आठवें दशक की योजना के लिए तटवर्ती नौवहन समिति का गठन किया, जिसने तटवर्ती नौवहन के विकास के लिए अनेक सिफारिशें की । सरकार ने समिति की कुछ सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं । और शेष पर दूसरे संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

अधिकारी स्तर पर भारत-पाक वार्ता

4036. श्री बी० वी० देसाई : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्विपक्षीय मामलों के संबंध में अधिकारी स्तर पर भारत-पाक वार्ता में विलम्ब हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) वार्ता किसके अनुरोध पर स्थगित की गई थी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (ग) भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव के स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत 11 से 13 अगस्त 1982 तक इस्लामाबाद में हुई । दोनों पक्षों के अधिकारियों की अगली बैठक नई दिल्ली में दिसम्बर में होगी ।

प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनिक प्रसार

4037. श्री बी० वी० देसाई : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1982 में, 'अध्यापक दिवस' के अवसर पर प्रारम्भिक शिक्षा सार्वजनिक प्रसार का एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अभियान 14 नवम्बर, 1982 को 'बाल दिवस' तक जारी रहेगा ;

(ग) यदि हां, तो क्या इसका मुख्य उद्देश्य प्रारम्भिक स्कूल स्तर पर छात्रों की भर्ती में वृद्धि करने तथा उन्हें स्कूल में बनाये रखना था ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी अनुवर्ती कार्यवाही सारे शिक्षा वर्ष भर तक चलती रहेगी ;

(ङ) प्राथमिक स्कूलों में बच्चों द्वारा स्कूल छोड़ जाने के मुख्य कारण क्या हैं और क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया था ; और

(च) स्कूल छोड़ने वाले बच्चों संबंधी अध्ययन प्रतिवेदन में बताई गई त्रुटियों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) जी, हाँ ।

(ङ) इसके मुख्य कारण सामाजिक आर्थिक हैं । इस विषय पर कोई विस्तृत देश-व्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(च) तथापि, अन्य अध्ययनों के जरिए उपलब्ध सूचना के आधार पर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कई उपायों की सिफारिश की गई है । इन उपायों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने सम्बन्धी विवरण

प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के कार्यक्रम के संदर्भ में व्यापक कदम उठाये गए हैं तथा विशेष रूप से स्कूल छोड़ जाने वालों की दरों को कम करने के लिए राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सुझाए गए उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) समस्त "प्रारम्भिक शिक्षा" को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम० एन० पी०) के अन्तर्गत शामिल किया गया है और योजना के अन्तर्गत शिक्षा में "प्रारम्भिक शिक्षा" को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

(2) सभी बस्तियों की आवश्यकताओं को देखते हुए प्राथमिक तथा मिडिल स्कूल ऐसे स्थानों पर खोलना जहां बच्चे आसानी से पैदल चल कर पहुंच सकें।

(3) स्कूली शिक्षा की वर्तमान सुविधाओं का अधिक उपयोग करना।

(4) एकल-शिक्षक स्कूलों को दो-शिक्षक स्कूलों में बदलना।

(5) प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों की भौतिक सुविधाओं को सुधारना।

(6) काफी बड़े पैमाने पर अनौपचारिक अन्शकालिक शिक्षा की व्यवस्था करना।

(7) महिला-शिक्षकों को बड़े पैमाने पर नियुक्त करना तथा प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के लिए सहायक के रूप में शिशु सदनों/पूर्व स्कूलों की व्यवस्था करना।

(8) शैक्षिक योग्यता तथा सेवारत प्रशिक्षण के बेहतर स्तरों का प्रयोग करके शिक्षा क्षमता को सुधारना।

(9) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, भूमिहीन श्रमिक तथा गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग जैसे लक्ष्य-समूहों तथा लड़कियों की ओर विशेष ध्यान देना।

(10) निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक तथा लेखन सामग्री, निःशुल्क वर्दियां विशेष रूप से लड़कियों के लिए, उपस्थित छात्रवृत्तियों विशेष रूप से लड़कियों के लिए तथा मध्याह्न भोजन की पर्याप्त व्यवस्था करना।

(11) पाठ्यचर्यायों के विकेन्द्रीकरण के जरिए शिक्षा की कोटि को सुधारना तथा इन्हें विविध सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक परिस्थितियों में बच्चों की आवश्यकताओं, जीवन स्थिति और पर्यावरण के उपयुक्त बनाना।

(12) बिना ग्रेड वाली स्कूल प्रणाली शुरू करना तथा गतिरोध को समाप्त करना ताकि प्रत्येक बच्चा एक कक्षा को प्रत्येक वर्ष पूरा कर सके तथा तब तक उसकी कक्षोन्नति होती रहेगी जब तक वह कक्षा VIII पूरी करता है, किन्तु इसके लिए निरतन्र आधार पर आवाधिक मूल्यांकन और निर्धारण के जरिए पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय होने चाहिएं ।

(13) प्रारम्भिक स्तर पर प्रत्येक कक्षा में बहु-बिन्दू प्रवेश की व्यवस्था करना ।

(14) शैक्षिक रूप से पिछड़े ? राज्यों में सकेन्द्रित प्रयासों को इन राज्यों तथा प्रत्येक राज्य के पिछड़े क्षेत्रों, उप क्षेत्रों में भी अनौपचारिक कार्यक्रम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा बढाया गया है ।

(15) प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में उपस्थिति का अनुश्रवण ।

(16) पर्यवक्षी तन्त्र को सुदृढ़ करना तथा नीचे ब्लाक स्तर तक प्रारम्भिक शिक्षा के प्रशासन को विकेन्द्रित करना ।

(17) माता-पिता को शिक्षित करना ताकि बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा के प्रति उनकी उदासीनता को समाप्त किया जा सके और विशेष रूप से ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के सभी स्कूलों में स्कूल समितियां गठित करना ।

(18) शिक्षा प्रशिक्षण सहित प्रारम्भिक शिक्षा के लिए जन-संचार साध्य का अधिकाधिक प्रयोग ।

(19) शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में शिक्षा को व्यापक बनाने के कार्यक्रम के कार्यान्वियन के संबंध में मार्ग-दर्शन करने के लिए राष्ट्रीय प्रारम्भिक शिक्षा समिति गठित करना तथा इन राज्यों में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए राज्य कार्य-बल स्थापित करना ।

(20) प्रारम्भिक आयु-वर्ग बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के वास्ते अध्यापन तथा अध्ययन सामग्री तैयार करने हेतु सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कागज की केन्द्रीय सहायता ।

प्रधान मंत्री की जापान यात्रा

4038. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की जापान यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच सहयोग क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता पर सहमति प्रकट की ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में दोनों नेता किन्हीं समझौतों पर पहुंचे थे; और

(ग) यदि हाँ, तो किए गए समझौते का ब्योरा क्या है और ये समझौते किस सीमा तक कार्यान्वित किये गये हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) प्रधान मन्त्री की जापान की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी सम्बन्धों को बेहतर बनाने की अपनी इच्छा व्यक्त की और दोनों देशों के बीच सहकारी आर्थिक सम्बन्धों में नए विकास का स्वागत किया।

(ख) और (ग) इस यात्रा के दौरान केवल सामान्य विचार-विमर्श हुआ और न तो किसी करार पर विचार-विमर्श किया गया और न कोई करार सम्पन्न ही हुआ।

भारत-फ्रांस सम्बन्ध

4039. **श्री बो० वी० देसाई :**

श्री पी० एम० सईद : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस और भारत के बीच सम्बन्धों में सुधार हो रहा है;

(ख) क्या विदेश मन्त्री की फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ हुई हाल की बातचीत और फ्रांस के रक्षा मंत्री की भारत यात्रा से दोनों देशों के सम्बन्धों में और मजबूती आई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि लगभग वे सभी निर्णय जो प्रधान मंत्री की फ्रांस यात्रा के दौरान लिए गए थे अब कार्यान्वित किए जा चुके है; और

(घ) क्या भारत और फ्रांस ने विश्व शांन्ति के लिए एक साथ कार्य करने हेतु भी सहमति प्रकट की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) विगत वर्षों में भारत-फ्रांस सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच अनेक प्रोतोकोलों तथा समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये जाने से इसमें और प्रगति हुई है।

(ख) फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ बातचीत और फ्रांस के रक्षा मंत्री की भारत-यात्रा हमारे दोनों देशों के बीच सलाह-मशविरा जारी रखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे आदान-प्रदान और यात्राओं से दोनों देशों के संबंध और सुदृढ़ होगें।

(ग) प्रधान मंत्री की फ्रांस-यात्रा के दौरान लिए गए सभी निर्णयों पर मुस्तैदी से कार्यवाही की जा रही है। कार्यकारी दलों का गठन किया गया है और इस संबंध में विस्तृत ब्यौरों को अन्तिम रूप देने के लिए दोनों देशों के विशेषज्ञों की बैठकें होती हैं।

(घ) भारत और फ्रांस विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए अनेक वर्षों से सहयोग कर रहे हैं। दोनों देशों ने बिगड़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर, जिससे विश्व शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है, समान रूप से चिन्ता व्यक्त की है। वर्तमान तनाव को कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने पर दोनों देशों ने सहमति प्रकट की।

तितिलागढ़ से तलचर तक रेल गाड़ी शुरू करने की मांग

4040. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी भाग को उड़ीसा राज्य की राजधानी और उड़ीसा उच्च न्यायालय से जोड़ने के लिए तितिलागढ़ से तलचर तक एक रेलगाड़ी शुरू करने की माँग की गई है ;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का क्या विचार है।

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस समय 77/78 उत्कल एक्सप्रेस और 143/144 कलिंग एक्सप्रेस खड़गपुर, टाटानगर, चक्रधरपुर और राउरकेला के रास्ते पुरी से झारसुगुडा तक पूर्वी और पश्चिमी उड़ीसा के बीच सीधा सम्पर्क उपलब्ध कराती हैं। टिटलागढ़ से/के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ये गाड़ियां झारसुगुडा में 331/332 राउरकेला कंटाबांजी पैसेंजर से कनेक्शन लेती हैं। इसके अलावा खोरदा रोड़, विजयनगरम और टिटलागढ़ के रास्ते रायगढ़ और कटक के बीच एक स्लिप कोच द्वारा पूर्वी और तटीय उड़ीसा से भी सम्पर्क बना हुआ है। इस स्लिप कोच का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्य न होने के अलावा, लाइन क्षमता की तंगी, कोंचिंग स्टाक तथा टर्मिनल सुविधाओं की कमी के कारण टिटलागढ़ और तालचेर के बीच एक गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

उड़ीसा में तुमकेलाघाट (बोनाईगढ़) निकट ब्रह्मणी नदी पर पुल

4041. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में तुमकेलाघाट (बोनाईगढ़) के निकट ब्रह्मणी नदी पर वर्ष 1982-83 में एक पुल का निर्माण किया जाएगा ; और

(ख) उस राष्ट्रीय राजमार्ग पर उक्त पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की आशा है ?

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) वर्ष 1982-83 की योजना में जो निर्माण कार्य मंजूर किए गए हैं उनमें तुमकेलाघाट (बोनाईगढ़) के पास ब्रह्मणी नदी पर पहुंच मार्गों सहित पुल के निर्माण का कार्य भी शामिल है जिनमें उन पहुंच मार्गों पर चार छोटे-छोटे पुलों का निर्माण भी आता है। इसकी कुल लागत 451 लाख रुपए है। इसके बारे में व्यय के अनुमान हाल ही में राज्य सरकार से प्राप्त हुए हैं। मंजूरी के लिए इनकी जांच की जा रही है।

(ख) यह योजना है कि यह पुल निर्माण कार्य शुरू होने पर चार से पांच वर्षों में बन कर तैयार हो जाय।

भुवनेश्वर और हावड़ा के बीच 'डे लाइट सुपर फास्ट एक्सप्रेस रेल गाड़ी'

4042. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भुवनेश्वर और हावड़ा के बीच 'डे लाइट सुपर फास्ट एक्सप्रेस रेल गाड़ी' आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब क्रियान्वित किया जा रहा है ; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) फिलहाल नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हल्दिया पत्तन में तेल जेटी

4043. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके विभाग ने हल्दिया पत्तन में दूसरी तेल जेटी स्थापित करने हेतु योजना और ब्ल्यू प्रिंट तैयार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) से (ग) जी नहीं। हल्दिया पोर्ट में तेल जेटी के निर्माण के लिए परामर्शदाताओं द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस परियोजना की पूरी स्कीम तैयार की जाएगी।

कालेज और विश्वविद्यालय अध्यापकों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत

4044. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालेज तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों व कर्मचारियों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत (एल० टी० सी०) योजना आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू छुट्टी यात्रा रियायत योजना में केवल उन विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अध्यापकों और कर्मचारियों को शामिल किया गया है, जिन्हें केन्द्रीय सरकार से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त होता है और जिनके कर्मचारियों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए संस्वीकृत भत्तों की दरें लागू होती हैं ।

बीबीनगर-नादीकुडे रेलवे लाइन का पूरा होना

4045. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीबीनगर-नादीकुडे रेलवे लाइन के कार्य कब तक पूरा होगा ;

(ख) क्या यह कार्य निर्धारित समय के अन्दर पूरा हो जाएगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) बीबीनगर और नलगोंडा के बीच एक बड़ी लाइन के प्रथम 74 कि० मी० का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और चरणों के रूप में इसे 27.3.1981 से यातायात के लिए खोल दिया गया है । शेष खंड (75.4 कि० मी०) में नलगोंडा और नलगोंडा से थोड़ा-सा आगे अर्थात लगभग 41 कि० मी० की लम्बाई पर कार्य प्रगति पर है । इस खंड पर निर्माण कार्य पर लगभग 49 प्रतिशत प्रगति हो चुकी है । इस खंड का निर्माण कार्य पूरा होना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा । अभी तक इस निर्माण के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गयी है ।

मेझिया से होते हुए रानीगंज से बांकुरा तक रेलवे लाइन तथा दामोदर नदी पर पुल का निर्माण

4046. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेझिया से होते हुए रानीगंज से बांकुरा तक रेलवे लाइन का निर्माण करने तथा दामोदर नदी पर रेल-व-सड़क पुल के निर्माण के लिए निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य के कब से आरम्भ होने की आशा है ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में लाइब्रेरियनों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान

4047. **श्री रामलाल राही** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने अपने दिनांक 8.12.1981 के अर्थशासकीय पत्र सं० एफ० 2.2/82 यू० आई० द्वारा उत्तर प्रदेश में राजकीय विश्वविद्यालयों से कहा है कि वे उनसे सम्बद्ध अधीन डिग्री व पोस्ट ग्रेजुएट कालेजों में लाइब्रेरियनों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतन-मान स्वीकृत करें ;

(ख) यदि हां, तो उक्त निदेशों पर रोहिलखंड विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश की क्या प्रतिक्रिया रही ;

(ग) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने राज्य में डिग्री कालेजों में लाइब्रेरियनों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान पहले से ही स्वीकृत किए हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो रोहिलखंड विश्वविद्यालय द्वारा मंत्रालय के उपरोक्त डी० ओ० अन्तर्विष्ट निदेश कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं और रोहिलखंड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट कालेजों के लाइब्रेरियनों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान स्वीकृत करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी०के० युंगन) : (क) प्रश्नाधीन पत्र राज्य सरकारों को, विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में पुस्तकाध्यक्षों तथा शारीरिक शिक्षा के निदेशकों/प्रशिक्षकों के वेतनमानों को बढ़ाने के प्रस्ताव पर उनके विचार प्राप्त करने के लिए भेजा गया था । इस मामले में विश्वविद्यालयों को कोई पत्र नहीं भेजा गया था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पंजाब सरकार, इस योजना को अन्तिम रूप दिए जाने तथा राज्य सरकार को सूचित किए जाने पर, कालेजों में पुस्तकाध्यक्षों को बढ़े हुए वेतनमान देने पर सहमत हो गई है ।

(घ) जहाँ तक रोहिलखंड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों का सम्बन्ध है, यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकार तथा लागू की जानी है । राज्य सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में पुस्तकाध्यक्षों तथा शारीरिक शिक्षा निदेशकों के वेतनमानों को बढ़ाने के प्रस्ताव पर अपने विचार अभी तक नहीं भेजे हैं ।

सीतापुर जिला, उत्तर प्रदेश में जी० टी० रोड पर बाई-पास

4048. **श्री राम लाल राही** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में जी० टी० रोड पर बाई-पास के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ?

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 24 पर सीतापुर में बाई-पास के निर्माण के लिए अधिकांश भूमि प्राप्त कर ली गई है । शेष भाग को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है, जो थल सेना के अधिकार में हैं ।

प्रधान मन्त्री की विदेश यात्रा

4049. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** :

प्रो० मधु दण्डवते : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने पिछले नौ महीनों (1982) में अनेक देशों की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हाँ, तो उन देशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रत्येक यात्रा में उनके साथ जाने वाले अधिकारियों, पत्रकारों/संवाददाताओं और प्रधान मन्त्री के निकट सम्बन्धियों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) जी हाँ ।

(ख) प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित देशों की यात्रा की ।

यूनाइटेड किंगडम	:	21-27 मार्च
सऊदी अरब	:	17-20 अप्रैल
संयुक्त राज्य अमरीका	:	27 जुलाई से 4 अगस्त

जापान	:	5-6 अगस्त
मारीशस और मोजाम्बिक	:	23-28 अगस्त
सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ	:	20-26 सितम्बर

(ग) उक्त स्थानों पर प्रधानमन्त्री के साथ जाने वाले व्यक्तियों के नामों की सूची संलग्न हैं । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5668/82] ।

सीनियर सैकंडरी स्कूलों में अध्यापकों की कमी

4050. श्री आर० एन० राकेश : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोरबाग, किदवई नगर आदि के विभिन्न गवर्नमैंट सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अध्यापकों की भारी कमी है ;

(ख) क्या वर्तमान अध्यापक नियमित नहीं हैं और विशेष बसों आदि के मामले में भी इन स्कूलों के अध्यापकों को महत्व नहीं दिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली के अन्य नियमित कालेजों के अध्यापकों और विद्यार्थियों के बराबर उन्हें समझाकर सेवा और अन्य शर्तों के मामले में अध्यापकों और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने के विचार हैं ; और

(घ) यदि तथा नहीं , तो क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार जोरबाग, किदवई नगर इत्यादि के राजकीय प्रौढ़ वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में अध्यापकों की कमी है । इन स्कूलों में अंशकालिक आधार पर अध्यापकों नियुक्त किए गए हैं और वहां छात्रों के लिए विशेष बसों की कोई व्यवस्था नहीं है ।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (स्कूल) की अध्यक्षता में स्कूलों में अध्यापकों के हितों के संरक्षण से सम्बन्धित प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है । छात्रों को रियायती दरों पर सभी मार्ग के बस पास की सुविधा प्रदान की गई है । उनको ऐसी अन्य आवश्यक सुविधाएं भी दी गई है, जो अन्य स्कूलों को उपलब्ध हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार

4051. श्री बिजय कुमार यादव : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1982 के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बिहार राज्य के उच्च विद्यालयों के अध्यापकों का अन्तिम रूप से चयन कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन अध्यापकों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी , हां । राष्ट्रीय पुरस्कार, 1982 के लिए बिहार के माध्यमिक स्कूल अध्यापकों के नामों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ।

(ख) नाम इस प्रकार हैं :—

(1) श्रीमती कुमुद शरण ,
प्रिन्सिपल,
बंकीपुर बालिका उच्च विद्यालय , पटना ।

(2) श्री आदिनाथ मिश्र ,
प्रिन्सिपल ,
राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल , गर्दनीबाग, पटना ।

डा० लोक नाथ मिश्र ,

(3) हैडमास्टर ,
चौधरी केदार नाथ उच्च विद्यालय , सिन्धवाड़ा , दरभंगा ।

रेलवे बोर्ड के एग्जीवीशन अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

4052. श्री हीरा लाल आर० परमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धोखाधड़ी के मामले में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा की गयी सिफारिश पर रेलवे बोर्ड के एग्जीवीशन अधिकारियों सहित जिन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध गंभीर दांडिक कार्यवाही की सिफारिश की गयी थी ;

(ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श कब प्राप्त हुआ तथा मामले को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(घ) मामले को निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने रेल मन्त्रालय द्वारा अपने स्तर पर निम्नलिखित कार्रवाई किए जाने की सिफारिश की थी :—

(1) प्रदर्शनी अधिकारी एवम् व्यापार प्रबन्धक, रेलवे बोर्ड के विरुद्ध कड़े दंड के लिए कार्यवाही शुरू करना ।

(2) भूतपूर्व उप निदेशक, रेलवे बोर्ड को साधारण लिखित चेतावनी देना ।

(3) रेलवे बोर्ड के पांच अन्य अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त समझी जाने वाली कार्रवाई करना ।

रेल मन्त्रालय ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह मानी है । मद (I) के सम्बन्ध में प्रदर्शनी अधिकारी एवम् व्यापार प्रबन्धक, रेलवे बोर्ड के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही पहले से ही की जा रही है । (II) के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी को भविष्य में अधिक सावधान रहने की चेतावनी पहले ही दे दी गयी है । मद (III) के सम्बन्ध में, रेल मन्त्रालय ने विनिश्चय किया है कि प्रदर्शनी अधिकारी एवम् व्यापार प्रबन्धक, रेलवे बोर्ड के विरुद्ध शुरू की गयी विभागीय कार्रवाई के पूरा होने पर उनके मामले में कार्रवाई की जा सकती है ।

(ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने अन्तिम सलाह 20-2-1982 को दी है जो इस मंत्रालय में 24-2-1982 को प्राप्त हुई है ।

(घ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह के कार्यान्वयन में कोई विलम्ब नहीं हुआ है क्योंकि इसे रेल मन्त्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है ।

मनमाड-औरंगाबाद लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

4053. श्री उत्तम राठौर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण मध्य रेलवे के मनमाड-औरंगाबाद सेक्शन की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य शुरू किया गया है ;

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है ;

(ग) अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है ; और

(घ) इस परियोजना के कब पूरे हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) 13 करोड़ रुपए ।

(ग) 31-3-1982 तक 1.82 करोड़ रुपए ।

(घ) परियोजना के पूरा होने की तारीख संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

नवयुग जूनियर स्कूल विनय मार्ग

4054. श्री काजी सलीम : क्या शिक्षा तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवयुग जूनियर स्कूल, विनय मार्ग, दिल्ली के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और दोपहर का भोजन, स्टेशनरी तथा कपड़े जूते आदि जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं ;

(ख) क्या मंत्रालय के ध्यान में यह लाया गया है कि विद्यार्थियों को घटिय स्तर की बस्तुयें उपलब्ध कराई जाती हैं ;

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) नवयुग स्कूल को कितना धन आवंटित किया गया था तथा पिछले एक वर्ष में कितनी राशि व्यय की गई ; और

(ङ) यदि आवंटित धन की तुलना में कम व्यय हुआ है तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार किसी भी छात्र से कोई शिक्षा शुल्क नहीं लिया जाता है । नवयुग जूनियर स्कूल के छात्रों को दोपहर का भोजन नहीं दिया जाता है । ब्रेड, दूध तथा फल जैसा केवल हल्का जलपान दिया जाता है । इसके अलावा, जहाँ तक लेखन सामग्री वस्त्र, जूतों आदि जैसी अन्य सुविधाओं का सम्बन्ध है, जिन बच्चों के माता-पिता की कुल आय 15,000/-रुपए प्रति वर्ष तक है, उनको इनके लिए कुछ नहीं देना पड़ता है किन्तु जिन बच्चों के माता-पिता की कुल आय 15,000/- रुपए प्रति वर्ष से 20,000/-रुपए प्रतिवर्ष तक है, उनको उपरोक्त सुविधाओं के लिए आधा खर्च वहन करना होता है और जिन

बच्चों के माता-पिता की कुल आय 20,000/- रुपए प्रति वर्ष तथा इससे अधिक है, उनको पूरा खर्च वहन करना होता है। तथापि, सभी छात्र स्कूल द्वारा समय-समय पर यथा-निर्धारित परिवहन व्यय वहन करते हैं ।

(ख) ऐसी कोई शिकायत मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) उपरोक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए 2.98 लाख रुपए की धन राशि आवंटित की गई थी और उक्त वर्ष में किया गया व्यय 2.41 लाख रुपए था ।

(ङ) मुख्य रूप से "वेतन तथा भत्ता" शीर्ष के अन्तर्गत बचत हुई है । इसका कारण यह है कि स्टाफ को निर्धारित अवधि से कम अवधि तक सेवा में रखा गया था ।

25 वर्ष की सेवा के पश्चात भी बाल भवन सोसाइटी के अस्थायी कर्मचारी

4055. कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल भवन सोसाइटी, कोटला नई दिल्ली में काम करने वाले सभी कर्मचारी 25 वर्ष या उससे अधिक की सेवा के पश्चात भी अस्थायी है ;

(ख) अब तक, बिना नोटिस दिए बाल भवन सोसाइटी के कितने कर्मचारी सेवा से हटाए गए ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में, सरकार को कर्मचारियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) जी हां, तथापि, बाल भवन सोसायटी द्वारा अपने उपनियमों में पात्र कर्मचारियों के स्थायीकरण के वास्ते उचित संशोधन करने के लिए कुछ व्यवस्था की जा रही है ।

(ख) और (ग) बाल भवन सोसायटी से प्राप्त सूचना के अनुसार, अपने सेवा के उपनियमों की व्यवस्थाओं का अनुसरण किए बिना उनके द्वारा सेवा से किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाला गया है ।

एक कर्मचारी से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, जिसे बाल भवन सोसायटी द्वारा सेवा से निकाल दिया गया था उनको कोई उत्तर नहीं भेजा गया था, क्योंकि वे मामले को न्यायालय में ले गए थे ।

(घ) मामले की जांच की जा रही है ।

बाल भवन सोसायटी लिमिटेड के कर्मचारियों की सेवा-शर्तें

4056. **श्री गुफरान आजम** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल भवन सोसायटी, कोटला रोड, नई दिल्ली की सेवा शर्तों को नियमित करने वाले नियम मौजूद हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है ; और

(ग) इन कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियमित करने वाले नियमों को बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां । बाल भवन सोसायटी के कर्मचारियों की सेवा-शर्तें, समय-समय पर यथा संशोधित बाल भवन सोसायटी, भारत, सेवा-उप-नियम द्वारा अभिशासित होती हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बाल भवन सोसायटी के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी

4057. **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल भवन सोसायटी, कोटला रोड, नई दिल्ली के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, पेंशन आदि दी जाती है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) बाल भवन सोसाइटी, भारत, के कर्मचारी, इसकी स्थापना से ही अंशदायी भविष्य-निधि की एक योजना के अन्तर्गत आते हैं । इन कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी, 1982 से एक उपदान (ग्रेच्युटी) योजना लागू कर दी गई है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मद्रास के मद्रास मेडिकल कालेज का स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के रूप में दर्जा बढ़ाया जाना

4058. श्री वी० कुननदईवेलु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मद्रास के मद्रा मेडिकल कालेज का दर्जा बढ़ाकर उसे स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के रूप में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय ने उक्त प्रस्ताव के बारे में तमिलनाडु सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) तमिलनाडु सरकार ने हमें सूचित किया है कि वे मद्रास मेडिकल कालेज का दर्जा बढ़ाकर उसे स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान संस्थान बनाया जा रहा है। यह संस्थान प्रौद्योगिकी कैम्पस, एडयार में खोला जाएगा और यह अति-विशेषज्ञता पाठ्यक्रम प्रदान करेगा।

सफदरजंग अस्पताल, मेडिकल आफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा की गई मांगें

4059. श्री सुधीर कुमार गिरि : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सफदरजंग अस्पताल 'मेडिकल आफिसर्स' वेलफेयर एसोसिएशन ने उप-कुलपति को लिखे एक पत्र में कुछ माँगें उठाई हैं ;

(ख) यदि हां, तो एसोसिएशन द्वारा उठाई गई वे मांगें क्या हैं ;

(ग) उनकी मांगें पूरी करने के लिए अब तक सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ; और

(घ) यदि कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) उनकी मुख्य मांगें हैं अध्यापन पदनाम देना, मानदेय में वृद्धि करना, विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान कालेज के शासी निकाय और दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्य शैक्षिक निकायों में प्रतिनिधित्व देना और चिकित्सा अधिकारियों के तबादले और तेनातियां करना।

(ग) और (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान कालेज के छात्रों को क्लीनिकल शिक्षा देने वाले सफदरजंग अस्पताल के 46 डाक्टरों को पहले ही अध्यापन पदनाम प्रदान किये हैं। तथापि डाक्टरों के प्रतिवेदन पर दिल्ली विश्वविद्यालय भारतीय चिकित्सा परिषद की सिफारिशों पर इन पदनामों की समीक्षा करने के लिए सहमत हो गया है। डाक्टरों के मानदेय को इस समय 150 रु० से बढ़ाकर 25 रु० प्रतिमास कर दिया गया है। विश्वविद्यालय ने ऐसी व्यवस्था कर दी है जिसके अन्तर्गत महा निदेशक, स्वास्थ्य सेवा तथा चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, कालेज के शासी निकाय के सदस्य हैं। विश्वविद्यालय सफदरजंग अस्पताल से अन्य अस्पतालों को डाक्टरों के तबादले के कारण हुए रिक्त स्थानों पर म० नि० स्वा० से० द्वारा अनुमोदित पैनल से कालेज में अध्यापन के लिए डाक्टरों की नियुक्ति करने के लिए भी सहमत हो गया है।

गैर-सरकारी अस्पतालों में नियुक्त कनिष्ठ चिकित्सकों की सेवा शर्तें

4060. **श्री कुंवर राम :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी अस्पतालों में कार्य करने वाले कनिष्ठ चिकित्सकों (रेजिडेंट मेडिकल अफसरों) की सेवा शर्तें निधारित की गई हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन शर्तों का मूलचन्द अस्पताल, दिल्ली जैसे अस्पतालों में पालन किया जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार पंजीकृत गैर-सरकारी अस्पतालों के कनिष्ठ चिकित्सकों की सेवा शर्तें निर्धारित करने के लिए शीघ्र ही कोई कानून बनाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) प्राइवेट अस्पतालों में कार्य कर रहे जूनियर डाक्टरों (आवासिक चिकित्सा अधिकारियों) के लिए भारत सरकार ने कोई सेवा शर्तें निर्धारित नहीं की हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ?

निदेशक, भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर

4061. **श्री जार्ज फर्नान्डीस :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक ऐसा ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें निदेशक भारतीय प्रबन्ध संस्थान बंगलौर के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० युंगन) : (क) जी, हां ।

(ख) ज्ञापन में दिए गए अधिकांश आरोप वही हैं जिनकी संस्थान के शासी बोर्ड की विशेष समिति द्वारा पहले ही जांच की जा चुकी है और वे निराधार पाए गए । तथापि, सरकार का प्रस्ताव ज्ञापन को समुचित कार्रवाई के लिए शासी बोर्ड के अध्यक्ष के पास भेजने का है ;

महाकौशल आयुर्वेद यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, जबलपुर द्वारा दी जाने वाली ए० बी० एम० एस० डिग्री को मान्यता न दिया जाना

4062. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री महाकौशल आयुर्वेद यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, जबलपुर द्वारा दी जाने वाली ए०बी०एम०एस० डिग्री को मान्यता न दिये जाने के बारे में 29 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10192 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 में महाकौशल आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड जबलपुर की ए० बी० एम० एस० की डिग्री को शामिल करने का मामला कब से केन्द्र सरकार के विचाराधीन है और किस तारीख तक बायदे को पूरा किया जायेगा ;

(ख) क्या इस डिग्री को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम में शामिल न करने के कारण जबलपुर बोर्ड की इस ए.बी.एम.एस. डिग्री वाले वैद्यों को हुई हानि की सरकार को जानकारी है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस विसंगति को कितनी जल्दी दूर करने का विचार है, क्या जबलपुर बोर्ड की ए०बी०एम०एस० डिग्रीधारियों को लाभ दिए जाएंगे क्योंकि दोनों ही पाठ्यक्रम एक ही राज्य द्वारा आयोजित किए जाते हैं और यदि हां तो कब से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) महा कौशल आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, जबलपुर द्वारा दी जाने वाली ए०बी०एम०एस० अर्हता को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची में शामिल करने के लिए नवम्बर, 1979 में जो अनुरोध प्राप्त हुआ था उसे भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के पास उसकी टिप्पणी के लिए भेज दिया गया था जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है । चूंकि यह अर्हता पहले से ही राज्य अधिनियम की अनुसूची में शामिल है, इसलिए इस अर्हता वाले

व्यक्ति राज्य में प्रक्टिस कर सकते हैं। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की अनुसूची में इसे शामिल करने के बारे में निर्णय परिषद की टिप्पणियां मिलने के बाद किया जाएगा।

राजकीय सह शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राष्ट्रपति भवन

4063. श्री निहाल सिंह : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकीय सहशिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली को दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के गरीब छात्रों में वितरित करने के लिए विद्यालय को कितनी मात्रा में कपड़ा सप्लाई किया गया ; और

(ग) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के सिवा अन्य किसी छात्र को यह कपड़ा नहीं दिया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

वर्ष	वितरित किए गए कपड़े की मात्रा
1979-80	959 मीटर
1980-81	294 मीटर
1981-82	436 मीटर

(ग) जी, नहीं। प्रति माह 500/-रु० तक की आय के आधार पर न कि किसी अन्य आधार पर केवल निर्धन छात्रों को ही कपड़ा वितरित किया जाता है। इस अनुमोदित योजना के अन्तर्गत केवल मिडिल/माध्यमिक/सीनियर माध्यमिक स्कूल ही आते हैं।

महाराष्ट्र में विकलांक शिक्षा और अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया सर्वेक्षण

4064. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक विकलांग शिक्षा और अनुसंधान संस्थान द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण से यह पता चला है कि महाराष्ट्र में लगभग 90 प्रतिशत ग्रामीण बच्चे पोलियो के शिकार हो जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार किसी चिकित्सा विशेषज्ञ दल को महाराष्ट्र का दौरा करने के लिए भेजने का है ताकि वह पता लगा सके कि महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कमियां हैं जिसके कारण इतने अधिक बच्चे पोलियो का शिकार हो रहे हैं और इन्हें अपने बाकी जीवन के लिए अपंग बना रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस खतरनाक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन बच्चों को जो अभी पोलियो से प्रभावित नहीं हुए हैं इस रोग से प्रतिरक्षण प्रदान करने के लिए तत्काल डाक्टर और पोलियो वैक्सीन भेजेगी, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यक्रम तैयार किया गया हो तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बो० शंकरानन्द) : (क) से (ग) समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार विकलांग शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुणे में महाराष्ट्र के 17 जिलों में बच्चों में पोलियो की घटना के बारे में एक सर्वेक्षण किया था। वैसे, सरकार को इस रिपोर्ट की कोई प्रति नहीं मिली है। राज्य के स्वास्थ्य प्राधिकारियों के सहयोग से स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा किए गए एक नमूना सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि 1000 बच्चों के पीछे 1.5 से 1.9 तक की राष्ट्रीय प्रतिशतता की तुलना में महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में 0.4 वर्ष की आयु के बच्चों में पोलियो की घटनाओं की दर एक हजार बच्चों के पीछे 0.99 से 1.87 तक भिन्न भिन्न है। इससे महाराष्ट्र में कोई विशेष अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं समझी गई है।

बिहार में विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान

4065. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978-79 और 1980-81 के दौरान बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों को, विशेष रूप से मिथिला-विश्वविद्यालय को दिए गए विकास अनुदानों के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के०युंगन) : पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों को दिए गए कुल अनुदान इस प्रकार हैं :—

(लाख रुपयों में)

	1979-80	1980-81	1981-82
1. भागलपुर	8.66	30.03	20.92
2. बिहार	13.02	6.17	16.32
3. रांची	14.55	18.00	17.12
4. मगध	12.05	8.98	11.25
5. पटना	15.95	34.33	36.58
6. के०एस० दरभंगा	1.09	4.76	7.75
7. मिथिला	0.56	2.06	0.67

मिथिला विश्वविद्यालय को कोई सामान्य विकास अनुदान नहीं दिया गया है, क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12-क के अन्तर्गत निर्मित नियमों में यथा अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में राज्य सरकार/विश्वविद्यालय से पूरी सूचना प्राप्त नहीं हुई थी।

मध्य और पश्चिम रेलवे में कर्मचारियों की संख्या

4066. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के बम्बई से कारजात, कसारा, मनखुर्द, बांदा जैसे उपनगरीय स्टेशनों में स्थित विभिन्न कार्यालयों, गुड्स शेडों, वर्कशापों, स्टेशनों सिगनल केबिनों, लाइन मेन्टेनेन्स आदि विभिन्न स्थापनाओं में 31 अगस्त, 1982 की स्थिति के अनुसार कार्यरत मध्य रेलवे के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों (चाहे वे स्थायी हैं अथवा अस्थायी) की कुल संख्या कितनी थी ;

(ख) इसके बम्बई से विरार जैसे उपनगरीय स्टेशनों में 31 अगस्त, 1982 की स्थिति के अनुसार, पश्चिम रेलवे की उपरोल्लिखित स्थापनाओं की कुल संख्या कितनी थी ; और

(ग) उपरोक्त प्रत्येक रेलवे के उनके सम्बद्ध उपनगरीय क्षेत्रों में किसी भी स्थान पर (31 अगस्त, 1982 की स्थिति के अनुसार) रनिंग स्टाफ (सभी श्रेणियों के) की कुल संख्या क्या है ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

शासकीय महाविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर

4067. श्री मनोरंजन भक्त : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शासकीय महाविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर में छात्रों की संख्या कितनी है और क्या विषय पढाए जाते हैं ;

(ख) इस महाविद्यालय में लेक्चरारों/प्रोफेसरों की वर्तमान स्वीकृति संख्या कितनी है और उनमें से कितने पद भरे गए हैं ; और

(ग) क्या शासकीय महाविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर में लेक्चरारों/प्रोफेसरों की कमी है, यदि हां, तो यह कमी कब से है और किन-किन विषयों में है तथा इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) अंदमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, राजकीय कालेज, पोर्टब्लेयर में 1982-83 के सत्र में छात्रों की कुल संख्या 387 हैं। अवर स्नातक स्तर पर निम्न-लिखित विषय पढ़ाए जाते हैं :—

अंग्रेजी, हिन्दी, राजनीति शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, संगीत, बंगला, गृह-विज्ञान, वाणिज्य तथा गणित।

इसके अलावा संस्कृति, बंगला, उर्दू तथा सैनिक प्रशिक्षण में अतिरिक्त विषयों के अध्यापन के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं।

अंग्रेजी तथा राजनीति विज्ञान में उत्तर-स्नातक कक्षाएं भी संचालित की जाती हैं।

(ख) राजकीय कालेज, पोर्ट ब्लेयर में लैक्चरारों की कुल संख्या 38 है, जिसमें से नियमित आधार पर 25 पद संघ लोक सेवा आयोग के जरिए तथा 9 पद तदर्थ आधार पर भरे गए हैं।

(ग) विभिन्न विषयों में निम्नलिखित पद 1981 से खाली पड़े हुए हैं :—

अंग्रेजी..... एक

राजनीति शास्त्र ... एक

वाणिज्य ..... दो

अंदमान तथा निकोबार प्रशासन ने संघ लोक सेवा आयोग से इन पदों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने का अनुरोध किया है।

मुख्य अध्यापकों का वेतन

4068. श्री भीखा भाई : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक स्कूलों में काम करने वाले ऐसे मुख्य-अध्यापकों मुख्य अध्यापिकाओं और वरिष्ठ अध्यापकों के वेतन के बारे में विसंगति हैं, जो अपने कनिष्ठ अध्यापकों, विशेष रूप से ऐसे अध्यापकों से कम वेतन पाते हैं, जिन्हें चयन ग्रेड दिया जा चुका है ;

(ख) ऐसें वरिष्ठ मुख्य अध्यापकों/मुख्य अध्यापिकाओं की संख्या क्या है ; जो कम वेतन पा रहे हैं, तथा विसंगति के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ग) 27-5-1970 को अध्यापकों के वेतनमानों के संशोधन के समय, विशेष वेतन निर्धारण सूत्र को अपनाने तथा 5-9-1971 और 1-1-1973 से अध्यापकों की कुछ श्रेणियों के लिए चयन ग्रेड आरम्भ करने के परिणाम-स्वरूप दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक स्कूलों के कनिष्ठ मुख्य अध्यापकों की तुलना में मुख्य-अध्यापकों के वेतनमानों में विसंगति पैदा हो गई थी।

इस मामले पर सरकार द्वारा विचार किया गया और नगर निगम के प्राधिकारियों को, 15-5-1982 से दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में वरिष्ठ मुख्य-अध्यापकों के वेतनमानों को उनके कनिष्ठ प्रतिस्थानियों की तुलना में, बढ़ा कर इस विसंगति को दूर करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। दिल्ली नगर निगम द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, वेतनमानों को बढ़ाकर इस विसंगति को दूर करने के लिए, नगर निगम के सभी प्राथमिक स्कूलों को उपरोक्त अनुदेश भेज दिए गए थे।

नेत्र शिविर की बजाय चलते-फिरते अस्पतालों के लिए विशेषज्ञ राय

4069. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेषज्ञ राय के अनुसार नेत्र-शिविर लगाने की बजाय चलते-फिरते अस्पताल अधिक उपयुक्त हैं तथा नेत्र-शिविर लगाने के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अनुमति आवश्यक है ;

(ख) क्या शहरी क्षेत्रों में, जहां अनेक अस्पताल होते हैं, नेत्र-शिविरों की आवश्यकता नहीं है, यदि हां, तो शिविर लगाने की रोकथाम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, ताकि

प्रशिक्षित नेत्र-सर्जनों और योग्य डाक्टरों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके तथा नीम हकीमों को रेजर-ब्लेड से चीड़-फाड़ करने से रोका जा सके; और

(ग) ऐसे कथित आर० एम० पी० एस० की समस्या को सरकार का कैसे हल करने का विचार है, जिन्होंने पत्राचार के माध्यम से अथवा कम्पाउन्डर के रूप में काम करके आयुर्वेदिक, यूनानी या होम्योपैथिक, किसी भी प्रकार का कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हुआ है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) नेत्र शिविर आयोजित करने के लिए सरकार के मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यह व्यवस्था है कि शिविरों में आखों के आपरेशन योग्य और अनुभवी शल्य चिकित्सकों द्वारा तथा स्वच्छ वातावरण में किए जाएं। ऐसे-नेत्र-शिविरों को आयोजित करने के लिए जिले के स्थानीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी की पूर्व अनुमति इसलिए लेनी होती है कि इनका तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्य उपबन्धों का पालन होता रहे।

(ख) अनुमोदित पैटर्न के अनुसार स्वैच्छिक संगठनों को 50,000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों या कस्बों में आयोजित किए जाने वाले नेत्र-शिविरों में इन्ट्रा-आकुलर आपरेशन करने के लिए सहायता-अनुदान देय है।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 के अधीन केवल अर्हता प्राप्त चिकित्सक ही आंखों का आपरेशन कर सकते है। इन अधिनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने पर एक वर्ष तक की कैद या 1000/-रुपए तक के जुर्माना या दोनों का दंड दिया जा सकता है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में तकनीकी अर्हतायें वाले स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी की नियुक्ति

4070. श्री के० लकप्पा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 10 (4 – क) (स्थानीय स्वास्थ्य) प्राधिकारी को पकड़े गए नश्वर खाद्य पदार्थों को नष्ट करने के आदेश देने की शक्ति प्रदान करती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि उपर्युक्त (क) के बारे में सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन स्थानीय (स्वास्थ्य) अधिकारी के पास तकनीकी अर्हताएं और खाद्य स्वास्थ्य विज्ञान और मानव स्वास्थ्य के संबंध में अनुभव होना चाहिए ;

(ग) यदि हां, तो सामान्य जनता के स्वास्थ्य के हित में तकनीकी अर्हताएं और खाद्य स्वास्थ्य विज्ञान तथा मानव स्वास्थ्य में अनुभव रखने वाले अधिकारियों को स्थानीय (स्वास्थ्य) अधिकारी के रूप में तैनात करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा-10 (4-क) के अधीन स्थानीय (स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम की उप-धारा-4 के अन्तर्गत पकड़े गए नश्वर किस्म के किसी खाद्य पदार्थ को मनुष्य के उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर उक्त प्राधिकारी बिक्रेता को लिखित नोटिस देकर उस पदार्थ को नष्ट करा सकता है ।

खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी के लिए कोई अर्हताएं निर्धारित नहीं की गई हैं, लेकिन समय-समय पर राज्य सरकारों को यह सलाह दी जाती रही है कि वे स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी के रूप में उन्हीं अधिकारियों को नियुक्त करें जो तकनीकी पृष्ठभूमि और यथेष्ट अनुभव रखते हों ।

राज्यों में समेकित पोषण योजना कार्यक्रम का शुरू किया जाना

4071. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में समेकित पोषण योजना कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में यह कार्यक्रम कब शुरू किया गया है ;

(ग) तब से उस राज्य में उपरोक्त योजना के अन्तर्गत क्या क्या कार्यक्रम शुरू किए गए हैं ; और

(घ) वर्ष 1982-83 में उड़ीसा में उपरोक्त कार्यक्रम को क्रियान्वित करने संबंधी सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) राज्यों में "समेकित पोषण योजना कार्यक्रम" नामक किसी कार्यक्रम को प्रारम्भ नहीं किया गया है । 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं को पोषाहार, स्वास्थ्य और अनौपचारिक शिक्षा की समेकित सेवाएं प्रदान करने के लिए 1975-76 में सभी राज्यों में समेकित बाल विकास सेवा योजना को प्रारम्भ किया गया था । राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया था कि विशेष पोषाहार कार्यक्रम (जिसका उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु-के बच्चों और गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषाहार प्रदान करना है) को सहायक स्वास्थ्य और अनौपचारिक शिक्षा सेवाओं की सहायता से मजबूत करके उन्नत किया जाए ।

1982-83 की समाप्ति तक उड़ीसा राज्य में 27 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनायें होंगी। उड़ीसा में राज्य के क्योंझर और मयूरभंज जिलों में विशेष पोषाहार कार्यक्रम को उन्नत करने के लिए भी एक परियोजना तैयार की है।

"ए० आई० आई० एम० एस० स्टिल्ड हिंज हार्ट" शीर्षक से समाचार

4072. **श्री नारायण चौबे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 अक्तूबर, 1982 के "ब्लिट्ज" में "ए० आई० आई० एम० एस० स्टिल्ड हिंज हार्ट" शीर्षक से प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें जन्मगत हृदय गति रुकने के रोग से पीड़ित शिशु के पिता को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सकों द्वारा सूचित यह करने में कथित बिलम्ब हुआ बताया गया था कि बच्चे का आपरेशन करने की सुविधाएं संस्थान में नहीं है, और फलस्वरूप उस बच्चे की मृत्यु हो गई ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस घटना के बारे में कोई जाँच की गई है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) समाचार के अनुसार यह आरोप लगाया गया है कि जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित इस तीन महीने के बच्चे की देख-भाल कर रहे भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डाक्टर ने अपने कर्तव्य पालन में लापरवाही बरती तथा बच्चे के माता-पिता को यह सलाह देने में बड़ा बिलम्ब कर दिया कि बच्चे की चिकित्सा कराने के लिए उसे मद्रास ले जाएं जहां ऐसे आपरेशनों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्राधिकारियों ने इस मामले की जांच की है और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि रोगी का समुचित उपचार करने अथवा उसे मद्रास भिजवाने के बारे में कोई बिलम्ब नहीं हुआ है।

सरकार के अंतर्गत तकनीकी पदों के लिए दृष्टि प्रखरता स्तर

4073. **श्री गुफरान आजम** :

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के अन्तर्गत तकनीकी पदों के लिए दृष्टि-प्रखरता का स्तर क्या है ;

(ख) क्या स्वतः समायोजन न हो पाने पर मोतियाबिन्द की शल्य चिकित्सा के पश्चात तकनीकी मद के लिए कोई व्यक्ति योग्य माना जाता है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो दिल्ली के एक प्रमुख हस्पताल में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के श्रेणी एक के कुछ विशेषज्ञों को सूक्ष्म शल्य चिकित्सा करने की अनुमति कैसे दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सरकारी सेवा में प्रवेश के समय ऐनक लगाने वाले व्यक्तियों के लिए दृष्टि का स्तर है—एक आँख 6/6, दूसरी आंख 6/12 या दोनों आंखें 6/9 प्रत्येक। मोतियाबिन्द की शल्य चिकित्सा के पश्चात तकनीकी पदों पर नियुक्ति के लिए नियमों में दृष्टि के स्तरों की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

देहरादून-रकसोल तथा पार्श्व सड़क

4074. श्री अशफाक हुसैन : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गिरजापुरी और बाधा से होकर देहरादून से रकसोल तक पुनः पार्श्व सड़क का निर्माण करने का है ;

(ख) क्या पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश को उत्तर बिहार से जोड़ने के लिए बाघा के निकट, पानी गडक नदी (नारायणी) पर एक पुल का निर्माण करने की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार के पास इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) यह सड़क राज्य की सड़क है। इसलिए इसके निर्माण का दायित्व सम्बन्धित राज्य सरकार पर है जिसमें बानी गंडक पर पुल का निर्माण कार्य भी शामिल है। इस परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार की कोई स्कीम नहीं है।

भाषा शिक्षकों (महिला) के लिए चयन ग्रेड

4075. श्री दया राम शाक्य : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के अधीन सरकारी स्कूलों में भाषाई शिक्षकों (महिला) के सम्बन्ध में, 425-640 रुपये के वेतनमान में, हाल ही में संशोधित एक चयन ग्रेड है :

(ख) यदि हां, किस तारिख से शिक्षक चयन ग्रेड में लिए जाने के पात्र होते हैं और भूतलक्षी प्रभाव से चयन ग्रेड में लिए जाने के लिए प्रतीक्षित शिक्षकों की संख्या क्या है;

(ग) क्या इस चयन ग्रेड में कोई प्रोन्नति की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रकार चयन ग्रेड में की गई प्रोन्नतियां वरीयता के आधार पर की गई है;

(ङ) क्या गलत वरीयता के आधार पर चयन ग्रेड में कोई प्रोन्नति की गई है ;

(च) यदि हां, तो क्या चयन ग्रेड में गलत प्रोन्नतियों को ठीक कर दिया है और सामान्य नियमों की अनुपालना में अधिकारी व्यक्तियों को चयन ग्रेड में ले लिया गया है ; और

(छ) इन गलत प्रोन्नतियों के विषय में यदि कोई कार्यवाही की गई हो, तो वह क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) (क) जी, हाँ ।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना, के अनुसार, कनिष्ठ भाषा अध्यापिकाओं की श्रेणी में निम्नलिखित चयन ग्रेड के पदों का सृजन किया गया था :—

पद	किस तारिख से
5	5-9-1971
1	1-1-1973
2	1-7-1973

उन आध्यापकों के, जिन्हें गलती से चयन ग्रेड दे दिया गया था, प्रत्यावेदनों का पूरी तरह से निपटान करने के बाद उतनी ही कनिष्ठ भाषा आध्यापिकाओं को लाभ पहुंचेगा ।

(ग) जी, हाँ । चार महिला अध्यापकों को 5.9.1971 से चयन ग्रेड दिया गया था ।

(घ) और (ङ) दिल्ली नगर निगम द्वारा भेजी गई वरीयता सूची के आधार पर चयन ग्रेड तब दिया गया था जब 1.7.70 से पूर्व दिल्ली नगर निगम में कार्यरत इन अध्यापकों की सेवाएं दिल्ली प्रशासन को सौंप दी गई थी । तथापि, दिल्ली नगर निगम द्वारा वरीयता सूची में बाद में संशोधन कर दिए जाने के कारण संशोधित वरीयता सूची के अनुसार चयन ग्रेड देने के लिए कुछ परिवर्तन करने पड़े थे ।

(च) और (छ) दिल्ली प्रशासन द्वारा चयन ग्रेड वापिस लेने के आदेश अब जारी कर दिए गए हैं लेकिन अधिक अदायगी की वसूली अभी की जानी है। जैसे ही वसूली कर ली जाएगी हकदार व्यक्तियों को चयन ग्रेड दे दिया जाएगा।

भावनगर तथा राजकोट डिवीजनों में रेलवे भूमि पर कब्जा

4076. श्री रामजी भाई मावणि : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के भावनगर और राजकोट डिवीजनों में तथा दिल्ली और देश के अन्य भागों में विभिन्न रेलों के अधीन रेलवे भूमि का अनाधिकार कब्जा किए जाने के अनेक मामले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसको खाली करवाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या अवैध कब्जा करने देने के बारे में कुछेक रेल कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो उन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) ऐसे कितने मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) सभी भारतीय रेलों पर लगभग 85,000 मामले में अतिक्रमण किया गया है। अधिकतर अतिक्रमण आवास के प्रयोजन के लिए झुग्गियों, झोपड़ियों के रूप में किए जाते हैं। कुछ मामलों में, दुकानों आदि जैसे वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग किया जा रहा है। अतिक्रमण का केन्द्रीकरण आम तौर पर बड़े कस्बों और महानगरों में होता है। भावनगर मंडल से 8, राजकोट मंडल में 164 और दिल्ली में 4969 अतिक्रमण के मामलों की संख्या होने की रिपोर्ट मिली है।

(ग) अतिक्रमण की घटनाओं की और आगे रोकथाम करने तथा समझा-बुझाकर अतिक्रमणों को हटाने अथवा सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की वेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन कार्रवाई करके रेल प्रशासन चरणबद्ध तरीके से निरन्तर प्रयास करते हैं। वर्ष 1981-82 की अवधि में लगभग 7500 अतिक्रमण हटाए गए जबकि 6100 नये अतिक्रमण नोटिस में आये।

(घ) और (ङ) रेल कर्मचारियों के विरुद्ध कुछ सामान्य शिकायतें प्राप्त हुई थीं और उनकी जाँच की गई थी। लेकिन विस्तृत ब्यौरों अथवा साक्ष्य के अभाव में इन आरोपों को सिद्ध करना संभव नहीं था।

(च) भूमि के अवैध कब्जे की अनुमति देने के बारे में रेल कर्मचारियों के कोई मामले न्यायालय के विचाराधीन नहीं हैं।

"अस्पताल के कर्मचारियों की बीमार बस्ती" शीर्षक समाचार

4077. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जुलाई, 1982 के "सांध्य टाइम्स" में प्रकाशित 'अस्पताल के कर्मचारियों की बीमार बस्ती" शीर्षक समाचार तथा दिनांक 13 सितम्बर, 1982 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित "लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल-रोगियों की शिकायत सुनने वाला कोई नहीं" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन अस्पतलों की स्थिति की जांच की है ; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहें हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) 13 सितम्बर, 1982 के साँध्य टाइम्स में इस प्रकार का कोई समाचार नहीं हैं। किन्तु ऐसा एक समाचार 13 सितम्बर, 1982 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित हुआ है। सरकारी अस्पतालों को प्रायः अत्यधिक भीड़-भाड़ की स्थिति में ही कार्य करना होता है। रोगियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है और उन्हें पंजीकरण की औपचारिकताएं निभाने के बाद परीश्रण और विभिन्न प्रकरा के अन्वेषण आदि कराने होते हैं। मुख्यतया इन्हीं कारणों से सेवायें सुलभ कराने में देरी हो जाती है। मरीजों शौर उनके साथियों की लगातार भीड़ भाड़ से भी इन अस्पतालों की सफाई व्यवस्था पर असर पड़ता है। इन कठिनाइयों के बाबजूद रोगियों की ओर समय पर ध्यान देने और सफाई के अपेक्षित स्तर को बनाए रखने के लिए भरपूर प्रयास किए जाते हैं।

विशाखापत्तनम बन्दरगाह से निर्यात किया गया लौह अयस्क

4078. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम बन्दरगाह से पिछले दो वर्षों में निर्यात किये गये लौह अयस्क की मात्रा के वार्षिक ब्यौरे क्या हैं ;

(ख) इस पद के निर्यात के लिए विशाखापत्तनम बन्दरगाह की लादने-उतारने संबंधी क्षमता क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि लौह अयस्क के स्टाक यार्ड की कन्वेयर बेल्टों के माध्यम से जाना पड़ता है जो कि नगर के बीचों-बीच गुजरती है ; और

(घ) क्या सरकार लौह अयस्क के स्टाक यार्ड के वर्तमान स्थान से संतुष्ट है जो बन्दरगाह के उपकरणों के दक्ष तथा पूर्ण उपयोग के रास्ते में रुकावट है ?

नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री सी०एम० स्टीफन) : (क) विशाखापत्तनम पोर्ट से 1980-81 और 1981-82 में क्रमश: 56.57 लाख टन और 61.94 लाख टन कच्चे लोहे का निर्यात हुआ ।

(ख) विशाखापत्तनम पोर्ट से प्रतिवर्ष 80 लाख टन कच्चा लोहा लाया ले जाया सकता है ।

(ग) जी । स्टाक यार्ड से जहाज तक कच्चा लोहा कनवेयर बैल्ट से लाया जाता है । इस कनवेयर बैल्ट का लगभग 500 मीटर तक एक छोटा सा भाग शहर से होकर गुजरता है जो पूरी तरह ढका हुआ है ।

(घ) स्टाक यार्ड ब्यौरेवार जांच करने के बाद मौजूदा स्थान पर बनाया गया है और इससे पत्तन पर मशीनरियों के चलने आदि पर कोई असर नहीं पड़ता है ।

हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के विकास के लिए केन्द्रीय अनुदान

4079. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1979-80 के बाद से हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के विकास के लिए दिये जा रहे केन्द्रीय अनुदान में कमी कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्ष 1979-80, 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 के लिए उक्त प्रयोजनार्थ, पृथक-पृथक कितना केन्द्रीय अनुदान दिया गया ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) विवरण संलग्न है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5669/82]

भारत-बंगला देश संयुक्त आयोग

4080. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत बंगला देश संयुक्त आयोग इसलिए गठित किया गया है कि वह अपने संबंधों में पर्याप्त रूप से आर्थिक गतिविधि भी शामिल करे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) जी हां।

(ख) संयुक्त आर्थिक आयोग की स्थापना के बारे में 7 अक्तूबर, 1982 को हस्ताक्षरित करार का पूर्ण पाठ 11 अक्तूबर, 1982 को सदन की मेज पर रख दिया गया था।

आयोग की पहली बैठक इस मास के अन्त में दिल्ली में होने वाली है। (व्यवधान)।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, रेलगाड़ी पर यूथ कांग्रेस के लोगों ने पत्थर फेंके हैं (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री को अपना वक्तव्य देने दीजिए।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : पंजाब के बारे में पहले भी स्टेटमेन्ट दे चुके हैं। इसमें सभी लोगों को तकलीफ है, चाहे वे इधर के हों या उधर के हों। आपके पास कालिंग अटेन्शन और एडजर्नमेन्ट मोशन पड़े हुए हैं, उन पर आप डिस्कशन करवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना वक्तव्य देने दीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, इस तरह के जो वक्तव्य यहां पर दिए जाते हैं उन पर आप हमें स्पष्टीकरण पूछने का मौका नहीं देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए तो मैं बहस करवा दूंगा।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : लेकिन पार्लमेन्ट तो कल बन्द हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : संसद सतत प्रक्रिया है। यह कभी समाप्त नहीं होता। कृपया बैठ जाइये।

श्री राम विलास पासवान : मैं नियम के अन्तर्गत जानना चाहता हूं कि आज मन्त्री महोदय स्टेटमेन्ट दे रहे हैं, कल प्राइवेट मेम्बर्स बिल्स आयेंगे, अगर कोई मेम्बर डिस्कशन चाहेगा भी तो डिस्कशन कैसे हो सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं हो सकता है तो नहीं होगा । (व्यवधान) कोई बात नहीं । ऐसा नहीं होगा । उन्हें अपना वक्तव्य देने दीजिए । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात कहने दीजिए । उन्हें वक्तव्य देना है । इससे स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे भी थोड़ा मौका बोलने का दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे पास विचाराधीन है । मैंने आपको विवरण में कोई परिवर्तन किए बिना सुनाने की अनुमति दी है । आपने अपना वक्तव्य दे दिया है । अब यह हम पर निर्भर है···मुझे यह बात आपको स्पष्ट करने दीजिए ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । महोदय, 'शून्य काल' हमारा विशेषाधिकार है···।

अध्यक्ष महोदय : यह विशेषाधिकार नहीं है । यह व्यवधान है । यह सदन के समय का दुरुपयोग है । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : कोई शून्य काल नहीं । शून्य काल समाप्त कर दिया गया है । अब गृह मंत्री वक्तव्य देंगे ।

पंजाब की स्थिति के बारे में वक्तव्य

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : महोदय, सरकार पंजाब की स्थिति से बहुत चिंतित है । प्रधान मंत्री और मन्त्रिमण्डल के वरिष्ठ सदस्यों ने अकालियों के प्रतिनिधियों से कई बार मुलाकात की । प्रधान मंत्री ने उन्हें बताया कि व्यवहारिक रूप से सभी धार्मिक मांगें स्वीकार न की जा सकती हैं लेकिन उसका ब्यौरा तैयार करना होगा । लेकिन उनकी अन्य मांगों के कारण इस पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका ।

हाल ही में हुए आंदोलन के दौरान, सरकार ने संकट को दूर करने के और प्रयास किए तथा वह अकाली नेताओं की पांच सदस्यीय समिति ने सरदार स्वर्ण सिंह के माध्यम से हाल ही में जो मांगें भेजी उन पर विचार कर रही है । कुछ मांगों के सम्बन्ध में समझौते के कुछ क्षेत्रों का पता लगाया गया है । अन्य मांगें विभिन्न राज्यों से संबंधित हैं । इसलिए निर्णय लेने से पूर्व पंजाब और अन्य सम्बन्धित सरकारों तथा अन्य सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों के साथ भी परामर्श

करना होगा। सबके साथ विचार विमर्श किया गया और मैंने संबंधित राज्यों के मुख्य मन्त्रियों और अन्य लोगों, जिसमें विपक्षी दलों के नेता और संसद सदस्य शामिल हैं, से सम्पर्क किया। यह प्रक्रिया जारी रहेगी। संभवतः इस प्रक्रिया में कुछ और समय लगेगा।

निर्णय लेते समय सरकार राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सभी वर्ग के लोगों के कल्याण की उपेक्षा नहीं कर सकती।

सरकार को आशा है और उसका विश्वास है कि अकाली दल के प्रतिनिधि अपनी समस्याओं को विस्तृत संदर्भ में देखेंगे। हम उन्हें और आगे चर्चा करने तथा अपना आंदोलन समाप्त करके उचित वातावरण बनाने के लिए पुनः आमंत्रित करते हैं। मुझे आशा है कि वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा कुछ नही किया जायेगा जिससे तनाव उत्पन्न हो अथवा हिंसा और भड़के। मेरा सभी दलों से अनुरोध है कि वे इसमें अपना सहयोग प्रदान करें।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, शुरू में एक सवाल उठाया गया था कि मन्दिर, गुरुद्वारों की पवित्रता को देखते हुए, इनको बीच में लाकर देश की अखंडता को न तोड़ा जाये। यह सवाल इस तरीके से नहीं आना चाहिए।... (व्यवधान)।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, मैंने गृह मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर अल्पावधि चर्चा करने की आपकी अनुमति लेने के लिए एक प्रस्ताव का नोटिस दिया था। यह चर्चा कल की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे।

श्री रत्न सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : महोदय, यह कहना होगा कि गृह मन्त्री के वक्तव्य का स्वागत है लेकिन इस पर पूरे सदन में चर्चा होनी चाहिए और विस्तार से वाद विवाद किया जाना चाहिये। एक पूर्ववृत है, जब गुजरात में दंगे हो रहे थे तब उस पर इस पूरे सदन ने पांच घंटे से भी अधिक समय तक वाद विवाद किया। इससे गुजरात की स्थिति जानने में सहायता मिली। यदि पूरा सदन एकमत होकर चर्चा करे, तो इससे पंजाब की स्थिति सामान्य होने में सहायता मिलेगी। इसलिए इस पर लम्बी-चौड़ी चर्चा होनी चाहिए न कि अल्पकालिक चर्चा।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे पास विचाराधीन है। हम स्थिति के अनुसार इसे देखेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, देश की एकता सर्वोपरि है।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल सही बात है।

श्री रामावतार शास्त्री : इनके बयान में इस बात की चर्चा है यह बहुत अच्छी बात है। उसको ध्यान में रखते हुए इस समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : देश है, तो हम हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : लेकिन इस सम्बन्ध में सदस्यों की राय सुन लेनी चाहिए। इसकी आपको व्यवस्था करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सुन लिया।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, हम गृह मन्त्री महोदय के दृष्टिकोण का स्वागत करते हैं। किन्तु मैं यह बात पूछना चाहता हूं कि यदि कल सदन स्थगित किया जाता है तो उस पर यहां चर्चा की जानी चाहिए और उस सम्बन्ध में और अधिक सुझाव आने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय एकता के बारे में चिन्ता है और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जब समय आयेगा हम उस पर विचार करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, वह समय कल आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : देखा जाएगा।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : सदन को कल स्थगित किया जाएगा। कल हमें सरकारी कार्य पर भी विचार करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : उस पर हम विचार कर लेंगे। अभी मैंने अपना निर्णय नहीं दिया है। मन्त्री महोदय।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है, मैं समझता हूं पूरा सदन उनके साथ है। इसके बाद अपनी-अपनी राय रखने का सबको अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : समय आने पर देख लिया जाएगा। हम स्थिति के अनुसार देख लेंगे।

श्री रामविलास पासवान : मैं जो कहना चाहता हूं, वह सुन लीजिए। मैंने आपसे पहले भी पूछा था। कल हाउस में प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस है, जो साढ़े तीन बजे शुरू हो जाएगा। वाजपेयी जी ने कहा है कि मैंने मोशन दिया हुआ है। यदि आप इसको करवाना चाहेंगे, तो कैसे होगा।

अध्यक्ष महोदय : देखा जाएगा। (व्यवधान)।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय : क्या सुझाव है ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैं मन्त्री महोदय के बयान का स्वागत करते हुए कहना चाहता हूं कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी···।

अध्यक्ष महोदय : यह बात हो गई है। ···(व्यवधान)··· ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए। मैंने इनकी बात सुनी है। मैंने तथ्य मंगा लिए हैं। यह सारी बातें हैं। इसके बारे में आप मेरे से मिल लेना।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : आप इसी सदन में घोषणा कर चुके हैं कि स्टेटमेंट सुनने के बाद मामला प्रिवलेज कमेटी को भेज दिया जाएगा ···(व्यवधान)···।

अध्यक्ष महोदय : जांच करनी पड़ती है। कल एक और हो रहा था। यह सारी बातें देखनी पड़ती हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कह सकता। इसमें समझौते का प्रश्न नहीं उठता। ···(व्यवधान)।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, मैं कई बार सवाल उठा चुका हूं। नियम 377 के अन्तर्गत भी इस बात को कह चुका हूं। एशियाड गेम हो रहे हैं, सारी दिल्ली को सजा रहे हों, लेकिन भारत के दरबार पर महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं लगाई है। आपको इस बारे में वचन देना पड़ेगा कि महात्मा गांधी ···(व्यवधान)···।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है, आपकी बात सुनी गई। आपने इसको नियम 377 के अधीन भी उठाया है। आप भी जरा ध्यान कर लीजिए। बापू का काम सबसे पहले है।

संसदीय कार्य और निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि इंडिया गेट पर महात्मा गांधी का स्टेचू लग जाएगा। यह तो मैंने कैटोगोरिकली कहा है। इसकी जल्दी कार्यवाही चल रही है। शीघ्र लगाने की कोशिश में है और इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। ···(व्यवधान)···।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मेरे विचार से सत्र समाप्त होने में एक दिन ही शेष है। मुझे एक ही बात कहनी है। कृपया उसे सुन लीजिए। 13 अगस्त को मैंने नियम 115 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी। कार्यालय से तथा आपसे मुझे यह पता चला है कि 13 अगस्त को प्रधान मंत्री का मुर्गी और चूजे के उसी मामले पर ब्यान था। वाजपेयी जी का भी उसमें उल्लेख था। आपके सचिवालय ने मुझे बताया है कि हमारा पत्र प्रधान मन्त्री सचिवालय भेज दिया गया है किन्तु वहां से अभी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। आपने कहा है कि आपने स्पष्टीकरण मांगा है। यह बात पुनः वैसे ही हो रही है। मारुति के मामले में प्रधान मन्त्री सचि-

वालय ने कोई सहयोग नहीं दिया था और प्रधान मन्त्री के लिए समस्या खड़ी हो गई थी। मैं नहीं चाहता कि उनके सामने पुन: उसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो जाए। अब क्या हो रहा है···।

अध्यक्ष महोदय : क्या यही बात कहनी है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या सही है ? आपने क्या बात कही है ? मुझे सुनने दीजिए। महोदय आपने जो बात कही है, उसे मुझे सुनने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसकी जाँच करूंगा। आज ही करवा लूंगा।

श्री बाबू राव परांजपे (जबलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रिवलेज का मोशन भेजा है···।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

इंडियन सोसाइटी आफ इन्टर्नेशनल लॉ, नई दिल्ली का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : मैं श्री पी० वी० नरसिंह राव की ओर से, इंडियन सोसाइटी ऑफ इन्टर्नेशनल लॉ (अन्तर्राष्ट्रीय विधि भारतीय संस्था) नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-5616/82]।

मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना एवं विलम्ब होने के कारण बताने वाला विवरण

नौवहन एवं परिवहन मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि०, 432 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 8 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जो विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (पत्तन प्रभारों के भुगतान की विधि) विनियम, 1974 के संशोधन के बारे में है।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गए। संख्या एल० टी० 5616/82] (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे।

राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं उसके कार्यकरण की समीक्षा तथा विलम्ब सम्बन्धी विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर होने में विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—5618/82]।

भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने सम्बन्धी विनियम) नियम, 1982

बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, पटना के 1 अक्तूबर, 1977 से 30-9-1978 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : मैं श्री राव बीरेन्द्र सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने संबंधी विनियम) अधिनियम, 1981 की धारा 25 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने सम्बन्धी विनियम) नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 26 अगस्त, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि०, 619 (अ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०—5619/82]।

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, पटना के 1 अक्तूबर, 1977 से 30 सितम्बर, 1978 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड. पटना का 1 अक्तूबर, 1977 से 30 सितम्बर, 1978 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 5620/82] ।

खुदाबख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी (अनुरक्षण) विनियम, 1981, और पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलाँग के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे, वार्षिक प्रतिवेदन एवं उसके कार्यकरण की समीक्षा, आदि

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : मैं श्रीमती शीला कौल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पर रखता हूं :—

(1) खुदाबख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम, 1969 की धारा 28 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत खुदाबख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी (अनुरक्षण) विनियम, 1981 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 11 सितम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11/22-के. बी. एल./76-2002 में प्रकाशित हुए थे । [ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०-5621/82] ।

(2) (क) (एक) पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलांग के 1 जुलाई, 1980 से 30 जून 1981 की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलांग, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलांग, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—5622/82]।

(3) (क) (एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, के 1 सितम्बर, 1978 से 31 अगस्त, 1979 तक की अवधि का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के 1 सितम्बर, 1979 से 31 अगस्त, 1980 तक की अवधि का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, के 1 सितम्बर, 1970 से 31 अगस्त, 1981 की अवधि का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, के वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ख) उपर्युक्त (3) (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० —5623/82]।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखे।

इलैक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : मैं श्री सी० पी० एन० सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-5624/82]।

केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) भाण्डागारण निगम, अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय भाण्डागारण निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(2) केन्द्रीय भाण्डागारण निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखे गए । देखिये संख्या एल० टी० 5625/82] ।

छठी योजना के दौरान नई रेल लाइनों के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 844 के 7 अक्तूबर, 1982 को दिए गए उत्तर को शुद्ध करने वाला विवरण

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

छठी योजना के दौरान नई रेल लाइनों के बारे में प्रो० नारायण चन्द पराशर के अतारांकित प्रश्न संख्या 844 के 7 अक्तूबर, 1982 को दिए गए उत्तर को शुद्धकरने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—5626/82] । (व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है । (व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : स्थगन का प्रश्न ही नहीं है । बैठ जाइये । श्री विजय एन० पाटिल ।

हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं उसके कार्यकरण की समीक्षा

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिजय एन० पाटिल) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं : —

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया बया ।

(1) हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड, मद्रास, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड, मद्रास, के वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०—5627/82] ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? जो भी कहा जा रहा है उसे कार्यवाही-वृतान्त में शामिल न किया जाए । (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री सतीश अग्रवाल ।

लोक लेखा समिति

सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरण

श्री सतीश अग्रवाल : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सोने के अवैध आयात सम्बन्धी 66वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) के अध्याय एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और अध्याय-पांच के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तरों का विवरण ।

(2) सीमाशुल्क प्राप्तियों सम्बन्धी 140वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) के अध्याय-एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और अध्याय-पांच के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तरों का विवरण ।

(3) संघ उत्पाद-शुल्कों सम्बन्धी छठे प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और अध्याय-पांच के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तर का विवरण ।

** कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(4) पंचवर्षीय आवर्ती जमा खातों सम्बन्धी नवें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और अध्याय-पांच के सम्बन्ध अन्तिम उत्तरों का विवरण ।

(5) रक्षा सामग्री का निर्यात तथा एक कारखाने में उत्पादन की प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण सम्बन्धी 13वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण ।

(6) डीजल हाइड्रोलिक रेल इंजिन सम्बन्धी 13वें प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और अध्याय पांच के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तरों का विवरण ।

(7) विपणन और विक्रय संगठन संबंधी 16वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और अध्याय पांच के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तरों का विवरण ।

(8) बम्बई पत्तन न्यास सम्बन्धी 19वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और अध्याय-पांच के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तरों का विवरण ।

(9) रेल व्यय सम्बन्धी 20वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और अध्याय-पांच के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तरों का विवरण ।

(10) न्यासियों या भविष्य निधि आयुक्तों को भविष्य निधि की आदयगी न करने किए जाने सम्बन्धी 21वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण ।

(11) विदेशों के उर्वरकों की खरीद सम्बन्धी 31वें प्रतिवेदन के अध्याय एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण ।

(12) लोकतक पन-बिजली परियोजना सम्बन्धी 32वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण ।

(13) रक्षा सेवाओं सम्बन्धी 35वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण ।

(14) बड़ी कृषि जोतों पर धन-कर लगाने तथा अनुदृधृत ईक्विटी शेयरों के गलत मूल्यांकन सम्बन्धी 58वें प्रतिवेदन के अध्याय एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार

द्वारा की गई कार्यवाही और अध्याय-पांच के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तरों का विवरण ।

(15) दो कमानों के खरीद ठेकों सम्बन्धी 59वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और अध्याय-पांच के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तरों का विवरण ।

राज्य सभा से संदेश

सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना देनी है :—

(1) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य सन्चालन सम्बन्धी नियमों के नियम 115 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा 2 नवम्बर, 1982 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा अपनी 16 अक्तूबर, 1982 की बैठक में विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 1980 में किए गए निम्नलिखित संशोधनों से सहमत हुई ।

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"इकतीसवें" के स्थान पर "तेतीसवें"

प्रतिस्थापित किया जाये ।

खण्ड—1

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 4.—

"1980" के स्थान "1982"

प्रतिस्थापित किया जाये ।

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह बताने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा 3 नवम्बर,

1982 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 20 अक्टूबर, 1982 को पारित किये गये आन्ध्र साइंटिफिक कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) विधेयक 1982 से विना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(3) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह बताने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा 3 नवम्बर, 1982 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 16 अक्टूबर, 1982 को पारित किये गये चूना-पत्थर तथा डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक 1982 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

———

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

51वाँ और 54वाँ प्रतिवेदन

श्री मधु सूदन वैराले (अकोला) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) दिल्ली परिवहन निगम—दुर्घटनाएं तथा प्राइवेट बसें चलाने के सम्बन्ध में समिति के 25वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 51वां प्रतिवेदन।

(2) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड—ट्रैक्टर प्रभाग के सम्बन्ध में समिति के 28वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 54वां प्रतिवेदन।

———

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

27 वाँ प्रतिवेदन

श्री ए०सी० दास (जाजपुर) : मैं रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग-आयुध कारखाना बोर्ड और आयुध कारखानों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 27वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———

नागालैंड में प्रधान मन्त्री के भाषणों के संबंध में कुछ प्रेस रिपोर्टों के बारे में वक्तव्य

संसदीय कार्य और निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : कुछ माननीय सदस्यों ने परसों उन समाचारों का उल्लेख किया था जो 23 अक्तूबर 1982 के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए थे जिनमें कहा गया था कि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने नागालैंड में अपने भाषणों में यह कहा था कि केन्द्र-समर्थक राज्यों का केन्द्रीय सहायता पर दावा पहले है।

एक सरकारी प्रवक्ता इन गलत समाचारों का खंडन भी कर चुके हैं। फिर भी चूंकि माननीय सदस्यों ने सदन में इस सम्बन्ध में आगे स्पष्टीकरण चाहा है अतः मैं प्रधान मन्त्री द्वारा लिखे गये नोट को यहां पढ़ रहा हूं।

> "मेरा ध्यान 23 अक्तूबर, 1982 के कुछ समाचार पत्रों में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है, यह समाचार न केवल गलत हैं बल्कि शरारतपूर्ण भी हैं। नागालैंड एक नाजुक तथा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसकी विशेष प्रकार की समस्याएं हैं। मैंने कभी भी कहीं भी, इन अथवा अन्य चुनावों में यह नहीं कहा कि केवल कांग्रेस के लिये कार्यरत की ही सहायता की जायेगी। मेरी सरकार ने सभी राज्य सरकारों की चाहे वहां सत्तारूढ़ दल कोई भी क्यों न हो, सहायता की है।
>
> चूंकि मैं कांग्रेस की ओर से बोल रही थी, यह स्वाभाविक बात थी कि मैंने लोगों से काँग्रेस को वोट देने के लिए अपील की थी, साथ में यह भी कहा था कि काँग्रेसी उम्मीदवार अधिक प्रभावशाली हो सकेंगे क्योंकि वे आदिवासी और पहाड़ी लोगों तथा कमजोर वर्गों के हमारे कार्यक्रम में विश्वास करते हैं और उसका कार्यान्वयन करेंगे। किन्तु, मैंने देश की एकता की महत्ता पर तथा क्षेत्रीय दल की अपेक्षा एक राष्ट्रीय दल से होने वाले अधिक लाभों पर बल दिया था। मैंने यह भी कहा था कि सुरक्षा और विकास की दृष्टि से अपेक्षाकृत बड़ी पार्टी से सम्बद्ध होना अधिक लाभदायक होता है। मैंने इस बात पर भी बल दिया था कि नागालैंड का राष्ट्र की मुख्य धारा के अधिक समीप आना महत्वपूर्ण होगा। कोई भी व्यक्ति अथवा दल, जो दिल से राष्ट्र-हित चाहता होगा, नागालैंड में इस प्रकार की भावना का प्रतिपादन नहीं करेगा जिससे इस समीपता को क्षति पहुंचे।"

———

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का चौदहवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

— — —

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

नारियल जटा उद्योग में व्याप्त गंभीर स्थिति

श्री एम० एम० लारेंश (इदुक्की) : मैं उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

"नारियल जटा··· में स्टाक जमा हो जाने और पंजीकरण होने तथा कच्चे माल की कमी होने के कारण व्याप्त कथित गम्भीर स्थिति·····" 'कारपोरेशन' शब्द गलती से टाइप किया गया है, वास्तव में यह शब्द 'कोआपरेटिव्ज'— होना चाहिए। "भारतीय··· सहकारी संस्थायें"

(उपाध्यक्ष महोदय-पीठासीन हुए)

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : नारियल जटा उद्योग के सामने जो कठिनाइयां हैं, उनकी सरकार को जानकारी है और वह नारियल जटा तथा नारियल जटा उत्पादों की देश में और देश से बाहर बिक्री बढ़ाने के लिए निरन्तर समुचित उपाय कर रही है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह अनुरोध किया गया है कि वे नारियल जटा के साज सामान का अधिक से अधिक प्रयोग करें और नारियल जटा तथा नारियल जटा उत्पादों को विक्रय कर से छूट देने पर विचार करें। रेडियो समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में अधिक से अधिक विज्ञापन दिए गए हैं और नारियल जटा बोर्ड प्रदर्शनियों/मेलों में अधिकाधिक रूप से भाग ले रहा है। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप 1981-82 में इसका निर्यात30,079 मीटरी टनबढ़ गया जिसका मूल्य 26.94 करोड़ रूपये था जबकि पिछले वर्ष 25.55करोड़ रुपये के मूल्य के 28.610 मीटरी टन का निर्यात हुआ था। 1982-83 में अगस्त अन्त तक 1180 लाख रुपये के मूल्य के 12,910 मीटरी टन का निर्यात हुआ जब कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 1116 लाख रूपये के मूल्य के 12,287

मीटरी टन कर निर्यात हुआ था। नारियल जटा बोर्ड के प्रदर्शनकक्षों के माध्यम से इसकी बिक्री पिछले वर्षों के मुकाबले में भी बढ़ी है। 1981-82 में 147 लाख रुपये की बिक्री हुई जबकि 1980-81 में 116 लाख रूपये की ही बिक्री हुई थी।

राज्य सरकारों की नारियल जटा उद्योग में सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के उनके प्रयत्नों में मदद करने की दृष्टि से सरकार ने नारियल जटा उद्योग के सहकारीकरण के लिए एक योजना तैयार की है जिसका उद्देश्य अर्थक्षम सहकारी संस्थाओं का निर्माण और साधनक्षम निष्क्रिय समितियों को पुनर्जीवित करना और नारियल जटा कर्मकारों को सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाना है ताकि उत्पादन की किस्म और मात्रा में सुधार हो, कर्मकारों को अच्छा वेतन और पूर्ण रोजगार मिले और नारियल जटा उद्योग का समुचित विकास हो। नारियल जटा उद्योग के सहकारीकरण के लिए यह केन्द्र प्रायोजित योजना 21 अगस्त, 1982 से लागू हुई है। छठी योजना में इस योजना के लिए 9.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत शेयर पूंजी सहायता, प्रबन्ध और विपणन सहायता तथा आधुनिकीकरण उपकरणों की खरीद के लिए सहायता उपलब्ध होगी।

उच्च स्तरीय अध्ययन दल की आधुनिकीकरण समेत अन्य सिफारिशें अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं। सरकार को नारियल जटा के मैट (चटाई) क्षेत्र के मशीनीकरण से रोजगार पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी है जिनका इस सम्बन्ध में सरकार की नीति बनाते समय ध्यान रखा जाएगा।

सरकार को सहकारी समितियों को नियंत्रित मूल्य पर नारियल जटा की अपर्याप्त सप्लाई की जानकारी भी है और वह केरल सरकार के परामर्श से सहकरी समितियों को नारियल जटा की सप्लाई बढ़ाने के विभिन्न उपायों पर सक्रियता से विचार कर रही है।

श्री एम० एम० लारेंस : केरल में यह नारियल जटा उद्योग एक परंपरागत उद्योग है। इसमें केरल राज्य के बहुत से गरीब लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस उद्योग में— इस सामग्री के निर्माण तथा उसे विदेशों में निर्यात करने के कार्य में सैकडों छोटे उद्यमी लगे हुए हैं। भारत सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली नीति के कारण रोजगार की कमी के फलस्वरूप गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। भारत सरकार की वर्तमान नीति मशीनीकरण के लिए मदद करने की है जिससे उद्योग में रोजगार की संभावनायें कम हो रही हैं। इस उद्योग में लगभग पांच लाख कर्मकार लगे हुए हैं; परन्तु उन्हें निरन्तर रोजगार नहीं मिल रहा है। जैसा कि हम सभी भलीभांति जानते हैं, इस उद्योग की इस समय खराब स्थिति के कारण केवल कुछेक लोगों को रोजगार मिल रहा है। यह उद्योग मुख्यतः निर्यात पर निर्भर है। चटाइयों और नारियल जटा के अन्य उत्पादों का निर्यात किया जाता है। मशीनीकरण से पहले भी हथकरघा सामग्री का प्रयोग करके कर्मकार बहुत अच्छी किस्म के नारियल जटा उत्पादों का उत्पादन कर रहे थे। अब सरकार ने मशीनीकरण करना चाहा है। परन्तु मशीनीकृत उद्योग में निर्मित उत्पाद उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि हथकरघा उद्योग में उत्पादित उत्पाद। समस्या का एक पहलू यह है।

अब, सरकार यह दावा कर रही है कि वह नारियल जटा और नारियल जटा उत्पादों की देश में और देश से बाहर बिक्री बढ़ाने के लिए निरन्तर समुचित उपाय कर रही है।

अब माननीय मंत्री ने यह बताया है कि निर्यातित सामग्री की किस्म और उसका मूल्य दोनों ही ठीक है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या रोजगार क्षमता बढ़ रही है या कम हो रही है। वक्तव्य में इस बात का उत्तर नहीं दिया गया है। इसका सम्बन्ध उन कर्मकारों से है जो केरल राज्य में रह रहे हैं। लगभग 250 लाख लोग केरल में हैं और समूचा केरल तथा यह सम्मानित सभा भलीभांति जानती है कि उस राज्य में बड़े उद्योग अधिक नहीं हैं। यदि एक उद्योग में 5,000 लोग लगे हों और यदि आप उसे एक इकाई माने तो केरल में ऐसा कोई उद्योग नहीं है। यहाँ तक कि केरल में सरकारी क्षेत्र में पूंजीनिवेश भी अधिक नहीं है। (व्यवधान)। 5,000 या अधिक... (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि एक भी ऐसा उद्योग नहीं है जिसमें केरल के 5,000 से अधिक लोग काम करते हों।

श्री एम० एम० लारेंस : देश के अन्य भागों के मुकाबले में केरल राज्य में सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश बहुत कम है। बेरोजगारी बहुत अधिक है। 16 लाख से अधिक शिक्षित युवक बेरोजगार हैं। राज्य में लाखों अशिक्षित लोग बेरोजगार हैं। ऐसी स्थिति में क्या यह उचित है कि भारत सरकार उस परंपरागत उद्योग में मशीनीकरण के लिए मदद करें जो राज्य के गरीब लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान कर रहा है ?

अलेप्पी कम्पनी के नाम से अलेप्पी में एक कम्पनी है ; यह कम्पनी श्री रवि करूणाकरण के स्वामित्व में है। इस कम्पनी ने 'फ्लूरको' के नाम से एक और सह संस्था शुरू की है। इस एकक को 30 करघों के आयात के लिए लाइसेंस दिया गया था। परन्तु 30 करघे आयात करने की बजाय इसमें लगभग 89 करघों का आयात किया। समाचार पत्रों में ऐसी खबर छपी है। इसके बाद जांच की गयी और यह पता लगा कि कम्पनी ने इन करघों का आयात गैर-कानूनी ढंग से और धोखाधड़ी से किया था। समाचार पत्रों की खबरों के अनुसार कम्पनी पर लगभग 15 लाख रुपये का और इस कम्पनी के मालिक पर 5 लाख रुपये का जुर्माना किया गया। शुरू में उसने चटाइयों का निर्माण करने के नाम पर इस आयात के लिए लाइसेंस प्राप्त किया। सरकार ने मशीनीकृत क्षेत्र में कुल चटाइयों के 1/3 हिस्से का उत्पादन करने के लिए मंजूरी दी थी। इसका लाभ उठाने के लिए उन्होंने ये करघे आयात किए थे। नारियल जटा बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई जांच समिति ने यह तथ्य प्रकाश में लाया कि मेसर्स अलेप्पी कम्पनी ने 1976 में 'नारियल जटा उत्पादों' के आवेदन पत्र में दिए गए "मैटिंग" शब्द का धोखाधड़ी से शुद्धि करके अनुमति प्राप्त की थी। अन्ततः इसे मैट' में बदला गया जिसमें सरकार ने मशीनीकरण की मनाही की है। सरकार के निर्णय का उल्लंघन करके उसने इस मशीनरी का धोखाधड़ी से आयात किया। अब, उसने तामिलनाडु के अम्मान्डुविल्ला में एक उद्योग चालू किया है। उन पर कोई

कार्यवाही नहीं की गयी है । क्या सरकार कम्पनी द्वारा करघों के गैर-कानूनी ढंग से और धोखा-धड़ी से आयात करने के बारे में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के माध्यम से पूरी तरह जाँच करने के लिए तैयार है ? यदि उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन किया है, तो क्या सरकार नारियल जटा उद्योग में इस एकाधिकारी कम्पनी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के लिए तैयार है ?

इस एकाधिकारी कम्पनी के विदेशों में भी उद्योग हैं । जहां तक मुझे जानकारी है, उनकी माँ जर्मनी की हैं और पिता भारत के हैं । उन्हें अपनी माँ से उत्तराधिकार में कुछ सम्पत्ति मिली है । मेरी जानकारी के अनुसार उनकी नाटर्डम में एक कम्पनी है जिसमें 60 प्रतिशत शेयर या तो उनके नाम में हैं या उनके सम्बन्धियों के नाम में हैं ।

इसी तरह बिदेशों की अन्य कई संस्थाओं के साथ भी उसके सम्बन्ध बने हुए हैं। इन सभी सुविधाओं का उपयोग करके, इसे कम बीजक बनाकर तथा अन्य सभी कदाचारों से, वह धन बटोर रहा है । और इन कार्यों के लिए, भारत सरकार उसकी तरफदारी कर रही हैं, तथा इन कार्यों में सहायता दे रही है । यह उचित नहीं है । 'इन्टक, सी.आई.टी.यू; ए.आई.टी.यू सी; यू.टी.यू.सी. से संबद्ध संघों ने मिलकर अगस्त माह में भारत सरकार को एक ज्ञापन दिया था । उसमें, उन्होंने इन सब तथ्यों के बारे में बताया है । अतः दल गत मतभेद का ध्यान दिए बिना, राज्य संघों की संबद्धता के मतभेद पर विचार किए बिना, केरल राज्य के सभी संघों ने, जो इस उद्योग में काम कर रहे हैं, एक साथ मिलकर, सर्वसम्मति से सरकार को निवेदन किया कि इस कम्पनी के गैर-कानूनी कार्यों को रोके । वे केवल इस कम्पनी पर ही निगरानी क्यों रख रहे हैं ? क्योंकि केवल यही एकमात्र ऐसी कम्पनी है जो बड़े पैमाने पर मशीनीकरण किए हुए करघों का प्रयोग कर रही है और जो रोजगार क्षमता को कम कर रही है ।

महोदय, हम इस नए 20 सूत्री कार्यक्रम में अधिक उत्पादन करने, मेरा तात्पर्य रोजगार क्षमता बढाने, मेहनतकश, पददलित आदि लोगों की दशा सुधारने की बात कह रहे हैं । महोदय, यदि यहां पददलित वर्ग हैं तो वह सब स्वाभाविक है । केरल राज्य, भारत के निर्धन पिछड़े राज्य में लाखों श्रमिक हैं, कल माननीय प्रधान मंत्री पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने की बात कह रही थीं । केरल भी इस देश के अन्य पिछड़े राज्यों की भाँति पिछड़ा, हुआ राज्य है । अतः सरकार इस 20 सूत्री कार्यक्रम को ईमानदारी से लागू नहीं कर रही है यदि सरकार ईमानदारी से 20 सूत्री कार्यक्रम लागू करके रोजगार क्षमता बढ़ाना चाहती है, तो सरकार का कर्त्तव्य है कि वह देखे कि इस मशीनीकरण को आगे रोका जाये । अतः मेरा प्रश्न यह है कि क्या..... (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : आप हमें भूमिका बता रहे थे ?

श्री एम० एम० लारेंस : जी हाँ ।

अध्यक्ष महोदय : अब अपना प्रश्न पूछिए ।

श्री एम० एम० लारेंस : महोदय यह नीति, श्रमिक, मजदूर-संघ, केरल के राजनीतिक दल, उत्पादक, निर्यातक सभी प्रभावित हैं और अभी भी सरकार इस एकाधिकारी कम्पनी के लाइसेंसों को नवीकरण करने के लिए निदेश दे रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री एम० एम० लारेंस : सरकार को इस बारे में क्या उत्तर देना है ? अतः मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जाँच कराने के लिए तैयार है ताकि यह पता लगाया जा सके कि सरकार द्वारा स्वीकृत नीति के विपरीत "फ्लूरकों" में नारियल जटा की चटाइयों के मशीनीकृत उत्पादन के लिए लाइसेंस कहाँ से आए ? यदि सरकार सच्ची है तो उसे केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जाँच करानी चाहिए। मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या सरकार नारियल जटा की चटाइयों का, जिनका उत्पादन हाथ करघों पर किया जा सकता है, मशीनीकृत करघों द्वारा उत्पादन को रोकने के लिए तैयार है ? तीसरा प्रश्न है कि क्या सरकार नारियल जटा बोर्ड की सिफारिशें स्वीकार करने के लिए तैयार है कि वह "फ्लूरको" को मशीनी करघों पर नारियल-जटा की चटाइयां तैयार करने के लिए दिए गए लाइसेंसों का नवीकरण न करे और लाइसेंस देने के सरकार के निदेशों पर पुनर्विचार करे।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैंने देखा है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में और माननीय सदस्य द्वारा दिए गए वक्तव्य में मुख्य रूप से इस कम्पनी पलैप्पी कम्पनी पर जोर दिया गया है और यह सुझाव दिया गया है कि उस कम्पनी के अनुरोध अथवा मांग पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और उसको पंजीकरण का नवीकरण नहीं किया जाना चाहिये। वास्तव में, कल ही मुझे संसद सदस्यों के प्रतिनिधि-मंडल, मजदूर संघ के नेताओं तथा केरल के निर्यातकों से मिलने का अवसर मिला है और हमारी विस्तार से चर्चा हुई है। संभवतः श्री लारेंस वहां उपस्थित नहीं थे लेकिन दो या तीन सदस्य, जिनमें श्री बी० के० नायर भी थे। वहाँ उपस्थित थे और मैंने उन्हें इस मामले की स्थिति के सम्बन्ध में कुछ ब्यौरा दिया।

माननीय सदस्य के लिए भारत सरकार के इरादे पर संदेह प्रकट करना बहुत ही अनुचित है उन्होंने कहा कि भारत सरकार की नीति केरल में श्रमिकों को हटाकर मशीनीकरण करने की है। मेरे विचार से माननीय सदस्य के लिए ऐसे आरोप लगाना बहुत ही अनुचित है। नारियल-जटा बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित निकाय है। यदि नारियल-जटा बोर्ड, जिसमें भारत सरकार के नामजद अधिकारी हैं, सर्वसम्मति से सिफारिश करता है, तो आप नारियल जटा बोर्ड पर कोई आरोप नहीं लगा सकते, विशेषकर उस समय जबकि आप स्वयं नारियल-जटा बोर्ड जो भारत सरकार की संस्था है, की सिफारिशों को स्वीकार करते हैं और उनका समर्थन करते हैं।

इस सम्बन्ध में, मैं यह बताना चाहता हूं कि समूचे मामले के कुछ कानूनी पहलू भी हैं। इस कम्पनी का पंजीकरण किया गया था और इसने अपना व्यापार 1973 में आरम्भ किया। उस समय से यह कार्य कर रही है। अतः इसका पंजीकरण रद्द किए जाने का निर्णय लेने से पूर्व, हमें इसके कानूनी परिणामों को समझना होगा। मैंने कल प्रतिनिधि-मंडल को बताया कि हम विधि मंत्रालय से परामर्श कर रहे हैं (व्यवधान)।

यह इकाई तमिलनाडु राज्य के अमानडू-विल्ला नामक जगह पर स्थापित है। संभवतः, तमिलनाडु सरकार के इस मामले में भिन्न विचार है। और इसे अपनी राय देने का हक है। पहले मैंने देखा है कि हमारे देश के नारियल-जटा का उत्पादन करने वाले राज्यों में इस मामले में एक समान विचार नहीं है। अतः पहले हमने एकमत जानने का प्रयत्न किया मैंने स्वयं ऐसा किया है। कभी कभी हमें उस पर सर्वसम्मति नहीं मिली। लेकिन हम यह भली भांति समझते हैं कि जहाँ तक केरल राज्य का सम्बन्ध है, हमें मशीनीकरण को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। जैसाकि मैंने माननीय सदस्य को दिए गए उत्तर में बताया है कि शिवारामन समिति, नारियल-जटा उद्योग की एक उच्च-स्तरीय समिति, के प्रतिवेदन पर हम गहराई से विचार-विमर्श कर रहे हैं। यह निर्णय देने के अन्तिम चरण में है। हमें इस पहलू पर विचार करना होगा और हमें मशीनीकरण, जिसका प्रभाव रोजगार क्षमता पर पड़ता है, की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

माननीय सदस्य ने नारियल-जटा उद्योग की रोजगार क्षमता के संबंध में ठोस दृष्टिकोण की कमी का उल्लेख किया है। मैं इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि छठी योजना में नारियल-जटा के विकास के लिए हमने 1979-80 के 5.59 लाख व्यक्तियों के स्थान पर 1985 के अन्त तक 8 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने, 1979-80 में 30 करोड़ रुपए के निर्यात के स्थान पर 1985 तक 530 करोड रुपए का निर्यात करने तथा 1979-80 में 36 करोड़ रुपए के स्थान पर 1985 तक 122 करोड़ रुपये के रेशे के मूल्य तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। अतः छठी योजना के अन्तर्गत, जहाँ तक नारियल-जटा उद्योग का संबंध है, रोजगार के अवसर बढ़ाने की संभावना है।

यह सुनिश्चित करना है कि हमने सहकारी-करण आन्दोलन शुरू किया है। यहां मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपने राजनीतिक विचारधारा को ध्यान में रखे बिना इसे सहयोग और समर्थन दें और मैं तो कहूंगा कि हमें केरल में नारियल-जटा उद्योग के सहकारीकरण आन्दोलन को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

इस समय यह आवश्यक है कि उसका सहकारीकरण कैसे किया जाए, वहां सरकारी नारियल-जटा औद्योगिक इकाई को फिर से पुनर्जीवित कैसे किया जाये और नारियल-जटा सहकारी समितियों को कैसे संगठित किया जाए। मेरा विचार है कि निचले स्तर के संगठन को बनाए रखने की तथा सहकारी-आन्दोलन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है ताकि छठी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।

जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जानते हैं कि नारियल-जटा बोर्ड इसमें बहुत सक्रिय है और निर्यात बढ़ाने के सभी उपाय किए जा रहे हैं।

मैं नारियल-जटा उत्पादन करने वाले राज्यों के मंत्रियों को भी बैठक में आमंत्रित कर रहा हूं ताकि हम इस पर आगे और चर्चा कर सकें कि और अधिक रोजगार देने, रोजगार अवसर बढ़ाने, यह निर्यात बनाये रखने और अधिक निर्यात करने और देश में नारियल-जटा उत्पादों की अधिक खपत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सभी नारियल-जटा उत्पादक राज्यों द्वारा क्या समुचित संगठित प्रयास किए जा सकते हैं।

श्रीमती सुशीला गोपालन (अलप्पी) : नारियल जटा उद्योग की समस्या पिछले कई वर्षों से केन्द्रीय सरकार के समक्ष है। इस क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से काम करने वाले लाखों लोगों को, जैसा कि श्री लारेंस ने बताया है, केवल 100 दिनों, या 60 दिनों या 50 दिनों के लिए रोजगार मिल रहा है।

वास्तव में निर्यात बाजार में मंडी बहुत मंदी है। 1946-47 में हमारा निर्यात 65,000 मीटरी टन था और अब यह कम होकर 30,000 मीटरी टन रह गया है। माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में बताया है कि पिछले वर्ष से इसमें कुछ सुधार हुआ है। लेकिन मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूं कि पिछले वर्ष के आंकड़ों में— 1980-81 का लेखा जनवरी से दिसम्बर तक का दिया गया है और 1981-82 में लेखा अप्रैल से मार्च तक का दिया गया है। हम दिसम्बर के अन्त तक कह सकते हैं कि उसमें सुधार हुआ है या नहीं। इस आधार पर हम इसमें हुए सुधार के बारे में नहीं कह सकते। निश्चय ही, मैं यह स्वीकार करता हूं कि भारत सरकार ने विदेशी बाजार के साथ-साथ देश के बाजार को भी सुधारने के कुछ उपाय किये हैं। देश के बाजार में थोड़ा सुधार हुआ है। दुर्भाग्य से, 1946-47 में नारियल-जटा उद्योग एक संगठित उद्योग था। एक कारखाने में 3000 से 4000 तक श्रमिक लगे हुए थे। लेकिन बाद में इसका विकेन्द्रीकरण हो गया। अब यह एक कुटीर उद्योग बन गया है जिसमें कहीं एक, अथवा दो या तीन करघे हैं। निर्यात करने वाले व्यापारी इन लोगों को खूब लूट रहे हैं क्योंकि उनकी इस उद्योग में ज्यादा रुचि नहीं है। वे छोटे उत्पादकों से उत्पाद लेते हैं और इसका निर्यात करते है। वे इसे भारत में भी बेचते हैं। यहाँ तक कि निर्यातक-व्यापारी नारियल-जटा बोर्ड द्वारा प्रतिपादित खरीद मूल्य की योजनायें की अवहेलना कर रहे हैं। वे छोटे उत्पादकों को उचित मूल्य कभी नहीं देते। परिणामस्वरूप कर्मकार कठिनाई का सामना करते हैं। उन्हें उनकी मजदूरी नहीं मिलती।

यह उद्योग 250 गाँव में फैला हुआ है। अतः इन्हें संगठित करना बहुत मुश्किल है।

इन सब बातों पर ध्यान देकर केरल सरकार ने इनका सहकारीकरण करने का फैसला दिया। इस विषय में कई कदम उठाए गये हैं अब वहां 452 कताई सहकारी संस्थायें हैं और 20 सहकारी निर्माता संस्थायें हैं।

केरल सरकार ने भारत सरकार को एक योजना पेश की और 15 करोड़ रुपए की सहायता देने का आग्रह किया था । किन्तु हमें वस्तुतः 04 करोड़ 31 लाख रुपये ही मिले और इसमें बाद में विलम्ब हुआ । सहकारी संस्थायें वस्तुतः नुकशान उठा रही हैं । इसका एक कारण धन की कमी है और दूसरा कारण है कच्चे माल का अभाव, जैसा कि मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है । पर यदि केरल में अधिक नारियल-जटा है तो सरकार उसे खरीदती क्यों नहीं । मेरा अनुरोध है कि भारत सरकार इस मद को आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल करे । सरकार ने केरल सरकार को कभी भी पर्याप्त शक्तियाँ नहीं दी हैं । पिछले 3 वर्षों से हम सरकार से वकालत करते आ रहे हैं और केरल सरकार केन्द्र से आग्रह करती आ रही हैं कि उन्हें नारियल जटा खरीदने के लिए पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान की जायें । हमने एकाधिकार खरीद के लिए शक्ति माँगी । इसमें भी विलम्ब हुआ और यह दलील दी गई कि इसके लिए वहां आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं । पर यदि आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तो उसका निराकरण क्या है ? निराकरण यही है कि हम ये सुविधायें तैयार करेंगे । लेकिन सरकार इससे भी सहमत नहीं है ।

वर्तमान कानून के अन्तर्गत व्यापारों की परिभाषा के अनुसार केवल एक निजी व्यापारी ही नारियल जटा का व्यापार कर सकता है । केन्द्र सरकार या राज्य सरकार उसमें दखल नहीं दे सकते, न ही नारियल जटा खरीद सकते हैं । हमने इस कानून को बदलने की मांग की । हो सकता है वर्तमान मंत्री को इसकी जानकारी न हो किन्तु मैं स्वयं पिछले ढाई वर्षों में कई बार सभी मन्त्रियों से मिली हूं और उनसे अधिक शक्तियाँ प्रदान करने की वकालत की है, किन्तु कुछ भी नहीं हुआ ।

नारियल-जटा को बिना लाइसेंस के ले जाने का मामला केवल परियोजना अधिकारी ही पंजीकृत कर सकता है । यदि मामला पंजीकृत हो जाता है तो न्यायालय इनसे कहते हैं कि वे उस सारे कच्चे माल को वहाँ पेश करें जो अवैद्य धंधे में अन्तर्ग्रस्त है । यदि कुछ नारियल जटा बिना लाइसेंस के ले जाई जाती है तो अदालत उसे पेश करने का आदेश देती है । यह कैसी बात है ? क्या हो रहा है ? मैं नहीं जानती । यह कच्चा माल नारियल-जटा है जिसे अदालत में पेश करना होगा । इसलिए हमने कानून में कुछ परिवर्तन की माँग की है । किन्तु अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है ।

दूसरा पहलू यह है कि एक परियोजना क्षेत्र में एक परियोजना अधिकारी होता है जो मामले को दर्ज करता है । केवल उसी को मामला दर्ज करने का अधिकार है । हम भारत-सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि वह गांव में तैनात निरीक्षकों को शक्ति प्रत्यायोजित करें । किन्तु हमें ये शक्तियां नहीं दी गई हैं । क्या आप सहकारिता की मदद कर रहे हैं ? विकेन्द्रीकरण की वजह से वे हजारों उत्पादनों को लूट रहे हैं, 5 लाख मजदूरों को लुट रहे हैं । वे उन्हें उचित मूल्य नहीं दे रहे हैं और मजदूरों को उनका वेतन नहीं मिल रहा है । जब मजदूर काम कर रहे हैं, तो उन्हें उन की मजदूरी मिलनी चाहिये । पर काम करने के लिये कच्चा माल उपलब्ध नहीं है ।

हम इसे खरीद नहीं सकते । अत: मैं मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि यदि भारत सरकार सहकारीकरण वस्तुत: करना चाहती है । तो कच्चा माल खरीदने के लिये हमें पर्याप्त शक्तियां दी जानी चाहिये । कम से कम 3 जिलों में हमें एकाधिकार खरीद करने की शक्ति मिलनी चाहिये । हम वहां मूलभूत सुविधायें तैयार कर लेंगे । तभी कुछ किया जा सकेगा और सहकारी संस्थाओं को काफी कच्चा माल सप्लाई किया जा सकेगा । इन सहकारी संस्थाओं में लगभग डेढ़ लाख मजदूर काम करते हैं । यदि उन्हें 300 दिन के लिए काम मिलता है तो काफी अंतर महसूस होगा । मैं 700 मजदूरों के साथ उद्योग मंत्री के निवास पर आई और मदद की याचना की । श्री तिवारी, जो उद्योग मंत्री हैं, ने हमारा स्वागत किया और हमें पानी पिलाया । किन्तु कच्चा माल खरीदने के लिये हमें आवश्यक शक्ति प्रदान नहीं की गई । इसके कारण हमारी सहकारी संस्थायें नष्ट हो रही है । हमें इनका प्रशासनिक व्यय पूरा करने के लिये पैसा नहीं दिया जा रहा है । मजदूरों को केवल 60 या 70 दिन काम मिल रहा है हम प्रशासनिक खर्च कहां से पूरा करें । स्वाभाविक है कि हमें यह खर्च पूंजीगत निधि से पूरा करना पड़ेगा । इससे तमाम सहकारी व्यवस्था लगंड़ी हो जायेगी । आप सहकारिता का नाश कर रहे हैं । मैं सरकार पर यह आरोप लगाती हूं। यह हमारा अनुभव है । मैं नारियल-जटा का काम करने वाले लोगों के क्षेत्र से आती हूं । वहां लोग भूंखे मर रहे हैं । क्या आप इस तथ्य से इन्कार कर सकते हैं ? आपने इसके लिये क्या किया ?

पैसे के बारे में आपने कहा है कि छठी योजना में हमने 12-50 करोड़ रुपया सहकारिता के लिये निर्धारित किया है पर इसमें एक शर्त लगादी गई है कि राज्य-सरकार को भी 50 प्रतिशत यानि बराबर का अनुदान देना पड़ेगा । राज्य सरकार की क्या स्थिति है ? उन्हें 100 करोड़ रुपये का घाटा होने वाला है । राज्य सरकार की इस दयनीय स्थिति के साथ क्या उसके लिये यह संभव होगा कि वह इतना पैसा सहकारिता पर खर्च करे ? वह हैलीकाप्टर खरीदने के लिये धन जुटा सकते हैं । किन्तु इस प्रयोजन के लिए धन नहीं जुटा सकते । इसमें राजनितिक इच्छा जरूरी है । दो वर्ष पूर्व एक करोड 50 डाख रुपये की बजट में व्यवस्था की गई । सरकार ने नारियल-जटा उद्योग पर 2 करोड़ 86 लाख रुपया खर्च किया । राजनितिक इच्छा एक महत्वपूर्ण कारक है । आज बराबर के अनुदान की यह शर्त राज्य सरकार पर कैसे लगा रहे हैं । नारियल जटा बोर्ड राज्य सरकार के पास गया और राज्य सरकार का कहना है कि उसने सहकारी क्षेत्र के लिये इस वर्ष 1 करोड़ 50 लाख रुपया निर्धारित किया है । केरल सरकार कहती है कि वह 75 लाख रुपया दे सकती है । अत: हमें नारियल जटा बोर्ड से केवल 75 लाख रुपया ही मिलेगा । वह जो कुछ पैसा उन्हें देते हैं वह सब सहकारी संस्थाओं द्वारा वापिस दे दिया जाता है । यह राज्य सहायता नहीं है । यह ऋण है । हम बराबर के अंशदान के बिना धन मांग रहे हैं । अगर ऐसा नहीं किया गया तो सहकारी क्षेत्र में नारियल-जटा उद्योग का विकास संभव नहीं होगा ।

इसके अलावा स्टाक भी काफी जमा हो गया है । 11-12 करोड़ रुपये का स्टाक पड़ा हुआ है । हमने यह दलील दी थी कि सरकारी क्षेत्र को कम से कम 5 करोड़ रुपया दिया जाए

ताकि वह रेशा खरीद सके और नारियल जटा उत्पाद तैयार कर सकें। इस समय बाजार विकसित हो रहा है। हम इसे भारत में ही बेच सकते हैं। जब मजदूर मंत्री-महोदय को मिलने आये तो उन्होंने यह मांग की। किन्तु अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। केरल सरकार इतना धन देने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए हमने यह आग्रह किया। यदि आप हमें कम से कम 5 करोड़ रुपया दे दें तो हम संचित रेशा खरीद लेंगे और नारियल जटा उत्पाद तैयार कर लेंगे और उन्हें बाजार में बेच सकेंगे।

यह परम्परागत रूप में एक कुटीर उद्योग है। हम नारियल जटा और नारियल जटा उत्पाद को बाजार में बेचने के लिए एक महीने की छूट मांग रहे हैं। यह छूट हथकरघा की बिक्री में भी दी जा रही है। केरल में 2 मौसमों में हथकरघा सामान बेचने के लिए ऐसी छूट दी जाती है। अतः नारियल जटा के सामान के लिये भी कुछ छूट दी जानी चाहिए। भारत सरकार का विचार केवल 15 दिन की राज सहायता देने का है इससे क्या मदद मिलेगी ? कम से कम एक महीने की छूट दी जानी चाहिए। इसकी आवश्यकता न केवल नारियल जटा उत्पादों के लिए है अपितु नारियल जटा रेशे के लिए भी यह अनिवार्य है। यदि भारत सरकार ठोस कदम उठाने के लिए तैयार है तो हम बड़े पैमाने पर आंतरिक बाजार का विकास कर सकते हैं और बाहर भी बाजार तैयार कर सकते हैं। वर्तमान में हम परम्परागत बाजारों पर निर्भर हैं। हमें इससे हटकर काम करना होगा। समाजवादी देशों के साथ बातचीत चल रही है। मैं केरल सरकार के व्यापार शिष्ट मंडल की सदस्या के रूप में कुछ समाजवादी देशों में गई। हमने समाजवादी देशों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। मेरे विचार से इन देशों में निर्यात बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। यदि मंत्री-महोदय इस विषय में थोड़ी गंभीरता से सोचें तो जो एक अवरुद्धता आ गई है वह समाप्त की जा सकती है। अतः मेरा अनुरोध है कि हमें इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप प्रश्न पूछिए।

श्रीमती सुशीला गोपालन : अतः मैं भारत सरकार से यह जानना चाहती हूं कि क्या वह आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त शक्तियां देने के लिए तैयार है। शक्तियों के प्रत्यायोजन का मामला लम्बे अर्से से विचाराधीन पड़ा है। मैंने 3-4 बार प्रश्न उठाये और हर बार मुझे यह बताया गया कि यह सरकार के सक्रिय विचाराधीन है या उस पर सरकार ध्यान दे रही है। मैं इस विषय पर निश्चित उत्तर चाहती हूं। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या आप कम से कम 3 जिलों में नारियल-जटा के एकाधिकार खरीद की शक्ति हमें देने के लिए तैयार हैं और क्या आप हमें 5 करोड़ रुपये की राशि देंगे ?

विदेशी बाजार के बारे में तुरन्त कुछ कदम उठाने होंगे। समाजवादी देशों से बातचीत करने से कुछ परिणाम निकल सकते हैं।

सरकार को 5 करोड़ रुपया देने का अपना आश्वासन पूरा करना चाहिए, जिससे कि संचित स्टाक खरीदा जा सके और उसे वस्तुएं तैयार की जा सकें और बाजार में बेची जा सकें। मैं मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे इन मुद्दों पर मेरा समाधान करें।

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : माननीय सदस्या ने जो सुझाव दिये हैं उन्हें मैंने बड़े ध्यान से सुना है। कल जब माननीय सदस्या 2-3 संसद सदस्यों के साथ एक शिष्ट मंडल का नेतृत्व करती हुई मेरे निवास पर आईं तो मुझे उनका स्वागत करने का अवसर मिला।

उपाध्यक्ष महोदय : शायद आप दोनों एक दूसरे को समझ सके होंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मुझे आशा है कि एक दूसरे को समझने की प्रतिक्रिया जारी रहेगी। यह अधिक महत्वपूर्ण है।

जहां तक नारियल-जटा की खरीद के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन का प्रश्न है मैं अपने वक्तव्य में पहले ही कह चुका हूं कि इस पर एक उच्च स्तरीय जांच हो रही है। और यह विचार के अन्तिम चरण में है। अतः मैं केवल इतना ही कह सकता हूं ·····(व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा है कि मामला अब अन्तिम चरण में है। (व्यवधान)।

श्री नारायण दत्त तिवारी : हमें केरल के अलावा अन्य राज्य सरकारों के विचार भी ध्यान में रखने होते हैं क्योंकि 3 अन्य राज्य ऐसे हैं जहाँ नारियल जटा उत्पाद निर्मित होते हैं। वहां भी इनका बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है। वे इसका और विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। अतः हमें उनके विचार भी ध्यान में रखने होंगे। (व्यवधान)।

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या राज्य सरकारों के विचार जानने के लिए आपको इतना समय चाहिए ?

श्री नारायारण दत्त तिवारी : मैं सदस्या की इस बात से सहमत नहीं हूं कि यह मामला बहुत दिनों से विचाराधीन पड़ा है।

जहां तक निर्यात का संबंध है, मैं माननीय सदस्या से पूर्णतया सहमत हूं कि हमें निर्यात-संवर्धन के लिए और अधिक काम करना चाहिये और यह बहुत अच्छी बात है कि सदस्या स्वयं शिष्ट मंडल का नेतृत्व कर समाजवादी देशों में गईं।

इसके अतिरिक्त वाणिज्य मंत्रालय में हमारा एक निर्यात संवर्धन सैल है। व्यापार शिष्ट मंडल केवल समाजवादी देशों को ही नहीं भेजे जाते अपितु आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को भी भेजे जाते हैं।

ब्रसेल्स में इण्डिया ट्रेड सेन्टर द्वारा जून, 1982 में एक नारियल जटा कार्यशाला का आयोजन किया गया था। हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी देश में जब संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठकें होती हैं तो उनमें नारियल जटा विषय भी शामिल किया जाये। हम उन देशों के साथ कुछ करार संपन्न करने का भी प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि संयुक्त आर्थिक आयोग के माध्यम से नारियल-जटा उत्पादों को प्रोत्साहन मिल सके।

जैसा कि मैंने कल कहा नारियल जटा उत्पाद या इसी प्रकार के उत्पाद अब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में आ रहे हैं और उनमें प्रतियोगिता भी चल रही है। अतः हमारे निर्यात किये जाने वाले ~~उत्पादों की~~ क्वालिटी में तुरन्त सुधार करने की आवश्यकता है।

यह पुछने पर कि हमारे प्रमुख प्रविद्वन्द्वी कौन है, माननीय सदस्या के साथ कल आने वाले निर्यातकों ने बताया कि चीन में एक नये किस्म की घास पैदा होती है और यह घास बाजार में बड़े पैमाने पर आई हुई है। मुझे यह बात तब मालूम हुई जब ये निर्यातक दिल्ली आये। सभी निर्यातक इस बात से सहमत थे कि क्वालिटी में सुधार किया जाना चाहिये। अतः मैं माननीय सदस्या से अनुरोध करता हूं कि वह अपना प्रभाव नारियल जटा निर्यातकों और उसके माल के निर्माताओं पर डालें।

उपाध्यक्ष महोदय : बिना यांत्रीकरण के क्वालिटी में सुधार करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी : यह एक बहुत नाजुक विषय है। मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा। हमारी नीति यांत्रीकरण को बढ़ावा देने की नहीं है। हमारी नीति हस्त-निर्मित नारियल-जटा उत्पादों की क्वालिटी सुधारना है। यह तभी किया जा सकता है जब इसके लिए इच्छा हो। और इसके लिए राजनीति इच्छा भी होनी जरूरी है। केरल में राजनीतिक इच्छा होने पर ही यह काम किया जा सकता है और हम अपने निर्यात उत्पादों की क्वालिटी सुधार सकते हैं। हम अपने माल को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तब तक नहीं भेज पायेंगे जब तक हम किस्म न सुधारें। अतः मैं माननीय सदस्या से अनुरोध करूंगा कि वे इस कार्य में हमसे सहयोग करें।

माननीय सदस्या ने बराबर के प्रावधान की बात का भी जिक्र किया। किन्तु, महोदय आप मुझसे सहमत होंगे कि जब राज्य सरकार स्वयं इस बात से सहमत है—जब राज्य की छठी योजना बनाई जा रही थी—यह अपने किस्म की पहली योजना स्कीम है - कि वे बराबर का अनुदान देंगे तो हमारा उन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। और मेरे विचार से केरल की सरकार की संरचना जो भी हो वह अपनी वचनबद्धता को पूरी तरह करेंगी और नारियल जटा उद्योग के विकास के लिए अपने हिस्से को 50 प्रतिशत राशि देगी।

श्रीमती सुशीला गोपालन : इस वर्ष वित्तीय कठिनाई के कारण वह केवल 75 लाख रुपया देने के लिए सहमत हुए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें यहां से केवल 75 लाख रुपया मिलेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मेरे पास इस वक्त इसके बारे में तथ्य नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, मैं नारियल जटा उत्पादक राज्यों और नारियल जटा उत्पाद निर्माता राज्यों के मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाने जा रहा हूं। मैं माननीय सदस्या को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं मुख्य मंत्रियों को पुनः लिखूंगा और उनसे आग्रह करूंगा ताकि नारियल जटा उत्पादों का इस्तेमाल उनके अपने-अपने राज्यों में राज्य सरकार और राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से बढ़ाया जा सके।

श्रीमती सुशीला गोपालन : समने जमा स्टाक को खरीदने के लिए 5 करोड़ रुपये मांगे हैं उसका उत्तर नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बालानन्दन।

श्री ई० बालानन्दन (मुकुन्दपुरम) : हमारे उद्योग मंत्री बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने इस विषय पर चर्चा करने का मौका दिया उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं उन्हें एक और बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने आंतरिक बाजार को सुधारने के लिए काफी कदम उठाये हैं। मैं इससे इन्कार नहीं करता। किन्तु हम राज्य के एक बहुत गंभीर मामले पर विचार कर रहे हैं और ऐसी समस्या पर विचार कर रहे हैं जिससे 5 लाख लोग प्रभावित हैं। अतः हमें समस्या की तह तक जाना होगा। तभी हम उसका समाधान कर पायेंगे।

मन्त्री महोदय, आप स्वीकार करेंगे कि हम लोग इस उद्योग से वर्षों से संबद्ध रहे हैं। इसीलिए यदि मैं यह कहता हूं कि नारियल जटा बोर्ड या व्यापारियों के नुस्खों पर उनके गुणों-अवगुणों को देखते हुए विचार किया जाना चाहिये, तो आप मुझसे सहमत होंगे किन्तु जब हम कुछ कहते हैं तो भी आपको उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

इस समय नारियल जटा उद्योग की स्थिति क्या है। 1945-46 में, जैसा कि श्रीमती सुशीला गोपालन ने कहा है, हमने 65,983 टन नारियल जटा माल निर्यात किया और इसकी तुलना में पिछले दो वर्षों में हमने कितना निर्यात किया ? 1980-81 में हमने 28,609.3 और 1981-82 में 30,078.7 टन, माल का निर्यात किया। मैं केवल निर्यात व्यापार की बात कर रहा हूं। 1945-46 में यह लगभग 66 हजार टन था और 1981-82 में वह उसका केवल 50 प्रतिशत रह गया।

नारियल जटा उद्योग में दो क्षेत्र हैं—कताई क्षेत्र और निर्माण क्षेत्र। निर्माण क्षेत्र में 1945-46 में हमारे पास थोड़ी फैक्टरियां थी जिनमें 30 हजार मजदूर काम करते थे। अब बड़ी-बड़ी फैक्टरियां समाप्त कर दी गई हैं और केवल 4 हजार छोटे उत्पादक रह गये हैं। यह परिवर्तन हुआ है। क्यों ?। हम जानते हैं कि बड़े कारखाने थोड़े से उन्नत तकनीक के साथ अच्छी किस्म की वस्तुएं तैयार कर सकते हैं। किन्तु जिन लोगों के नियंत्रण में यह उद्योग आया, उन्होंने

यह सोचा कि यदि वे इसका विकेन्द्रीकरण करते हैं तो उद्योग को और अधिक निचोड़ा जा सकता है। पर अब स्थिति क्या है। आज की स्थिति यह है कि ये 4 हजार गरीब लोग जिन्हें निर्माता होना चाहिए था आज अपने पास एक दिन का उत्पाद भी नहीं रख सकते। उनकी वित्तीय हालत सोचनीय है। अतः एक दूसरे वर्ग के लोग भी उभरकर सामने आ रहे हैं। इन्हें मर्चेन्ट व्यापारी कहा जाता है। उनका कोई और हित नहीं है। वे केवल व्यापारी हैं। वे कल आपके पास आये थे, मैं जानता हूं। वे क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपना निर्माणकार्य वन्द कर दिया है और केवल व्यापार कर रहे हैं। व्यापार आप जानते हैं कि क्या है ? इस शब्द में ही बहुत कुछ निहित है। ये निर्यात व्यापारी हैं। ये लोग अनेक प्रकार से कम रकम का बीजक बना रहे हैं और अन्य कई तरीके अपना रहे हैं। उन्हें आपकी क्वालिटी आदि से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें केरल राज्य की कोई चिन्ता नहीं है। उन्हें चिन्ता है तो केवल अपने मुनाफे की। अतः होता यह है कि यह मर्चेन्ट व्यापारी, जिनका हित अपने मुनाफे में ही है अब इस उद्योग के विकास के मार्ग में बाधक बने जा रहे हैं।

अतः नारियल जटा बोर्ड मेरे साथ सहमत होगा और केरल विधान सभा भी सर्वसम्मति से हमारे साथ सहमत है कि भारत सरकार से मांग की जाये कि इस निर्यात-व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाये। क्या आप यह कर सकते हैं ? क्या हम इस उद्योग के निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं ? मैं एक सुझाव दूंगा। यदि आप इस व्यापार का तुरन्त राष्ट्रीयकरण करने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं तो इसका सरणीकरण कर दीजिये। भारत सरकार सरणीकरण कर सकती है जिससे कि ये लोग जो दूसरों का गला काटने में लगे हुए हैं, जिनका काम केवल मुनाफा कमाना है, उन्हें इस उद्योग से दूर रखा जा सके। यह मेरा पहला मुद्दा है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : बहुत अच्छा।

श्री ई० बालानन्दन : दूसरी बात यह है। पिछली सरकार ने दो या तीन कारखाने नारियल जटा निगम के अधीन आरंभ करने का सुझाव दिया था ताकि उनमें एक या दो हजार लोगों को काम मिल सके और संगठित उत्पादन आरम्भ किया जा सके। पिछली सरकार ने कुछ प्रयास किए थे। मुझे वर्तमान स्थिति मालूम नहीं है। पर जैसा कि एक अन्य सदस्य ने कहा, केरल सरकार वित्तीय कठिनाईयां महसूस कर रही है। अतः आप इसका हिसाब लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति को रोजगार देने के लिए कितने संसाधन की जरूरत होगी। एक संगठित उद्योग में इसके लिए 10 लाख रुपये की आवश्यकता होती है किन्तु नारियल जटा उद्योग में इस दस लाख रुपये की रकम से आप 100 आदमियों को काम दे सकते हैं। अतः मैं सुझाव दता हूं कि नारियल जटा उद्योग के विकास में आपको नारियल-जटा निगम के अधीन संगठित तरीके से इस उद्योग की मदद करनी चाहिए। इसके लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कम से कम 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाये। देश में इस उद्योग के किसी भी भाग में इस रकम से काफी रोजगार पैदा किया जा सकता है। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार

नारियल-जटा निगम को नारियल जटा कारखाने और संगठित उद्योग आरम्भ करने के लिए सहायता प्रदान करे । यह मेरा दूसरा निवेदन है ।

कताई क्षेत्र के सम्बन्ध में माननीय सदस्या श्रीमती सुशीला गोपालन ने कठिनाईयों का जिक्र किया । उन्होंने कहा कि हमारे पास इस समय 10 करोड़ रुपये के मूल्य का माल जमा है । केरल सरकार ने भारत सरकार से सहायता मांगी । और 5 करोड़ रुपये की रकम यदि संभव हो, तो बिना ब्याज उधार मांगी । मैं समझ सकता हूं कि यदि 5 करोड़ रुपया देना संभव न हो तो कम से कम 4 करोड़ रुपये दें । रकम में घट-बढ़ की जा सकती है । मैं जानता हूं कि आप यह कहते रहेंगे कि इस उद्योग को बहुत बड़ी वित्तीय सहायता दी जाये । मुझे आशा है कि जब यह उद्योग संकट का सामना कर रहा है आप उसे मदद देने के प्रश्न पर विचार करेंगे । दूसरी बात यह है ।

एक माननीय सदस्य : आप कितनी देर तक बोलते रहेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि यह नारियल जटा है, यह बोलते ही जायेंगे ।

श्री ई० बालानन्दन : नारियल-जटा का अर्थ नारियल जटा ही है । केरल में नारियल जटा बहुत होता है, इसीलिए मैं इस पर बोल रहा हूं । मैं थोड़ा और समय लूंगा । आपने क्वालिटी और मूल्य व्यवस्था की बात की । मैं आपके माध्यम से इस सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि नारियल जटा बोर्ड जैसा कि मुझे मालूम है, का एक अनुसंधान विभाग है । वह यह प्रमाणित करता है कि बिना उचित पर्यवेक्षण के यांत्रीकरण प्रभावी नहीं होगा । क्वालिटी बिल्कुल समाप्त हो जायेगी । उदाहरणार्थ, मैं आपको मशीन से नारियल जटा डोरी बनाने की प्रक्रिया बता सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है ।

श्री ई० बालानन्दन : हम चीन समेत सभी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको यह बात भी बतानी चाहिए ।

श्री ई० बालानन्दन : अगर राजनीतिक इच्छा हो तो आप रूस और चीन के साथ प्रतियोगिता कर सकते हैं । मैं इससे आपके साथ सहमत हूं । लेकिन आवश्यकता इस बात की है । नारियल जटा बोर्ड एक विशेषज्ञ संस्था है और उनका एक अनुसंधान केन्द्र है । उस अनुसंधान केन्द्र ने मशीन से नारियल जटा की डोरी बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया है । यदि रेशे की क्वालिटी गिर जाती है तो हमें इसका यांत्रीकरण नहीं करना चाहिए । दूसरी बात यह है कि एक कंपनी है जिसका नाम रवि करुणाकरण एंड कम्पनी है । श्री रविकरुणाकरण एक बहुत बड़ा आदमी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वह वहां के मुख्य मंत्री हैं ?

श्री ई० बालानन्दन : उसका नाम रविकरुणाकरन है। वह दूसरा व्यक्ति है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता जो यहां उपस्थित नहीं है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का यांत्रीकृत उद्योग उन हथकरघा मशीनों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है जो नारियल जटा की चटाइयां बना रही हैं। मुझे खेद है कि मंत्री महोदय अन्य राज्यों को भी बीच में ला रहे हैं। यदि आप उन राज्यों के हितों का संरक्षण करना चाहते हैं तो मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। एक नारियल जटा बोर्ड नामक संस्था है जिसमें भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी है, जिसमें अन्य राज्यों का भी प्रतिनिधित्व है और विशेषज्ञ भी सम्मिलित हैं। सभी हितों का वहां प्रतिनिधित्व है। अतः वे मिलकर नीति तैयार कर सकते हैं। मंत्री महोदय के लिए यह कहना ठीक नहीं है कि वह उन राज्यों से विचार-विमर्श करने जा रहे हैं। इन राज्यों को बोर्ड में पहले से प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। वे नीति पर विचार-विमर्श करते रहे हैं और उसका निर्धारण करते हैं। जब मैं यहाँ आता हूं और मंत्री जी से बात करता हूं तो मंत्री महोदय कहते हैं कि मैं राज्य सरकार से बात करूंगा। इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है आप हमें यह बतायें कि आप नारियल जटा बोर्ड के सुझाव को मानने के लिए तैयार हैं अथवा नहीं आप शिवरामन समिति की रिपोर्ट की चर्चा कर रहे हैं। उस समिति ने इस विषय पर अध्ययन किया है। उनका एक प्रतिवेदन है जिसमें उन्होंने कहा है कि निर्यात-व्यापार का राष्ट्रीकरण किया जाना चाहिए और जिन व्यापारियों का उद्योग में कोई हित नहीं है उन्हे इससे हटाया जाना चाहिये। मैं अपनी बात संक्षिप्त में कहना चाहता हूं क्योंकि बिन्दुवार सुझाव दिये गये हैं। मैं प्रत्येक पर चर्चा नहीं करूंगा। तथापि आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए और मुझे इनकी पुनरावृत्ति करनी पड़ी है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह यह नोट कर रहे हैं।

श्री ई० बालानन्दन : जो पहला मुद्दा हमें तय करना चाहिए वह यह है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस सम्मानित सभा में घोषणा करें कि नारियल जटा उद्योग में निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा। दूसरे, उद्योग के केन्द्रीकरण के लिये क्या भारत सरकार नारियल जटा निगम को 3 नारियल जटा कारखाने चालू करने के लिए सहायता और मदद देगी ; तीसरे, नारियल जटा उद्योग को भारत सरकार द्वारा 5 करोड़ रुपए की सहायता देने के निर्णय के बारे में मैं अभी यहीं जानकारी चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप तुरन्त निर्णय चाहते हैं।

श्री ई० बालानन्दन : अभी और यहीं। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह ठोस उत्तर के साथ यहां आयें। (व्यवधान)।

श्री एम० एम० लारेंस (इडुक्की) : मैं आपसे एक स्पष्टीकरण मांगता हूं कि क्या सरकार विदेशों से करघे आयात करने की गैरकानूनी ढंग से और धोखाधड़ी से की गई कार्यवाही के बारे में जांच करेगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खानमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : महोदय, मैं पहले माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं। मानदंडों और ससदीय परंपराओं के अनुसार माननीय सदस्य का नाम लेना उचित नहीं है—हम केवल निर्वाचन क्षेत्र का नाम लेते हैं—परन्तु मैं उन्हें श्री बालानन्दन के नाम से पुकारने की आपसे अनुमति लेता हूं। यह वस्तु जो आज दुर्लभ है उन्हें थोड़ा महत्व देने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। उन्होंने नारियल जटा उत्पादों का निर्यात बढ़ाने तथा उसकी आन्तरिक खपत बढ़ाने के लिए किए गए मेरे उपायों की प्रशंसा की है। मैं उनका आभारी हूं।

महोदय, उन्होंने मुझसे यह घोषणा करने के लिए कहा है कि नारियल जटा उत्पादों के निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। मैं नहीं जानता कि उन्होंने यह कैसे सोचा कि मैं इस समय ऐसी घोषणा कर सकता हूं। उन्होंने जिस शिवरामन समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख किया है वह मेरे पास है। मुझे नहीं मालूम है कि इस समिति ने ऐसी कोई सिफारिश की है जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। कल मुझ जो निर्यातक मिले थे उनके बारे में मुझे यह कहना है कि वे अकेले नहीं आए थे। शायद उनके साथ श्रीमती सुशीला गोपालन आयी थीं।

श्री ई० बालानन्दन : ये व्यापारी मशीनीकरण के विरुद्ध हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : उन सबकी एक ही माँग थी कि इस कारखाने को···अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

श्री ई० बालानन्दन : उस पर हम सभी एकमत हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : महोदय, अब नारियल जटा उत्पादन के निर्यात विकास के समग्र संदर्भ में निर्यात योग्य उत्पाद की किस्म का प्रश्न आता है। माननीय सदस्य ने इसकी किस्म के बारे में कई बातों का उल्लेख किया है। मैं शिवरामन समिति के प्रतिवेदन की एक सिफारिश, अर्थात् पैरा 9 (14) का उल्लेख करना चाहता हूं :

> "ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका में मशीन से कते और हाथ से कते घुघराले नारियल जटा का उत्पादन किया जाता है जबकि भारत में यह काम आयातित मशीनों पर ही किया जाता है, हालांकि देशी 'कलिंग' मशीनें बनाने के प्रयास जारी हैं। भारत भी हस्तचालित कलिंग मशीन शुरू करने में श्रीलंका द्वारा अपनाये गए तरीके को लाभ के लिए स्वीकार कर सकता है।"

मैं शिवरामन समिति के प्रतिवेदन की एक विशेष सिफारिश का उल्लेख कर रहा हूं जिसके लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। यह एक सामान्य सिफारिश है जिसे कोई भी कार्यान्वित कर सकता है। यहां तक कि सहकारी संस्थायें भी कार्यान्वित कर सकती हैं। यह हाथ द्वारा कर्लिंग करना है हम ऐसी अहानिकर सिफारिश क्यों लागू नहीं कर सकते जिससे किस्म में सुधार होगा और अधिक रोजगार मिलेगा ? जहां तक रोजगार का सम्बन्ध है, यह संख्या 5 लाख स्थिर है। जैसाकि मैंने पहले उल्लेख किया है, मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूं जिससे हम छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 8 लाख लोगों के रोजगार लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हमारा लक्ष्य यह है। हमें 8 लाख की संख्या तक पहुंचना है। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम इसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। (व्यवधान) हमारा प्रयास सदा यही रहा है।

माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि नारियल जटा निगम को संगठित कारखाने शुरू करने चाहिए। अच्छा, पहले मुझे यह स्पष्ट करना चाहिए कि भारतीय नारियल जटा निगम जैसी कोई संस्था नहीं है ···।

श्री ई० बालानन्दन : केरल का ··।

श्री नारायण दत्त तिवारी : यहां ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में मैं "भारतीय नारियल जटा निगम" देख रहा हूं।

श्री ई० बालानन्दन : टाइप की गलती है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : हो सकता है कि टाइप की गलती हो, परन्तु छपा भी यही है।

अब. महोदय, केरल के नारियल जटा निगम को ही निर्णय लेना है। इस पर भारत सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। यदि केरल का जटा नारियल निगम कोई संगठित कारखाना स्थापित करना चाहता है तो ऐसा कारखाना स्थापित करने के लिए उसका स्वागत है। यदि वह ऐसा करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है।

श्री ई० बालानन्दन : इसके वित्तपोषण के बारे में क्या होगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : वित्तपोषण ? सरकारी वित्तपोषण की बात नहीं है, संस्थागत वित्तपोषण होता है, अनेक वित्तीय संस्थायें हैं। इसी कारण मैंने यह कहा है कि उसे भी वर्तमान सुविधाओं से लाभ उठाना चाहिए। आई० डी० जी० आई० है, ए० वी० ए० आर० है, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियां इस सम्बन्ध में हैं। हमने जिसके लिए योजना बनायी है, उसे कार्यान्वित करने के लिए हमें अपने सामान्य ज्ञान का मिलकर उद्योग करना चाहिए।

महोदय, मैं नहीं समझता कि मेरे कहने और सदस्य के कहने के बीच कोई मौलिक अन्तर है। अतः इस बारे में मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के बारे में यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने के लिए मैं उनका आभारी हूं। आज, सबसे पहले माननीय सदस्य को यह पता है कि तब तक केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जांच नहीं की जाती जब तक राज्य सरकार ऐसी जांच की सिफारिश नहीं करती या मामला इतना महत्वपूर्ण हो जिस पर केन्द्रीय सरकार को प्रारम्भ से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो। अतः माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे मुझे तथ्य बतायें ताकि हम इसकी जांच कर सकें कि आरोप क्या हैं। क्योंकि आज के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की बिषय वस्तु यह नहीं है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में किसी भी पार्टी के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जाँच के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है। अतः मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य मुझे लिखित रूप में यह दें कि आखिर वह क्या चाहते हैं और वह किस तरह की जांच चाहते हैं।

महोदय, मैंने समाप्त कर दिया है। धन्यवाद।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 30 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 33 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : अब विदेश मंत्री वक्तव्य देंगे।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति महामहिम जनरल जिया-उल-हक के भारत आगमन के बारे में वक्तव्य

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य के राष्ट्रपति महामान्य जनरल जिया-उल-हक इन्डोनेशिया जाते हुए 1 नवम्बर 1982 को नई दिल्ली में करीब चार घंटे ठहरे। उनके साथ थे—विदेश मंत्री, साहिबजादा याकूब खान, वित्त और वाणिज्य मंत्री श्री गुलाम इशाक खान, संचार मंत्री श्री मोहिउद्दीन बलूच, उत्पादन, रेल एवं नेशनल लॉजिस्टिक बोर्ड मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल सईद कादिर, राष्ट्रपति के चीफऑफ स्टाफ के०एम० आरिफ, विदेश सचिव श्री नियाज नायक और अन्य अधिकारी।

अपने संक्षिप्त दिल्ली-प्रवास के दौरान राष्ट्रपति जिया उल हक हमारे राष्ट्रपति से मिले। प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ उनकी एक घंटे तक बातचीत हुई और इस

बैठक में दोनों देशों के विदेश मंत्री भी मौजूद थे। उधर, उसी समय मेरे साथी विदेश राज्य मन्त्री श्री ए० ए० रहीम के नेतृत्व में अधिकारियों के एक दल ने श्री गुलाम ईशाक खान, उनके साथी मंत्रियों और अधिकारियों से बातचीत की।

मैं सदन की मेज पर एक संयुक्त प्रैस वक्तव्य रख रहा हूं जो इस यात्रा के अन्त में जारी किया गया था। इसमें यह कहा गया है कि दोनों देश भारत-पाकिस्तान संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए सहमत हो गये है। तदनुसार, पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने और प्रधान मन्त्री ने इस सम्बन्ध में जरूरी कार्रवाई और औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर लेने के निदेश दिए हैं। इस निर्णय के अनुरूप दोनों देशों के प्राधिकारियों की 22 से 24 दिसम्बर तक नई दिल्ली में बैठक होगी। वे शांति, मित्रता और सहयोग सम्बन्धी हमारी सन्धि के मसौदे पर और पाकिस्तान के अनाक्रमण सन्धि के मसौदे पर भी विचार करेंगे।

संयुक्त आयोग की स्थापना से दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्धों को प्रेरणा मिलेगी और उनमें गुरूता भी आयेगी। जैसा कि सदन को मालूम है, प्रधान मन्त्री ने इसका सुझाव उस समय दिया था जब पाकिस्तान के भूतपूर्व विदेश मंत्री इस वर्ष 31 जनवरी को उनसे मिलने आये थे।

यद्यपि यह यात्रा अनौपचारिक प्रकृति और अल्प-अवधि की थी फिर भी यह स्वाभाविक ही था कि इस प्रकार की यात्रा से दोनों देशों में दिलचस्पी पैदा होती। प्रधान मन्त्री और जनरल जिया के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में विचार-विमर्श हुआ। द्विपक्षीय मामलों के अतिरिक्त क्षेत्रीय और सार्वभौम मसलों की भी संक्षेप में समीक्षा की गई। जैसा कि सदन को ज्ञात है जनरल जिया मार्च 1983 में गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आयेंगे और उस समय विचार-विमर्श का यह सिलसिला आगे बढ़ाया जायेगा। 2 नवम्बर को दोनों देशों के बीच नई दिल्ली में कोंसली प्रवेश से सम्बद्ध एक प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर हुए। प्रोतोकोल की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति की संक्षिप्त यात्रा अत्यन्त सद्भावपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण रही। हमारी यही हार्दिक इच्छा है, और इस संसद तथा भारत की जनता की भी, कि दोनों देशों के हित में पाकिस्तान के साथ हम अपनी अच्छी प्रतिवेशिता के सम्बन्धों को सुदृढ़ करें।

———

दिनांक 24 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5583 के उत्तर में दी गई कतिपय जानकारी और उत्तर को शुद्ध करने के बारे में वक्तव्य

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : लोक सभा में 24-12-81 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5583 के भाग (ग) और (घ) के दिए गए उत्तर में यह कहा गया है :

(ग) क्या ऐसी कोई शिकायत है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी की बैठक के कार्यवृत्त में हेराफेरी की गयी थी; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है तथा यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो यह कब की जाएगी ? इसके उत्तर में तत्कालीन शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) ने यह बताया था :

(ग) राष्ट्रपति को सम्बोधित एक पत्र में जिस पर कई संसद सदस्यों के हस्ताक्षर थे, यह कहा गया था कि कार्यकारी परिषद की 13 मार्च, 1981 को हुई 84वीं बैठक के कार्यवृत्त में हेरफेर किया गया ।

(घ) यह मामला विश्वविद्यालय के ध्यान में लाया गया । विश्वविद्यालय के अनुसार यह उक्त सचिव के स्थायीकरण से सम्बन्धित था । 3/4 फरवरी, 1981 को हुई अपनी बैठक में कार्यकारी परिषद ने उक्त सचिव की नियुक्ति की पुष्टि कर दी । बाद में 30 मार्च, 1981 को हुई इसकी बैठक में, उक्त सचिव के अनुरोध पर, कार्यकारी परिषद को सूचित किया गया कि उनके स्थायीकरण को आस्थगित कर दिया जाए । तदनुसार कार्यकारी परिषद ने यह प्रस्ताव पारित किया कि स्थायीकरण के आदेश को आस्थगित कर दिया जाय । कार्यकारी परिषद के दो सदस्यों ने यह कहा कि मामले में लिया गया निर्णय सही रिकार्ड नहीं किया गया । बाद में जून, 1981 में हुई बैठक में दोनों सदस्यों की उपस्थिति में इस मामले पर पुनः विचार किया गया और पारित प्रस्ताव संशोधित किया गया जिसके अनुसार कार्यकारी परिषद ने उक्त सचिव को स्थायी करने, लेकिन स्थायीकरण के आदेश के आस्थगित रखने के अपने पूर्ण निर्णय की पुनः पुष्टि की ।

अपने उत्तर के भाग (घ) में उपमंत्री द्वारा दी गई जानकारी तथ्यों के विपरीत थी । जब आपके माध्यम से इन तथ्यों की ओर उपमंत्री का ध्यान दिलाया गया था तो उपमंत्री ने अपने नोट में, जिसकी एक प्रति लोक सभा सचिवालय में मुझे भेजी थी, यह स्वीकार किया था कि "प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में वास्तव में गलती थी ।"

महोदय, आपसे मेरा निवेदन है कि आप उपमंत्री को उनके पहले के वक्तव्य में शुद्धि करने वाला एक वक्तव्य देने और सभा को गलत जानकारी देने के लिए क्षमा माँगने के लिए कहें ।

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० युंगन) : 24 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या के भाग (घ) के उत्तर में वास्तव में केवल इतनी गलती थी कि जून, 1981 में हुई जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक में उसमें उल्लिखित दो सदस्यों में से केवल एक सदस्य ने ही भाग लिया था। मुझे ऐसी गलती के लिए खेद है।

प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर के पहले पैरा में अन्तिम वाक्य इस प्रकार पढ़ा जाए :—

"बाद में जून, 1981 में हुई बैठक में इस मामले पर पुन: विचार किया गया और पारित प्रस्ताव संशोधित किया गया जिसके अनुसार कार्यकारी परिषद ने उक्त सचिव को स्थायी करने, लेकिन स्थायीकरण के आदेश के आस्थगित रखने के अपने पूर्व निर्णय की पुन: पुष्टि की।"

विवाह विधि (संशोधन) विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के बारे में प्रस्ताव

श्री के० मालन्ना (चित्रदुर्ग) : मैं निनलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सभा हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 तथा विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय वर्षाकालीन सत्र, 1983 के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई-दिल्ली) : महोदय, मैं संयुक्त समिति के अध्यक्ष, श्री मालन्ना द्वारा प्रस्तुत हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 तथा विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक का विरोध करता हूं।

महोदय, मैं जानता हूं कि सभी दल संयुक्त चयन समिति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस प्रस्ताव को सभी सदस्यों ने समर्थन दिया है। लेकिन इससे पहले कि सदन समयावधि बढ़ाने के लिए सहमति दें, मैं कुछ बातें सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। महोदय, यह समिति 18 सितम्बर 1981 को बनाई गई थी। मामले की महत्ता तथा यथाशीघ्र प्रतिवेदन प्रस्तुत करने

की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इस प्रस्ताव को उसी दिन राज्य सभा में सहमति दे दी गई । समिति को अपनी रिपोर्ट 27 नवम्बर, 1981 को प्रस्तुत करनी थी । लगभग एक वर्ष बीत चुका है । सदन पहले ही दो बार अवधि बढ़ाने की सहमति दे चुका है । मैं माननीय सदस्य की यथासंभव अधिक से अधिक स्थानों का दौरा करने और अधिक से अधिक लोगों से मिलने की इच्छा को समझ सकता हूं, लेकिन, महोदय, इसके लिए समयावधि निश्चित होनी चाहिए । समिति ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करना चाहती है । श्री मालन्ना ने अपने वक्तव्य में यही बात कही है कि उन्हें दिल्ली से बाहर भी ऐसे क्षेत्रों में कुछ औपचारिक बैठकें कुछ चरणों में करनी चाहिए जिसमें देश के सभी क्षेत्र, उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हो, आ जाएं । लेकिन कार्यक्रम क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह उल्लेख किया है कि हमारा देश गाँवों का देश है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगला प्रोग्राम उदयपुर का दौरा करने का है । उदयपुर गाँव नहीं है । और न ही जयपुर, बम्बई, औरंगाबाद, राजकोट और अहमदाबाद ही गांव है । महोदय, मैं अब विस्तार में जाना नहीं चाहता लेकिन इस विस्तृत मामले पर भी सदन को विचार विमर्श करना चाहिए । मैं हिमाचल प्रदेश में रेलवे अभिसमय समिति के सदस्यों से मिला । रेलवे अभिसमय समिति हिमाचल प्रदेश में क्या कर रही थी ?

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदय, हिमाचल प्रदेश में रेलवे लाइन बिछाने की आवश्यकता है । यह क्या है ? क्या सदन के रिकार्ड से यह साबित हो जाएगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं नहीं मानता ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी जानकारी के लिए, यदि श्री वाजपेयी गलत समझे, यह अवधि बढ़ाये जाने के लिए उनका दल भी जिम्मेदार है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप जानते हैं कि अब क्या होने जा रहा है । सभापति तीसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए कह रहे हैं । वह कर्नाटक कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी है । कर्नाटक में जनवरी में चुनाव होने जा रहे हैं और उनके पास इस समिति के लिए समय नहीं होगा । मैं अवधि बढ़ाये जाने को इस शर्त पर स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि श्री मालन्ना सदन से आगे और अवधि बढ़ाने के लिए नहीं कहेंगे । क्या वह ऐसा वचन देने की स्थिति में हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : हमें उनके उत्तर की प्रतीक्षा करनी चाहिए ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वाजपेयी जी ने जो कुछ कहा उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए मैं और अधिक अब नहीं कहना चाहता क्योंकि सब प्वांइन्ट्स उन्होंने कह दिए हैं । मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यदि हाउस की कमेटी दो दो

साल तक रिपोर्ट न देने योग्य हो तो हो सकता है 83 के अन्दर चुनावकरा लें तो यह खत्म ही हो जायेगी। जब नयी लोक सभा आएगी तो वह करेगी। जैसी कि आजकल बात कही जा रही है 83 में चुनाव कराने की तो उस हालत में तो यह कमेटी इसको कर नहीं पायेगी, अगली लोक सभा आएगी तो वही करेगी। कोई बहुत कंट्रोवर्शियल बात इसमें हिन्दू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम में नहीं है। दहेज के सम्बन्ध में तो मैं मान सकता हूं कि वह लोग विभिन्न जगह जायें तो कोई बात नहीं, लेकिन इस कमेटी को तो तुरन्त अपना प्रतिवेदन कर देना चाहिए था। अभी नहीं कर सकते हैं तो आगे टाइम नहीं लेंगे इसके बारे में वह बताएं।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः, आप उनका समर्थन कीजिए कि यह अवधि अन्तिम बार बढ़ायी जायेगी। आपका यही अभिप्राय है।

श्री के० मालन्ना : महोदय, अब तक हमारी 24 बैठकें हो चुकी हैं। अन्त-सत्रावधि में हमने कर्नाटक के लगभग तीन दौरे किये, फिर तमिलनाडु का अर्थात दक्षिणी राज्यों का और फिर हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों का दौरा किया। अतः मैं पहले ही दो दौरे कर चुका हूं और अगली अन्त-सत्रावधि में हम तीन दौरे करेंगे। हमने कार्यक्रम पहले बना लिया है। महोदय, यह बहुत जटिल विधेयक है। यह देश के सामाजिक पहलू को छूता है क्या यह विधि आयोग की रिपोर्ट तथा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायाल द्वारा दिए गए कुछ निर्णयों पर आधारित है। यह विदेशों में विद्यमान कुछ अन्य कानूनों का भी अनुकरण करता है। कभी-कभी समिति ने भी यह महसूस किया कि उन्हें यह देखने के लिए विदेशों का भी दौरा करना चाहिए कि वहां ये कानून किस तरह से लागू हो रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या आपका कनाडा का दौरा करने का विचार है। (व्यवधान)।

श्री के० मालन्ना : समिति ने कुछ राजधानियों और नगरों का दौरा किया है। समिति को यह देखना है कि ग्रामीण क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाए। अतः मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपनी आपत्ति वापिस ले लें और यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, मैंने सभापति से आश्वासन माँगा था।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने स्थिति बता दी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह अवधि अन्तिम वार बढ़ायी जायेगी अथवा वह इस अवधि और वढ़ाये जाने के लिए पुनः सदन में आयेंगे ?

श्री के० मालन्ना : महोदय, जहां तक संभव होगा मैं प्रयत्न करूंगा कि पुनः और अवधि न बढ़ाई जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 तथा विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय वर्षाकालीन सत्र, 1983 के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) सेवा निवृत्त रक्षा कर्मचारियों की मांगे

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मुझे इस बात का गौरव है कि मैं भी फौजी का लड़का हूं। भूतपूर्व सैनिकों व उनके आश्रित परिवारजनों को जो पेन्शन दी जाती हैं, उसमें विषमती नहीं होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को पेंशन दिए जाने की सुविधा होनी चाहिए। जो जनवरी 1964 और 1968 से पूर्व रिटायर हुए हैं, उनको वर्तमान नियमों के अन्तर्गत पारिवारिक पेशन दी जाए। अगर वह साधारण जीवन से ज्यादा समय तक जीवित रहता है, तो ऐसे सिपाही को जो पेंशन उनकी रिटायरमेंट पर दी गई थी, उसको पुनः जारी किया जाये। भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपना सेवाकाल पूरा कर लिया है उनको 58 साल तक की आयु तक ही पेंशन की गारन्टी दी जाए। इस व्यवस्था में योग्यता का अभाव या कोई कमी-बेशी को मद्दे नजर रखते हुए इन्कार नहीं होना चाहिए। उनकी रुचि अनुकूल कारोवार या पेशा अपनाने की व्यवस्था रिटायरमेंट से पूर्व की जानी चाहिए। सेवाकाल के दौरान में ही रुचि अनुकूल पेशों में योग्यता हासिल करने की व्यवस्था करायी जाए। रिकार्ड कार्यालय के अनुसार रिटायर्ड सैनिकों की कार्य के प्रति क्षमता और योग्यता को देखते हुए रिटायरमेंट की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। जो आरक्षित कोटा है, वह सकल भारत में एक समान होना चाहिए।

भूतपूर्व सैनिकों की जब पुनर्नियुक्ति की जाए तो उसमें उनकी योग्यता व शैक्षणिक योग्यता को ही ध्यान में रखा जाये, न कि रिटायरमेंट के समय जो अन्तिम रैंक था, उसको आधार बनाया जाए। उनकी समूची सेवा को सीनियोरिटी दराज करने के लिए या प्रोमोशन के समय जैसे ही ई० सी० ओ० के केस में किया जाता है, ही करना चाहिए। जो पेंशन उनको भूतपूर्व सैनिक होने के नाते मिलती है, वह उनकी भूतपूर्व सेवा का प्रतिफल है। जिसकी नयी नियुक्ति की तनख्वाह में से न काटा जाए।

(दो) विज्ञापनों में महिलाओं के अशोभनीय प्रदर्शन को रोकने की आवश्यकता

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । इस विषय का नारी के स्वाभिमान और भारत की सभ्यता और संस्कृति से गहरा सम्बन्ध है । आज कल विज्ञापनों में नारी का अधिक उपयोग किया जाता है । सौंदर्य प्रसाधन, फिल्म-विज्ञापन, दवाइयां, साइकिल टायर, बीड़ी, सिगरेट' इन सब चीजों की बिक्री के विज्ञापन में नारी का प्रदर्शन किया जाता है । कुछ विज्ञापनों में इतना अभद्र और घृणित प्रदर्शन होता है कि हम उनकी ओर देखना भी पसन्द नहीं करते । कुछ चीजों जिनका महिलाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है उन पर भी नारी के चित्र विज्ञापनों में इस्तेमाल किये जाते हैं । इससे अनुचित मनोवृत्ति पैदा होती है । नारियों के बेझिझक और खुले चित्र प्रदर्शन के लिए समाज तो दोषी है किन्तु सरकार इसे रोकने के लिए प्रभावशाली कदम उठा सकती है । समाचार पत्रों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने में विज्ञापनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । यदि सरकारी एजेंसियां ऐसे समाचार पत्रों को विज्ञापन न दें जो नारी के चित्रों का कुत्सित रूप में प्रयोग करते हैं तो स्थिति में सुधार हो सकता है । विज्ञापन का ध्येय किसी वस्तु का प्रचार एवं उसकी बिक्री बढ़ाना है किन्तु उसमें नारी चित्रों का उपयोग संयत रूप में निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए । नारी को अश्लील रूप में दिखाना कदापि उचित नहीं हो सकता । प्रेस काउन्सिल आफ इंडिया, समाचार पत्रों के अन्य संगठन और सरकार को मिलकर विज्ञापनों में नारी चित्रों के अविवेकपूर्ण प्रयोग को रोकने के लिए आचार संहिता बनाने की आवश्यकता है । मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह इस विषय में सक्रिय कदम उठाए ।

(तीन) अखबारी कागज के लिए वाणिज्यिक रूप से उपयुक्त कच्चे माल का पता लगाने हेतु अनुसंधान

डा० कृपासिंधु भोई (संबलपुर) : अपर्याप्त उत्पादन, घटिया किस्म का उत्पादन और देश के तीन अखबारी कागज संयंत्रों की भविष्य में उत्पादन बढ़ाने की असमर्थता के कारण अखबारी कागज उद्योग को संकट की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है । देश में पिछले वर्ष अखबारी कागज का उत्पादन 63,000 मीटरी टन हुआ था जबकि आवश्यकता 2.4 लाख मीटरी टन की थी । इस वर्ष स्थिति और भी बिगड़ने की आशा है क्योंकि कुछ मिलों में बिजली की अनियमित सप्लाई और बिजली में कटौती के कारण कम उत्पादन हो रहा है ।

कच्चे माल के संसाधनों की कमी, सप्लाई के लिए आधिकारिक एजेंसियों पर निर्भरता तथा प्रदूषण नियन्त्रण विनियमों के संबंध में मूल्यों में वृद्धि आदि कुछ अन्य ऐसे कारण हैं जिससे इस उद्योग में संकट की स्थिति पैदा हो गयी है । स्थिति में सुधार करने में और देरी करने के परिणाम स्वरूप कुछ उद्योग बन्द भी हो सकते हैं । हजारों श्रमिक जिनमें अधिकांश जनजातियों के हैं, बेरोजगार हो सकते हैं । उन उद्योगों की संकट स्थिति को दूर करना उन श्रमिकों के लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न है ।

अतः केन्द्रीय सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। मेरा सरकार से यह सुझाव है कि वह वाणिज्यिक दृष्टि से उपयुक्त कच्चे माल का पता लगाने हेतु अनुसंधान करे और उपलब्ध कच्चे माल का श्रेष्ठ उपयोग करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित करें। भारत को देश में विद्यमान अखबारी कागज के तीनों संयंत्रों को सहायता देने के लिए हर सम्भव प्रयास करना चाहिए।

(चार) उड़ीसा के जनजाति क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों के निर्माण हेतु धन की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण मलिक (जगतसिंहपुर)* : संसाधनों की कमी के कारण उड़ीसा के जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिए पर्याप्त संख्या में आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना असम्भव हो गया है।

इस समय मैदानी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा 4630/-रुपए हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में यह सीमा प्रति छात्र 7600/रुपए हैं। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा अपर्याप्त है। इस राशि के साथ निर्माण कार्य करना संभव नहीं है, क्योंकि इसके निर्माण में काम आने वाले माल जैसे लकड़ी, सीमेंट और इस्पात के मूल्य पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गए हैं। अतः मेरी मांग यह है कि केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों के निर्माण हेतु निर्धारित सीमा में संशोधन किया जाए और इसे बढ़ाकर मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए क्रमशः 10,000 रुपये और 15,000 रुपये किया जाए।

भारत सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को छात्राओं के लिए छात्रावासों का निर्माण करने के लिए राज्यों को, जिसमें उड़ीसा भी शामिल है 50 : 50 के आधार पर सहायता प्रदान कर रही है। विभिन्न राज्यों में यह सहायता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण करने हेतु दी जानी चाहिए।

(पांच) पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर का संरक्षण

श्री हरिहर सोरेन (क्योंझर)* : मैं भारत सरकार का ध्यान पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ के मन्दिर का संरक्षण किए जाने की ओर दिलाता हूं। यह विश्व प्रसिद्ध पुरातत्वीय स्मारक है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षण किए जाने वाले स्मारकों में शामिल किया गया है। लेकिन यह खेद का विषय है कि इस मंदिर के संरक्षण की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है।

* उड़िया में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पुरी मंदिर के परिसर में निर्मित मुक्ति मंडप जीर्णावस्था में है। इसकी छत लकड़ी की थूनियों पर टिकी है इससे इस मंदिर में प्रतिदिन आने वाले बहुत से पर्यटकों और यात्रियों में रोष उत्पन्न हो गया है। अतः मुक्ति मंडप की शीघ्र मरम्मत किए जाने की आवश्यकता है। मुख्य मंदिर निरन्तर रिसता और धंसता जा रहा है। मंदिर का प्लास्टर हट गया है लेकिन संरक्षण कार्य ठीक तरह से नहीं किया गया है। इस मंदिर से उड़ीसा की प्राचीन संस्कृति का पता चलता है और यह अपनी सुन्दरता और मान्यता के लिए प्रसिद्ध, जोकि विश्व के हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। भारत सरकार इस प्रसिद्ध मन्दिर में आने वाले विदेशी पर्यटकों से लाखों रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित करती है।

उड़ीसा सरकार केन्द्र सरकार से इस मन्दिर के संरक्षण के लिए उचित उपाय करने के लिए समय समय पर निवेदन करती रही है। इसके बावजूद इस स्मारक के समुचित संरक्षण के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।

इसे ध्यान में रखते हुए मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह मुक्ति मंडल के संरक्षण और मरम्मत के लिए शीघ्र कदम उठाए। मुख्य मंदिर में संरक्षण कार्य बिना और विलम्ब किए आरम्भ किया जाना चाहिए।

(छः) हिमाचल प्रदेश में पेड़ों के अवैध रूप से काटे जाने को रोकने की आवश्यकता

श्री टी०एस० नेगी (टिहरी गढ़वाल) : पिछले लगभग 33 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में वन क्षेत्र कम होकर कुल क्षेत्र का लगभग 19 प्रतिशत ही रह गया है जबकि 1948 में, जब हिमाचल प्रदेश एक पृथक प्रशासनिक एकक बना था, यह वन क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्र का 39 प्रतिशत था। वहां पर वृक्षों की कटाई निरन्तर सुनियोजित ढंग से की जा रही है। यदि वे ठेकेदार जिन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसी प्रकार वनों की कटाई करते रहे तो वे दिन दूर नहीं जब समूचे राज्य में हरियाली का नामोनिशान नहीं बचेगा। अभी भी हिमाचल प्रदेश के कुछ भाग, जहाँ कभी पेड़ों की कतारों पर कतारें होती थीं, वीरान नजर आ रहे हैं। यहां तक पेड़ों की जड़ों तक को या तो जला दिया गया है अथवा खोद दिया है ताकि इस बात का प्रमाण ही न रहे कि यहां पहाड़ों पर कभी लहलहाते हरे जंगल होते थे। बन विभाग के कर्मचारी न केवल ठेकेदारों द्वारा गैर-कानूनी तौर पर पेड़ गिराने में सहायता करते हैं बल्कि सुरक्षात्मक मार्गों द्वारा राज्य से इमारती लकड़ी की तस्करी में विशेषज्ञ राय भी देते हैं।

इस सम्बन्ध में शीघ्र ही सुधारात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

(सात) आन्ध्र प्रदेश के कुछ भागों में घोर सूखा तथा अकाल की स्थिति

प्रो० एन०जी० रंगा (गुन्टूर) : एक बार पुनः आन्ध्र प्रदेश में रायलसीमा तथा तेलंगाना के अधिकांश हिस्सों में भारी सूखा पड़ा है जिसके कारण व्यापक रूप से अकाल पड़ गया है।

हमारी प्रधान मत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने इन क्षेत्रों का दो दिन का दौरा किया है, वहां के लोगों से बातचीत की है तथा वहां की जनता के कष्टों के बारे में अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त की है तथा उन्होंने फसलों के न होने, कृषि मजदूरों की बड़े पैमाने पर बेरोजगारी तथा किसानों को हुई भारी क्षति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न मुसीबतों के सम्बन्ध में वहां विचार विमर्श किया है ।

संवाददाताओं को दिए गए अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि 'राष्ट्र को इन क्षेत्रों में बारहमासी सूखे के दीर्घकालीन समाधान खोजने होंगे ।"

मैं इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मन्त्रालयों एवं योजना आयोग का ध्यान खींचना चाहता हूं कि इन दशकों में अनेक बार संसद सदस्यों ने संसद के माध्यम से राष्ट्र एवं सरकार का ध्यान इन सूखा प्रवण क्षेत्रों की भयानक स्थिति की ओर खींचा था और संसद में रायलसीमा विकास बोर्ड अथवा आयोग की स्थापना के बारे में एक निश्चित प्रस्ताव पर चर्चा भी की गई थी तथा सरकार इस प्रकार के प्राधिकरण की स्थापना पर गम्भीरता से विचार कर रही थी ।

मैं सम्बन्धित मन्त्रालयों एवं योजना आयोग से अनुरोध करता हूं कि वे अब प्रधान मंत्री, द्वारा स्वयं व्यक्त किए गए विचारों के सन्दर्भ में उस प्रस्ताव को कम से कम प्राथमिकता आधार पर लागू करें और पहले तो आन्ध्र प्रदेश में रायलसीमा, तेलंगाना एवं कालिंग के सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए शीघ्र ही संरक्षण व विकास प्राधिकरण की स्थापना करें तथा बाद में राजस्थान, उड़ीसा, बस्तर, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में इसी प्रकार के क्षेत्रों के लिए इसी प्रकार के प्राधिकरण की भी स्थापना करे । सरकार शीघ्र ही प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए सुझावों के अनुरूप संस्थान की स्थापना करे और उसे पर्याप्त वित्तीय सहायता दे ।

(आठ) तमिलनाडु के स्कूलों में चलाई जा रही भोजन योजना का पुनर्मूल्यांकन

श्री के०टी० कोशलराम (तिरुचेंडूर) : अगले महीने हो रहे यूनस्को महासम्मेलन में भारतीय शिष्ट मंडल द्वारा सभी विकासशील देशों से तमिलनाडु की पौष्टिक भोजन योजना अपनाने की सिफारिश किये जाने की संभावना है क्योंकि यह योजना प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाने तथा अशिक्षा उन्मूलन के उद्देश्य प्राप्ति का एक निश्चित साधन है ।

किन्तु तमिलनाडु में 375 पंचायत यूनियनों के अन्तर्गत कार्यरत सभी स्कूल अध्यापकों ने बच्चों को पढ़ाने के स्थान पर उन्हें स्कूल के समूचे समय में सब्जियों तथा अन्य सामग्री खरीदने तथा फिर उन्हें भोजन पकाने और खिलाने सम्बन्धी कार्य से मुक्त नहीं किए जाने पर 6 नवम्बर, 1982 को धरना देने एवं 1 जनवरी, 1983 से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का नोटिस दिया है ।

तमिलनाडु सरकार द्वारा 5वें दर्जे तक परीक्षा समाप्त करने सम्बन्धी निर्णय लेने तथा 8वें दर्जे तक की परीक्षा को भी समाप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन होने के कारण स्कूल अध्यापकों की पढ़ाने के प्रति निष्ठा को कम कर दिया गया है ।

केन्द्रीय योजना आयोग यह अनुभव करता है कि इस कार्यक्रम के कारण योजना परियोजनाओं के संसोधन अन्य कार्यों में लगाये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा एन०आर०ई० पी० के अन्तर्गत दिए गए खाद्यान्न एवं धनराशि से ही इस आशंका की पुष्टि हो जाती है।

मानसिक विकास के स्थान पर शारीरिक विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण राज्य के आर्थिक विकास में बाधा उपस्थित करने के अतिरिक्त, पौष्टिक भोजन योजना से तमिलनाडु में नर पशु पैदा होंगे। समूचे राज्य में माता पिताओं में गहरी चिन्ता व्याप्त है कि उनके बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जा रही हैं। इसलिए अन्य विकासशील देशों को इस कार्यक्रम को अपनाने के लिए सिफारिश करने से पहले मैं इसकी पूर्ण पुर्नसमीक्षा चाहता हूं।

(नौ) विदेशों से लौटने वाले भारतीयों के लिए उनके द्वारा लाई जाने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में नियमों को उदार बनाना

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा): विश्व के विकसित एवं अविकसित देशों जैसे अमरीका, यूरोप, खाड़ी के देशों, अफ्रीकी देशों, एशियाई देशों में भारत के लाखों की संख्या में विज्ञान एवं टैक्नोलाजी अभियांत्रिकी, चिकित्सा-विज्ञान, अध्यापन, साहित्य-सृजन, योग, धर्म एवं निर्माण-आयोजनों हेतु कुशल श्रमिकों के नाम पर अस्थायी रूप से कार्यरत रह करोड़ों रुपए मासिक विदेशी मुद्रा हासिल कर रहे हैं। इन भारतीयों ने अपने को पराकाष्ठा तक पहुंचा कर भारत का नाम भी ऊंचा किया है। कई देशों में इनकी नियुक्ति विदेशों में धाक जमाने तथा हजारों हजार नागरिकता के अधिकार प्राप्त करने पर वहां के मूलवासियों ने भारत भगाने का भी आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया है।

इस प्रकार भारतीयों की अर्जित बचत विदेशी मुद्रा के अपव्यय के लिए उन्हें विवश होना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में वे सभी जब अपने देश के परिवार के लिए नए पुराने मशीन एवं संयंत्र, इलैक्ट्रानिक्स, कपड़े एवं रेडीमेड पोशाक तथा अन्य उपयोगी औद्योगिक लाभ हेतु सामग्री लाने पर बन्दरगाहों तथा हवाई अड्डों पर कस्टम अधिकारी यमराज की तरह नाना भय देकर परेशान कर आधे सामान हज्म कर जाते हैं। इससे विदेशों से वापिस आकर भारत में उद्योग धंधे लगाने तथा विदेशी मुद्रा को दूसरे रूप में अपने देश में लाने से हतोत्साहित हो चुके हैं और वे पानी की तरह अपव्यय कर रहे हैं।

ऐसी परिस्थिति में मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री वाणिज्य मंत्री एवं वित्त मंत्री गम्भीरतापूर्वक इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करे तथा ऐसे लोगों के लिए भारतीय मुद्रा के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के दृष्टिकोण से उन्हें बीस से पच्चीस हजार रुपए तक के उपयोगी सामानों को लाने की छूट प्रदान करें और अधिक मूल्यवान उद्योग की मशीनों में भी उत्साहवर्द्धक छूट प्रदान करें ताकि भारत के औद्योगीकरण में श्रीवृद्धि हो तथा विशेषत: ऐसें लोग भारत सहर्ष लौटने में प्रेरणा प्राप्त कर सकें।

(डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी पीठासीन हुई)

(दस) केरल में चावल की कमी

प्रो० पी०जे० कुरियन (मवेलीकारा) ; केरल में पुनः चावल का अभाव उत्पन्न हो गया है और परिणामस्वरूप उसकी कीमतों में भी वृद्धि हो गई है। केवल यही नहीं कि उसकी मूल्य वृद्धि हुई है बल्कि बाजार में चावल बड़ी कठिनाई से उपलब्ध होता है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिया गया तथा-कथित सुपरफाइन किस्म का चावल इतना खराब है कि वह खाने के काबिल ही नहीं है।

जलती में घी का काम करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने केरल में चावल को निर्बाध रूप से ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है तथा केन्द्रीय सरकार ने राज्य के लिए चावल आवंटन में भी कटौती कर दी है। इन सब बातों से वहां की स्थिति बड़ी गम्भीर हो गई है अतः सरकार को इस ओर शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस बात को नोट किया जाना चाहिए कि केरल में मुख्यतः नकदी फसलों की खेती की जाती है जिससे देश को काफी विदेशी मुद्रा की आय होती है। यदि वहाँ उचित दामों पर काफी मात्रा में चावल उपलब्ध नहीं किया जाएगा तो किसान विदेशी मुद्रा लाने वाली नकदी फसलों की खेती छोड़ कर चावल तथा अन्य फसलें उठाना आरम्भ कर देंगे जिसके कारण अन्ततः राष्ट्रहित की ही हानि होगी। केरल निवासी केवल चावल खाते हैं और वे गेहूं खाने के आदि नहीं है तथा इस विदेशी मुद्रा अर्जन करने वाले राज्य को काफी मात्रा में चावल उपलब्ध करना केन्द्रीय सरकार का दायित्व है।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे केरल को पहले जितनी मात्रा में चावल उपलब्ध करायें तथा भारतीय खाद्य निगम को निदेश दें कि वे तथाकथित सुपरफाइन चावल के स्थान पर केरल को उबला हुआ चावल दें तथा तमिलनाडु सरकार को भी निदेश दें कि वे चावल के लाने ले जाने पर लगाए प्रतिबन्ध को हटा लें।

(ग्यारह) कुमार धेरबी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, धनवाद का राष्ट्रीयकरण करने वाले विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति में देरी

श्री ए०के० राय (धनबाद) : सभापति महोदय, कुमारधेरबी इन्जीनियरिंग वर्क्स (प्रा०) लिमिटेड, धनबाद, बिहार का राष्ट्रीयकरण करने वाले विधेयक, जिसे बिहार विधान सभा और विहार विधान परिषद में 26 तथा 27 जुलाई, 1982 को सर्व सम्मति से पारित किया गया था, पर राष्ट्रपति की सहमति मिलने में देरी पर हमें गम्भीर चिन्ता है। तब से यह विधेयक आवश्यक कार्यवाही के लिए केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ा है। कुमारधेरबी इन्जीनियरिंग वर्कस जोकि रेलवे द्वारा प्रयुक्त विभिन्न प्राथमिक मदों का उत्पादन करने वाले कोयला क्षेत्र में

एक प्रमुख इन्जीनियरिंग संस्था है, के लगातार बन्द रहने के कारण वह तथा कोयला खदान एक राष्ट्रीय महत्व का विषय हो गया है जिस पर संसद में अनेक बार चर्चा हो चुकी है। यह कारखाना, जिसमें 3000 कर्मकारों को रोजगार मिला हुआ था, अर्थात् जो उनके 20,000 परिवारिक सदस्यों का भरण पोषण कर रहा था अपने नियोजक जी कि बर्ड एवं क० का हिस्सा ही है, की शरारत एवं कुप्रबन्ध के कारण जुलाई, 1979 से बन्द पड़ा है। आरम्भ में केन्द्रीय सरकार ने आई.डी आर.ए. के अन्तर्गत कारखाने का प्रबन्ध अपने हाथों में लेने का आश्वासन दिया था और इस कारखाने को आर्थिक दृष्टि से सक्षम तथा एक राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित किया था और बिहार के मुख्य मन्त्री ने इस आश्वसन के आधार पर नवम्बर, 1980 में इसके प्रबन्ध अर्जन की रेडियो पर घोषण कर दी थी। यह प्रयास किया गया था कि राज्य सरकार इसका प्रबन्ध अपने हाथ में लेकर कारखाने को पुनः चालू करे। अन्ततः इसके लिए एक विधेयक लाया गया और तीन महीने पहले ही उसे पारित कर दिया गया। किन्तु उस विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति के अभाव में यह कारखाना पुनः चालू नहीं किया जा सका है।

तीन साल से अधिक अवधि से बन्द रहने के कारण कर्मकारों की स्थिति का सुगमता से अनुमान लगाया जा सकता है। लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। उनके परिवार बिखर गये हैं। 50 से अधिक कर्मकार आत्महत्या कर चुके हैं। पिछले महीने की ही बात है कि एक कर्मकार ने चलती गाड़ी के नीचे आकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीण क्षेत्रों में भयंकर सूखे ने उनके कष्टों को और बढ़ा दिया है। अतः राष्ट्रपति की सहमति प्राप्ति में हो रहा विलम्ब कर्मकारों के धैर्य तथा उनके मिट रहे आस्तित्व के लिए अन्तिम गहरा आघात सिद्ध हो रहा है।

(बारह) विशेष रेल सुरक्षा बल से सेवा निवृत्त हुए रेल कर्मचारियों की समस्यायें

श्री बसुदेव आचार्य (बंकुरा) : सभापति महोदय, एस.आर.पी.एफ. के अन्तर्गत सेवा निवृत रेल कर्मचारियों की समस्याओं के परिणामस्वरूप एक विलक्षण स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिस प्रकार से उनकी समस्याओं को एक मन्त्रालय से दूसरे मन्त्रालय में बिना किसी समाधान के भेजा जा रहा है, वह गहरी चिन्ता का विषय है। गृह मन्त्रालय यह कहता है कि रेलवे के पेंशन पाने वाले लोगों की समस्याएं रेल मन्त्रालय सुलझाएगा और रेल मन्त्रालय ने अखिल भारतीय सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी संघ को सलाह दी है कि वित्त मन्त्रालय ही सक्षम मन्त्रालय है जो उनकी समस्याएं निपटा सकता है और वित्त मन्त्रालय के पेंशन विभाग ने पुनः उन समस्याओं को रेल मन्त्रालय में भेज दिया है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस प्रकार का रवैया सरकार भी उनकी समस्याओं के प्रति घोर उपेक्षा का परिचायक है। इस प्रकार की स्थिति से पेंशन पाने वाले लोगों में निराशा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। सरकार को यह जानना चाहिए कि अधिकांश पेंशन पाने वाले लोग बे सहारा होने की स्थिति का सामना कर रहे हैं। ऐसा सरकार के रवैये के कारण है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उनकी समस्याओं पर ध्यान दे और उन्हें यथाशीघ्र दूर करे।

(तेरह) छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश के लिए कागज का कोटा जारी करने की आवश्यकता

श्री बाबूराव परांजपे (जबलपुर): महोदया, बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सूत्र क्रमांक 17 से संबंधित यह प्रकरण है। इस सूत्र में कहा गया है कि उचित दर की दुकानों की व्यवस्था करके कारखाने में काम करने वाले मजदूरों व छात्रों के लिए, दुकानें खोलकर, छात्रों को पाठ्य पुस्तकें और कापियां प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया जायेगा तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा का अभियान चलाया जायेगा। तदुपरान्त व्यवस्था में कहा गया है कि शिक्षा मंत्रालय इस समय पाठ्य पुस्तकों की छपाई तथा कापियां तैयार करने के लिये, राज्यों को कागज सप्लाई करता है। भविष्य में छात्रों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए राज्यों को कागज की सप्लाई बढ़ाई जायेगी और नियंत्रित मूल्यों पर कापियां बेचने की वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी। इसके विपरीत शिक्षा मंत्रालय कार्यरत है। दिसम्बर 81 तक कागज का कोटा तो मध्य प्रदेश शासन को दिया गया। प्रथम तिमाही 82 के कोटे में कुछ थोडी सी मात्रा दी गयी तथा विगत छः माह में कुछ भी नहीं।

जुलाई 82 को जो शिक्षा सत्र प्रारम्भ हुआ, उसमें लगभग एक करोड़ छात्रों के गरीब अविभावकों को रियायती दर की कापियां उपलब्ध नहीं हो सकी तथा खुले बाजार से महंगी दरों पर कापियां खरीदनी पड़ी। आज भी वही स्थिति बनी हुई है।

अतएव शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि अविलम्ब यह कागज का कोटा मध्य प्रदेश के लिये स्वीकृत किया जाये।

(चौदह) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

डा० वी० कुलनदई वेलु (चिदम्बरम) : मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित वक्तव्य देता हूं।

मैं नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड के 17,000 से अधिक कर्मचारियों तथा उनके परिवारों की बोनस के प्रश्न के आजतक समाधान न होने के कारण उनकी 27 अक्तूबर 1982 के 10 बजे म० प० से अनिश्चित काल की हड़ताल के परिणामस्वरूप गम्भीर दशा और आवश्यक सेवाओं तथा उत्पादकता के पूर्णतः अस्तव्यस्त होने, विशेषरूप से बिजली उत्पादन में भारी कमी होने की ओर संघ सरकार का तत्काल ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशस की संयुक्त संघ संघर्ष परिषद ने आरम्भ में 86 प्रतिशत उत्पादकता के आधार पर 1981-82 के लिए 38 करोड़ रुपये के लाभ की राशि नियत किये जाने पर 4 प्रतिशत वार्षिक प्रोत्साहन सहित 20 प्रतिशत बोनस की मांग की थी।

अनेक बार बातचीत होने के बाद प्रबन्धक सिद्धान्त रूप में 27-10-82 को केवल 11.7 प्रतिशत तक बोनस, जिसमें 4 प्रतिशत वार्षिक प्रोत्साहन और 0.56 प्रतिशत (50 रुपये के ऋण के लिए शामिल नहीं है, देने के लिए सहत हुए जबकि इन हताश कर्मचारयों की न्यूनतम मांग 14 प्रतिशत की थी। चूंकि जो उन्होंने मांगा था उन्हें वह नहीं दिया गया अतः संघर्ष परिषद को 27 अक्तूबर, 1982 के 10 बजे म० प० से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करनी पड़ी। अब हड़ताल का आठवां दिन है और नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ रुपये की हानि हो रही है।

चूंकि अनिश्चित काल की हड़ताल के कारण नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को होने वाली हानि (जो करोड़ों रुपये में है) और कर्मचारियों की मांगों (जो कि लाखों रुपये में है) में भारी अन्तर है मेरा सरकार से आग्रह है कि वह उदारता से आगे आयें और राष्ट्र तथा नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करें।

(पन्द्रह) इटारसी के समीप सेना के चाँदमारी क्षेत्र के स्थान पर रखे गये अविस्फोटक बमों तथा अन्य विस्फोटक पदार्थों के कारण हुई दुर्घटनाएं

श्री रामेश्वर नीखरा (होशंगाबाद) : सभापति महोदय, मध्यप्रदेश में इटारसी के पास रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रूफ रेंज बनाया गया है, वहां पर प्रतिदिन सेना के विभिन्न हथियारों का परीक्षण किया जाता है और साथ ही साथ वहाँ पर गोला बारूद बम आदि हथियारों का परीक्षण किया जाता है गोला व बम के परीक्षण के बाद यह व्यवस्था रक्षा मत्रालय द्वारा नहीं की गई है कि नष्ट हुए गोला व बम के पीतल एवं बहुमूल्य धातुओं के बने हुए खोलों को अपने कबजे में रखें या उन्हें व्यवस्थित ढंग से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचावें। उक्त व्यवस्था न होने से स्थानीय निवासी गोला व बम की बहुमूल्य धातुओं को उठाते हैं और उन्हें इसके व्यापारियों को बेचते हैं जिससे उनको आर्थिक लाभ होता है। कई बार इन खाली बमों के खोलों में कुछ जीवित बम भी रह जाते हैं, जिससे बड़ी-बड़ी दुर्घटनायें हो जाती हैं एवं कई लोगों को जान गंवानी पड़ती है। अभी तक इस तरह की दुर्घटनाओं में सैकड़ों व्यक्तियों की जानें जा चुकी हैं। गोला उठाने वाले इस तरह की दुर्घटनाओं की रिपोर्ट डर के कारण पुलिस में नहीं करते हैं और न ही मिलिटरी अधिकारी यह रिपोर्ट करते हैं!

मिलिटरी अधिकारियों से इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था करने हेतु कहा गया पर उनके द्वारा बतलाया गया कि हम नष्ट की हुई सामग्री को सुरक्षित नहीं रखते हैं। नीलाम इसलिए नहीं कर सकते हैं कि नष्ट की हुई सामग्री में जीवित बम न रह जायें। इस तरह से यह एक गंभीर समस्या बन गई है।

मिलिटरी द्वारा नष्ट की हुई गोला बम के खाली खोलों को उठाने से कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, इस बात का अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आस-पास के कई ग्रामों

में पुरुषों की संख्या कम होती जा रही है एवं कुछ ग्रामों में पुरुष ही नहीं बचे। मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस तरह से चलने वाले मौत के व्यापार को समाप्त करने के अविलम्ब उपाय करें।

छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव

सभापति महोदय : अब हम अगली मद पर आते हैं। योजना मन्त्री श्री एस० बी० चव्हाण उत्तर देंगे।

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया है। हमें इस बात की भी बहुत प्रसन्नता है कि सरकारी पक्ष के उन लोगों ने भी कुछ सलाह दी है जिनके पास काफी जानकारी है। उस सन्दर्भ में मैंने यह आशा की थी वे जब योजना दस्तावेजों को तैयार किया जा रहा था उन पर चर्चा की जा रही थी तथा उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा था इसके महत्व को तथा कठिनाइयों को भी समझेंगे। फिर भी उन्होंने सरकार को जो सलाह दी है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं चौधरी चरणसिंह जैसे महत्वपूर्ण नेता के योजना के बारे में तथा उसके क्रियान्वयन के तरीके के बारे में विचार जानने का इच्छुक था और वह सभा में उपस्थित थे किन्तु मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्या सोचा कि बजाय योजना के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के उन्होंने बाहर जाना ठीक समझा।

महोदय, मैं सर्वप्रथम उस बात को दोहराना चाहता हूं जो उन्होंने पहले कही थी। माननीय श्री सतीश अग्रवाल ने फिर से यह बात कही कि मध्यवर्ती समीक्षा दस्तावेज सरकार के पास है और अच्छा यह होता कि चर्चा आरम्भ किये जाने से पहले उस दस्तावेज को परिचालित किया जाता। मैंने इस बात को बहुत ही स्पष्ट कर दिया था कि मध्यवर्ती समीक्षा को स्थगित किया गया है जिससे हमें माननीय सदस्यों से उनकी सलाह का लाभ मिले और उसके बाद हम मध्यवर्ती समीक्षा करेंगे। मैंने यह नहीं सोचा था कि श्री सतीश अग्रवाल यहां तक कहेंगे कि वह दस्तावेज यहाँ मौजूद है जिसे मैंने सभा से छुपाने का प्रयत्न किया था।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मंत्रालयवार मध्यवर्ती समीक्षा उपलब्ध है।

श्री एस० बी० चव्हाण : अन्ततः योजना आयोग को इन सब बातों पर विचार करना है जिसमें·····।

श्री सतीश अग्रवाल : मंत्रालयवार मध्यवर्ती मूल्यांकन उपलब्ध है। क्या मैं आपको उसकी प्रति दूं ?

श्री एस० बी० चव्हाण : मंत्रालयवार सूचना योजना आयोग के पास उपलब्ध हो सकती है। किन्तु हमें बहुत सी अन्य बातों पर विचार करना होता है। मन्त्रालय को राज्य सरकारों के कार्य निष्पादन के साथ-साथ सभी तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। मैं नहीं समझता कि उनका यह कहना सही है कि योजना आयोग द्वारा तैयार किये गये कुछ दस्तावेज सभा के समक्ष नहीं रखे गये।

महोदय, मैं सभा के ध्यान में एक और मुद्दा लाना चाहता हूं जिसे श्री अग्रवाल ने स्वयं उठाया है। यह मुद्दा चुनावों से पहले योजना आरम्भ करने के बारे में है। उन्होंने पहली योजना से आरम्भ कर चौथी अथवा पांचवी तक लिया है और उसके बाद कहा कि आपको इन दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। मैं नहीं जानता कि उन्होंने यह क्यों कहा। मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा सिद्धान्त है कि यदि इस प्रकार के महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा इस प्रकार की महत्वपूर्ण घटना को जिसमें सरकार द्वारा करोड़ों रुपए निवेश किए जा रहे हैं, चुनावों से पहले लोगों के सामने रखा जाए और यदि योजना को अन्तिम रूप दिया जाए और यदि आवश्यक हुआ तो लोग इस पर चर्चा करें तो इसका अर्थ इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर जनता का निर्णय लेना होगा। मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखायी देता। वास्तव में हर एक अपनी योजना बनाने के लिए और उसे जनता के समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है और उस आधार पर आपको लोगों का निर्णय लेना है और यह लोकतांन्त्रिक प्रणाली का सही अर्थ होगा जो कि हमारे देश में है।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं, ।

श्री सतीश अग्रवाल : मैंने ठीक यही आरोप लगाया है। यही कारण है कि आपको लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : क्या राष्ट्रीय योजना किसी दल की योजना है ? क्या यह राष्ट्रीय योजना है या किसी दल की योजना है ? इन दोनों को मिलाइये नहीं। आप इसे चुनाव से जोड़ रहे हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : आखिर जो सरकार सत्ता में आती है वह एक निश्चित चुनाव घोषणा-पत्र लेकर आती है

श्री सतीश अग्रवाल : वह एक भिन्न बात है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : आप योजना पर आइये।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैंने आपको अत्यधिक धैर्य से सुना है। मुझे आशा है कि आप कुछ समय मेरी बात सुनेंगे। आपको अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। चुनाव घोषणा पत्र के बाद यदि कोई दल सभा में आता है और योजना बनाता है तो क्या

यह उन सबका जो योजना बनाते हैं दावा होता है कि इसका दल के उस चुनाव घोषणापत्र से कोई सम्बन्ध नहीं होगा जो उन्होंने लोगों के समक्ष रखा था ? मैं इसके बारे में और अधिक नहीं कहूंगा ।

मैं इस अवसर पर योजना आयोग की कठिनाइयों के बारे में कहना चाहूंगा। उन सभी सदस्यों ने जो सभा में बोल रहे थे, अपनी-अपनी समस्याओं, अपनी अपनी कठिनइयों, अपने निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं आदि के बारे में कहा । प्रत्येक सदस्य अपनी शिकायतें तथा कठिनाइयों, के बारे में कह रहा था । उन्होंने यहां तक कहा कि योजना आयोग को अधिक शक्तियां दी जानी चाहिये ताकि आयोग यह सुनिश्चित कर सके कि जिस तरह से योजना तैयार की गई है उसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए । मैं नहीं समझता कि योजना आयोग स्वयं भी इस प्रकार का दायित्व लेने के लिए तैयार होगा । राज्य सरकारों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों से परामर्श कर योजना तैयार की जा रही है । अत : केन्द्र में प्रशासनिक मंत्रालयों तथा परस्पर राज्यों में राज्य सरकारों का यह दायित्व है कि वे योजना को उसके व्यापक स्वरूप में जिसमें वह तैयार की गई है, क्रियान्चित करें । इसका यह अर्थ नहीं है कि राज्य सरकारों के विचार उनके अपने राज्य की योजनाओं में प्रतिविम्बित नहीं होंगे । योजना के व्यापक स्वरूप में राज्यों के पास अपनी योजनाओं में अपने विचारों के क्रियान्वयन अथवा उन्हें शामिल किये जाने का विकल्प होगा ।

इस सीमा को ध्यान में रखते हुए, मैं समझता हूं कि आपको योजना आयोग के कार्यकरण तथा छठी योजना पर, जिस रूप में यह तैयार की गई है, विचार करना होगा और जब मध्यवर्ती समीक्षा की जाये उस समय हमें यह मालूम हो सकेगा कि योजना की क्या प्रगति है, क्या यह अनुमानों से कम है तथा क्या हमने जो लक्ष्य रखे थे वे पूरे हुए हैं । यदि किसी क्षेत्र में कुछ कमियां हैं और उनमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है, इस पर मध्यवर्ती समीक्षा के अन्त में ही सोचा जा सकता है ।

माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैंने उन्हें धैर्यपूर्वक सुना है । इसका आरम्भ एक माननीय सदस्य की इस घोषणा से हुआ कि योजना मृत है । एक और माननीय सदस्य ने कहा कि योजना में शायद ही कुछ बाकी रह गया है और सारी अर्थव्यवस्था अस्तव्यस्त हो गई है, योजना संकट में है, उनकी भारी कठिनाइयां हैं और वे अमुक प्रयत्न करने जा रहे हैं । मैं नहीं जानता कि किस आधार पर ये विचार व्यवक्त किये गये हैं ।

मैं इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं । सर्वप्रथम मैं अपने सहकर्मी श्री नारायण दत्त तिवारी को बधाई देना चाहता हूं कि चुनावों के बाद एक वर्ष की अवाधे में ही मैं तो कहूंगा कि यह एक रिकार्ड समय है छठी योजना का दस्तावेज तैयार किया गया । जनवरी, 1981 में योजना आयोग ने इस पर अपनी स्वीकृति दी थी । फरवरी, 1981 में राष्ट्रीय विकास परिषद की दूसरी बैठक बुलाई गयी थी और उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिसद की दूसरी बैठक बुलाई गयी थी सारी योजना को अन्तिम रूप दिया गया और योजना दस्तावेज को मई, 1981 में सभा-पटल पर रखा गया ।

छठी योजना को जिस पृष्ठ भूमि में आरम्भ करना पड़ा, उस पर विचार किया जाना है। 1979-80 की 4·5 प्रतिशत की ऋणात्मक विकास दर के साथ हमें 1980-81 के प्रथम वर्ष में योजना आरम्भ करनी पड़ी और हम लगभग 7.5 प्रतिशत की विकास दर तक पहुंच पाये। दूसरे वर्ष विकास दर 4.6 प्रतिशत थी। 1982-83 में हम महसूस करते हैं कि हम 4.5 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त कर पायेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी यहाँ उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने एक मुद्दा उठाया। यह कैसे हो सकता है कि आप कहते आ रहे हैं कि विकास दर 5.2 प्रतिशत होने जा रही है जब आपने स्वयं 4.5 प्रतिशत की व्यवस्था की है ? मैं नहीं जानता कि क्या वह जानबूझकर यह प्रश्न मुझसे कर रहे थे अथवा वह हमेशा की तरह सामान्यरूप से यह कह रहे थे। मैं समझता हूं कि वह यह समझते हैं कि 5.2 प्रतिशत की औसत विकास दर है और हमने 5.2 प्रतिशत की योगिक विकास दर का लक्ष्य रखा है और कम से कम योजना के प्रथम दो वर्षों में औसत लगभग 6 प्रतिशत बैठता है और हम समझते हैं कि यदि इस वर्ष 4.5 प्रतिशत की विकासदर प्राप्त होती है तो हम 5.5 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त कर पायेंगे जो हमारे 5 2 प्रतिशत के योजना लक्ष्य से अधिक होगी।

यह सत्य है कि योजना 1979-80 के मूल्यों पर आधारित है और उसके बाद लागत में वृद्धि हुई है। माननीय सदस्यों को यह चिन्ता थी कि अर्थव्यवस्था में जो लागत-वृद्धि तथा मुद्रा-स्फीति का दवाब पड़ा है, क्या इनसे योजना को क्रियान्वित किया जा सकेगा और क्या योजना के लिए संसाधन मिल पायेंगे जिनके कारण सरकार को निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों को कम करने के लिये बाध्य होना पड़ रहा है। मैं सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि जब 1981 में योजना को अन्तिमरूप दिया गया था तो हमने अधिकांश क्षेत्रों में लागत-वृद्धि को हिसाब में लिया था। मैं सम्भवतः यह नहीं कह सकता कि सभी क्षेत्रों में 1981 तक मूल्य-वृद्धि को हिसाब में लिया गया था। किन्तु अधिकांशतः सभी मंत्रालयों को यह सूचित किया गया था कि दिसम्बर 1980 तक लागत में जो भी वृद्धि हो उसे सम्मिलित किया जाए ताकि हम राष्ट्र के समक्ष एक वास्तविक तश्वीर रख सकें।

जनवरी, 1981 के बाद सितम्बर, 1982 तक, थोक मूल्य सूचकांकों में लगभग 13 प्रतिशत तथा औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में अगस्त तक 19.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके बाद इस वृद्धि का क्या प्रभाव होगा, एक संगत प्रश्न है। तथापि योजना दस्तावेज अथवा समस्त अर्थव्यवस्था में हमारे पास ऐसा तंत्र नहीं है जिसके द्वारा इस प्रकार की मूल्य-वृद्धि का स्वतः समायोजन किया जा सके और इसके परिणामस्वरूप समायोजन के बारे में जिसे वास्तव में किया जाना है मेरे लिए इतनी जल्दी कहना सम्भव नहीं होगा और यही कारण है कि मध्यवर्ती समीक्षा के बाद इसकी कोई तश्वीर सामने आ सकती है कि क्या इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है।

मैं कुछ माननीय सदस्यों से इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि मुद्रास्फीति की दर गिरी है। थोक मूल्य-सूचकांक भी गिरे हैं। किन्तु साथ ही ये उपभोक्त मूल्य सूचकाँकों में प्रतिविम्बित नहीं हो रहे हैं। यह एक ऐसी बात है जिसे मैं समझता हूं, हम इन्कार नहीं कर सकते। किन्तु माननीय सदस्य साथ ही इस तथ्य को भी समझ पायेंगे कि ये दो सूचकाँक भिन्न-भिन्न आधारों पर भिन्न-भिन्न वस्तुओं के तैयार किए जाते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के मामले में खाद्य वस्तुओं को अधिक महत्व दिया जाता है। तथा थोक-मूल्य सूचकांकों के मामले में अन्य वस्तुओं को हिसाब में लिया जाता है। लेकिन इस वर्ष के पहले पांच महीनों के दौरान थोक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की प्रवृत्तियां समानता के आधार पर नजर आ रही है। यह एक संयोग हो सकता है। लेकिन मै सभा की सूचना में दो और बातें लाना चाहता हूं। पहली बात यह है कि इस मौसम में मूल्य साधारणतः बढ़ते ही हैं। एक दूसरी बात जिससे यह स्थिति पैदा हुई है। यह है कि देश के कुछ भागों में अकाल, अभाव की स्थिति उत्पन्न हुई है और कई भागों में बाढ़ भी आयी है। ये दोनों बातों थोक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों को प्रभावित करने के लिए मुख्यतः जिम्मेवार हैं, इसी कारण हमें इन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

यह आलोचना की गयी है कि हम छठी पंच वर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिए बाहरी संसाधनों पर अधिक निर्भर कर रहे हैं और कुछ माननीय सदस्यों ने तो यहां तक कहा है कि हमने इस देश को बेच डाला है और हम स्थानीय संसाधनों के स्थान पर पूर्णतः बाहरी संसाधनों पर निर्भर कर रहे हैं। मैं उनके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं और यदि माननीय सदस्य इन आँकड़ों को देखें तो उन्हें पूरा विश्वास हो जायेगा क्योंकि ये प्रकाशित दस्तावेज हैं और इनके खंडन किए जाने की कोई भी गुंजायश नहीं है।

छठी पंचवर्षीय योजना के सरकारी क्षेत्र का कुल परिव्यय 97,500 करोड़ रुपये है और इस योजना के लिए हमने 9929 करोड़ रुपये के विदेशी संसाधनों को ध्यान में रखा है, जिसका प्रतिशित 10.2 बैठता है। मैं पहली योजनाओं के आंकड़े भी देना चाहूंगा। पहली योजना का स्वीकृत परिव्यय 2069 करोड़ रुपए का था जिसके लिए 521 करोड़ रुपये के कुल विदेशी संसाधन थे और जिसका प्रतिशित 25.2 बैठता है। दूसरी योजना का परिव्यय 4800 करोड़ रुपये था, जिसके लिए 800 करोड़ रुपए के विदेशी संसाधन थे और इसका प्रतिशत 16.7 बैठता है। तीसरी योजना का परिव्यय 7500 करोड़ रुपए का था, जिसके लिए 2200 करोड़ रुपए के विदेशी संसाधन थे और इसका प्रतिशत 29.3 बैठता है। वार्षिक योजनाओं का परिव्यय 6665 करोड़ रुपए था, बाहरी संसाधन 2,435 करोड़ रुपए के थे और इसका प्रतिशत 36.5 था। चौथी योजना में प्रतिशत 16.4 था, पांचवी में 14.8 था और छठी योजना में 10.2 प्रतिशत है। यदि आप योजनाओं पर लगी सारी पूंजी को लें तो यह पूंजीनिवेश कुल 1,58,710 करोड़ रुपये का बैठता है—इस प्रकार छठी पंचवर्षीय योजना में कुल 1,58,710 करोड़ रुपए लगाये जाने का प्रस्ताव है। यदि आप इसे दृष्टि में रखें तो यह प्रतिशत 5.8 बैठता है।

ये आँकड़े स्पष्ट हैं, और मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों की गलत धारणायें दूर हो जायेंगी और उनके सामने एक सही तस्वीर आयेगी।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : एक प्रश्न।

श्री एस० बी० चव्हाण : अच्छा होगा यदि आप मेरा भाषण समाप्त होने के बाद अपना प्रश्न पूछें।

एक माननीय सदस्य – श्री बहुगुणा– वह यहां नहीं हैं ने ऐसा कहा था। मैं नहीं समझ सका कि वास्तव में वह कहना क्या चाहते थे। वह कहते हैं कि हमारी योजना संसाधनों पर आधारित है। क्या हमारे पास बहुत संसाधन तथा पर्याप्त जनशक्ति है और इस प्रकार, जैसे कि चीन में भी हुआ है, इन दोनों को मिलाकर आप परियोजना पर बहुत बड़ी राशि लगा सकते हैं। मैं वह सब न समझ सका जो वह कहना चाहते थे। आवश्यक संसाधनों के बिना, केवल जनशक्ति तथा कच्चे माल के द्वारा, परियोजना कैसे कार्यान्वित की जा सकती है? वह शायद कुछ कहना चाहते हों, लेकिन वह यहां नहीं हैं। मैं यह नहीं जान सकता कि वह क्या कहना चाहते थे—शायद यह कहना चाहते हों कि कुछ साम्यवादी अथवा सर्व सत्तावादी देशों में ऐसी ही कम संसाधनों वाली परियोजनाओं को लागू किया जाता है जिनके लिए स्थानीय लोगों को काम करने के लिए कहा जाता है। हम इस देश में ऐसा नहीं कर सके हैं और मेरे विचार में हम भविष्य में भी ऐसा नहीं करना चाहेंगे। हमें अपनी योजनाओं को स्वयं संसाधन आधारित बनाना पड़ेगा। हमें ऐसे संसाधनों के आधार पर योजनायें बनानी होगीं, जिन्हें हम इस देश में जुटा सकें और जरूरी हो तो विदेशी संसाधनों का सहारा भी लें। यदि वह दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे पास ऐसे आंकड़े हैं जिनसे पता चलता है कि हमारी बचत और पूंजीनिवेश की क्या दर थी और 1980-81 तथा 1981-82 के वास्तविक आंकड़े क्या थे। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें आंकड़े दे दूंगा।

योजना में अनुमान लगाया गया है कि 1979-80 में हम 22.5 प्रतिशत, 1980-81 में 23 प्रतिशत तथा 1981-82 में 23.4 प्रतिशत बचत कर पाये हैं और 1979-80 में 22.8 प्रतिशत 1980-81 में 24.8 प्रतिशत तथा 1981-82 में 24.6 प्रतिशत बचत कर पाये हैं। अतः अनुमान जैसे तैसे वास्तविक हैं और इस बारे में सभा में ऐसी आशंकायें प्रकट करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए कि हमारे पास संसाधन नहीं है और इसी कारण यह योजना लोगों की आकांक्षाओं को पूरा न कर पायेगी।

अब मैं संसाधनों के पहलू पर आता हूं। हमने केन्द्र द्वारा 12,290 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाने का अनुमान लगाया था। आशा की गयी थी कि राज्य सरकारें 9012 करोड़ रुपए के संसाधन जुटायेगी। मुझे कहना चाहिए कि केन्द्रीय सरकार 12,290 करोड़ रुपए के लक्ष्य से भी आगे बढ़गयी है और कुछ राज्य सरकारों को छोड़कर राज्य सरकारें भी मिलकर अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लक्ष्यों से आगे बढ़ गयी है। कुछ मामलों में देखा गया है कि राज्य सरकारें उन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पायी हैं, जिनकी उन्होंने किसी समय आशा की थी।

इस मामले में हमने दो या तीन बातों को ध्यान में रखा है। एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अंशदान से सम्बन्धित है। यह आशा की गयी थी कि केन्द्रीय सरकार के सरकारी

क्षेत्र के उपक्रम छठी पंचवर्षीय योजना के लिए 9911 करोड़ रुपए का अंशदान देंगे । जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, उनसे अपने (—) अंशदान को (—) 516 करोड़ रुपए रखने का अनुरोध किया गया था । जब राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक हुई थी, उस समय राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था राज्य बिजली बोर्ड तथा सड़क परिवहन निगम जैसे उनके सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का प्रबन्ध एक बुरी दशा में है और कार्यान्वित तथा पूरी की गयी कुछ बड़ी बड़ी परियोजनाओं, जिनके लाभ लोगों को पहुंच रहे हैं, से हम आशा रखते हैं कि ये सिंचाई परियोजनाएं कम से कम कार्यकारी लागत को अवश्य पूरा करेंगी । राज्य बिजली बोर्डों से अनुरोध किया गया कि वे अपने काम इस ढंग से चलायें जिससे 80 प्रतिशत तक घाटा न हो और इसे कम करके 20 प्रतिशत तक ही रखा जाये ।

लेकिन यहां मुझे यह कहते हुए खुशी नहीं हो रही है कि कुछ राज्य बिजली बोर्डों तथा राज्य सरकारों को छोड़कर, सभी सरकारों को बारबार याद दिलाने के बावजूद भी वाणिज्यिक घाटों में वृद्धि होती जा रही है । उन्होंने काफी सीमा तक अतिरिक्त संसाधन जुटाए लेकिन साथ साथ परन्तु आशा के विपरीत उनके नियमित बजट में अतिरिक्त राजस्व में कमी ही नजर आती गयी है । अतिरिक्त राजस्व उपलब्ध ही नहीं हुआ और घाटे की अर्थव्यस्था दिखाने की ही प्रवृत्ति सामने आयी, केन्द्रीय सरकार ने कुछ सीमा तक उनका बचाव किया । हम उनसे अनुरोध करते आए हैं कि सरकारी काम उपलब्ध संसाधनों के अन्दर ही चलायें । लेकिन हमने देखा है कि तीन अथवा चार राज्य ऐसे हैं, जो केन्द्रीय सरकार के अनुरोधों के बावजूद भी प्रबन्ध न कर सके । बास्तव में केन्द्रीय सरकार से किसी प्रकार की रियायत प्राप्त करने सम्बन्धी कल्पना बहुत कठिन थी । केन्द्रीय सरकार ने घाटे को एक दीर्घकालीन ऋण के रूप में माना । उसके बाद उन्हें कहा गया कि वे इसके बाद अपना काम इस ढंग से चलायें जिससे उन्हें पुनः घाटे की अर्थव्यवस्था का सहारा न लेना पड़े । हम अब भी अनुभव करते हैं कि कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिन्हें कोई न कोई चेतावनी देनी पड़ी । जो कुछ भी मैं कहता आया हूं, हम उससे अधिक कुछ भी नहीं कर सकते हैं । मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिससे मैं उन्हें वह खर्च न करने के लिए बाध्य कर सकूं, जो वास्तव में एक स्वीकृत व्यय नहीं है । गैर योजना व्यय में वृद्धि इतनी होती जा रही है जिसके बारे में, मैं नहीं जानता कि किस उद्देश्य से यह व्यय किया जा रहा है । श्री बसु गैर योजना व्यय के बारे में अधिक जानते होंगे ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, संविधान के नीति निदेशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत आते हैं, आप इसका अध्ययन नहीं करना चाहते ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादबपुर) : केन्द्रीय सरकार की घाटे की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको क्या कहना है ? विदेशी-ऋण-अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ऋण की स्थिति क्या है ? आपको इस बारे में, क्या कहना है ?

सभापति महोदय : इन्हें अपना भाषण समाप्त करने दीजिये और फिर आप अपना प्रश्न पूछें ।

श्री एस०बी० चव्हाण : आप पश्चिम बंगाल के बारे में, कुछ कहने के लिये मुझे क्यों उत्तेजित कर रहे हैं ? कृपया ऐसा न करें (व्यवधान)। मैं नहीं मान रहा हूं। मेरा भाषण समाप्त करने के बाद ही आप ऐसा करें। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि तीन अथवा चार राज्यों को ही विशेष रियायत देनी पड़ी।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर (दुर्गापुर) : केन्द्रीय सरकार को इस बारे में क्या कहना है।

श्री एस०बी० चव्हाण : कृपया प्रतीक्षा कीजिये। मैं उस बात की ओर आ रहा हूं। उतावले न हों।

सभापति महोदय : उन्हें अपना उत्तर समाप्त करने दीजिये।

श्री एस०बी० चव्हाण : यदि माननीय सदस्य अपनी इच्छानुसार चलना चाहते हैं, तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं कहना है। मैं केवल तीन अथवा चार राज्यों के बारे में कह सकता हूं— गैर काँग्रेसी शासन के राज्यों के बारे में ही नहीं बल्कि कांग्रेसी शासन के राज्यों के बारे में भी—अतः आप ऐसा क्यों समझते हैं कि केवल आपकी ही सरकार ऐसी है ? (व्यवधान)।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय नहीं मान रहे हैं। कृपया धैर्य रखिये। (व्यवधान)

श्री एस०बी० चव्हाण : क्या मैंने आपकी बात में व्यवधान डाला है ? मुझे समझ में नहीं आता कि यह कैसी नीति है कि जहाँ राज्य सरकार को विशेष सहायता दिए जाने का उल्लेख करने मात्र से उत्तेजना फैल रही है। (व्यवधान) मैं नहीं समझता कि इस तरह के व्यवहार से केन्द्रीय सरकार भयभीत हो जायेगी कि यदि राज्य सरकार.....।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या आप सोचते हैं कि हम भयभीत हो जायेंगे ? (व्यवधान)।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सबसे ज्यादा पैसे को इन्होंने बर्बाद किया है इसलिए इनको तकलीफ हो रही है।

श्री एस०बी० चव्हाण : मैंने मात्र इतना ही कहा है कि कुछ राज्य सरकारों को उपयुक्त आकार की योजना के लिए उन्हें विशेष सहायता दी जानी होगी। मुझे इसमें उत्तेजना का कारण समझ में नहीं आता। अतः मेरा निवेदन यह है कि आप कृपया केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए ऋण तक अपने आपको सीमित रखने का प्रयत्न कीजिए। और इसका एक मुख्य कारण केन्द्र सरकार द्वारा घाटे की अर्थ-व्यवस्था का सहारा लेना है। घाटे की अर्थ-व्यवस्था कुछ राज्यों में बनी हुई है। और उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उपबंध बनाना था कि वे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के देनदार न हों। इसके बावजूद यदि आप समझते हैं कि वे जो कुछ कर रहे हैं, वह ठीक है तब निश्चय ही, आप अपना निर्णय स्वयं लीजिए और मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता।

महोदया, मैंने 9929 करोड़ रुपये के बाहरी संसाधनों के बारे में कुछ कहा है और बाहरी संसाधनों से अब तक हम जो कुल राशि प्राप्त कर पाये हैं वह 1979-80 की अपेक्षा काफी कम हैं। मुझे आंकड़े देने दीजिए। 1980-81 के वास्तविक आंकड़े 1719 करोड़ हैं और 1981-82 के आंकड़े 1380 करोड़ रुपये हैं। इसके बाद हमने जितनी भी बाहरी सहायता ली वह 8467 करोड़ तक ही है। यह वर्तमान मूल्यों के अनुसार है। यदि इसे 1979-80 के मूल्यों के अनुसार परिवर्तित किया जाए, जिनके आधार पर योजना तैयार की गई थी, तब यह राशि बहुत कम होगी।

महोदय, सदन के समक्ष अन्य प्रश्न जो मैं रखना चाहता हूं वह भुगतान संतुलन का प्रश्न है। जो कि वास्तव में एक ऐसा कारण है कि यदि हम सचमुच अपनी योजना को यथार्थ रूप देना चाहते हैं तो हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। जब मैं कुल निर्यात तथा कुल आयात के आंकड़े तथा भुगतान संतुलन आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। 1979-80 में 6458.76 करोड़ रुपये तक का निर्यात और 9021.75 करोड़ रुपये के माल का आयात किया गया और भुगतान संतुलन की रकम 2562 करोड़ रुपये थी। 1980-81 में कुल निर्यात 6710.10 करोड़ रुपये का किया गया। निर्यात में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा 12503.91 करोड़ रुपये का सामान आयात किया गया और भुगतान संतुलन 5813.20 करोड़ रुपये था। 1981-82 में 7781.40 करोड़ रुपये के माल का निर्यात किया गया और इसमें 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निर्यात में 16 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि 13,600 करोड़ रुपये का आयात किया गया। और शेष रकम 1980-81 की अपेक्षा कम थी। यह राशि 5,778 करोड़ रुपये हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने मन्दी के बारे में बहुत चिन्ता व्यक्त की है जिसका अनुमान उन्होंने अर्थ-व्यवस्था में लगाया है। वाणिज्यिक और औद्योगिक समुदाय में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो निरन्तर यह कह रहे हैं कि इसमें मंदी चल रही है और सरकार ने निगमित क्षेत्रों की भागिता की जो कल्पना की है। तथा जो कुल पूंजी निवेश वे करना चाहते थे, वह अधिक आशाप्रद है। महोदय, इस प्रश्न पर मैंने अनुमान लगाया है।

ऐसी आशा की जाती है कि वे निगमित वित्त-व्यवस्था चाहते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में गैर-सरकारी, गैर-वित्तीय निगमित-क्षेत्रों के लिए, जिसमें सरकारी समितियां शामिल नहीं है, 17582 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नवीनतम जानकारी से पता चलता है कि योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान 7520 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। इसका अर्थ है कि कुल निवेश लक्ष्य का लगभग 42.8 प्रतिशत राशि का लक्ष्य योजना के प्रथम दो वर्षों में प्राप्त हो चुका है। 1981-82 के मूल्यों के अनुसार योजना के पहले दो वर्षों में निवेश 9436 करोड़ रुपए बैठता है इस निवेश की करीब 50 प्रतिशत धनराशि गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र द्वारा अपनी बचत की राशि से दी गयी।

रंगाराजन नाम की एक समिति है जिसकी नियुक्ति विस्तार से जांच करने और यह बताने के लिए की गई है कि क्या इस निगमित क्षेत्र के बारे में हमने जो पूर्वानुमान लगाया

था वह वास्तविकता पर आधारित है अथवा इसमें कुछ संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। मेरा विश्वास है कि वह एक सप्ताह या 10 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन दे देंगी और उसके बाद ही हम इस मामले में अन्तिम निर्णय ले पायेंगे।

मैंने देखा कि औद्योगिक क्षेत्र में 1980-81 में विकास दर 4 प्रतिशत थी, 1981-82 में 8.2 प्रतिशत और अप्रैल से अगस्त तक यह 4.2 प्रतिशत तक पहुंच गयी है। अतः यह 1981-82 के उच्च स्तर पर आधारित हैं तथा इसकी कुछ अन्य विशेषतायें भी है जिसकी ओर माननीय सदस्यों को ध्यान देना होगा, विशेषकर कपड़ा मिल में हड़ताल तथा अन्य हड़तालों का वास्तव में इस क्षेत्र के निवेश पर प्रभाव पड़ा है। लेकिन पहले 6 महीनों में जारी किए गए आशय-पत्र तथा लाइसेंस जिसमें विदेशी सहयोग भी मिला है, तथा अब तक दी गई पूंजीगत माल स्वीकृति से ऐसा नहीं लगता कि गैर सरकारी निगमित क्षेत्रों पर उसे मंदी का प्रभाव पड़ेगा, जिसकी चर्चा की जा रही है।

यह सत्य है कि कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर ट्रैक्टर उद्योग वाणिज्यिक वाहनों, कागज उद्योग, कागज बोर्डो, इस्पात तथा 4-5 अन्य क्षेत्रों में बहुत कम मांग है। लेकिन यह कहना कि अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से मंदी की प्रवृत्ति आ गई है, स्थिति के अनुसार सही नहीं होगा। और मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य इस बात को याद रखें। आप जानते हैं कि यदि मूल्यों को नियन्त्रित करना है, तो हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। एक यह कि कुल मुद्रा सप्लाई पर नियन्त्रण किया जाये लेकिन साथ ही उत्पादनकारी कार्यों के लिए ऋण की आवश्यकता भी पर्याप्त रूप से पूरी की जाये।

रिजर्व बैंक ने हाल ही में इस सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश दिए हैं। अब मैं माननीय सदस्यों के लाभ के लिए रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए निदेश पढ़ना चाहता हूं जो कि निम्नतम शाखा तक पहुंच गए हैं। मुख्य विशेषताएं ये हैं :—

(1) ट्रैक्टरों और ट्रकों पर, उनकी कुल खरीद बढ़ाने के लिए लाभ को सीमा में 25 प्रतिशत से 15 प्रतिशत का संशोधन किया गया है।

(2) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक राज्य विद्युत बोर्डो तथा राज्य सड़क परिवहन निगमों को क्रमशः उपकरणों तथा वाहनों की खरीद की अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा। इससे इन दो क्षेत्रों में 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करानी होगी।

(3) राज्य सड़क परिवहन निगमों को ऋण देने में बैंक शेयर की अधिकतम सीमा को 25-30% से बढ़ाकर परियोजना लागत के सावधिक ऋण घटक के 40 प्रतिशत कर दिया गया है।

(4) भोजन और निर्यात ऋण के लिए पुनः ऋण देने की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं।

(5) निर्यातोन्मुख उत्पादन इकाइयों के लिए ऋण प्राधिकार योजना उदार बनाई गई है तथा ऐसी इकाइयों के लिए, जिनके लिए रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत कार्य आवश्यक है अतिरिक्त ऋण की सीमाएं बढ़ा दी गई हैं। इसके साथ ही, जो पार्टियां ऋण प्राधिकार योजना में नहीं आती, उनके लिए सावधिक ऋणों हेतु समय विन्दु, जिसके लिए रिजर्व-बैंक की पूर्वानुमति लेना आवश्यक होता है, बढ़ा दिया गया है।

(6) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की राज्य प्रायोजित संस्थाओं से 13.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की रिआयती दर पर ब्याज लिया जायेगा।

(7) आवासीय वित्त के लिए निर्धारित राशि 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए कर दी गई है।

(8) बैंकों को सलाह दी गई है कि वे संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पता लगाए गए समाज के कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने की ओर अधिक ध्यान दें।

(9) बैंक की जमा राशि बढ़ाने के लिए तथा बैंकों को राशि वाणिज्यिक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने में समर्थ बनाने के लिए पांच वर्ष और उससे अधिक की सावधि जमा पर 11 प्रतिशत की दर से ब्याज देने की नई श्रेणी 26 अक्तूबर, 1982 से लागू की गई है।

(10) व्यस्ततम अवधि में बैंकों का संचालन इस तरह से किया जायेगा कि मुद्रा स्फीति तथा सामान आवश्यक रूप से जमा करने को प्रोत्साहन दिए बिना अर्थ व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उचित रूप सें प्रोत्साहित करने के लिए ऋण की प्रभाव-पूर्ण तरीके से व्यवस्था की जाये।

महोदय, रिजर्व बैंक ने ये विस्तृत निर्देश सभी बैंकों को जारी किये हैं और मुझे आशा है कि इससे उन लोगों के बीच उचित वातावरण पैदा हो जायेगा, जो यह महसूस कर रहे हैं कि ऋण पर प्रतिवन्ध का उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और उन्हें उत्पादकता के क्षेत्र में व्यापक रूप से कार्य करना चाहिए और इसके साथ ही, लोगों की विशेषकर कमजोर वर्ग की आवश्यकताओं को पूरी तरह वित्तपोषित किया जाना चाहिए तथा रिजर्व बैंक ने इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिए हैं।

नकद-आरक्षण अनुपात को 7.75 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। निश्चय ही इन उपायों से आवश्यक वातावरण बनाने में सहायता मिलेगी तथा उत्पादकता क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिलेगा जहां वे महसूस कर रहे हैं कि ऋण पर रोक लगाई जाएगी।

इस अवस्था में दो पहलुओं का उल्लेख करना चाहता हूं। एक कृषि संबंधी उत्पादन के लक्ष्य के बारे में है। जो कि हमने अपने लिए निर्धारित किया है। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 1540 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का उत्पादन करना होगा। हम अभी भी 1350 से 1400 लाख मीटरी टन तक का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संघर्षरत हैं।

यह लक्ष्य अभी दूर है और यदि हम 1540 लाख मीटरी टन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो राज्य सरकार तथा जिला स्तर पर समन्वित प्रयास करने होंगे। और इस लक्ष्य की प्राप्ति अनिवार्य है। मैं नहीं समझता कि इस देश की जनसंख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए, हम कोई भिन्न रास्ता अपना सकते हैं। हमें अपनी पूरी शक्ति कृषि-उत्पादन पर लगानी होगी।

जो दूसरा पहलू मैं सदन को बताडा चाहता हूं वह बिजली के बारे में है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है हमने 19,600 मेगावाट तक पहुंचने का जो लक्ष्य रखा था, उसे प्राप्त करना कठिन है। कम से कम 16,000 मेगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना होगा। उर्जा सप्लाई के लक्ष्य का हमारा पूर्वानुमान कृषि तथा उद्योग दोनों क्षेत्रों के लिए लगभग 191 बिलियन यूनिट तक था। हम विचार कर रहे हैं। हम विभिन्न क्षेत्रों में यह पता लगाने के लिए तकनीकी दल भेज रहे हैं कि विद्यमान क्षमता का पूरा उपयोग किया जाये। संयंत्र की भारक्षमता, जो एक समय करीब 55% से 56% तक पहुंच गई थी, दुर्भाग्य से कम होकर 44% तक रह गई है। और अब हम महसूस करते हैं कि इस वर्ष के अन्त तक राष्ट्रीय औसत करीब 49% से 49.5% तक पहुंच जाएगा, जो कृषि तथा उद्योग दोनों के लिए कम से कम 170 बिलियन यूनिट उपलब्ध करा पाऐगी। 191 बिलियन यूनिट प्राप्त करना संदेहास्पद है, लेकिन यह मेरा प्रारम्भिक अनुमान है। अन्ततः हम यह देखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो तापीय और पन बिजली परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं, पूरी हो सकें। वास्तव में, मशीनें स्थल पर है। सिविल निर्माण कार्य पिछड़ रहे हैं। हमें यह देखना है कि ये परियोजनाएं समय में पूरी हो जायें ताकि हम यदि 19,000 मेगावाट न प्राप्त कर सकें तो कम से कम 16000 मेगावाट अवश्य प्राप्त कर सकें। हमें करीब 170 बिलियन यूनिट उपलब्ध करानी है। उस मामले में, मुझे पूरा विश्वास है कि हम कृषि तथा उद्योग दोनों की आवश्यकताएं पूरी कर पाएंगे।

इस अवस्था में मैं जनसंख्या नियन्त्रण के मामले में श्री सतीश अग्रवाल से पूर्णतया सहमत हूं। वास्तव में जनसंख्या नियन्त्रण एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है और इसे गम्भीरता से लेना होगा। दुर्भाग्यवश, हमारे यहां कई धार्मिक निषेद हैं। कुछ दल भी खुले आम या छिपे रूप से इसके विरुद्ध हैं। वे इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं। मुझे सभा को यह बताना है कि 1981 की जनगणना से और उससे प्राप्त जनसंख्या संबंधी आंकड़ों से हमें काफी चिन्ता हुई है। छठी योजना के अन्त में, 1981 के अन्त में यदि मैं गलती पर नहीं हूं तो 120 लाख लोगों की वृद्धि हो जाएगी। यह शुद्धि के अध्यधीन है। मैं अपनी याददाश्त के अनुसार

120 लाख व्यक्तियों की अतिरिक्त संख्या बता रहा हूं। मैं मानता हूं कि हमें अत्यन्त गम्भीरता से प्रयास करना होगा और इसीलिए मैंने अपनी आरम्भिक टिप्पणियों में कहा है कि यद्यपि संसाधनों की कमी है, अन्य क्षेत्रों को हम अत्यन्त कम धन उपलब्ध करा रहे है परन्तु जहां तक जनसंख्या नियन्त्रण का संबंध है, यदि इसे जन-अभियान बनाना है तो इस उद्देश्य के लिए लोगों को स्वेच्छा से इसमें सम्मिलित करना होगा और इस अत्यन्त महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम हेतु धन उपलब्ध कराएंगे।

प्रो० मधु दण्डते (राजापुर) : विकास दर काफी सन्तोषजनक है ।

श्री एस० बी० चव्हाण : वास्तव में यह हमारी आशा से कहीं अधिक है।

कुछ माननीय सदस्यों ने भूमि सुधार के बारे में कुछ कहा है। और इन्होंने यह भी कहा है कि भूमि सुधार उपायों को क्रियान्वित करना राजनीतिक इच्छा का प्रश्न नहीं है। मेरे विचार में मेरे पास सभी राज्य सरकारों के आंकड़े हैं। मुझे आशा है कि पश्चिम बंगाल के मेरे मित्रों को उनसे संबंधित आंकड़े पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरे पास सभी राज्यों के आंकड़े हैं; मेरे पास सभी राज्यों के सभी आंकड़े हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या यह अधिकारिक आँकड़े हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : यदि आपने इस प्रकार की बातें करनी हैं तो आप बाद में बोलना।

यह सच है कि निर्धन वर्ग के लोगों में सम्पत्तियों के बंटवारे को सुनिश्चित करने हेतु हमें अधिक ध्यान देना होगा। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे हम अत्यन्त महत्वपूर्ण समझते हैं। किसी प्रकार यह मुकदमेबाजी में फंस गया है। हमने अब यह निर्णय भी लिया है कि जहां बाकी राज्य सरकारों के मामलों में भूमि सुधार कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मलित नहीं किया जा रहा है, वहां सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से इन्हें अब नौवीं अनुसूची में सम्मलित किया जाए। मैं नहीं जानता कि उच्चतम न्यायालय या अन्य न्यायालय इसकी क्या व्याख्या करेंगे। परन्तु इसके साथ ही इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के बारे में सरकार की गम्भीरता को दर्शाने हेतु हमने नौवीं अनुसूची में कानून बनाने का निर्णय लिया है।

कुल 52,51,116 एकड़ फालतू भूमि मिलने का अनुमान है। फालतू घोषित भूमि 40,01,370 एकड़ है। 27,50,426 एकड़ भूमि को कब्जे में लिया गया है।

श्री राम बिलास पासवान (हाजीपुर) : क्यों ?

श्री एस० बी० चव्हाण : मुकदमेबाजी की वजह से।

मेरे विचार में किसी भी राज्य सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हां, इसके एक या दो अपवाद हैं जिनमें भूमि का कब्जा तो ले लिया गया है परन्तु उन्होंने भूमि को सार्वजनिक उद्देश्यों हेतु सुरक्षित रख लिया है अथवा उन्होंने यह घोषणा कर दी है कि भूमि कृषि योग्य नहीं है।

हम राज्य सरकारों से यह आग्रह करने जा रहे हैं कि उच्चतम भूमि सीमा कानून सार्वजनिक उद्देश्यों हेतु भूमि अधिग्रहण करने के लिए नहीं है। वास्तव में सामान्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत हम कुछ श्रेणियों की भूमि का अधिग्रहण कर सकते हैं। भूमिहीन लोगों के लिए निर्धारित भूमि को उन्हें देना होगा और हम राज्य सरकारों को इस बात को स्मरण रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कह रहे हैं कि भूमिहीन लोगों के लिए निर्धारित भूमि को उनमें ही बाँटा जाए।

श्री राम विलास पासवान : कितनी भूमि वितरित की गई है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : मैंने वह बता दिया है। 19,22,168 एकड़ भूमि वितरित की गई है और इससे 13,76,776 लोगों को लाभ पहुंचा है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि इसमें पिछड़ी जातियों के समाज के कमजोर वर्गों का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक होगा।

श्री राम विलास पासवान : 27 लाख एकड़ जमीन आपने एक्वायर की और 19 लाख एकड़ डिस्ट्रीब्यूट की, बाकी 8 लाख एकड़ जमीन सरकार के पास है, उसका क्या हुआ ?

श्री एस० बी० चव्हाण : मैंने अभी कहा है, विवाद चल रहे हैं।

श्री राम बिलास पासवान : लिटिगेशन 40 लाख और 27 लाख के बीच में होगा।

श्री एस० बी० चव्हाण : न्यायालयों से रोक आदेश ले लिए जाते हैं और इसी कारण राज्य सरकारों द्वारा अधिग्रहण की भूमिका के वितरण नहीं हो सका है। अतः वह भूमि बेकार पड़ी है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : आपने झगड़नेवाली लैंड एक्वायर की होगी।

श्री राम विलास पासवान : दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है।

श्री एस० बी० चव्हाण : मुझे अत्यन्त खेद है कि ये मामले आदलतों में लम्बे समय से लटके पड़े हैं। मैं नहीं जानता कि न्यायालय इन पर शीघ्र निर्णय ले सकेंगे या नहीं।

एक मुद्दा और था···(व्यवधान)।

श्री रामावतार शास्त्री : वे बिहार में भूमि वितरित नहीं करना चाहते हैं।

श्री राम विलास पासवान : यह सब कॉंग्रेस (आई) स्टेटस में है।

सभापति महोदय : उन्हें पढ़ने दीजिए। मंत्री महोदय को उत्तर पूरा करने दीजिए।

श्री एस० बी० चव्हाण : एक माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि औद्योगिक नीति संकल्प के मूलरूप को विकृत कर दिया गया है और उद्योग मंत्री प्रयास कर रहे हैं··· (व्यवधान)।

श्री एन० के० राय (धनबाद) : मैं चाहता हूं कि···(व्यवधान)।

श्री एस० बी० चव्हाण : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो मेरे भाषण समाप्त करने के बाद पूछना और अगर मेरे पास सूचना हुई तो मैं उसे स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। (व्यवधान)।

मैं आपकी बातों से हार मानने वाला नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने औद्योगिक नीति संकल्प की बात की थी और उन्होंने कहा था कि उद्योग मंत्री ने इसके महत्व को इस प्रकार से इतना कम कर दिया है कि एम० आर० टी० पी० और एफ० ई० आर० ए० कम्पनियों ने इसका पूरा-पूरा लाभ उठाया है। सभा को इस तथ्य की जानकारी है कि एम० आर० टी० पी० अधिनियम में एक संशोधन प्रस्तुत किया गया था। उस संसोधन का मुख्य उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन देना था। यदि माननीय सदस्य के पास अन्य कोई सूचना है तो निस्सन्देह मैं उसे स्पष्ट नहीं कर सकूंगा। परन्तु मेरी सूचना के अनुसार जिन परिवर्तनों पर विचार किया गया है वे एम० आर० टी० पी० अधिनियम में किए गए संशोधन में जाते हैं यह लघु क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। मेरे विचार में लघु क्षेत्र पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। परन्तु यदि निर्यात के हित में यह परिवर्तन किया गया है तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं है।

एक अन्य सदस्य ने 20 सूत्री कार्यक्रम के सम्बन्ध में आंकड़े दिऐ थे। उन्होंने प्रथम तिमाही के आँकड़े देकर इसका उपहास उड़ाया। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य जानते हैं कि संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा जनवरी, 1982 में की गई थी। पहली तिमाही के आँकड़े एक छोटी सी पुस्तिका में उकलब्ध कराए गए थे। उन्होंने उन आंकड़ों को उदधृत किया और कहा कि यह आपके 20 सूत्री कार्यक्रम, जिस पर आप इतना बल दे रहे हैं, का परिणाम है। यदि ये प्रथम तिमाही के हैं तो मुझे विश्वास है कि आप राज्य सरकारों के कार्यकरण को जानते हैं। राज्य सरकारों की पहली तिमाही कमी का समय होता है। वे प्रथम तिमाही में न्यूनतम खर्च करती हैं। खर्चा दूसरी तिमाही से बढ़ने लगता है। यदि माननीय सदस्य अप्रैल से सितम्बर तक के आंकड़ों में रुचि रखते हैं तो वे इस प्रकार हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

के अन्तर्गत हमारा कार्यनिष्पादन 23.6 प्रतिशत रहा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में 33.4 प्रतिशत रहा, भूमि सुधार 16.8 प्रतिशत, अनुसूचित जाति परिवार 25.4 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति परिवार 27.9 प्रतिशत रहा। यह कार्यक्रम मानसून की समाप्ति के बाद जोर पकड़ता है। अक्तूबर के बाद वास्तव में यह अवश्य ही गति पकड़ लेता है। मुझे विश्वास है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हमने जो प्रावधान किए हैं उन्हें पूर्णतया लागू किया जाएगा। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अब उनके द्वारा गलत व्याख्या किये जाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री बहुगुणा ने, जो अब यहाँ उपस्थित नहीं हैं, दो मुद्दे उठाए थे। वे उस विदेशी प्रोद्योगिकी के बारे में कुछ कहना चाहते थे। जिनका प्रयोग कोचीन, दुर्गापुर बरौनी और नामरूप में उर्वरक कारखाने लगाने में किया गया है। उन्होंने इस प्रोद्यौगिकी का उपहास उड़ाते हुए कहा कि इस प्रोद्यौगिकी से इन सयन्त्रों में कभी भी सुधार नहीं लाया जा सकता है। मैंने अभी सूचना एकत्रित करने का प्रयास किया था और मुझे जो सूचना उपलब्ध कराई गई है, वह इस प्रकार है।

उपर्युक्त संयन्त्रों को इटली के सहयोग से लगाया गया था। इन सयन्त्रों को दो प्रमुख समस्याओं – तकनीकी जानकारी का अभाव तथा विद्युत सम्बन्धी समस्याओं का सामाना करना पड़ा। कोचीन और दुर्गापुर सयन्त्र यान्त्रिकी दृष्टि से 1974 में पूरे किये गये थे। कोचीन सयन्त्र के पास जहां केप्टिव विद्युत क्षमता वाला सयन्त्र था, वही दुर्गापुर सयन्त्र को विद्युत के लिए ग्रिड पर निर्भर रहना पड़ता था। जब इन सयन्त्रों को चालू किया गया तो कतिपय तकनीकी जानकारी के अभाव का पता चला। इसे दूर करने के लिये शुरू से अन्त तक सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण के आधार पर कतिपय सुधार किये गये। कोचीन संयंत्र ने सर्वेक्षण दल द्वारा सुझाये गये संशोधनों को कार्यान्वित कर दिया है। दुर्गापुर संयंत्र में अधिकांश सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा चुका है, फिर भी केप्टिव पावर प्लाँट लगाया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के पूरा होने के बाद आशा है कि ये दोनों संयन्त्र अच्छी तरह से काम करेंगे।

बरौनी और नामरूप संयंन्त्रों को 1976 में चालू किया गया। इन संयंत्रों की तकनीकी कठिनाइयों पर काबू पाया जा चुका है। फिर भी इन संयन्त्रों के उपलब्ध बिजली के गुण तथा यात्रा सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बरौनी में समस्याओं पर काबू पाने के लिए 2.5 मैगावाट गैस टरबाईन लगाया जा रहा है। दीर्घकालिक उपाय के रूप में 16 मैगावाट गैस टरबाईन लगाया जा रहा है। इसे अगली योजना के शुरू में चालू किये जाने की सम्भावना है।

नामरूप संयन्त्र की विद्युत उपलब्धता में केप्टिव पावर प्लाँट, चालू किए जाने में काफी सुधार होगा। इस प्लांट के नामरूप III के अंग के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इसे इस अवधि के अन्त तक चालू किये जाने की सम्भावना है। निम्नलिखित तालिका से 1979-80 तथा

1981-82 के दौरान उर्वरक कारखानों के कार्य निष्पादन का पता चलेगा । इससे इन संयन्त्रों की उपयोग क्षमता में सुधार का पता चलता है :-

	क्षमता उपयोग का प्रतिशत	
	1979-80	1981-82
कोचीन	64	78
दुर्गापुर	30	49
बरौनी	30	49
नामरूप	33	53

श्री बहुगुणा ने आई० जी० पी० एल० तथा इटली की प्रौद्योगिकी को काम में लाने का जिक्र करते हुए कहा था कि इटली के इस सहयोग से आप कुशलता के साथ कार्य करने की बात नहीं सोच सकते । वह यहाँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि यदि उनके पास कोई सूचना हो तो मैं उनसे अवश्य प्राप्त करूंगा । कहा गया है कि एस० पी० आई० डी० पी० एल० से इटली की प्रौद्योगिकी मांग रहा है । यदि ऐसा है तो मेरे विचार में हमारे द्वारा प्राप्त प्रौद्योगिकी में कोई खराबी नहीं है और संयंत्र की कार्यकुलता में अवश्य सुधार होगा और उन्हें अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे । मेरे पास यही सूचना है । कुछ माननीय सदस्यों ने इस बारे में आयात को उदार बनाने की बात कही है । यदि मैं गलती नहीं करता तो श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा था कि कुछ इस्पात कारखानों के पास बहुत स्टाक हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैंने नहीं कहा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के चेयरमैन ने कहा था ।

श्री एस० वी० चव्हाण : सभा में मैंने कहा है । माननीय सदस्यों ने सोड़ा ऐश का जिक्र भी किया था । मेरे विचार में डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी ने इसका जिक्र किया था । इन बातों में, जहां तक योजना आयोग का सम्बन्ध है, हमारी नीति बिलकुल स्पष्ट है और सरकार की नीति भी स्पष्ट है कि आयात के मामले में अद्यतन तकनीक अपनाना निर्यात के लिए औचित्यपूर्ण है । जहां तक सम्भव हो । हमें इस बात का ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए कि देश में आयात प्रतिस्थापन एककों का गठन हो रहा है और हम कम से कम आयात करें । आयात करते समय, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि सुधरी हुई प्रौद्योगिकी को काम में लाया जाये ताकि हमारा निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता कर सके, यह एक पहलू है । दूसरी बात हमें यह ध्यान में रखनी है कि विद्यमान परिस्थिति का लाभ उठाने वाले स्थानीय निर्माता मूल्य वृद्धि का प्रयास करते हैं । मूल्य स्तर बनाए रखने के लिए यदि वाणिज्य मंत्रालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी वस्तु का आयात जरूरी है तो उस स्थिति में भी वे

कुछ आयात की अनुमति देते हैं। तीसरी बात हमें यह ध्यान में रखनी है कि, यदि मैं गलत नहीं कहता, यह बात इस्पात आयात के मामले में भी सामने आयी है। इस्पात क्रयादेश कुछ समय पहले दिये गए थे जो बाद में पूरे किए गए। उस प्रकार की इस्पात के हमारे पास उतने निर्माता नहीं थे। बाद में हमारे इस्पात एककों ने उसका अध्ययन किया और अब हमें पता चला है कि वे इस प्रकार का इस्पात बनाने में सफल हुए हैं जिसका कुछ समय पहले ठेका हुआ था और अब उसका आयात हो रहा है। दूसरे प्रकार का आयात, जिसकी उन्होंने अनुमति दी है, ऐसे देशों से होगा, जिनके साथ हमारे द्विपक्षीय ठेके चलते हैं और किसी न किसी कारण उस देश में कोई ऐसी वस्तु होती है, जिसे वे भारत के लिए दे सकते हैं। इन परिस्थितियों में और कभी कभी परिस्थितियों से बाध्य होकर, हमें कुछ ऐसी वस्तुएं भी स्वीकार करनी पड़ती हैं, जिनका स्वदेशी उत्पादन, वास्तव में संतोषजनक होता है।

अब एक अन्य प्रश्न भी है। एक अथवा दो प्रश्नों का जिक्र किया जा चुका है। एक प्रश्न उन शुरू की गयी परियोजनाओं के बारे में है, जिन्हें समय पर पूरा नहीं किया गया है। मेरे विचार में, माननीय सदस्य श्री सतीश अग्रवाल ने कहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि क्या किसी एक परियोजना को भी समय के अन्दर पूरा किया गया है ?

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : बड़ी परियोजना।

श्री एस०बी० चव्हाण : वह ठीक कहते हैं। मैं किसी परियोजना का नाम नहीं लेना चाहता। साथ साथ आप इस बात को भी अनुभव करेंगे कि राज्य सरकारों की कुछ अपनी समस्याएं होती हैं। मैं यहां से उन पर दबाव नहीं डाल सकता। उनकी अपनी क्षेत्रीय समस्याएं हैं। राज्यों में कुछ पिछड़े क्षेत्र हैं और किसी न किसी कारण यदि परियोजनायें किसी अन्य उन्नत क्षेत्रों में चालू की जाए और पिछड़े क्षेत्रों को पीछे छोड़ा जाये तो इन परिस्थितियों में कुछ नई परियोजनायें शुरू करनी पड़ेगी। कल, माननीय सदस्यों ने वे रेलवे लाईनें देखी होंगी जिनके लिए वे कह रहे थे। हम सब इस बात को जानते हैं कि उन सभी लाइनों के व्यय को सहना बहुत कठिन काम हो रहा है जो स्वीकृत हो चुकी हैं और काफी समय से चल रही हैं।

कुछ माननीय सदस्य भराई दर में वृद्धि करने के लिए जोर दे रहे थे। मैं यह नहीं कह सकता कि यह एक अनुचित मांग है। मध्यावधि समीक्षा पूरी होने के बाद ही हम ऐसी मांगों को पूरा कर सकेंगे जो अत्यन्त आवश्यक हैं और जिन्हें कुछ क्षेत्रों को देना चाहिए। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अतिरिक्त संसाधनों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से कितना अंशदान प्राप्त करते हैं।

मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त को उनकी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि यदि औद्योगिक सम्बन्धों की उचित व्यवस्था की जाये तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अंशदानों में वृद्धि होने

की काफी गुंजायश है। वास्तव में मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि श्रम मन्त्री कुछ कठिन समस्याओं को हल करने में सफल हो जायेंगे। लेकिन साथ साथ क्या मैं मंत्री महोदय से अनुरोध कर सकता हूं कि हम सब सरकारी क्षेत्र को महत्व देने के लिए कहते आ रहे हैं और यदि हम सचमुच उन नीतियों को लागू करना चाहते हैं जिनकी हम बार बार चर्चा करते रहे हैं, तो हमें ऐसी परिस्थितियां पैदा नहीं करनी चाहिए जिसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अच्छे परिणाम दिखाना असम्भव हो जाएगा ? सौभाग्यवश, 1978-79 तथा 1979-80 के बाद 1981-82 का वह पहला वर्ष है जब हमने सरकारी उपक्रमों से काफी लाभ कमाया है।

केन्द्रीय क्षेत्र के 169 सरकारी उपक्रमों में से, यदि मुझे ठीक याद हो, 69 उपक्रम अच्छे परिणाम दिखा रहे हैं। मैं अपने मित्र श्री महाजन की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि हमें सरकारी क्षेत्र की कार्यकुशलता में काफी सुधार लाने के लिए बहुत उपाय करने होंगे ताकि घाटे में चल रहे कारखाने भी अच्छे परिणाम दिखा सकें। इन क्षेत्रों के बारे में कुछ जिम्मेवारियां निश्चित करनी होंगी ताकि उन उपक्रमों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके जो अच्छे परिणाम न दिखायें। मेरे विचार में प्रशासकीय मंत्रालयों को इस ओर ध्यान देना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि वे कितने अच्छे परिणाम दिखा सकते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : श्री सतीश अग्रवाल कल सम्पत्ति कर के बारे में भी बोले हैं। आपने इसका कोई जिक्र नहीं किया है।

श्री एस०बी० चव्हाण : क्षेत्रीय असंतुलन सम्बन्धी एक और बात है जिसके बारे में यहां कुछ सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये थे। श्री सतीश अग्रवाल ने सभा में जो कुछ कहा है, वह मुझे याद है। मैं उनकी बात उन लोगों तक पहुंचा दूंगा, जिनसे वह बात सम्बन्धित है। मैं सम्भवतः यह नहीं कह सकता कि क्या कार्यवाही की जानी है।

एक अथवा दो माननीय सदस्यों ने क्षेत्रीय असंतुलन तथा इस सम्बन्ध में सरकार की नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं। मेरे विचार में जो लोग संसाधनों के आवंटन के बारे में जानकारी रखते हैं, वे यह भी जानते हैं कि जहाँ तक गैर योजना क्षेत्र का संबंध है, उसके व्यय के बारे में वित्त आयोग कार्यवाही करेगा। सौभाग्यवश, श्री यशवन्तराव चव्हाण, जो सभा में उपस्थित हैं, वित्त आयोग के चेयरमैन हैं। मुझे इस बात का खेद है कि बढ़ते हुआ गैर योजना व्यय भी एक प्रश्न है जो वित्त आयोग के सामने है और हर राज्य सरकार कहना चाहेगी, "हम इस प्रकार के व्यय के लिए बचनबद्ध हैं" और इसी कारण सम्भवतः गैर योजना व्यय में बृद्धि होती जा रही है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : कृपया वित्त आयोग से प्रभावित न होवें।

श्री एस०बी० चव्हाण : जहाँ तक गैर-योजना आवंटन का संबंध है, कानूनी तथा अन्य शक्तियों के अन्तर्गत राज्य सरकारें केन्द्रीय वित्त के भाग की हकदार हैं और केन्द्रीय वित्त

के भाग की सिफारिश वित्त आयोग करता है। लेकिन जहाँ तक आयोजन का सम्बन्ध है, हमारे पास पुनरीक्षित गाडगिल फार्मूला है, जिसके अन्तर्गत हमने कुछ पिछड़े क्षेत्रों के आवंटन में वृद्धि कर दी। यदि आप पुनरीक्षित गाडगिल फार्मूले को देखें, तो आपको यह देखकर खुशी होगी कि विशेषकर कुछ पिछड़े क्षेत्रों को कुछ राशि दी गई है। राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्य माना गया है। एक अन्य श्रेणी भी है, जिसे प्रति व्यक्ति आय के आधार पर माना जाता है। यदि उनकी आय औसत राष्ट्रीय आय से कम हो तो उन राज्यों को विशेष राहत दी जाती है।

इसके अतिरिक्त एक आई०टी०पी० फार्मूला भी लागू है। इस फार्मूले के आधार पर राज्य सरकारों को 1600 करोड़ रुपए से अधिक दिया जाता है और ऐसा करते समय आप तथा कुल जनसंख्या के गुणनफल को ध्यान में रखा जाता है। अतः इससे भी कुछ पिछड़े राज्यों को लाभ पहुंचता है। इसके बाद, पहाड़ी क्षेत्र, सूखा प्रषणक्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति तथा आदिमजाति उप-योजनायें भी हैं। प्रधान मंत्री ने इस सभा में तथा आज राज्य सभा में भी घोषणा की है कि उद्योग स्थापति करने के बारे में निर्णय लिया जा चुका है और जिन जिलों में उद्योग नहीं है वहाँ प्राथमिकता के आधार पद उद्योग लगाए जायेंगे, इस प्रकार इन पिछड़े क्षेत्रों को आवश्यक सुविधायें प्रदान की जायेंगी।

मेरी अन्तिम बात माननीय सदस्य, श्री ए०के० राय द्वारा व्यक्त इस बिचारों के बारे में है कि इस प्रकार की योजना से लाभ नहीं पहुंचेगा और यह कि यह एक प्रकार से समाजवादी योजना है, जिसे ध्यान में रखना होगा। आप इस बात को जानते हैं कि यदि आप कमजोर वर्गों ग्रामिण दोनों, रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रमों तथा समाज के कमजोर वर्गों सम्बन्धी कार्यक्रमों को देखें तो हममें से प्रत्येक को यकीन हो जायेगा कि इन कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध की गई है और हमें आशा है कि राज्य तथा जिला स्तर पर वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप देने से पहले जन प्रतिनिधियों को भी विश्वास में लिया जायेगा।

मैं नहीं समझता कि योजना की मध्यावधि के दौरान हम अपनाई जा रही नीति को त्याग देंगे। हमने एक मिश्रित आर्थिक नीति अपनाई है। मैं नहीं समझता कि यह कहना उचित होगा कि "आप इसे छोड़ दें क्षौर समूचे आयोजना की प्रक्रिया तथा इसके कार्यान्वयन हेतु गैर सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के लिए कोई गुंजायश न छोड़ें"।

(श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए)

मैं नहीं समझता कि सरकार के लिए इससे पिछे हटना संभव होगा। हमने जो योजना आरम्भ की है, उसमें समाजवादी विचारों का समावेश किया जा रहा है। लेकिन पूरी बात इस पर निर्भर करती है कि इसे किस रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। मेरा अनुभव यह रहा है कि राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकरणों और जिला परिषदों को जिला-स्तर पर पर्याप्त धन दिया गया है। लेकिन, यह सब इस पर निर्भर करता है कि सम्बन्धित अधिकारी इन कार्यक्रमों को किस भावना से क्रियान्वित कर रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा है कि आप इन अधिकारियों से परिणाम की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं जो बचनवद्ध नहीं हैं, जो अनिच्छुक है और जो बहुत भ्रष्ट हैं ? मैं समझता हूं हम अधिकारियों के बिरुद्ध बहुत बड़ा आरोप लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन, साथ ही, कम से कम मेरा अनुभव यह रहा है कि यदि हम अधिकारियों का विभिन्न स्तरों पर उचित मार्ग-दर्शन करें, तो वे अच्छे परिणाम दे सकते हैं कुछ गैर-सरकारी लोग, जिसमें समपर्ण की भावना है और जो आम जनसमूह के लिए काम करने के लिए तैयार करते हैं और जो किसी तरह के दबाव में आना नहीं चाहते, वे भी इस में सहायता दे सकते हैं। साथ ही, यदि ग्रामीण क्षेत्रों में अपनाए गए आई.आर.डी.पी. और एन.आर.एफ. कार्यक्रमों, को उचित भावना से कार्यान्वित किया जाए तो मुझे विश्वास है कि हम छठी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार पर्याप्त रोजगार दे पाऐंगे और पांचवी पंचवर्षीय योजना के बेरोजगारों की संख्या को किसी हद तक कम किया जा सकेगा। 120 लाख लोग बेरोजगार हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में 7 घंटे के दैनिक काम के हिसाब से 340 लाख मानक श्रम दिवसों के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे। यदि किसी तरह का अंशकालिक काम भी दिया जाए तो मुझे विश्वास है, कि हम बहुत से लोगों को रोजगार देने के लिए पर्याप्त मानक श्रम-दिवस जुटा पायेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता सदन से जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार यह देखने के लिए गरीबी की रेखा को यह सुनिश्चित करने के लिए पुनः परिभाषित करने का प्रयत्न कर रही है कि किसी तरह के कृत्रिम आंकड़े तैयार किए जाएं और उनका कहना है कि हम गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की संख्या छिपाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह सच नहीं है। इसकी चर्चा नैनिताल में अधिकारियों के दो-तीन सम्मेलनों में की गई जिसमें यह विचार व्यक्त किया गया कि यह केवल केलॉरी मूल्य ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलॉरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलारी ही गरीबी का द्योतक नहीं है लेकिन इसके कुछ अन्य कारण भी है जैसे स्वास्थ्य, आवास, जन-स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और अन्य बातें। अतः यह पता लगाने के लिए एक कार्यकारी दल बनाया गया है कि इस विषय पर सांख्यिकीविदों के स्तर पर विभिन्न तकनीशियनों द्वारा दिए गए सुझावों को कहां तक स्वीकार किया जा सकता है तथा उसके बाद से ही उनकी सिफारिशें योजना आयोग को भेजी जायेंगी। लेकिन यह कहना कि यह भाग कुछ परिणाम दिखाने के उद्देश्य में प्रेरित कार्यवाही हैं, ठीक नहीं है। मैंने कुछ समाचारपत्रों में भी सम्पादकीय लेख देखे हैं। दुर्भाग्य से, वे सही स्थिति प्रस्तुत नहीं करते। वे हमेशा तोड़ मरोड़ कर तथ्य प्रस्तुत करते हैं। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार का अभिप्राय यह दिखाने के लिए कृत्रिम आंकड़े प्रस्तुत करने का नहीं है कि गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों की संख्या बहुत कम है। हमें सांख्यिकीविदों द्वारा तैयार किए गए आंकड़े अपनाने हैं और हम इन्हें ही वास्तविक आँकड़े मानते हैं।

मैं समझता हूं कि मुझे इस विषय पर और अधिक विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं सदन का काफी समय ले चुका हूं।

मैं पुन: उन माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लेने का कष्ट किया और अपने सुझाव दिए ।

मैं सदन में माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गए कुछ मुद्दों का स्पष्टीकरण नहीं दे सका तथापि मैंने उन्हें नोट कर लिया है ।

मैं नहीं सोचता कि मैं इतने कम समय में मेरे लिए यहाँ पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर देना संभव हो सकता था । (व्यवधान) पीने के पानी, रेलवे और अन्य कई परियोजनाओं संबंधी प्रश्न पूछे गए । सभी तरह की समस्याएं उठाई गई । लेकिन मैं नहीं समझता मैं यहां रखी गई किसी विशेष समस्या पर तुरंत 'हाँ' या 'नहीं' कहने की स्थिति में होऊंगा । उन प्रश्नों पर योजना आयोग विचार करेगा । जब माननीय सदस्य किसी विशेष मामले पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं निश्चय ही आप आश्वस्त होंगे कि उन पर पर्याप्त विचार किया जाएगा और यह इस पर निर्भर है कि प्रशासनिक मंत्रालय माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं ।

मैं पुन: सदन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इतना अधिक समय दिया ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं, एक सवाल पूछना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : सवाल तो आप पूछ नही सकते ।

श्री रामावतार शास्त्री : सभापति जी, मैं सफाई ही पूछना चाहता हूं, आप मुझे सफाई ही पूछने दीजिए..... ।

सभापति महोदय : क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो पूछ सकते हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : यहाँ पर प्लान डिस्कशन पर आपने बीस सूत्रीय कार्यक्रम की चर्चा की है । लेकिन आपने उसके एप्रेजल के बारे में कुछ नहीं बताया कि वह कहां तक कार्यान्वित हो रहा है या नहीं हो रहा है । मैं इसीलिए पूछना चाहता हूं कि चूंकि मैं एक जिला समिति में हूं जो कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम के लिए बनाई गई है । जगह-जगह ऐसी समितियाँ बनाई गई हैं । मैं जानता हूं कि वहां क्या हो रहा है । मैं उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता । लेकिन सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम की क्रियान्विती के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसकी स्थिति क्या है । क्योंकि उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा ।

सभापति महोदय : उन्होंने कहा है कि बहुत से मुद्दों पर सारी डीटेल्स अभी नहीं बताई जा सकती । क्या मन्त्री महोदय और कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री एस० बी० चव्हाण : वास्तव में मैंने सारी स्थिति के बारे में बिस्तार से बता दिया है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी प्रगति की गई है । यदि माननीय सदस्यों की

दिलचस्पी हो तो मैं आई० आर० डी० पी० के आंकड़े भी बता सकता हूं। मैं आँकड़े दे सकता हूं लेकिन मैं अब बताऊंगा नहीं क्योंकि इसमें काफी समय लगेगा। प्रत्येक जिले में "डी० आर० डी० ए० सी०" की स्थापना की गई ताकि यह देखा जा सके कि जिस भावना से यह कार्यक्रम तैयार किया गया है उसी प्रकार जनता की इसमें भागीदारी हो तथा कार्यक्रम क्रियान्वित हो।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उस समिति में केवल सतारूढ़ दल के सदस्यों को ही लिया गया है, विपक्ष से कोई सदस्य नहीं लिया गया।

सभापति महोदय : इस पर और वाद-विवाद नहीं होना चाहिए। श्री सुनील मैत्रा।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मन्त्री महोदय ने सदन में विभिन्न योजनाओं के विदेशी सहायता घटकों का प्रतिशत बताया है। ये वास्तविक थे और ये वास्तविक आँकड़े छठी योजना के पूर्वानुमान के करीब-करीब अनुरूप थे। क्या आप कृपया हमें प्रत्येक योजना के संबन्ध में विदेशी सहायता संघटकों के वास्तविक पूर्वानुमान के बारे में बताऐंगें ? तदन्तर क्या आप वास्तविक आंकड़ों की तुलना पूर्वानुमानित आंकड़ों से करेंगे ? केवल तब ही हम यह जानने की स्थिति में होंगे कि क्या आपका छठी योजना में विदेशी सहायता का 10 प्रतिशत का पूर्वानुमान न्यायोचित है या नहीं।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं समझता हूं मैंने वास्तविक आंकड़े बता दिए हैं। ये प्रकाशित दस्तावेज हैं — प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी, चोथी, और पाँचवी योजना। आप योजना में लगाए गए पूर्वानुमान की तुलना आंकड़ों से कर सकते हैं। संभवत: वास्तविक आंकड़े नहीं भी हो सकते। मैंने आंकड़े दे दिए हैं। इन आंकड़ों की तुलना योजना के दस्तावेज में दिये लगाए पूर्वानुमान से की जा सकती है। और उस आधार पर आप परिणाम निकाल सकते हैं। सामान्यत: हमारा अनुभव यह है कि हमने देखा कि हमने जो अनुमान किया था उससे आगे रहे। कम से कम मेरी धारणा यह है कि पूर्वानुमान काफी कम रहे और ये बढ़ाए गए हैं। यही कारण है कि मैंने ये बढ़े हुए आँकड़े दिए हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : (कलकत्ता दक्षिण) : आपने भूमि सुधार के संबंध में अपने विचार बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त किये हैं कि केन्द्रीय सरकार चाहती है कि राज्य सरकारों को कदम उठाने चाहिए और वास्तविक भूमि का वितरण करना चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूं। अब क्या आप अनुवर्ती कार्यवाही करने जा रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल तथा केरल की राज्य विधान सभाओं ने भूमि सुधार सम्बन्धी कानून पारित कर दिया है तथा वे राष्ट्रपति की सहमति के लिए आपके पास वर्षों से लंबित पड़े हैं और उन्हें अभी तक राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिली है। अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि मन्त्री होने के नाते आपको तथा योजना आयोग को अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में अपने महान नेता, प्रधान मन्त्री पर प्रभाव डालना चाहिए···।

सभापति महोदय : आपने ऐसा किया है ।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रधान मंत्री को राष्ट्रपति को सुझाव देना चाहिए··· (व्यवधान) महोदय, आप जानते हैं, कि यह संसदीय प्रणाली हैं···।

सभापति महोदय : यह बताना आवश्यक नहीं है ; आपने अपना प्रश्न कर दिया है ।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या वह मुझे आश्वासन देंगे कि अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में वह प्रधान मन्त्री को सुझाव देंगे ?

श्री एस० बी० चह्वाण : प्रश्न एकदम स्पष्ट है कि जहां कहीं भी राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कानून पारित किए हैं···।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : जी, हां ।

श्री एस० बी० चह्वाण : जो विधेयक राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार थे उन पर राष्ट्रपति की सहमति मिल गयी है । इस विधेयक विशेष के बारे में मुझे जानकारी नहीं है । आप मुझसे जो कुछ पूछ रहे हैं यह एकदम नई बात है । उन विधेयकों पर जोर दिया गया है जो पारित किए जा चुके हैं तथा जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि अर्जित की गई है तथा उस भूमि का वितरण किया जाना है । यह पहला दायित्व है जिसे राज्य सरकार को निश्चित रूप से पूरा करना चाहिए ।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : हमने ऐसा ही किया है ।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : सातवें दशक के आरम्भ में जारी किए गए राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार 52 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि का पता लगाया । अधिक कढ़े भूमि सुधारों के प्रति नई चेतना को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भूमि की अधिकतम सीमा में संशोधन करने के लिए नए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने का प्रयत्न कर रही है ; यह मेरा पहला प्रश्न है ।

दूसरे में, इस बारे में मैंने कल भी उल्लेख किया था । मैं जानना चाहता हूं कि क्या देश का कोई वैज्ञानिक विशेषकर, विज्ञान कांग्रेस आदि को वह इस्पात और उर्वरक के शत प्रतिशत स्वदेशी कारखाने लगाने की संभावना का पता लगाने के लिए विश्वास में लेगी ।

श्री एस० बी० चह्वाण : ये दोनों नीति संबंधी प्रश्न हैं । मुझे नहीं मालूम कि सदस्य द्वारा पूछे गए दोनों प्रश्नों का सकारात्मक या नकारात्मक उत्तर देने का मेरा अधिकार है । मैं संभवतः प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकता ।

सभापति महोदय : अब श्री ए० के० राय का स्थानापन्न प्रस्ताव है । श्री राय जी, क्या आप इस पर जोर दे रहे हैं ?···अतः मैं इसे सभा में मतदान के लिए रखता हूं । श्री ए० के०राय कि स्थानापन्न प्रस्ताव को परिचालित किया गया है और इसे 2 नवम्बर, को पेश किया गया था···।

श्री ए० के० राय : मैं मांग करता हूं कि आप कृपया इसे पढ़ें ।

सभापति महोदय : यह आवश्यक नहीं है । इसे पहले ही परिचालित किया जा चुका है और सभी को इसकी जानकारी है । प्रश्न यह है :

"कि श्री राय द्वारा पेश किया गया स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए ।"

जो इसके पक्ष में हैं वे कृपया 'हां' कहें ।

कुछ माननीय सदस्य : हां ।

सभापति महोदय : जो इसके विपक्ष में हैं वे 'ना' कहें ।

अनेक माननीय सदस्य : 'नहीं'···निर्णय नहीं वालों के पक्ष में रहा ।

श्री ए० के० राय : महोदय, मैं मत विभाजन की मांग करता हूं ।

सभापति महोदय : मैं अब श्री ए० के० राय के स्थानापन्न प्रस्ताव को मतदान के लिए सभा में रखता हूं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, प्रस्ताव क्या है ?

सभापति महोदय : इसे पहले ही परिचालित किया जा चुका है । अब प्रश्न यह है :

1. कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

'छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85', जो 7 मई, 1981 को सभा पटल पर रखी गई थी, पर विचार करने के बाद इस सभा की राय है कि पहले वाली योजनाओं की भांति ही वर्तमान योजना विकास की पूंजीवादी पद्धति पर आधारित है और इस कारण वह बेरोजगारी, मूल्य - वृद्धि गरीबी और असमानता जैसी देश की किसी भी मूल समस्या को हल करने में अक्षम है, तथा यह विदेशी निर्भरता पर आधारित है, जो कि देश का पतन करके उसे नव-उपनिवेशवाद के मार्ग पर ले जा रही है और देश की प्रभूसत्ता के लिये ही खतरा उत्पन्न कर रही है तथा इस कारण सरकार को निदेश देती है कि—

(क) वर्तमान योजना को पूर्णरूपेण बदल कर इसे फिर से तैयार किया जाये,

(ख) लोक योजना समिति गठित की जाये, जिसमें विपक्ष के वे नेता शामिल किये जायें जिनकी समाजवाद और आत्मनिर्भरता में निष्ठा हो,

(ग) अर्थव्यवस्था को 'एक व्यक्ति एक रोजगार' 'कृषि क्रान्ति, ओद्योगिक क्रान्ति और सांस्कृतिक क्रान्ति, के माध्यम से मुक्ति के स्पष्ट समाजवादी मार्ग के अनुसार नया रूप दिया जाये।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

पक्ष में

मत-विभाजन संख्या 3

16.55 बजे

आचार्य, श्री बसुदेव
आजमी, डा०ए०यू०
बालानन्दन, श्री ई०
भट्टाचार्य, श्री सुशील
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चन्द्रपाल सिंह श्री
चौधरी, श्री त्रिदिव
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
गिरि, श्री सुधीर
हसदा, श्री मतिलाल
होरो, श्री एन०ई०
जगपाल सिंह श्री
कोडियन, श्री पी०के०
मैत्रा, श्री सुनील
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
पाल, प्रो० रूपचन्द
पंडित, डा० वसन्त कुमार
परूलेकर, श्री बापू साहिब
पाटिल, श्री जे०एस०
राय, श्री ए० के०
साहा, श्री अजित कुमार
शमन्ना, श्री टी०आर०
शास्त्री, श्री रामावतार
स्वामी, डा० सुब्रह्मण्डयम
त्रिलोक चन्द, श्री
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री विजय कुमार

विपक्ष में

मत-विभाजन संख्या 3

16.55 बजे

अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अप्पालानायडू, श्री एस०आर०ए०एस०
आजाद, श्री भागवत झा
बैठा, श्री डूमर लाल
वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
वालेश्वर राम, श्री
बनातवाला, श्री जी०एम०
बहेरा, श्री राम बिहारी
भीखाभाई, श्री
भोई, डा० कृपासिन्धु
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
बीरबल, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चव्हाण, श्री एस०वी०
चव्हाण, श्री यशवन्तराव
चौधरी, श्री के०बी०
चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश
दाभी, श्री अजीत सिंह
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
दुबे, श्री रामनाथ
ईरा अनावारासु, श्री
गौजगिन, श्री एन०
हाकिम सिंह, श्री
जैन, श्री वृद्धि चन्द
झा, श्री कमल नाथ
कुचन, श्री गंगाधर एस०
महाजन, श्री वाई०एस०
महाला, श्री आर०पी०
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मालन्ना, श्री के
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मावणि, श्री रामजी भाई
मीणा, श्री राम कुमार
मिश्र, श्री रामनगीना
महन्ती, श्री बृजमोहन
मोरे, श्री राम कृष्ण
मूर्ति, श्री एम०वी० चन्द्रशेखर

डेनिस, श्री एन०
देव, श्री संतोष मोहन
नारायण, श्री के०एस०
नेगी, श्री टी०एस०
पटेल, श्री अहमद मोहम्मद
पटेल, श्री उत्तमभाई एच०
पाटिल, श्री उत्तम राव
फुलवारिया, श्री विरदा राम
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
प्रभु, श्री आर०
प्रसन्न कुमार, श्री एस०एन०
कादरी, श्री एस० टी०
राम, श्री रामस्वरूप
राममूर्ति श्री, के०
रणजीत सिंह, श्री
राव, श्री एम० नागेश्वर
राव, श्री एम० सत्यनारायण
रथ, श्री रामचन्द्र
राठौर, श्री उत्तम
रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा
रौत, श्री जयनारायण
समीनुद्दीन, श्री
साठे, श्री वसन्त
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सावन्त, श्री टी०एम०
सेठी, श्री पी०सी०
नायर, श्री बी०के०
नन्दी येल्लैया, श्री
शक्यवार, श्री नाथूराम
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शास्त्री, श्री हरि कृष्ण
सिंह, देव, श्री के०पी०
सोरन, श्री हरिहर
स्पैरो, श्री आर०एस०
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सुन्दर सिंह, श्री
तैयब हुसन, श्री
थोरट, श्री भाऊसाहिब
त्रिपाठी, श्री राम नारायण
टुडु, श्री मनमोहन
वेंकटरामन, श्री आर०
वेंकटसुब्बया, श्री पी०
वर्मा, श्रीमती ऊषा
विजयराघवन, श्री वी०एस०
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ, डा० प्रताप
यादव, श्री राम सिंह
जैनल बशर, श्री

सभापति महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा :

पक्ष में : 28

विपक्ष में : 94

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

पाद टिप्पण :

निम्नलिखित सदस्यों ने भी भी मतदान किया :—

पक्ष में : श्री हरीश कुमार गंगवार

विपक्ष में : श्री जी० एस० निहाल सिंहवाला ।

विमान अपहरण निवारण विधेयक

और

सिविल विभाजन सुरक्षा विधिविरुद्ध कार्य दमन विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव

सभापति महोदय : आप सभा मद संख्या 22 और 23 पर एक साथ विचार करेगी । मैं अब मंत्री जी को बुलाता हूं ।

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वायुयानों के विधि-विरुद्ध अभिग्रहण के दमन के लिए कन्वेशन को प्रभावी करने और उससे संबंधित विषयों वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए ।"

"कि सिविल विमानन की सुरक्षा के प्रति विधिविरुद्ध कार्यों के दमन के लिए कन्वेंशन को प्रभावी करने और उससे संबंधित विषयों वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए ।"

दिसम्बर, 1944 में शिकागो में अन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमानन कन्वेंशन को अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन का सुरक्षित मितव्ययी और व्यवस्थित रूप से विकास करने के प्राथमिक उद्देश्य के

साथ स्वीकार किया गया था। प्रोद्योगिकी में हुई तीव्र प्रगति के कारण वायुयान परिवहन तेज और सुरक्षित साधन बन गया है और इसके परिणामस्वरूप ही अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन में तेजी से विकास हुआ है। बहरहाल आधुनिक वायुयान की गति, रेंज और क्षमता ने गैर-कानूनी कार्य करने के प्रयोजन से वायुयान पर सवार व्यक्तियों के खतरे से यह और अधिक असुरक्षित हो गई है। जिसके कारण वायुयान तथा निर्दोष यात्रियों और वायुयान के कर्मचारी दल को खतरा उत्पन्न हो गया है।

यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन और इसकी विधि समिति को इन समस्याओं की जानकारी थी परन्तु ऐसी कार्यवाहियों के अन्तर्राष्ट्रीय पहलुओं की जटिलता के कारण इतने लम्बे समय तक इसका हल नहीं ढूंढ़ा जा सका। विधि समिति ने जिसने समय-समय पर इन मामलों पर विचार किया, एक मसौदा तैयार किया जिसके परिणामस्वरूप वायुयान द्वारा यात्रा के समय किए जाने वाले अपराधों के बारे में टोक्यो में 1963 में एक कन्वेन्शन को स्वीकार किया गया।

टोक्यो कन्वेंशन, 1963 की मुख्य उपलब्धि अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान पर नियुक्त कमांडर को उस स्थिति में उसकी शक्तियां निर्दिष्ट करना था जबकि उसके पास यह विश्वास करने का उचित आधार हो कि अमुक व्यक्ति ने आपराधिक कानूनों के विरुद्ध अपराध किया है अथवा ऐसा कार्य किया है जिसके कारण वायुयान अथवा उसमें यात्रा कर रहे व्यक्तियों अथवा सम्पति को या वायुयान में सुव्यवस्था और अनुशासन को खतरा है यह वायुयानों पर गैर-कानूनी कब्जे से निपटने वाले प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय प्रलेख बन गया जिसमें, यह व्यवस्था की गई थी कि समझौता करने वाले राष्ट्र वायुयान का नियन्त्रण उसके कानूनी कमांडर को वापस दिलाने में सहायता करेंगे और समझौते में शामिल जिस देश में वायुयान उतरेगा वह देश यात्रियों और कर्मचारियों को जितनी जल्दी व्यवहारिक होगा आगे की यात्रा जारी रखने की अनुमति देगा और वायुयान तथा इसके सामान को इसके कानूनी मालिकों को लौटा देगा। अतः वायुयान सम्बन्धी अपराधों तथा नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध किए जाने वाले गैर-कानूनी कार्यों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनका केवल आंशिक समाधान इस कन्वेंशन के द्वारा हुआ है। सभा को याद होगा कि इस कन्वेशन को प्रभावी बनाने हेतु संसद द्वारा 1975 में एक विधेयक पारित किया गया था और टोक्यो कन्वेंशन अधिनियम पहली जनवरी, 1976 को लागू हुआ।

अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ने अपनी विधि समिति के माध्यम से कन्वेंशन का मसौदा तैयार करने हेतु, जोकि इसके अधिकांश सदस्यों को स्वीकार होगा और इन समस्याओं से कारगर ढंग से निपटेगा, प्रयास जारी रखा। छठे दशक में टोक्यो कन्वेंशन के स्वीकृत होने के बाद वायुयान पर गैर-कानूनी कब्जा एक गम्भीर सामाजिक खतरा बन गया। जिसके परिणामस्वरूप बन्धक बनाए गए निर्दोष यात्रियों और कर्मचारियों की मृत्यु हो सकती थी या उन्हें चोट

पहुंच सकती थी। विमान अपरहण, जो कि अब तक कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित था, अब व्यापक रूप ग्रहण करता जा रहा था। ये कार्य मुख्य राष्ट्रीय राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन बन गए जिसमें सिविल यात्रियों के जान की परवाह नहीं की जाती थी और अन्तर्राष्ट्रीय आंतक और धमकी देकर अपनी बात मनवाने का कारण बन गए। वायुयान पर गैर-कानूनी कब्जे तथा वायुयान और भूमि पर निर्मित संस्थापनाओं पर हमला करने तथा वायुयानों पर विस्फोटक पदार्थ रखने जैसे अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन में हस्तक्षेप करने वाले कार्यों में हुई वृद्धि एवम वायुयानों के विरुद्ध बढ़ती हिंसा के परिणामस्वरूप 1970 में अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ने दो कन्वेंशनों का मसौदा तैयार किया—एक, वायुयान पर विधिविरुद्ध कब्जे के दमन के संबंध में था जिसे 16 दिसम्बर 1970 को हेग में पारित किया गया था और दूसरा सिविल विमानन सुरक्षा विधिविरुद्ध कार्य दमन के सम्बन्ध में था जिसे 23 सितम्बर, 1971 में मान्ट्रियल में पारित किया गया था। हेग कन्वेंशन 14 अक्तूबर, 1971 को लागू हुआ और अब तक 114 राष्ट्र इसे अपना समर्थन दे चुके हैं। मान्ट्रियल कन्वेंशन जनवरी, 1973 में लागू किया गया और अब तक इसे 113 राष्ट्रों का समर्थन मिल चुका है।

हेग कन्वेंशन, उड़ान के दौरान वायुयान पर गैर-कानूनी कब्जा करने के बारे में है जिसे हम अपहरण कहते हैं। इसमें समझौता करने वाले देश के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह इसके लिए कड़े दण्ड की व्यवस्था करे और इसे दंडनीय अपराध घोषित करे। कन्वेंशन के अनुसार समझौते करने वाले देशों द्वारा अपनी सीमा उस स्थिति में निर्धारित करना, अपेक्षित है (i) जब उड़ान के दौरान वायुयान पर अपराध किया गया हो और उनके क्षेत्र में रजिस्टर हुआ हो, (ii) जब कोई वायुयान दोषी अपराधी सहित उनके क्षेत्र में उतरे तथा (iii) जब दोषी अपराधी उनके क्षेत्र में पकड़ा जाए।

मान्ट्रियल कन्वेंशन उड़ान के दौरान व्यक्तियों और सम्पति की सुरक्षा के विरुद्ध किए गए ऐसे गैर-कानूनी कार्यों पर जिनके कारण वायुयान सेवा पर गम्भीररूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, लागू होती है। यह उड़ान करते हुए वायुयान तथा सेवारत वायुयान दोनों पर लागू होती है। कन्वेंशन के अनुसार एक वायुयान को उसकी उड़ान से पूर्व स्थल कार्मिकों और वायुयान कर्मचारियों द्वारा किसी विशिष्ट उड़ान के लिए की जाने वाली तैयारियों के आरम्भ से लेकर किसी भी अवतरण के 24 घंटे बाद तक सेवा में माना जाता है। कन्वेंशन उन कार्यों पर भी लागू होता है जिनके कारण वायुयान नष्ट होता हो या उसे ऐसी क्षति पहुंचती हो जिसके फलस्वरूप वायुयान उड़ान के काबिल न रहे अथवा उड़ान के दौरान सुरक्षा को खतरा पैदा हो। यह कन्वेंशन उन कार्यों पर भी लागू होती है। जिसके परिणामस्वरूप वायुयानों की मार्ग निर्देशन सुविधाएं नष्ट होती हों या उन्हें क्षति पहुंचती हो अथवा उनके चालन में हस्तक्षेप होता हो। इसके अतिरिक्त यह उस सूचना के प्रेषण पर भी लागू होता है जो झूठी हो और जिसके परिणामस्वरूप उड़ान के दौरान वायुयान को क्षति पहुंचती हो जैसा कि बम आदि के बारे में टेलीफोन करना।

ये दोनों कन्वेंशन जिन अपराधों पर लागू होता हैं—उन्हें प्रस्यर्पणीय समझा जाता है बशर्ते इस सम्बन्ध में द्विपक्षीय समझौता हुआ हो और यदि प्रत्यर्पण के सम्बन्ध में समझौता न हुआ हो तो समझौते में शामिल राष्ट्र से, जहां अपराधी विद्यमान हो, उस पर मुकदमा चलाने की अपेक्षा की जाती है।

नागर विमानन के विरुद्ध किए जा रहे अपराधों के स्वरूप और उनकी जटिलता के कारण उनके बहुआयामी हल की आवश्यकता है। अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा जिन पद्धतियों की सिफारिश की गई उसके प्रत्युत्तर में, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने हवाई अड्डों की सुरक्षा हेतु निवारक कदम उठाए हैं ताकि इन अपराधों को रोका जा सके।

इन अपराधों को पूर्णतया समाप्त करना जहां असम्भव है वहीं सरकार ने भारत में हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रबन्ध किए हैं। सरकार का विचार अति आधुनिक उपकरण लगाकर इन प्रबन्धों को और भी सुदृढ़ करने का है जैसा कि चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा अन्य अड्डों पर बैगेज-एक्स-रे मशीनें लगा कर किया गया है। सरकार ने भी इन कन्वेंशनों के महत्वों को देखते हुए इनका समर्थन करने का तथा इन्हें प्रभावी बनाने हेतु कानून बनाने का निर्णय लिया है जो कि सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में पहले से उठाए गए कदमों के पूरक के रूप में हैं। सरकार आशा करती है कि इस सम्बन्ध में बनाए गए विशेष कानून, जिनका जनता पर आवश्यक मनोवैनिक प्रभाव पड़ेगा भारत में वायुयानों के विरुद्ध विधिविरुद्ध कार्यों को करने से रोकने के लिए कड़ा कानून सिद्ध होगा।

सभा के समक्ष जो विधेयक हैं उनके द्वारा मुख्यतः हेग कन्वेंशन और मान्ट्रियल कन्वेंशन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है। इन दोनों कन्वेंशनों के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होते हैं जब एक वायुयान के, जिसमें अपराध किया जाता है, उड़ान भरने और उतरने के स्थल वायुयान के पंजीकरण के देश में ही आते हों।

तथापि इन विधेयकों के प्रावधान एक भारतीय पंजीकृत वायुयान पर तभी लागू होंगे जब उसके उड़ने तथा उतरने के स्थान भारत की सीमाओं में स्थित हों हमने इसका लाभ उठाया है और इन विधेयकों में इसका प्रावधान कर रहे हैं मोन्ट्रियल कन्वेन्शन उन कार्यों पर लागू होता है जो नौवहन उपकरणों के संकार्यों को, जो अन्तर्राष्ट्रीय वायु नौवहन में उपयोग किये जाते हैं, नष्ट करते हैं या हानि पहुंचाते हैं या बाधा डालते हैं। मगर मान्ट्रियल कन्वेशन विधेयक के प्रावधान भारत में सभी वायुवहन की सुविधाओं पर लागू किये जाएंगे। जिनके संबन्ध में ऐसा अपराध किया जाता है चाहे यह सुविधा अन्तर्राष्ट्रीय वायुवहन से अन्य किसी वायुवहन द्वारा उपयोग की गई हो।

इन विधेयकों में यान अपहरण तथा नागरिक उड्डयन की सुरक्षा के विरुद्ध *किसी भी* अवैध कार्य के लिए आजीवन कारावास तथा जुर्माने की सजा का प्रस्ताव *किया गया है।*

इन परिचयात्मक टिप्पणियों के साथ मैं इन दो विधेयकों को सभा के विचार के लिए प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव किया गया :

"कि वायुयानों के विधिविरुद्ध अभिग्रहण के दमन के लिए कन्वेशन को प्रभावी करने और उससे संबंधित विषयों वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

"कि सिविल विमानन की सुरक्षा के प्रति विधिविरुद्ध कार्यों के दमन के लिए कन्वेंशन को प्रभावी करने और उससे संबंधित विषयों वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : महोदय शुरू में मैं विमान अपहरण निवारण विधेयक तथा सिविल विमानन सुरक्षा विधिविरुद्ध कार्य दमन विधेयक का समर्थन करता हूं ये विधेयक हेग तथा मान्ट्रियल में क्रमश: 1970 तथा 1971 में हुए कन्वेन्शन को ध्यान में रखते हुए बनाये गये हैं। माननीय मंत्री हैग कन्वेन्शन में बनाए गए प्रावधानों को पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। मुख्य प्रावधान यह है कि अनुबन्धित राज्यों को यह प्राधिकार दिया गया है या उनसे अपेक्षा की गई है कि जब उनकी सीमाओं में पंजीकृत वायुयान में कोई अपराध किया जाये और जब वायुयान अपराधी के साथ उनकी सीमाओं में उतारा जाये और तीसरे जब अभियुक्त अपराधी उनकी सीमाओं में पाया जाए तो वे अपना अधिकार क्षेत्र स्थापित करें।

मांट्रियल कन्वेन्शन के प्रावधान भी लगभग ऐसे ही हैं। मांट्रियल कन्वेन्शन की आवश्यकता हैग कन्वेशन्न की कमियों को दूर करने के लिए पड़ी।

अब इन विधेयकों में विमान अपहरण कर्ताओं के लिए आजीवन कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मेरे दिल में उनके या ऐसे अपराध में लगे हुए पक्ष के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। यह इसलिए क्योंकि यह अपराध सम्पूर्ण मानवता, राष्ट्र तथा राज्य के विरुद्ध है। साथ ही साथ मैं यह मानता हूं कि हम ऐसे अपराधों में लगे हुए लोगों के प्रति नर्मी का व्यवहार करते हैं क्योंकि वे लोग अपने राष्ट्र के हितों को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा।

ब्रिटिश शासन में हमारे कुछ एक क्रान्तिकारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। कुछ अधिकारी मारे गये। और हमें इस चरण पर यह नहीं समझना चाहिए कि एक अकेले व्यक्ति को मार देने से भ्रष्टाचार खत्म हो जायेगा। हालांकि हमने क्रान्तिकारियों की गतिविधियों के प्रति नरमी का व्यवहार किया, लेकिन हमें मजबूर होकर कहना पड़ा कि इस प्रकार की

गतिविधियां वास्तव में हमें भ्रष्टाचार-राज्य से मुक्ति नहीं दिला सकी। व्यक्तिगत आतंकवाद से कोई फायदा नहीं है। जन-आंदोलन या जनता समर्थित क्रांतिकारी गतिविधियों से ही हमें किसी खास भ्रष्टाचार राज्य से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, हम यह निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि एक अकेले के विरुद्ध किया गया जुल्म मानवजाति के विरुद्ध किया गया जुल्म है, खासकर जबकि किसी निर्दोष व्यक्तियों को फिरौती के लिए कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए रोक लेते हैं—इस प्रकार की गतिविधियों को किसी भी राज्य सरकार द्वारा माफ नहीं किया जाना चाहिए।

श्रीमन्, मैं मन्त्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अभी हाल ही में भारत में विद्यमान अपहरण के दो मामले हुए हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, इन लोगों को पुरस्कार दिया गया है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ये खबरें सही हैं या नहीं।

मैं मंत्री महोदय से दूसरा प्रश्न भी पूछना चाहता हूं और मांट्रियल और हैग कन्वेन्शनों पर 1970 और 1971 में हस्ताक्षर हुए थे इनको लागू करने के लिए इतनी देर से यह विधेयक क्यों लाया गया है ? इन वर्तमान विधेयकों में भी कुछ त्रुटियां हैं। उदाहरण के तौर पर एक राज्य का व्यक्ति किसी ऐसे विमान में अपराध कर सकता है जोकि किसी अन्य राज्य में रजिस्टर हो और वह विमान किसी तीसरे राज्य में उतर सकता है। इस स्थिति में ये तीनों राज्य इस अपराध में अन्तर्ग्रस्त व्यक्ति के विरुद्ध अवश्य दावा करेंगे। तब स्थिति क्या होगी और हमारी सरकार की उन व्यक्तियों के विरुद्ध ऐसे अपराधों के प्रति क्या प्रतिक्रिया है जोकि हमारे अपने भारतीय नागरिक हैं ?

विधेयक में केवल यही कहा गया है कि कि कथित व्यक्ति अगर अपराधी सिद्ध हो जाता है तो उसे आजीवन कारावास दिया जायेगा और जुर्माना किया जाएगा। जुमाने की राशि क्या है ? इस राशि का यहाँ जिक्र नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार ने यह माना है कि जुर्माने की राशि अपराध की गंभीरता पर निर्भर होगी। अगर ऐसा है तो माननीय मन्त्री महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें।

आखिर में, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कभी कुछ लोग अपहरण या ऐसी कार्यवाहियों में शामिल होते हैं, जिनसे हवाई जहाज, या इसके कर्मचारियों या सम्पत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो इन व्यक्तियों का विदेशी राष्ट्रों से कुछ तालमेल हो सकता है। ऐसे मामलों में, उन राष्ट्रों के साथ राजनीतिक रूप से निपटना होगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे देशों के विरुद्ध राजनीतिक कार्यवाही करने को तैयार है जिनका कि विमान संबंधी अपराधों में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के साथ संपर्क है।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, विमान अपहरण निवारण विधेयक, 1982 और सिविल विमानन सुरक्षा विधिविरुद्ध कार्य दमन विधेयक 1982, दोनों का मैं समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की हरकतों के सम्बन्ध में सरकार ने अब तक जो कुछ भी कार्यवाही की है उनके सम्बन्ध में आपने कोई जानकारी नहीं दी है। कई लोगों ने विमानों का अपहरण किया उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई, किस प्रकार से सख्ती बरती और कौन से कानून के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही की है इसके सम्बन्ध में विशेष तौर से जानकारी देनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि इस मामले में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पोलिटिकल पार्टी का हो उसकी इस प्रकार का काम करने का कोई अधिकार नहीं है जो दूसरों की जानमाल से खेले, प्रौपर्टी को नाश करने का प्रयत्न करे या उन पेसेंजर्स को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाये। यह किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है। और जो कन्वेशन्स हुए हैं मान्ट्रियल और हेग में उनमें भी इस बात को दिया गया है कि ऐसे लोग जो किसी की जान माल के खिलाफ किसी प्रकार की कोशिश करें तो उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं तो समझता हूं ऐसे आदमियों के सम्बन्ध में जो इसमें जन्म कैद की बात कही है उसके बजाय और सख्ती से पेश आना चाहिए, उसको तो गोली से उड़ा देना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को इबरत हो। ऐसी सजा जब तब तक नहीं मिलेगी तब तक लोग बराबर इस प्रकार के प्रयत्न करते रहेंगे। और आप जानते हैं बहुत से ऐसे बिगड़े दिमाग हैं जिनको किसी विदेशी शक्ति या राजनीतिक पार्टी से कुछ मिल जाय तो वह इस प्रकार की गड़बड़ करने में कभी पीछे नहीं रहते। और उसके साथ साथ जो आप विमानन की सुरक्षा के सम्बन्ध में कानून ला रहे हैं उसको भी और ज्यादा सख्त बनाना चाहिये।

आप जानते हैं कि एक जहाज करोड़ों रु० में आता है अगर कोई छोटी सी गड़बड़ कर दे और उसकी वजह से ऐक्सीडेंट हो जाय तो कितने ही आदमी मरेंगे और प्रौपर्टी का भी नुकसान होगा। ऐसे आदमी के खिलाफ अगर सख्ती से कार्यवाही नहीं करेंगे तो उससे हमारी प्रौपर्टी और प्रभुसत्ता को भी धक्का पहुंचता है। इसलिए इस सम्बन्ध में विशेष तौर से आपको ध्यान देना चाहिये।

जो कर्मचारी इसमें काम करते हैं, दिन रात देखभाल करते हैं उनकी गफलत से ऐक्सीडेंट हो जायें या विमान के अन्दर बैठे हुए लोगों को तकलीफ उठानी पड़े, जानमाल की हानि पहुंचे, तो ऐसे लोगों को भी नेग्लीजेंस के सम्बन्ध में आपने कोई प्रावधान नहीं किया। आपको इसमें यह प्रावधान भी करना चाहिए कि जो व्यक्ति इसमें काम करता है, चाहे एयर इंडिया में हो या इंडियन एयरलाइन्स या अन्य कम्पनी में हो, अगर वह अपनी ड्यूटी में नैग्लीजैंस करता है, जिसकी वजह से बहुत नुकशान होता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।)

आपने इस कानून में इस प्रकार की कोई बात नहीं कही है। जब तक आप इस व्यवस्था को मजबूत नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार की हरकतें चलती रहेंगी ।

थोड़े दिन पहले जिस विमान में प्रधान मंत्री ट्रैवल करने वाली थीं, उसके कुछ पुर्जे निकाल लिए गये । जब ऐसे इम्पार्टेन्ट व्यक्ति विमान में ट्रैवल करते हों और उस विमान में कोई तोड़फोड़ कर दे तो यह हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन जाती है । ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से डील करने की आवश्यकता है । इसमें लीनियेन्सी नही बरती जानी चाहिए । अगर ऐसा होता है तो इससे देश को बहुत बड़ा धक्का लग सकता है । हमारी सेवाओं को और देश को बहुत नुकसान होगा । कितने बड़े-बड़े लोगों की एयर क्रैशेज में जानें गई हैं, इसी से अन्दाज लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुशसान हो जाता है । थोड़ी सी नैग्लीजेंस से बड़ी-बड़ी विभूतियों को खतरा उठाना पड़ता है । इसलिए इस व्यवस्था को मजबूत करने की बहुत आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में ऐसा कानून बनाया जा सकता है जिससे सारी व्यबस्था ठीक प्रकार से चले ।

जो क्राइम कमिट किया जाता है, उस विमान के अन्दर भी ऐसी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए कि जो हाई जैकर हैं, जो कहीं तो झूठा गोला लेकर चले जाते हैं या छोटा-मोटा हथियार लेकर चले जाते हैं, उनकी इस हरकत को रोका जा सके । विमान के अन्दर पाइलट और पैसेन्जर्स के पास कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं रहती जिससे उनको रोका जा सके । ऐसी व्यवस्था का होना आवश्यक है जिससे उनके खिलाफ वहीं कार्यवाही की जा सके । इस प्रकार से विमान की और पेसेन्जर्स की सेफ्टी हो सकती है । ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलने की व्यवस्था भी निश्चित तौर से की जानी चाहिए ।

आपने केवल सजा देने की बात तो कही है, लेकिन विभाग को ज्यादा बढ़ाने की बात नहीं की । इसके बढ़ाने की भी बहुत आवश्यकता है । देश में ऐसे बहुत स्थान हैं, जहां हवाई सेवाएं नहीं हैं । आप वायुदूत की सेवा बढ़ा रहे हैं, मगर आपने पिछड़े हुए क्षेत्रों की तरफ कोई तवज्जह नहीं दी है । मैं अपनी कांस्टीटुएन्सी के बारे में कहना चाहता हूं कि भीलवाड़े में वायुदूत की सेवा प्रारम्भ की जानी चाहिए ताकि वहां के लोगों को भी इससे फायदा मिल सके ।

जोधपुर और उदयपुर के लिए भी रोज-सेवा उपलब्ध हो, इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए । जो बड़े-बड़े कस्बे और शहर हैं उनमें हवाई सेवाओं की आवश्यकता है । मंत्री महोदय से हम आशा करते हैं कि वह इस तरह ध्यान देने की कृपा करेंगे और जहां भी इन चीजों की जरूरत है, उनके सम्बन्ध में गौर कर के ऐसा निर्णय करेंगे जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को भी लाभ मिले, पिछड़े हुए क्षेत्र आगे बढ़ें और वहां के लोगों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की सुविधा हो सके ।

मुझे पूरी आशा है कि मंत्री महोदय का सहयोग हमें मिलेगा और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति वह करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं उनके द्वारा पेश किये गये दोनों बिलों का समर्थन करता हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष जी, जब 10-20-30 हजार फीट की ऊंचाई पर कोई हवाई जहाज उड़ रहा होता है, उस वक्त यदि उसको कोई हाईजैक कर ले, उसका अपहरण करले, पिस्तौल की नोक पर या किसी और तरीके से, या तलवार के इशारे पर, उस वक्त उसमें सवार पैसेंजरस में अशांति और भय व्याप्त होता है, श्रीमन्, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे समय जब उस हवाई जहाज में लगभग 200 से भी ज्यादा लोग सवार होते हैं. उनकी जान खतरे में पड़ जाती है। उसके साथ ही, उसमें जितने पायलटस और परिचारिकाएं होती हैं, जिनकी हम वर्षों तक ट्रेनिंग देते हैं, उनकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। ऐसे कार्यों की रोकथाम के लिए इस प्रकार का प्रावधान किया जाना, या कोई विधेयक लाना बहुत आवश्यक है। मैं इस बात में नहीं पड़ता कि माउन्ट्रियल कन्वेंशन के बाद रैटिफिकेशन के लिए हम उसको देर से लाये. लेकिन "देर आयद, दूरुस्त आयद"। आखिर आ तो गया।

इस देश में हाल में ही हाइजैकिंग के तीन चार इन्सटान्सेज हो चुके हैं। श्रीमन्, पहली हाइजैकिंग तो पाकिस्तान ने करवाई थी, कश्मीर के सवाल पर, गलत उसका लाभ उठाने के लिये, वे हमारे विमान को खुद लाहौर ले गये और वहां जाकर बड़ी धूमधाम के साथ उसको जला दिया। पता नहीं, हमारी सरकार ने उसके सम्बन्ध में क्या किया। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में उसके सम्बन्ध में भी प्रकाश डालेंगे। इस घटना के तुरन्त बाद ही हमने अपने क्षेत्र में पाकिस्तानी विमानों के उड़ने पर पाबंदी लगा दी। उसके बाद बंगला देश बना। उसके बाद जब पाकिस्तान के एक विमान को वहां के लोग उड़ा कर काबुल ले गए, तो पाकिस्तान ने यू० एस० एस० आर० और यू० एस० ए० आदि कई देशों से सहायता की प्रार्थना की। आज भी, जैसा श्रीमन्, आपको मालूम ही है कि पाकिस्तानी विमान का अपहृत यात्री 12-13 दिन की यंत्रणा सहन करने के पश्चात् दमिश्क से वापस आया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे जिस बोइंग 737 का अपहरण करके पाकिस्तान ले जाया गया था, जिसका अपहरण कर्ता खालिस्तान को मांग के समर्थन में उसको वहां, ले गया था और आज भी वह पाकिस्तान में ही है, उसको वापस लौटाने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक वह पाकिस्तान के कब्जे में है। वह यहां पर लौट कर क्यों नहीं आ रहा। आज उसके सम्बन्ध में अकाली दल मांग कर रहा है कि पकडे हुए उस अपहरण-कर्ता को छोड़ दिया जाए, उसके बारे में आपकी क्या राय है। मैं चाहता हूं कि आप उसके बारे में सदन को सूचना दें।

श्रीमन्, अभी हमारे देश में जिया उल हक साहब तशरीफ लाये थे। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस अपहरण-कर्ता और जलाए हुए विमान के बारे में क्या आपकी उनसे

कोई बातचीत हुई थी या नहीं । यदि आपने उनके बारे में कोई बातचीत की, तो उसका ब्योरा क्या है ।

अंत में, श्रीमन्, मैं यह और कहना चाहता हूं कि अब तक आप को अपहरण के सम्बन्ध में जैसी पौलिसी रही है कि जब भी किसी विमान का अपहरण किया जाता है आप उसको राजनैतिक रूप देकर उसको राजनैतिक हीरो बना देते हैं । उत्तर प्रदेश के दो अपहरण-कर्ताओं को, जिन्होंने वाराणसी में भारतीय विमान का अपहरण किया था, जिनके नाम क्रमशः देवेन्द्र पाण्डे और भोला पाण्डे है, आपने दोनों को ही एम एल ए का टिकट देकर दोनों को एम. एल. ए. बना दिया और अब वे मंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं । इसलिए जब वह खालिस्तान की मांग करने वाला सिख नवयुक आपसे मांग करता है कि उसको छोड़ दिया जाए ताकि वह भी एम. एल. ए बन सके, तो उसकी मांग पर भी आपको सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए वह भी यही मांग करता है कि उसको एम. एल. ए. बनने दिया जाए । इसलिए आप उसे भी एम. एल. ए. बन जाने दें । इसमें वह कोन सी बुरी बात करता है । क्योंकि आपने इस देश में इस तरह का प्रीसीडेंस बनाया है, आपने इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत कर दिए हैं । वह भी तो यही कह रहा है कि हम को छोड़ दिया जाए, हमारी मांग राजनैतिक थी, खालिस्तान बनाने की उसकी मांग थी । जैसे कि उन वाराणसी के लोगों की मांग राजनैतिक थी, इसी प्रकार की बात उसने भी की तो मैं समझता हूं कि यह बात अच्छी नहीं है कि यदि किसी भी देश में किसी विमान का कोई अपहर करता है, उसको राजनैतिक रूप देकर छोड़ दिया जाए । उसको कभी नहीं छोड़ा जाना चाहिए । मुझे यह बात दुख के साथ कहनी पड़ती है कि सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमें वापस लिए, यही नहीं, आज उनकी स्थिति क्या हो रही है, वे वलिया के रहने वाले, कलैक्टर की अदालत में जाकर उसको पीटते हैं, मजिस्ट्रेट की अदालत में जाकर उसको पीटते हैं । और न जाने क्या करते हैं । आज उन्होंने वहां आतंक का राज्य फैलाया हुआ है । यही नहीं जब श्रीमन्, हमारे यहां कानून बना रखा है कि 498 के अंतर्गत पहली पत्नी के होते हुए कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता, यदि कोई करेगा तो उसे सजा होगी, लेकिन श्रीमन्, भोला पांडे ने अपनी दूसरी शादी वहीं की एक एम. एल. ए. से की है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा । श्रीमन्. वह कानपुर की एम. एल. ए. है और उससे भोला पांडे ने शादी रचाई है, अपनी पहली बीवी के रहते हुए । सारे के सारे मिनिस्टर वहां दावत खाने गए । इस बात का सम्बन्ध हाईजैकिंग से नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि वह बराबर कानून तोड़ रहा है, लेकिन फिर भी मंत्री बनाने की उसकी मांग पर विचार किया जा रहा है । अभी तो वे प्राविंस में हैं । जब वे बड़े हवाई जहाज का हाईजैकिंग करेंगे, तो वे सेंटर में आ जाएंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री बनाने पर सक्रिय विचार हो रहा है ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : नहीं महोदय, इस बात से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है । वे लोग इससे सम्बद्ध हैं । वे कांग्रेस (आई) का आदमी था । कांग्रेस (आई) ने उन्हें टिकट दी और उन्हें चुन लिया गया । वे विपक्ष से सम्बद्ध नहीं हैं ।

इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि विमानों और हवाई अड्डों पर फेसिलिटीज बहुत कम हैं। कहीं भी पीने के पानी की ठीक व्यवस्था नहीं है। कोई ठीक तरीके से बात नहीं करता। रिपेयर का यह हाल है कि जहाँ हवाई जहाज उतरता है, वहाँ से दो, चार, पाँच सौ मील दूर हवाई अड्डे से सामान आता है। हर जगह मरम्मत की व्यवस्था नहीं है। या तो हवाई जहाज को ऐसी जगह उतारा जाए, जहाँ रिपेयर्ज की व्यवस्था हो, अन्यथा सब जगह रिपेयर्ज की व्यवस्था की जाए। आज तो स्थिति यह है कि रिपेयर्ज के कारण हवाई जहाज आठ, दस, बारह घटे तक लेट हो जाते हैं।

जहां तक खर्च का सम्बन्ध है, आज के नए युग में भी सिपाही जिस्म, धोती, कुर्ते और पेंट को हाथ लगाता है। यह कौन सा तरीका है ? अगर इस जमाने में भी मेटल डिटेक्टर के जरिए यह काम न किया जाए, तो यह अच्छी बात नहीं है। वाज दफा लोगों का बहुत अपमान होता है। एम. पीज. और एम. एल. एज. के साथ भी यही व्यवहार होता है। इसके लिए कोई नई रीति निकालिए, जिससे हम इस अपमानजनक स्थिति से बच सकें।

कई एयरलाइन्ज में बहुत घाटा हो रहा है। अभी अखबारों में आया है कि वायुदूत में लाखों रुपयों का घाटा हुआ है। समय कम होने के कारण मैं डीटेल में नहीं जाऊंगा। मंत्री महोदय इस स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाएं।

जितनी कम सुरक्षा व्यवस्था यहाँ के हवाई अड्डों पर देखी जाती है, शायद उतनी कम और कहीं नहीं होगी। हवाई जहाजों को नुकसान पहुंचाने की कार्यवाहियां हिन्दुस्तान भर में जारी हैं। सुरक्षा व्यवस्था जितनी कड़ी होनी चाहिए, उतनी कड़ी नहीं है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

सरकार ने बहुत जगह हवाई जहाजों के रुकने और वायुदूत सेवा का प्रबन्ध किया है। हमारे यहाँ पहाड़ में अल्मोड़ा, पिथौड़ागढ़, नैनीताल, काशीपुर, पीलीभीत आदि में कोई हवाई अड्डा नहीं है। बरेली इसके लिए सबसे अच्छी जगह हो सकती है। वह रुहेलखंड कमिश्नरी का मुख्यालय हैं, जहां कमिश्नर और डी० आई० जी० रहते हैं। अब तो वह एक कार्पोरेशन, महानगर, है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली से जो वायुयान लखनऊ होकर कलकत्ता जाता है, यदि उसको बरेली में रोकने की व्यवस्था की जाए, तो बड़ी मेहरवानी होगी। इससे वहां के व्यापार की भी उन्नति होगी और आने-जाने की भी सुविधा रहेगी। वहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहां पर एक सैनिक हवाई अड्डा है। उसके आस-पास या बराबर एक हवाई अड्डा बनाया जा सकता है। इसमें बहुत खर्चा नहीं होगा। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरी इस बात को मानेंगे और बरेली को सिविल विमान सेवा के जरिए जरूर जोड़ेंगे।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष जी, 12 साल के बाद हमारे भागवत झा आजाद जी दो बिल लेकर यहां पर आए हैं। मैं समझता हूं 1970 के बाद सरकार को तब तक कोई

होश नहीं आया जब तक कि भारत के विमान भी अपहृत नहीं किए जाने लगे। जो घटनायें इस बीच में यहां हुई उनमें विदेशी ताकतों का हाथ था। अमरीका और कनाडा में हिन्दुस्तान को तोड़ने की साजिश की गई और पाकिस्तान की तरफ से ननकाना साहब की सावरेन्टी देने का आफर दिया गया। अभी अभी यहा पर जो जियाउल हक साहब आए थे उन्हीं के शासन में आफर दिया गया कि अगर लोग हिन्दुस्तान से अलग होने के लिए तैयार हों तो पाकिस्तान भी ननकाना साहब की सावरेन्टी देने के लिए तैयार हो सकता है। खालिस्तान का आन्दोलन सिर्फ हिन्दुस्तान में ही नहीं, बाहर भी चला। 1970 में जो हेग और मॉंट्रियल कन्वेन्शन का करार था उस पर सरकार ने कभी सोचने की जरूरत नहीं समझी। 12 साल के बाद नये कन्वेन्शन होंगे, दूसरे मुल्क 12 साल आगे बढ़ गए, इस अवधि में उन्होंने नये नये एक्सपेरिमेन्ट्स किये हैं और उसके आधार पर सुरक्षा भी बढ़ी है। इसके बावजूद मैं श्री भागवत झा आजाद जी को धन्यवाद ही दूंगा क्योंकि देर आयद दुरूस्त आयद, यह अच्छा ही है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जो विमान अपहरण की घटनायें बढ़ी है उनके पीछे राजनीतिक षडयन्त्र था। बार बार इस सदन में भी बताया गया है, लोगों ने सवाल भी किए हैं कि पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आप क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो विमान अपहरणकर्ता थे उनको वापिस क्यों नहीं लिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि उनके साथ हमने बात-चीत की है। मैं समझता हूं हमारी सरकार ने शायद अभी जियाउल हक साहब से बात-चीत की होगी। पता नहीं है कि कब तक अपहरणकर्ता वापिस आ सकेंगे। मुझे तो ऐसा नही लग रहा है कि आपके प्रयत्नों के फलस्वरूप अपहरणकर्ता व-पिस आ सकेंगे।

देश में जो सुरक्षा के उपाय किए गए हैं, उनकी ओर मेरे पूर्ववक्ता ने इशारा किया है कि वास्तव में वह कितने भद्दे हैं। आजाद जी को उन पर विचार करना चाहिए। कभी कभी हम लोग भी हवाई जहाज से सफर करते हैं तो बड़ा कुण्डाग्रस्त होना पड़ता है। एक संसत्सदस्य की तो कोई तलाशी नहीं ली जाती है बल्कि उनकी वजह से दूसरे बिमानों को लेट तक कर दिया जाता है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। पिछले सेशन में मैं हवाई जहाज से बम्बई गया। पहले तो यहीं से हमारे विमान की लेट उड़ान हुई। बम्बई जाकर मालूम हुआ कि हमारे से पहले वाले विमान में श्री राजीव गांधी आए थे। उनकी कोई भी तलाशी या सुरक्षा जांच नहीं की जाती बल्कि उनके लिए दूसरी व्यवस्था होती है। तो संस्त्सदस्यों के बीच में जो यह फर्क किया जाता है यह कहां तक उचित है ? कानून सभी के लिए एक होना चाहिए। ऐसा न हो कि राजीव गांधी बिना किसी तलाशी के सीधे चले जायें और हमारी जांच की जाए। मैं तो समझता हूं साधारण लोगों तथा संसत्सदस्यों के बीच में भी कोई फर्क नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जब राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी के दूसरे लोगों की कोई सुरक्षा जांच नहीं की जाती, उनके सामान की कोई जांच नहीं होती चाहे वे देश के किसी भी हवाई अड्डे पर जायें या विदेश जायें, इस प्रकार की जो प्रथा यहां पर हैं इसी के कारण स्मगलिंग बढ़ रही है और देश की एकता को भी खतरा पैदा हो रहा है। मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी, यह जो

डिस्क्रीमिनेशन चल रहा है, इस पर गहराई के साथ विचार करें नहीं तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होगी ।

जहां तक सुरक्षा का सम्बन्ध है, जैसा कि उधर के माननीय सदस्यों ने भी कहा है, नयी आधुनिक मशीनें जो कि इतनी मंहगी भी नहीं हैं, उनको आप लगवायें । उनसे आप लोगों की एफिसियेन्सी बढेगी । सुरक्षा कर्मचारियों के सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहूंगा । उन को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए । बेकार लोगों को वहां भेज दिया जाता है जो उस काम में एफिसियेन्ट नहीं हैं, जिन को उस तरह की डयूटी देने के तौर-तरीके मालूम नहीं हैं कि यात्रियों की सुरक्षा जांच कैसे की जा सकती है । जो उस काम में ट्रेण्ड नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, इस लिए भारत सरकार की तरफ से उन की ट्रेनिंग की व्यवस्था कराइये तथा ट्रेण्ड लोगों को हवाई अड्डों पर लगाने की व्यवस्था के बारे में सोचिये, तभी इस में सुधार हो पायेगा ।

विमान अपहरणकर्ताओं की सजा के बारे में जो बिल आप लाये हैं उस में मानिटरी-पनिशमेन्ट की जो बात कही गई है वह बिलकुल वेग है । उस में ऐसा कहीं नहीं है कि इस तरह के अपराधियों को आप कितना दण्ड देंगे । उस में ऐसा कहीं नहीं है कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना दण्ड दे सकते हैं । इस बात को आप बिल में क्लिअर कीजिए ।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता, लेकिन अभी हमारे साथियों ने जनतारिजीम में राजनीतिक मकसद के लिए संजय गांधी और इन्दिरा गांधी के समर्थन पर जिन लोगों ने बनारस से प्लेन हाइजैक किया था, उनका जिक्र किया है । उनके केस आपकी सरकार ने वापस कियें हैं यह उचित नहीं है । अगर हमारी सरकार भी इस तरह का रुख अपनायेगी तो वह गलत होगा । आप ने उन लोगों को अपनी पार्टी का एम० एल० ए० बनाया । मैं उनके लिए क्रिमनल शब्द का उपयोग नही करना चाहता, लेकिन उन के केस को वापस लेना, उनको एम० एल० ए० बनाना, यह प्रथा ठीक नहीं है । मुझे दुख केसाथ कहना पड़ता है कि इस तरह की कार्यवाही से आप की नीयत संदिग्ध हो जाती है । ऐसे लोगों को राजनीतिक आदमी समझ कर उन के केस को वापस लेने की प्रथा यदि बढ़ती गई तो इस के बहुत खराब परिणाम निकल सकते हैं । आज खालिस्तान के समर्थक भी राजनीतिक हैं, जिन के पीछे पोलीटीकल-एम है । इसलिए इस तरह के राजनीतिक षडयन्त्र में चाहे आपकी पार्टी का मामला हो या हमारी पार्टी का मामला हो, उन को छोड़ना, देश की एकता को नुकसान पहुंचाने की बात है, ऐसे मामले में भेदभाव की नीति को मत अपनाइये और ऐसे लोगों को सख्ती से सजा देने के बारे में सोचिए । इसलिए में आप से अपील करूंगा कि आप भविष्य के लिए जो भी कानून बनाने जा रहे हैं उन को ईमानदारी से लागू करने के बारे में विचार कीजिये । आज खालिस्तान के लोगों की जो मांगें हैं, अगर आपने उन की मांगों के सामने सरण्डर किया तो आने वाले समय में इस के भयानक नतीजे निकलेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस बात की तरफ मैंने अभी इशारा किया था कि एम. पी. एम. पी. के बीच में आप के अधिकारी जो डिस्क्रीमिनेशन करते हैं या तो उसको खत्म करवाने का आश्वासन देंगे या सबकी जांच होगी इस तरह का आश्वासन मैं आप से चाहता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, हम इस समय दो विधेयकों पर विचार कर रहे हैं—एक विमान अपहरण निवारण विधेयक, 1982 और दूसरा—सिविल विमानन सुरक्षा विधिविरुद्ध कार्यदमन विधेयक, 1982। ये दोनों विधेयक बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण हैं। मैं इन दोनों विधेयकों का समर्थन करते हुए कुछ बातों की तरफ मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं। ये विधेयक 1970 की हेग-कन्वेंशन और 1971 की मान्ट्रियल कन्वेन्शन के उद्देश्यों को ध्यान में रख कर तैयार किए गए हैं यह ठीक है कि इनको लाने में देर हुई है, फिर भी इनको पास करने के बाद जल्द से जल्द अमल में लायें और जो भी विमानों की सुरक्षा के लिए खतरनाक समझा जाए। या विमानों के अपहरण के नापाक काम के बारे में पकड़े जाएं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और सजा होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार के राजनीतिक भेदभाव की बात न की जाए। कुछ वक्ताओं ने इस ओर ध्यान खींचा है कि पिछले तीन-चार सालों के अन्दर तीन, चार विमानों के अपहरण हमारे देश में हुए हैं और उनके कुछ अपहरणकर्त्ताओं को छोड़ दिया गया है, उनके मुकदमे वापस ले लिए गए हैं। इस तरह के आचरण से लोगों का विश्वास आपके कानूनों के प्रति हिलता है। उनका विश्वास न हिले, इस बात को ध्यान में रख कर, जो कोई भी विमानों को नुकसान पहुंचाने वाला पकड़ा जाए, उसकी सम्पत्ति और सब कुछ ले लेना चाहिए। अपहरण के दुष्कर्मों में जो भी पकड़ा जाए उसके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के समान रूप से कार्यवाही होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सचमुच में जनता के विश्वास को आप इन कानूनों के प्रति जगा नहीं सकेंगे।

जो बातें पीछे हुई हैं, मैं तो यह समझूंगा कि जिन लोगों के खिलाफ आपने मुकदमे वापस ले लिए हैं, उनके खिलाफ इस कानून के चलने के बाद अब आप मुकदमे चलायेंगे। वे एम० एल० ए० हो सकते हैं, बड़े अधिकारी हो सकते हैं, राज नेता हो सकते हैं लेकिन इस कानून से किसी की गर्दन को बरी नहीं करना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल के पृष्ठ दो पर धारा एक की उपधारा तीन में कहा गया है कि—"यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।"

इतने गंभीर मामले और बात के लिए आप कुछ और समय लेना चाहते हैं। ऐसे कानून को अमल में लाने में ऐसी देरी क्यों होनी चाहिए? इस कानून और अन्य कानूनों में अन्तर है। हमारे देश के दुशमन भीतर से या बाहर से हमारे विमानों को क्षति पहुंचाते हैं। उनके लिए

अधिसूचना जारी करने में कुछ वक्त लगेगा, इसकी प्रतीक्षा आप क्यों करना चाहते हैं ? जैसे ही कानून पास हो जाए और राष्ट्रपति जी की इसे स्वीकृति मिल जाए, इस कानून को फौरन ही प्रवृत्त माना जाए। इस तरह का मैंने संशोधन भी दिया है। मेरे ख्याल से इस संशोधन को स्वीकार करने में आपको कोई हील-हवाला नहीं करना चाहिए अगर आप सचमुच में ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहते हैं तो।

तीसरी बात, तलाशी का सवाल उठाया गया। मैं तलाशी के पक्ष में हूं। अगर हवाई जहाज में चढ़ने वाले लोगों की तलाशी लेना हम बन्द कर देंगे तो हाईजेकर उसमें घुस जाएंगे। इसलिए आप तलाशी जरूर लीजिए लेकिन आप किसी यन्त्र के द्वारा लीजिए जिससे कि यात्रा करने वाले किसी मर्द या औरत के शरीर का स्पर्श करने की जरूरत न पड़े। यहां दिल्ली में हमने देखा है कि यंत्र से आप यह कर रहे हैं। यही व्यवस्था आप सभी जगह कीजिए।

तलाशी सब की हो। इसमें आप भेदभाव की नीति न वरतिये। कोई बड़ा और छोटा हो सकता है। लेकिन यात्री सभी समान हैं और सभी लोग बराबर का पैसा देकर यात्रा करते हैं, कोई कम पैसा नहीं देता। सभी बराबर का किराया देते हैं। इसकी भी समान सुविधा और समान व्यवहार सबको मिलना चाहिए। इस बात को आप क्रियान्वित कीजिए, सब लोग आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे।

बहुत से कन्वेन्शन्स का जिक्र किया गया है, मैं उनमें जाना नहीं चाहता। एक बात मैं कहना चाहता हूं। आपके जहाज पर जब हम लोग चढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारी दृष्टि इन्डियन एयरलाइन्स की लिखावट पर जाती है। वह अंग्रेजी में लिखा होता है जबकि हमारी राजभाषा हिन्दी है। आफिशियल लैंग्वेज एक्ट-1963 में केवल हिन्दी है। बाद में आपने सहयोगी भाषा के रूप में अंग्रेजी को भी माना है। यह आफिशियल लैंग्वेज एक्ट का उल्लंघन है।

श्री रामावतार शास्त्री : आप 'हिन्दी' शब्द सुनने के बाद घबराएं मत। मैं घबरा नहीं रहा। कृपया आप मेरी बात तो सुनें।

उपाध्यक्ष महोदय : वे बड़े गम्भीर वक्ता हैं। हमें उनकी बात सुननी चाहिये। आप उनके सामने विवादास्पद मामले क्यों लाते हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : मैं तो राजभाषा अधिनियम, 1963 और 1965 का उल्लेख कर रहा हूं।

राजभाषा अधिनियम 1963 की कमेटी भी दोनों सदनों की आपने बना रखी है। जब श्री ए० पी० शर्मा जी मंत्री थे एक सेशन पहले, हमने सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि हम हिन्दी में भी लिखेंगे और अंग्रेजी में भी। हिन्दी अब किस तरफ लिखी हुई है, बैंक में।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जैसे अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा के व्यक्ति को किसी भाषा विशेष की बातें नहीं करनी चाहिए ।

श्री रामावतार शास्त्री : आप मुझे गुमराह न करें । मैं दोनों भाषाओं की बात कर रहा हूं। केवल एक भाषा अंग्रेजी ही है । मैं यह चाहता हूं कि हिन्दी में भी वही लिखा होना चाहिए और उसके नीचे अंग्रेजी में लिखा हो क्योंकि राजभाषा अधिनियम में दोनों भाषाओं का उल्लेख है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री : आप हिन्दी भाषा सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, इसलिए आप ऐसा कहते हैं ।

श्री मायातेवर : अच्छा हो यदि आप अंग्रेजी में बोलें ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं ऐसा नहीं करूंगा । मैं आपको समय-समय पर हिन्दी भाषा भी समझाता रहूंगा । मैं समझता हूं, मंत्री जी समझ गए होंगे क्योंकि मंत्री जी राजभाषा अधिनियम के विरोधी नहीं है । वह कानून हम लोगों ने संसद में कन्सेन्सस से पास किया । मेरा कहना यह है कि हिन्दी उसमें होना चाहिए ।

आप अखबार जैसे दिल्ली से भेजते हैं, अंग्रेजी के तो आप देते ही हैं लेकिन हिन्दी के भी थोड़े देते हैं । आप सभी अखबारों को जहाज में दीजिए । मद्रास से अगर जहाज चलता है तो वहां तमिल और अंग्रेजी का अखबार दीजिए. उसी तरह से हर जगह यह व्यवस्था होनी चाहिए ।

श्री भागवत झा आजाद : हो जायेगा ।

आखिरी बात बसों के बारे में कहना चाहता हूं । बसों की व्यवस्था पहले आपकी थी यानी इन्डियन एयरलाइन्स की थी और उसका आप किराया वसूल कर लेते थे । बाद में आपने उस व्यवस्था को हटा दिया । दिल्ली में आपकी दूसरी व्यवस्था है, जो वार-हिरोज रिटायर्ड हैं, उनको देते हैं । उसमें दिक्कत यह होती है कि एम० पी० लोग आते-जाते हैं और सबसे आखिर में हम लोगों को नार्थ-एवेन्यू या साउथ एवेन्यू में पहुंचाया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग एक-एक घंटे तक घूमते रहें । किराए के बारे में मैं आपको पटना की बात बताता हूं । तीन या चार किलोमीटर, हवाई अड्डे से, आपका सिटी में दफ्तर है और उसका आप लेते हैं-10 रुपए । 10 रुपए क्यों लेते हैं जबकि यहां 8 रुपए लेते हैं । साधारण लोगों के लिए यह ठीक नहीं है, हमको भी उतना ही पैसा देना पड़ता है । आप एक नियम बनाइए कि कितनी दूरी पर आप कितना पैसा लेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि इसको बिना किसी भेदभाव के लागू करें, इसकी धाराओं को लागू करें और सब पर समान रूप से लागू करें ताकि जनता को विश्वास हो इस पर तथा दूसरे कानूनों पर। ऐसा करके ही आप किसी भी कानून के पक्ष में जनता का समर्थन ले सकते हैं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): इस विधेयक का मैं पूर्णतया समर्थन करता हूं। कुछ सुझाव मैं मंत्री महोदय को देना चाहता हूं। दूसरे सदन से यह पास हो गया है और अब सुझाव देने को कुछ बचे नहीं हैं। फिर भी एक दो चीजें मैं कहना चाहता हूं। मंत्री जी ने जो दूसरे सदन में कहा है उसका उल्लेख करते हुए मैं कूछ सुझाव देना चहता हूं। शास्त्री जी तथा जगपाल सिंह जी ने भी कहा कि आप संसद सदस्यों में डिसक्रिमिनेट न करें, सदस्य सदस्य में अन्तर न करें। आपने अपने जवाब में राज्य सभा में कहा था कि आप राज्य के मुख्य मंत्री को छूट देते हैं और किसी दूसरे मंत्री को नहीं देते हैं। कैबिनेट रेंक का जो मंत्री है और जो कैबिनेट में है, उसी कैबिनेट का मुख्य मंत्री भी एक अंश होता है। आपने मुख्य मंत्री को छुट दे रखी हैं तो कैबिनेट रेंक के मंत्री को आप छूट न दें तो यह उसके प्रति अन्याय होगा। मशीन से आप जांच करते हैं और मशीन से किसी को भी पार करने और सब की जांच करने मैं आपको क्या आपत्ति है। बहुत ज्यादा हमारे साथियों को दुख होता है क्योंकि जब हम जाते हैं तो पता नहीं कौन पकड़ ले और प्लेन को लेकर उड़ जाए और मौत से झूझना पड़ता है; इससे सब को दुख होता है। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि क्यों दूसरों को छूट नहीं रहनी चाहिये। सब को मशीन से आपको समान रूप से पार करना चाहिये।

हाइजैकर्ज के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने दूसरे सदन में कहा कि विदेश मंत्री इसका जवाब देंगे। यह उचित नहीं है। पाकिस्तान के हाइजैकर्ज के सम्बन्ध में आपने कहा कि विदेश का यह मामला है और विदेश मंत्री बताएंगे। मैं समझता हूं कि आपको निश्चित रूप से इसके बारे में बताना चाहिये कि जिस ने हाइजैकर्ज किया उनके साथ आप पाकिस्तान के साथ क्या बातचीत कर रहे हैं। कनवेंशन का पाकिस्तान भी मेम्बर होना चाहिये। पाकिस्तान का जो कानून है उसके तहत तो हाइजैकर्ज को मृत्युदंड तक की सजा हो सकती है। हम तो केवल आजीवन कारावास की सजा की ही व्यवस्था कर रहे हैं। सही दलील दी गई है और मैं इसका समर्थन करता हूं कि जब किसी को मालूम हो जाएगा किसी हाइजैकर को पकड़े जाने पर मृत्यु दंड की सजा होगी तो उस अवस्था में उसकी सद्बुद्धि दुर्बुद्धि में बदल सकती है और वह प्लेन को—ध्वस्त भी कर सकता है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान सरकार के साथ आपको बात करनी चाहिये और पता लगाना चाहिये कि कहीं वह उनको छोडने की बात तो नहीं सोच रही है।

नेशनल इंटरेस्ट का जहां मामला हो उसके अन्दर हम को पार्टी इंटरेस्ट को कभी बीच में नहीं लाना चाहिये। पार्टी के हित में कोई बात थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छी लग सकती हैं और वह थोड़ी देर के लिए इस बहादुरी के काम के लिए उसको बीर पुरुष का या बहादुरी

का तगमा दे सकती है लेकिन अन्ततोगत्वा इस तरह की बात से राष्ट्र विरोधी तत्वों को बढ़ावा ही मिलता है और राष्ट्र को तोड़ने में यह चीज सहायक सिद्ध होती है। अगर कुछ लोगों के दिमाग में यह बात है कि अपहरण करना वीरता का काम है तो मैं इसको वीरता का काम नहीं समझता हूं। कोई कितना बड़ा आदमी भी क्यों न हो, कितने बड़े पद पर वह क्यों न हो, जो इस तरह का काम करता उसके सम्बन्ध में हमें दूसरे मुल्कों में भी वातावरण इस तरह का बनाने की कोशिश करनी चाहिये कि उसके साथ भी वही सलूक हो जो दूसरे ऐसे तत्वों के साथ होता हैं। दूसरे सदन में भी यह मामला आया था। कोई हवाई जहाज उड़ा भारत की भूमि से और हाईजैक हुआ पाकिस्तान की भूमि पर और फिर उसके बाद उतरा जाकर लंदन की भूमि पर फिर किस देश के कानून के तहत कार्रवाई होगी। जहां उतरेगा उस देश का कानून ही लागू होगा। मैं चाहता हूं कि हम जनमत तैयार करें कि इस तरह का जो काम करता है चाहे किसी भी देश का आदमी करे, जो हाईजैकर है, वह कल्परिट है, हत्यारा है इसलिए किसी भी सरकार को यह नैतिक अधिकार नहीं है कि वह इस तरह के काम को स्पोर्ट करे और स्पोर्ट ही नहीं बल्कि इस तरह के लोगों को संरक्षण देने का काम करे।

आप मंत्री नहीं थे। कोई गलती हो तो उसको बताने में आपको हिचक नहीं होनी चाहिये। देर आयद दुरूस्त आयद। यह कनवेंशन दस साल पहले पास हुआ था। 1970 में हुआ था। बारह साल के बाद हम उस पर डिसकशन कर रहे हैं। 12 साल के बाल बिल ला रहे हैं इसका मतलब है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। जनता पार्टी को भी हम इस मामले में सपोर्ट नहीं कर रहे है, और हमारे जैसा आदमी प्रत्येक चीज के लिए जनता पार्टी का सपोर्टर नहीं है। 8 साल तक आप रहे, आप इस बिल को नहीं लाये, जनता पार्टी की सरकार भी दो साल में नहीं लायी, दोनों ने गलत काम किया। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो सरकारी तंत्र है, ऐडिमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, जिनकी पैनी दृष्टि है क्या उन्होंने नहीं सोचा था कि इस तरह की घटना घट सकती है ? और यदि नहीं सोचा तो क्या अपनी अदूरदर्शिता का परिचय नहीं दिया ? इसलिए मंत्री जी को बताना चाहिये कि क्यों ऐसा हुआ ?

समाचार-पत्रों के सम्बन्ध में मैंने सवाल पूछा था, आपके मंत्रालय ने जवाब दिया कि 11 लाख से ज्यादा सर्कुलेट होते हैं जिनमें से हिन्दी के समाचार-पत्र मात्र 1 लाख होते हैं। इसलिये जहाँ से जो भाषा का पत्र निकले उसको सर्कुलेट करना चाहिये। मैं नहीं कहता अकेले हिन्दी ही का हो, अंग्रेजी, तमिल, तेलगू, बंगला सभी भाषाओं के रखिये और समान रूप से उसको रखिये ताकि किसी को डिस्क्रिमिनेट करने का मौका किसी को न मिले।

सभा पटल पर रखा गया पत्र

भारत में निर्मित न होने वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क से छूट तथा आयातित पी०बी०सी० रेजिन पर मूल सीमा-शुल्क में वृद्धि संबंधी अधि सूचना

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री पी० बेंकटसुब्बया श्री जनार्दन पुजारी की ओर से एक पत्र सभा पटल पर रखेंगे ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० बेंकटसुब्बया) : महोदय मैं श्री जनार्दन पुजारी की ओर से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) अधिसूचना संख्या 241/82-सी० शू० और 242-82/सी० शू०, जो 4 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो ऐसे माल को जिसका उत्पादन या निर्माण भारत में नहीं होता और जिस पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क उसके भारत में आयात के समय अदा की गई है और जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित ठेके को क्रियान्वित करने के लिए वाणिज्यिक और औद्योगिक (जिसमें निर्माण भी शामिल है) कार्यों के लिए भारत से बाहर निर्यात किया जाता है, सीमा.शुल्क से छूट देने के बारे में है ।

(दो) अधिसूचना संख्या 243/82.सी. शू., जो 4 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो आयातित पी. बी. सी. रेजिन पर मूल सीमा-शुल्क को यथा मूल्य 100 प्रतिशत से बढ़ाकर यथा मूल्य 150 प्रतिशत करने के बारे में है । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल. टी—5628/82] ।

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार 5 नवम्बर, 1982/14 कार्तिक, 1904 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थागित हुई ।